राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 11] चतुर्थ विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

गुरुवार, दिनांक 11 नवम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.3 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, अकाल सहायता, सिंचाई, आबकारी, उद्योग, राजस्व, सहकारिता, खनिज, स्वायत्त शासन व सहकारी विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 14

मेडिकल ऑफिसर छींपा बड़ौद के विरुद्ध शिकायत

14. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छींपा बड़ौद के इन्चार्ज मेडिकल अधिकारी की इस एरिया के ग्राम रीवां के एक काश्तकार ने रिश्वत-खोरी के संबंध में शिकायत श्री स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को की हुई है? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति का क्या नाम है तथा उक्त जांच में क्या हो रहा है?

चिकित्सा मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): जी हां। श्री किशनलाल वल्द मोतीलाल मीना, निवासी ग्राम रीवां है। जांच रिपोर्ट का निर्णय सरकार के विचाराधीन है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह जांच कितने अर्से से चल रही है?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जब राज्य सरकार के पास जांच रिपोर्ट आ गई है तो इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई इतने अर्से से चल रही है? और अगर जांच रिपोर्ट होकर आ गई है तो आपके यहां क्यों पड़ी है उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? ये आप कब तक कार्य-वाही पूरी कर देंगे कोई निश्चित तारीख बतादें?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट सरकार के पास कब आ गई और उस पर मन्त्री महोदय ने क्या कार्यवाही की यह मैं

(श्री भैरोंसिंह)
आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि यह कब आई और इस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : कब आई इसकी तारीख मैं सचिवालय से देखकर बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सचिवालय सरकार से अलग है आपके पास रिपोर्ट आई नहीं क्या और सवाल यह आई है तो कब आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है मैंने कहा ना कि जानकारी सचिवालय से करके भेज दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय बड़ी विचित्र बात है कि मन्त्री महोदय को यही पता नहीं है कि जांच कब से विचाराधीन है तो ये क्या बता सकेंगे कि इस पर फैसला कब होगा। इतने दिन हो गये है जांच कितने अर्से से चल रही है और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि जांच रिपोर्ट आ गई है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस में आकर यह जवाब देना कि जांच रिपोर्ट होकर आ गई है और सेक्रेटेरियेट में है ये तो कोई जवाब नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको कहा है ना कि जल्दी ही फैसला कर दूंगा। एट दी अरलियेस्ट।

श्री भैरोंसिंह : एट दी अरलियेस्ट तो कोई बात नहीं हुई आप कोई निश्चित् महीना, तारीख और कोई वर्ष बतादें आज इतने साल हो गये हैं जांच चलते और अब कई दिनों से सैक्रेटेरियेट में पड़ी है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने महीनों तो बताया नहीं है कहा ना कि जल्दी ही कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है मैं तो इनसे आज ही जवाब चाहूंगा आपके मार्फत।

श्री अध्यक्ष : कहा ना विचाराधीन है जल्दी ही फैसला कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि रिपोर्ट आये हुए आज कितने दिन हो गये हैं सैक्रेटेरियेट में लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट इतने दिन तक सचिवालय में पड़ी रही है और जैसा कि राज्य सरकार घोषणायें करती है कि रेड टैपिज्म को खतम किया जायेगा तो क्या यह सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार है जिसके पास यह रिपोर्ट इतने दिन से पड़ी हुई है। सरकार की घोषणाओं के अनुसार एक कागज एक हफ्ते भर से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और ये रिपोर्ट इतने दिन तक पड़ी रही

(श्री भैरोंसिंह)
क्या सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : हां अगर वह कर्मचारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ में कार्यवाही की जायेगी।

श्री फतेसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, सीधा सवाल है कि वह रिपोर्ट कब से विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि वह कौन है व्यक्ति जिसके पास इतने दिनों से रिपोर्ट पड़ी है और उसने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने इस पर कार्यवाही करने का कह दिया है। काफी हो गया है अब समाप्त करें। नेक्स्ट !

टोंक जिले के मजदूरों की बकाया

15. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत टोंक जिले में 1967 में और 1969 के अनपेड मस्टर रोल तथा सन् 1970 के ओला वृष्टि के मस्टर रोल में अब तक कितने मजदूरों की कितनी मजदूरी बाकी है ? सूची टोडारायसिंह निर्वाचन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार बकाया मजदूरी दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त मजदूरों की मजदूरी का कब तक चुकारा कर दिया जायेगा ?

(3) सन् 1967, 1969 और 1970 के सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों में कार्य कराये गये थे ? यदि हां, तो ऐसे कार्यों में कार्य करने वाले कितने मजदूरों की कितनी कितनी मजदूरी कब कब से किन किन कारणों से बकाया रही ? तथा अकाल राहत विभाग ने इसके चुकारे के लिये क्या क्या प्रयास किये व कब तक चुकारा हो जावेगा ? टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

अकाल राहत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत टोंक जिले से सन् 67 और 1969 तथा 1970 में ओला वृष्टि के मस्टर रोल में अब तक निम्न प्रकार मजदूरी चुकानी बाकी है :—

वर्ष	मजदूर	मजदूरी
1967	1601	13220.77 पैसे
1969	444	2075.03 ,,
1970	780	7376.93 ,,
	2825	22672.73 पैसे

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से

वर्ष	मजदूर	मजदूरी
1967 व 1969	1961	19222.18
1970	949	14729.48

(श्री परसराम मदेरणा)
इसमें से टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के 1719 मजदूरों की मजदूरी 8540.38 पैसे एवं सिंचाई विभाग के 671 मजदूरों की 4714.27 पैसे बकाया है। सड़क वार एवं तालाब वार विवरण की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त में से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से चले कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का अब चुकारा करवाया जा रहा है। जिलाधीश टोंक को इसके लिये आवश्यक प्रावधान दे दिया गया है और वे चुकारे की व्यवस्था कर रहे हैं सिंचाई विभाग के अभिकरण से चले कार्यों की जिलाधीश को अभी सूचियां प्रस्तुत की गयी हैं और इसके लिये शीघ्र चुकारे की व्यवस्था की जायेगी।

(3) 1967-69 एवं 1970 के सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्य करवाये गये थे। ऐसे कार्यों पर मजदूरों की बकाया का विवरण अंश (1) में बताया जा चुका है। मजदूरी के बकाया रहने का कारण यह था कि मजदूरी के मजदूर भुगतान केन्द्र पर समय पर उपस्थित नहीं होते थे एवं कई बार मजदूर मिलते नहीं थे। सहायता विभाग ने इस चुकारे की व्यवस्था के लिये समय पर आदेश जारी किये हैं, और चुकारा शीघ्रातिशीघ्र करने के प्रयत्न किये हैं। अब भी चुकारा करने के प्रयत्न पूरे तौर पर चालू हैं और जितना जल्दी हो सके उतना बकाया चुकारे के मामले को निपटाने के लिये सरकार प्रयत्न शील है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खेद की बात है कि लोगों को मजदूरी नहीं मिली है। जो लिस्ट मुझे मिली है उसके अनुसार तो यह पता चलता है कि वो कहते हैं कि मजदूर मिलते ही नहीं। इसमें मेरी अर्ज यह है कि राज्य सरकार ने मजदूरों को मजदूरी देने के कार्य तहसीलदार को सौंप रखे हैं और तहसीलदार हरेक जगह जाता नहीं है जिसको तहसीलदार देना चाहते हैं उन्हें तो मिल जाती है इसलिये अध्यक्ष महोदय मेरा आपके मार्फत राज्य सरकार को यह निवेदन है कि वो उनकी मजदूरी मिलने के लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें और जहां जहां वो लोग रहते हैं उनकी वहां जाकर मजदूरी मिले ऐसी व्यवस्था करावें या पंचायतों के द्वारा व्यवस्था करावें। यह जो पेमेन्ट होता है उसमें तहसीलवार पैसे नहीं दिये जाते हैं अगर विकास अधिकारी अपने विकास के लिये कार्य के लिये काम करता है तो मजदूर को पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज है कि अकाल राहत में जिन मजदूरों ने काम किया सिंचाई विभाग के मार्फत किया तो तहसीलदार और विकास अधिकारी के माध्यम से पेमेन्ट कराया जाता है तो क्यों नही मेरी तहसील में 1,719 मजदूरों को 8540.38 पैसे का पेमेन्ट कराया जाता है ? जल्दी उनको पेमेन्ट कराया जाय यह मेरा निवेदन है।

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि भुगतान में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। मुख्य कारण यह था कि अकाल राहत के काम बन्द होने के कारण मजदूर लोग

(श्री परसराम मदेरणा)
चले गये । जैसा कि मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि सब सूची बनाकर जिला परिषद् और कलेक्टर के दफ्तर में रखदी गयी है । उसके बाद कलेक्टर ने कितनी टोटल रकम की आवश्यकता है उसके लिये लिखा । उसके पश्चात् धन राशि आवंटित करदी गयी । सिंचाई विभाग की सूची देरी से कलेक्टर के पास आयी उसका मिलान किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी रकम उनको भेज दी जावेगी । 30 हजार और 19 हजार के आस पास तो पेमेन्ट अभी किया गया है और बाकी का जल्दी किया जावेगा ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : जहां जहां अकाल राहत के कार्य चले उनमें लाखों की तादाद में मजदूरों का पैसा अब भी मजदूरी का बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, यह केवल टोंक का ही प्रश्न नहीं है । अन्य जिलों में भी मजदूरों का लाखों रुपया पड़ा है बकाया का जिसका भुगतान नहीं हुआ है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि दूसरे जिलों में भी बाकी है । 12 लाख 27 हजार की धनराशि अलग अलग कलेक्टर को दे दी गयी है । रेवेन्यू एजेन्सी के थ्रू या विकास अधिकारी के थ्रू पेमेन्ट किया जाय इसके लिये कलेक्टर ही जिम्मेदार है । लोग खेती पर लगे हुए थे । सब ही लोग चुकारे के लिये पहुंच नहीं सके । फसलें कट गयी है । अब अगले दो महीनों में पेमेन्ट हो जावेगा । जब तक उस आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ऐसे मामले सामने आये हैं, उनको पेमेन्ट होने में दिक्कत होती है । लेट होने का कारण यह भी है । सिंचाई विभाग का हो या पी. डब्ल्यू. डी. का हो । लिस्ट बन गई । है । कई कलेक्टर्स ने ओरिजिनल मस्टर रोल मंगवाया था । कई जगह पहुंच नहीं सके । मस्टर रोल से पेमेन्ट करना पसन्द करते हैं और नकल से नहीं । जो सूचियां कलेक्टरों के पास से आयी हैं जितनी धन-राशि मांगी है उतनी दे दी है ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे कि मजदूरों को मजदूरी का पेमेन्ट एक हफ्ते में कर देना चाहिये ? मस्टर रोल बने उस नाम के व्यक्ति गांव में हैं ही नहीं । फर्जी मस्टर रोल हैं ।

श्री परसराम मदेरणा: दोनों बातें सही नहीं कह सकते हैं । कोई व्यक्ति नहीं है पेमेण्ट नहीं होगा । जहां तक लिस्टें बनाने का प्रश्न है, अब तक नहीं होने का कारण यह था कि फोर्टनाइटली पेमेन्ट का मान गये । उसमें देरी हो गई । एक जगह काम बन्द हो गया और दूसरी जगह शुरू हो गया और लम्बे अर्से तक काम चला तो मजदूर एक काम से दूसरे काम पर चले गये । चुकारा किया गया तो सब मजदूर उपस्थित नहीं हो सकते थे । जहां लगे हुए थे वहां से गैर हाजिर होकर नहीं आते । इसलिये देर हो गई । आइडेन्टिफिकेशन का सवाल है, वेरिफाई करके पेमेन्ट दिया जाय यह आदेश हैं ।

Page No 6

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : मेहनत करते हैं और उनको पेमेन्ट न किया जाय यह नहीं होना चाहिये। कर्मचारियों को पेमेन्ट न किया जाय तो पता चल सकता है। लेकिन गरीब लोगों को पेमेन्ट नहीं किया गया। सात दिन में चुकारा करने का नियम था उसका पालन नहीं करने से ऐसा हुआ है।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरी बात सुन लें। कोई मजदूर लेने नहीं जावेगा क्योंकि मस्टर रोल फर्जी हैं, वह आदमी है ही नहीं।

श्री दौलतराम सारण : फर्जी वालों ने चटापटी पेमेन्ट करा लिया। मेरी कॉन्स्टिचुएन्सी में तीन हफ्ते का एक हजार मजदूरों का पेमेन्ट बाकी है। मैंने मंत्री महोदय, कमिश्नर और कलेक्टर आदि सब को पत्र लिखे लेकिन आज तक उनके कान पर जूं ही नहीं रेंगी है। तारानगर तहसील के दौरे पर गया। मजदूरों ने दरख्वास्तें पेश की। नाम भेजे। हकीकत यह है....

श्री अध्यक्ष : हकीकत यह है कि दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे....

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : उनका भी महत्वपूर्ण है।

श्री दौलतराम सारण : इतना बकाया है उनको पेमेन्ट क्यों नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं मौका दे दूंगा वे पैरों पर खड़े हैं। माननीय सदस्य। आपको मैं अवसर दे दूंगा।

श्री शंकरसिंह : जब काम चल रहा हो तो उसका भुगतान उसी समय कर देना चाहिये। यह सारे राजस्थान का मसला है। कोई भी मेहनत करने वाला हो उसको समय पर उसकी मजदूरी का पैसा मिलना ही चाहिये और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये।

श्री शंकरसिंह : या तो समय बता दीजिये कि कब तक चुकारा कर दिया जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : बकाया का मुद्दा इस वजह से है कि जो सामान पी. डब्ल्यू. डी. सुपरवाइजर और मेट के नाम से इश्यूड हैं वह उन्होंने उसको वापिस जमा नहीं कराया और उसको बेच कर खा गये और न जाने क्या किया। वही सामान मजदूरों से मांगते हैं। टेंट तम्बू भी मजदूर ले गये ? ड्रम थे वे भी मजदूर ले गये ? गेंती, फावड़े दिये गये वे भी मजदूर ले गये ? ये सब उनके नाम पर हैं इसलिये उनको पेमेन्ट नहीं किया जावेगा। बकाया, सामान के नाम पर रख रखा है और पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है। एक तो मूल मुद्दा यह है। किसी ने शिकायत कर दी। न तो फैसला करते हैं और न जांच। विभिन्न स्तरों पर जाच भी कर ली लेकिन फाइनल करके पेमेन्ट नहीं करते हैं। माननीय सदस्य उनियारा से आने वालों ने कहा कि फर्जी मस्टर रोल हैं इसलिये चुकारा नहीं होता है। वास्तविक मजदूर हैं वे तो रोते फिरते हैं और उनको पेमेन्ट नहीं होता है। फर्जी थे तो वे तो ले गये होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना।

Page No 7

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : फर्जी नाम जान बूझ कर लिखे जाते हैं और उनको समय पर पेमेन्ट भी होता है। काम वन्द होता है और दूसरी जगह खुलता है तो मजदूर लोग वहां पर चले जाते हैं। कलेक्टर के लिये भी पता लगाना मुश्किल है। इसलिये यह प्रणाली ही गलत है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : एक प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल, (बयाना) : अंगूठा लगेगा और पेमेन्ट हो जावेगा।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) : हमारे डूंगरपुर में भी पिछले साल अकाल राहत में काम चले। मजदूरों का चार हजार रुपया वाकी है। काफी समय हो गया है। गरीब लोग हैं, काफी काम किया और उनको पेमेन्ट होना चाहिये।

श्री जसराज (भिनाय) : 1 अगस्त और 15 अगस्त का पेमेन्ट कलेक्टर को लिख देने के वाद भी वकाया है। मंत्री महोदय वताने की कृपा करेंगे कि कव तक पेमेन्ट हो जावेगा?

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार गरीब मजदूरों को (व्यवधान) एक भी इन्सटान्स मंत्री महोदय ऐसा बता सकते हैं कि मंत्रिमण्डल के किसी के पास में···(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य!

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय मजदूरों की वकाया 5-5 साल की····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने वही कहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ऐसी इन्सटान्स वता दें····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मंत्रियों का पांच दिन का ही भत्ता····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मेजर श्री फतेहसिंह (व्यावर) : अध्यक्ष महोदय, एक आध मिनिट के लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मेरे क्षेत्र जवाजा पंचायत क्षेत्र का प्रश्न है वहां पर लोगों का पेमेन्ट नहीं होने का एक अद्भुत कारण है। फेमीन का काम वन्द हो गया। उसके वाद लोगों को यह आदेश दिया गया कि सव पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर अपना पेमेन्ट लेने आयें। टाडगढ़ से जवाजा पंचायत समिति 15-20 मील की दूरी पर है। अव एक मजदूर अपने दो रुपये के पेमेन्ट के लिये जवाजा पर नहीं आयेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें 15-20 मील दूर चलकर पेमेन्ट के लिये आना पड़े और उसके लिये दो-तीन रुपया खर्च करना पड़े यह ठीक नहीं है। रुपयों का चुकारा करने के लिये आपने जो

Page No 8

(मेजर श्री फतेहसिंह)
लम्बे रास्ते पर करने की व्यवस्था की है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : यस मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि चूरू जिले के लिये जो शिकायत हुई है उसमें जब तक जांच नहीं हो जाय तब तक पेमेन्ट रोका गया है। चूरू जिले में कलेक्टर को तीन लाख 83 हजार रुपये दिये गये हैं लेकिन वहां अभी चुकारा बाकी है। वहां का पूरा का पूरा पैसा कलेक्टर को ट्रान्सफर कर दिया गया है और कई ऐसे मामले हैं जिनमें कई माननीय सदस्यों की कम्पलेन्ट चल रही है तब हमने यह लिखा कि कम्पलेन्ट की जांच की जाकर जो सही आदमी है उसको पेमेन्ट कर दिया जाय। जहां तक प्लान्ट और टूल्स का प्रश्न है पी. डब्ल्यू. डी. के जो ओवरसीयर होते हैं और जो असिसटेन्ट इन्जीनियर होते हैं उनके नाम से इश्यू हुये है या मेट या सुपरवाइजर के नाम से इश्यू हुए हैं और जब तक वह जांच नहीं कराते हैं तब तक पेमेन्ट का होना मुश्किल है। पेमेन्ट उसी के मार्फत होगा। मेरी निजी जानकारी है। बहुत सी सड़कों के ऊपर फावड़ा, गैंती लेकर चले गये और उसके बाद पेमेन्ट चाहते हैं लेकिन रिटर्न नहीं करना चाहते हैं उसको पहले रिटर्न करना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को भी निवेदन करूंगा कि उनकी जांच होने दें। जहां तक पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर पेमेन्ट का जो रखा था उसके बाद आदेश दे दिये गये हैं पंचायत समिति को हैड क्वार्टर नहीं रखकर जिसको कलेक्टर ठीक समझता है एक पंचायत या दो पंचायतों के बीच जहां के लोग रहने वाले हैं पहले लिस्ट पटवारी या बी. एल. डब्ल्यू. के पास भेज कर चुकारा किया जाय। मैं समझता हूं जो विलम्ब हुआ है अप-टू-डेट सूची बनने में विलम्ब हो गई थी। अब जल्दी पेमेन्ट हो जायगा। धनराशि भी ट्रान्सफर कर दी है। इरींगेशन की थोड़ी बहुत सूची तैयार हुई नहीं थी–कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो हो गई है और ट्रान्सफर भी कर दिया है। कई जगह सूची आई भी है लेकिन कलेक्टर के पास ओरिजनल लिस्ट नहीं आई है। यह भी काम 15 दिन में कर दिया जायगा। ऐसे आदेश 7-8 दिन पहले ही कर दिये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन के अन्तर्गत एक ही सप्लीमेन्टरी पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने बताया पेमेन्ट शुरू हो गया है। पाँच वर्ष के बाद पेमेन्ट शुरू हुआ है–डिलेड पेमेन्ट हुआ है यह तो वे मानते हैं। ठीक है पेमेन्ट शुरू हुआ है यह शुभ लक्षण है। पेमेन्ट के लिये यह भी बताया कि स्थान नियुक्त कर दिये हैं। उसके साथ साथ बहुत से सदस्यों ने यह कहा फर्जी नाम भी मस्टर रोल में दर्ज होते हैं। मेरा यही सरकार से निवेदन है, सरकार ने जांच भी करा ली है और सरकार को पता भी चल गया है कि फर्जी नाम कितने हैं, किन किन के हैं। यदि सरकार को यह पता लग गया है कि एक फिक्स प्रोसीजर के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि फर्जी नाम लिखने वाले कौन हैं। उनके सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही होनी चाहिए और जो डिलेड पेमेन्ट है उसके सम्बन्ध में तहसील हैड-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
क्वार्टर की व्यवस्था है वह असन्तोषजनक है। अगर आप उचित समझें तो एक स्पेशल कर्मचारी उसके लिये नियुक्त किया जाय। हर पंचायत हैड क्वार्टर पर जाकर तुरन्त पेमेन्ट किया जाय। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। कई बार जब उनकी उजरत नहीं मिलती है तो सरकार की शासन प्रणाली में बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। मेरा निवेदन है जो फर्जी नाम लिखे गये हैं और जो कर्मचारी फर्जी नाम लिखते हैं उनके ऊपर भी कोई न कोई सजा मुकर्रर करनी चाहिये। मंत्री महोदय इसी मुद्दे पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाल सके। क्या इस सम्बन्ध में दो शब्द कहने की कृपा करेंगे।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): जवाब देने की आदत है पुरानी।

श्री खेतसिंह: माननीय सदस्यों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाना पड़ेगा और जिनका पेमेन्ट नहीं हुआ है वे चिल्ला चिल्ला कर अपने पेमेन्ट के बारे में कहेंगे। मैं खास तौर से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा वे मुझे आश्वासन दें....

श्री भैरोंसिंह: दोनों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा: जहां तक फर्जी पेमेन्ट का प्रश्न है अब कोशिश की जायगी कि ग्राम चुनाव के पहले पेमेन्ट करा दिये जाय।

श्री नत्थीसिंह: ग्राम चुनावों के पहले ही क्यों, तुरन्त क्यों नहीं।

एक माननीय सदस्य: ग्राम चुनाव का समय तो बढ़ा भी दिया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सही है कि चुनाव पोस्टपोन हो जाते हैं। वह मैं एक टाइम प्रोग्राम नहीं देना चाहता हूं इसलिए जनवरी के अन्त तक यह प्रयत्न किया जायगा कि अधिकांश मजदूरों को पेमेन्ट हो जाय। कुछ के रुक सकते हैं क्योंकि शिकायतें हैं इसलिये मैं गलत एश्योरेन्स इस सदन में नहीं देना चाहता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 22 हजार का पेमेन्ट बकाया है। पहले आश्वासन दिया था कि सात रोज में पेमेन्ट हो जायगा लेकिन आज तक वह पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर के लिये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में धनराशि

16. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान नहर के लिये चौथी योजना एवं योजना के बाहर कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

(2) अब तक किस किस कार्य में कितनी कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा वास्तव में कितनी कितनी राशि खर्च की जानी चाहिये?

सिंचाई मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) राजस्थान नहर परियोजना के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उक्त धनराशि के अलावा वर्ष 1969-70 में 3.20 करोड़ रुपये तथा इस वर्ष (1971-72) में 3 करोड़ रुपये योजना के बाहर भारत सरकार ने स्वीकृत किये हैं। कुल राशि 46.2 करोड़ रुपये का प्रावधान है। तालिका संलग्न है।

(2) अब तक के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान कैनाल के प्रथम चरण में मार्च, 1971 तक 72 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है तथा प्रथम चरण के बाकी कार्यों को पूरा करने के लिये 47 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है।

भिन्न भिन्न कार्यों पर जितनी राशि खर्च होनी चाहिये तथा शेष खर्च होने वाली राशि का विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल की मुख्य नहर के लाइनिंग वर्क, ब्रीच का काम तथा वाटर सप्लाई अरेन्जमेन्ट में कमी हो जाने की वजह से इसके काम की गति धीमी हो गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे डिटेल मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार ने राजस्थान कैनाल को प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेन्स के रूप में स्वीकार कर लिया जिसके आधार हर अधिक धनराशि खर्च की जा सके ऐसी स्थिति है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : ठीक से नहीं कह सकता, पर भारत सरकार प्लान से बाहर रुपया देती रही है और देती रहेगी, इतना मैं कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : नेशनल इम्पोर्टेन्स की योजना स्वीकार करने से आपका क्या तात्पर्य यह है कि इस नहर को सेन्टर सेक्टर में बनाया जावे और हमारी प्लान में इसका एलोकेशन नहीं हो, तो ऐसी चीज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने और राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री ने भारत सरकार से ऐसा कोई निवेदन किया है कि जब इसको नेशनल इम्पोर्टेन्स की योजना माना जा रहा है तो भारत सरकार इसका खर्च वहन करे और भारत सरकार ही इसके निर्माण का काम अपने हाथ में ले ?

श्री हरिदेव जोशी : इस तरह से एक बार नहीं, अनेकों बार आग्रह किया गया है, चर्चायें भी हुई हैं। भारत सरकार के भूतपूर्व मन्त्री वी. के. कृष्णमाचारी भी आये थे, उन्होंने सारी स्थिति देखी थी और एक सीमा तक स्वीकार भी कर चुके थे। पर बाद में जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने भारत सरकार को लिखा भी था। भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था, पर मुख्य मन्त्री ने इस आधार पर इसे केन्द्र के हाथों

Page No 11

(श्री भैरोंसिंह)
में देने से मना कर दिया कि अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड के पावर भी तब उस सूरत में राजस्थान सरकार के हाथों में नहीं रह कर केन्द्रीय सरकार के हाथों में चला जावेगा और प्रेस कान्फ्रेन्स के अन्दर इसी बात को ऑफ दी रेकार्ड कहते हुए रखा था ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आप से नहीं, मुख्य मन्त्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि, सदन में तो वे उपस्थित रहते नहीं हैं, पर ऐसे विषय में सदन में बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण कराया जावे कि अगर इस योजना को भारत सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी तो स्वयं राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने मना किया देने से और कहा था कि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के हाथों में नहीं जाना चाहिये, क्या यह सही है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है, तो मुख्यमन्त्री कह दें। वे जाने।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि राजस्थान के पास इसके रहने से पूर्वी जिलों को मिलने वाली राशि में कमी रहती है और इस कारण उस इलाके की उन्नति में बाधा पड़ रही है इसलिये भी इसको सेन्टर को सौंप देना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान सरकार को प्रारम्भ से ही इसको नेशनल इम्पोर्टेन्स के प्रोजेक्ट के रूप में देने का आग्रह करती रही है। और निरन्तर प्रयत्न भी किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : पर राजस्थान सरकार ने इसलिए नहीं दिया कि भूमि वितरण में उसको अपनी मनमानी करने का अवसर नहीं रहता ?

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न है कि राजस्थान कैनाल को केन्द्र अपने हाथों में ले या न ले यह अलग से प्रश्न है, पर आज भी जितनी राशि इसके निर्माण कार्य के लिये रखी जाती है उस राशि का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। वाटर सप्लाई ठीक तरह से नहीं होने के कारण और शिड्यूल ऑफ वेजेज ठीक नहीं करने के कारण ठेकेदार लोग काम लेना नहीं पसन्द कर रहे हैं सारे यहां का काम छोड़ छोड़कर हरियाणा की तरफ जा रहे हैं क्या सरकार इस स्थिति को बदलेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जो ऐलोकेशन राशि का था वह पूरा एलोकेशन खर्च हो चुका है। फरदर एलोकेशन और करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान कैनाल निर्माण के लिए जिस जगह काम चल रहा है वहां और आगे तक सीमेन्ट की पक्की नालियां बनाने का प्रावधान था उसको राज. सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और उसके स्थान पर पाइप लाइन खरीदने की योजना बनाई है पर पानी उपलब्ध नहीं होने से सब में कठिनाई आ रही है।

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है। ऑफ हैण्ड मैं नहीं कह सकता पूरी जानकारी के अभाव में कि क्या स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा था कि पानी की कोई कठिनाई नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रोजेक्ट की हर माईनर डिटेल याद हो यह सम्भव नहीं है और याददाश्त के आधार पर जवाब देना भी उपयुक्त नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस कैनाल के द्वितीय चरण का काम प्रारम्भ हो गया है क्या इसके लिये भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण पूरा न हो तब तक फरदर कमिटमेन्ट क्या हो, नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह . द्वितीय चरण पर आज काम चल रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : वह दूसरी चीज है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी चीज क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो स्कोप है इस प्रश्न का उसके अन्तर्गत कोई भी बात बताने में मुझे ऐतराज नहीं है। पर आप ऐसी बात पर कमिटमेन्ट चाहते हैं जिसपर अभी तक सरकार ने डिसीजन नहीं लिया है, उस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह मान कर चला जाय कि सेकण्ड स्टेज का काम शुरू करने का निर्णय नहीं लिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रिलिमिनरी शुरू हो गई।

श्री भैरोंसिंह : किसकी प्रिलिमिनरी चल रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : जब तक कन्ट्रोल बोर्ड निर्णय नहीं लेता है इसके मुतल्लिक कि दूसरी स्टेज का काम आरम्भ किया जावे, तब तक इस बारे में देने के लिये मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। आबकारी मन्त्री।

सार्वजनिक स्थानों व बस स्टेण्डों के पास शराब के ठेके

17. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थानों व बस स्टेण्डों पर भी शराब के ठेके लगे हुए हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने ठेके राजस्थान में हैं ? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थानों से शराब के ठेकों को हटाने का विधान सभा के बजट अधिवेशन में राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है ?

आबकारी मन्त्री (श्री शोभाराम) : वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिये इसे स्थगित करने की मेरी प्रार्थना है।

श्री नत्थीसिंह : कब के लिये एडजोर्न किया गया।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : कब तक प्राप्त हो जावेगी सूचनाएं।

श्री रामचन्द्र आर्य : लम्बी चौड़ी जानकारी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री से केवल इतना सा पूछना है कि क्या यह बात सच है कि शराब के विभाग में जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं वे जान बूझकर इसका उत्तर तैयार करके आपके सामने नहीं रखते ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे तो केवल यह अर्ज करनी है कि क्या आपके हर बस स्टेण्ड पर शराब के ठेके हैं ? केवल इसका जवाब चाहिये था जो कोई मुश्किल नहीं था। अब इसका जवाब कब तक मिल जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : एक उत्तर तो दिला दीजिये अध्यक्ष महोदय, नीति की बात है यह जिस पर सोचा ही नहीं गया है कि स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, बस स्टेण्ड, धार्मिक स्थान आदि के आस पास शराब की दुकानें नहीं खोली जावेंगी, तो जब यह नीति है तो इस नीति का अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने पर दे दिया जायेगा।

नेक्स्ट। उद्योग मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहूंगा कि बजट अधिवेशन में यह आश्वासन दिया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टेण्डों पर, स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थानों के आस पास शराब की दुकानें नहीं खोली जावेंगी, अगर होंगी तो उनको बन्द करवा दिया जावेगा। उसका क्या हुआ ? अब इसका उत्तर आप आज नहीं देना चाहते तो बता दें कब देना चाहते हैं ? कल दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं शीघ्र ही तिथि निर्धारित कर दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 13 से पहले करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नो कमिटमेन्ट।

श्री शोभाराम : मैं एक मिनिट में अर्ज करदूं कि 1700-1800 के करीब दुकानें हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर अभी दे रहे हैं क्या ? अगर नहीं दे रहे हैं तो बाकी का समय औरों के लिये रहने दें।

नेक्स्ट।

नायलोन टायर के परमिट

18. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नायलोन टायर कन्ट्रोल्ड हैं ?

Page No 14

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(2) क्या यह सही है कि नायलोन टायर प्राप्ति के लिये परमिट प्राप्त करना होता है? अगर हां, तो किससे?

(3) क्या यह सही है कि कोटा नगर में गत 4 माह से नायलोन टायर के लिये परमिट जारी किये गये हैं? अगर हां, तो कितने कितने टायर के किस किस को व कब कब किस किस के आदेश से? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त टायरों के परमिट में रिश्वतखोरी व ब्लैक की शिकायतें आई हैं? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी, नहीं।

(2) जिले के डीलर्स के माध्यम से प्राप्त होने वाले टायर्स में से 50 प्रतिशत का फ्री सेल डीलर्स द्वारा किया जाता है और 50 प्रतिशत का वितरण डीलर्स एवं कन्जूमर्स की कमेटी द्वारा होता हैं।

(3) केवल इतना ही सही है कि गत 4 मास से केवल 50 प्रतिशत नायलोन टायर के लिये परमिट टायर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी द्वारा जारी किये गये हैं। कितने कितने टायर नायलोन के किस किस को व कब कब किस किस के आदेश से परमिट जारी किये गये। तालिका संलग्न है।

(4) टायर डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी द्वारा वितरण किये जाने वाले नायलोन के टायरों के परमिटों में रिश्वतखोरी व ब्लैक की शिकायतें लिखित में अथवा जबानी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल: इन डिस्ट्रिब्यूशन कमेटियों का निर्माण कब किसने किया?

श्री हरिदेव जोशी: जिलाधीश ने।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

श्री हरिदेव जोशी: टायर कन्ट्रोल्ड कमोडिटी तो नहीं है पर चूंकि इसकी शॉर्टेज हो गई तो इसके वितरण को रेगुलेराइज करने के लिये कलेक्टरों से कहा गया था और उस पर से यह व्यवस्था की गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सारे राजस्थान में टायरों की स्केअरसिटी महसूस की जा रही है और इन टायरों पर सौ पचास का ही ब्लैक नहीं है, बल्कि तीन तीन सौ और चार चार सौ का ब्लैक चल रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि इसके वितरण को और भी सख्ती से रेगुलेराइज करने के लिये काफी स्ट्रिक्ट कदम उठाये जावें?

श्री हरिदेव जोशी: प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जिलाधीश, कोटा ने डिस्ट्रिब्यूशन कमेटी बनाकर औरों को यह काम सौंपा है तो क्या खुद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
जिलाधीश या अपने किसी सबोर्डिनेट अधिकारी के पास इस वितरण व्यवस्था को नहीं रख सकते थे ?

श्री हरिदेव जोशी : जब तक पूरा कन्ट्रोल लागू नहीं हो तब तक गवनमैंन्ट के लिए पूरी पावर्स अपने हाथ में लेना सम्भव नहीं थो। मगर इसको एसेन्शल कमोडिटी डिक्लेअर करके कन्ट्रोल किया जाये या क्या किया जाये यह मामला विचाराधीन है और हम भारत सरकार के सम्पर्क में हैं।

श्री भैरोंसिह : यह जो कमेटी का गठन किया गया है उसकी कोई लीगल संक्टीटी है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मोरल संक्टिटी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दौलतराम सारण।

चूरू जिले के अकाल पीड़ित क्षेत्र से वसूलियां

19. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि अकाल पीड़ित रहे हुए क्षेत्रों से दो साल से अधिक का लगान, तकावी एवं सहकारी बेंकों का बकाया ऋण वसूल नहीं होगा और अवधि समाप्ति पर लगान एवं किश्तों तथा ऋण पर दण्डात्मक ब्याज भी नहीं लिया जावेगा।

(2) क्या यह सही है कि चूरू जिले में दो साल से अधिक की वसूलियां हो रही हैं और दण्डात्मक ब्याज वसूली हेतु मांग-पत्र दिये गये हैं तथा डूंगरगढ़ तहसील के ग्राम पुनरासर, शेरूणा, आदि में ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुनरासर ग्राम पंचायत ने लिखित आपत्ति भी सम्बन्धित अधिकारियों से की है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) राज्य सरकार की उपरोक्त सम्बन्ध में स्पष्ट क्या नीति है ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) वसूली के लिए राज्य सरकार द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उस आदेश संख्या 7(86) रा./ग./67; दिनांक 18-1-71 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि इस जिले में दो साल से अधिक की वसूलियां हो रही हैं, 18-1-71 के पश्चात् दण्डात्मक दर से सूद वसूली हेतु मांग-पत्र दिये गये हैं।

(3) पुनरासर ग्राम पंचायत ने कोई लिखित आपत्ती प्रस्तुत नहीं की थी।

(4) सम्बन्धित नीति प्रश्न के भाग नं. 1 में उल्लिखित परिपत्र में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मेरा यह प्रश्न गत वर्ष का है और इस वर्ष का उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 20

श्री हरलाल मीणा !

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा के अध्यक्ष का चुनाव

21. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भीलवाड़ा में सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक है ?

(2) यदि हां, तो उसके अध्यक्ष के चुनाव हर वर्ष होते हैं, या नहीं ?

(3) यदि हर वर्ष चुनाव नहीं होते हैं, तो कितने वर्षों से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है ?

(4) क्या सरकार जल्दी ही अध्यक्ष का चुनाव कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी हां ।

(2) बैंक के उप नियम संख्या 32 के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव प्रति वर्ष होना चाहिए लेकिन प्रति वर्ष चुनाव नहीं हुए ।

(3) दिनांक 14-4-66 के पश्चात् अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ ।

(4) जी हां, चुनाव करवाने के लिये उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना सा पूछना चाहता हूं कि 5-5 साल तथा 6-6 साल तक को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष का जब चुनाव नहीं हो तो क्या सहकारिता की अन्त्येष्टि के लिए यह शानदार कदम है या नहीं ?

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि हर वर्ष चुनाव किये जाने चाहिए ।

श्री दौलतराम सारण : पंचायती राज के साथ सहकारिता की अन्त्येष्टि का कदम है क्या ?

श्री ओंकारलाल : चुनाव नहीं होने का कारण यह है कि साधारण सभा की मीटिंग नहीं बुलाई इसलिए चुनाव नहीं हुए ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि चुनाव कराने का कर्त्तव्य सहकारी विभाग का है ?

श्री ओंकारलाल : जी हां, यह सही है ।

श्री नत्थीसिंह : सहकारी विभाग ने समय पर चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठायें ?

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ समय के लिए राज्य सरकार

(श्री ओंकारलाल)
की ओर से चुनाव स्थगित कर दिये गये 3 माह के लिए और इसके बाद में उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है और शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आपने नियुक्त कर दिया उसके लिए तो धन्यवाद लेकिन 6 साल तक जिन्होंने चुनाव नहीं कराए उनके ऊपर क्या एक्शन लिया ? और क्यों नहीं कराए ? इससे यह को-ऑपरेटिव विभाग बचेगा या खत्म होगा ?

श्री ओंकारलाल : मैं समझता हूं कि इससे सम्बन्धित जितनी भी अनियमिततायें हैं वह नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की बात के लिए आयन्दा ध्यान रखा जायेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिन्होंने अनियमिततायें कीं उनके लिए क्या एक्शन लिया ? इससे तो बैंक मिट्टी में मिल जायगा ।

श्री ओंकारलाल : मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि जिससे बैंक मिट्टी में मिल गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब आप ही बिना चुनाव आये हैं तो फिर आप चुनाव कैसे करायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने कहा कि 3 महीने के लिए चुनाव पोस्टपोन कर दिये गये थे तो ये किन कारणों से किये गये और किस अधिकारी के आदेशों से ये पोस्ट-पोन किये गये ?

श्री ओंकारलाल : राज्य सरकार की आज्ञा से 3 महीने के लिए कर दिये गये थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि 3 महीने के लिए स्थगित किये हैं तो किन कारणों से किये और किस अधिकारी के आदेशों से किये ? सैक्रेटरी या मिनिस्टर या रजिस्ट्रार किस के आदेश थे ?

श्री ओंकारलाल : मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय मैं तो 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो पूछ रहा हूं कि 6 साल तक क्यों नहीं हुए ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : राज्य सरकार ने कौनसा कारण देखा जिससे कि स्थगित हुए ?

श्री ओंकारलाल : मैं निवेदन करूं कि कारण तो नहीं बताये गये लेकिन यह सही है कि 6 साल तक चुनाव नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप बता सकते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय नेता महोदय विरोधी पक्ष के।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आदेश दिये 3 महीने के लिए चुनाव स्थगित करने के। सरकार के आदेशों को मैं चेलेन्ज नहीं करना चाहता। वे आदेश थे और आदेशों का पालन हुआ लेकिन सरकारी कर्मचारियों का भी कर्त्तव्य नियमों का पालन करने का है। सरकारी कर्मचारी अगर नियमों का पालन 5-5 साल तक नहीं करते तो क्या यह अपराध क्षम्य है या सरकार को मौन धारण करना चाहिए या कोई कार्यवाही करनी चाहिए ? माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता ने साफ साफ प्रश्न के अन्दर कहा है कि 5 साल तक चुनाव नहीं हुए, आखिरकार यह ढिलंगाई क्यों ? आखिरकार नियमों की अवहेलना क्यों ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ? अगर सरकार है, सरकार के नाम से तो कुछ सरकार को करना चाहिए ताकि ऐसा स्वस्थ उदाहरण कुछ तो दो कि प्रशासन के लिए कोई न कोई एफीशियेन्सी की मात्रा निर्धारित हो सके। यह तो अजीब व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय नये हैं लेकिन मन्त्री महोदय को कम से कम इतना तो दृढ़तापूर्वक आश्वासन देना चाहिए कि अपराध करने वाले जो लोग हैं और जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया उनके लिए सरकार क्या करेगी ?

श्री ओंकारलाल : मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस जगह गलती हुई है और अनियमितता हुई है उसको मैं देखूंगा और उसके लिए व्यवस्था की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, क्या अनियमिततायें केवल इसलिए की गयी हैं कि उसके अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र व्यास कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और निकाले हुए एम. पी. हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अलग से प्रश्न है।

नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

जयपुर शहर में कूड़ा डालने के स्थान

22. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर परिषद् की सीमान्तर्गत कूड़ा डालने के कितने स्थान कहां कहां पर नगर परिषद् ने नियत कर रखे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि शहर की आबादी वाले क्षेत्र में कूड़ा डालने से संक्रामक रोग फैलने का भय रहता है ?

(3) क्या यह सही है कि चांदपोल दरवाजे बाहर स्थित सीकर हाउस के अहाते में जहां काफी नागरिक बसे हुए हैं सीकर हाउस की ओपन जमीन पर जो नगर विकास न्यास के क्षेत्र में अधिकृत की हुई है, आजकल नगर परिषद के ट्रेक्टरों, भैंसा-गाड़ियों द्वारा मैला तथा कूड़ा डाला जा रहा है ?

(4) यदि हां, तो यह मैला तथा कूड़ा आबादी के बीच में क्यों डाला जा रहा है और किस की इजाजत से तथा क्या इससे नागरिकों में रोग फैलने का भय नहीं है ?

Page No 19

(श्री दिग्विजयसिंह)

(5) क्या सरकार सीकर हाउस की ओपन जमीन में इस मैला और कूड़ा डालने को बन्द करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (1) नगर परिषद्, जयपुर द्वारा कूड़ा डालने के लिए जो स्थान नियत किये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं:—

1. जामरोली
2. हरमाड़ा
3. गोपालपुरा
4. सड़वा

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(5) नगर परिषद् द्वारा सीकर हाउस की ओपन जमीन में कोई कूड़ा नहीं डाला जा रहा है। अतः बन्द करवाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री दिग्विजयसिंह: मन्त्री महोदय, आपने कहा कि कूड़ा नहीं डाला जा रहा है तो क्या आप वहां पधार कर आये हैं?

श्री रामकिशोर व्यास: मेरे जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल सूचना है।

श्री दिग्विजयसिंह: पीछे डाला जा रहा है इसलिए ही तो प्रश्न है।

श्री रामकिशोर व्यास: वहां पहले बहुत बड़ा गड्ढा था वह बन्द हो गया और अगर आपकी शिकायत है तो नहीं डाला जायेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): मन्त्री महोदय ने जो प्रश्न के उत्तर में स्थान बताये उनके अतिरिक्त जयपुर नगर में अन्य किसी स्थान पर कूड़ा नहीं डाला जाता आपकी जानकारी में है क्या?

श्री रामकिशोर व्यास: कूड़ा तो घर घर में डाला जाता है लेकिन स्थाई स्थान ये हैं।

श्री खेतसिंह: मन्त्री महोदय ने कहा कि जहां गड्ढे होते हैं वहां कूड़ा डाला जाता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनियारा बाग में बहुत बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं तो क्यों नहीं शहर का सारा मैला वहां डालकर गड्ढों को भरा जाता?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। अलग से प्रश्न है।

श्री दिग्विजयसिंह: माननीय सदस्य को कुछ तजुर्बा हो गया है क्योंकि बहुत गड्ढे पड़ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: (श्री दुर्गालाल बाढ़दार के बोलने पर) आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य (श्री बाढ़दार के पुनः बोलने पर) Not at the cost of other members.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: आखिर यह जयपुर नगर का सवाल है जहां अध्यक्ष महोदय आप भी विराजते हैं और मन्त्री मण्डल के सदस्य भी विराजते हैं.......

Page No 20

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा सवाल तो डायरेक्ट यही है कि क्या नगरपालिका इस बात पर विचार कर रही है कि आबादी से दूर ही कूड़ा करकट डालने की व्यवस्था की जावे, आबादी के बीच में कूड़ा करकट नहीं डाला जावे । अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी है कि....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, बस अब हो गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अब हो गया तो इसका इलाज भी करवा दीजिए।

श्री रामकिशोर व्यास : स्थायी कूड़ा डालने की व्यवस्था जयपुर शहर की चार दीवारी के बाहर की व्यवस्था की गई है और जयपुर शहर से बाहर ही है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : स्थायी रूप से तो बाहर है लेकिन अस्थायी रूप से तो शहर को नरक बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थायी, अस्थायी को रहने दीजिए उत्तर आने दीजिए।

श्री भैरोंसिह : कूड़ा डालने का स्थान यहां तो नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका अभिप्राय यदि गलियों में जो कूड़ा उठाने के लिए ढेरियां की जाती हैं और जहां से गाड़ी वाले उठा कर ले जाते हैं तो उसको देख लेंगें।

श्री अध्यक्ष : हो जाएगा साहब, सब ठीक है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप अपने घर के पास चार दरवाजे के बाहर तो व्यवस्था करा लीजिए ।

श्री भैरोंसिह : चार दिवारी में ही पड़ता है कूड़ा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामकिशन।

अधिकतम भूमि सीमा कानून और वितरण के लिए उपलब्ध भूमि

23. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अधिकतम भूमि सीमा कानून के पारित होने के बाद राज्य में कुल कितने एकड़ जमीन वितरण के लिए उपलब्ध होगी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में कुल भूमिहीन कृषकों की संख्या कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार का इरादा भूमि की अधिकतम सीमा में कमी करने का है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन कब पेश किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (**श्री परसराम मदेरणा**): (1) अधिकतम भूमि की सीमा सम्बन्धी मामले में निर्णय होने से पूर्व यह कहना कठिन होगा कि वितरण के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है।

Page No 21

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) राज्य में कुल जिलेवार भूमिहीन कृषकों की संख्या संलग्न सूची में अंकित हैं।

(3) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामकिशन : यह सूची तो मुझे मिली नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आए तो अभी हो।

श्री रामकिशन : आने से क्या मतलब है। सूची तो मुझे मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सूची अधिक लम्बी नहीं है। यहीं पर पढ़ देंगे।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : इस बीच मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं। हमारे समय में ही निश्चित तौर पर भारत सरकार से इस मामले में गाईडेन्स मिली है, उसके अनुसार यह सीमा कम करने का कोई विचार विमर्श क्या राज्य सरकार ने किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका उत्तर मैं प्रश्न के भाग एक में दे चुका हूं।

श्री रामकिशन : यह आपने भूमिहीन काश्तकारों की सूची के अन्दर अंकित है यह एक परिवार है या टोटल जन संख्या है। यह संख्या परिवार के व्यक्तियों की है या परिवार की ?

श्री परसराम मदेरणा : जो भूमिहीन हैं और भूमिहीन परिवार हैं, इसमें सीलिंग लॉ लागू हुआ और सीलिंग रूल्स के अन्दर अपॉइन्टेड डेट के बाद तहसीलदारों से जो सूची मांगी गई थी उन सूचियों में जो नाम अंकित कराए गए वे हैं।

श्री रामकिशन : यह सूची तो बहुत पुरानी है। नाम रजिस्टर कराने के जो नोटिस निकले और आज के सेंसस के अनुसार क्या यह सूची सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : सीलिंग लॉ के वक्त में सीलिंग रूल्स के नीचे जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर कराया था वह तो यह संख्या है और भूमिहीनों की संख्या ज्यादा हो सकती है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि इसमें उन आदमियों के नाम हैं जिनके पिताओं के नाम मौरूसी या खातेदारी जमीन है, उनके नाम भी इस लिस्ट में है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने संख्या दी है, किसके नाम हैं और किसके नाम नहीं हैं, यह लाखों आदमियों की सूची मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, आज भी राजस्थान कैनाल क्षेत्र में उन भूमिहीनों को जमीन नहीं दे रहे हैं जो वास्तव में भूमिहीन हैं और जिनके पास दो दो, तीन तीन मुरब्बा भूमि हैं उनके लड़कों को भूमि दी जा रही है……

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान केनाल में सीलिंग कानून लागू नहीं किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं भूमिहीनों के बारे में कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : आपने यह नहीं बताया कि जिलेवार कितनी भूमि उपलब्ध है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। भाग (1) के अन्दर मैंने उत्तर दे दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है कि राजस्थान में भूमिहीन कितने हैं और भूमिहीन परिवार कितने हैं ? क्या सरकार इसी आधार को लेकर चलती है कि जो अपने आपको रजिस्टर कराए वही भूमिहीन माना जावे। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि भूमिहीनों की संख्या की जानकारी सरकार स्वयं प्राप्त करे !

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो जो रजिस्टर्ड परिवार हैं सीलिंग लॉ में, उनके फीगर दिए हैं। बाकी भूमिहीनों की कुछ सूचना राज्य सरकार के पास में है। मैं डिटेल्स में तो आपको फीगर नहीं दे सकता लेकिन राज्य सरकार जो रजिस्टर्ड भूमिहीन हैं और जो वास्तव में भूमिहीन हैं उनके बीच से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तथाकथित भूमिहीन जिनके पास पैसा है, जो तहसील हैडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाकर पैसा खर्च करके अलॉटमैंट करवा सकते हैं उनको जमीन मिल जाती है और जो वास्तव में नितान्त गरीब परिवार हैं जो दरअसल में भूमिहीन हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ भूमिहीनों को भूमि अलॉटमैंट करना चाहिए। मेरे जिले का मुझे कटु अनुभव है। जो वास्तविक रूप से गरीब भूमिहीन हैं उनको गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर मुश्किल से बीस प्रतिशत लोगों को भूमि अलॉट हुई थी और 80 प्रतिशत वह तबका जो पैसा खर्च कर सकता था, उनको भूमि अलॉट हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या यह सही है कि जो प्रोजेक्ट एरिया के नीचे सारे इर्रीगेटेड एरिया को सीलिंग परपजेज के लिए अन-इर्रीगेटेड मान कर चल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : अभी आपने फरमाया उत्तर के भाग (3) में कि सरकार विचार कर रही है भूमि की सीमा कम करने का। लेकिन जो मार्च में दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था प्लानिंग कमीशन की सहमति से उसमें राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने ऐलान किया था कि राजस्थान में भूमि की सीमा घटाने

(श्री रामकिशन)
का इरादा नहीं है। तो क्या अब सरकार की उस नीति में परिवर्तन हुआ है और यदि हुआ है तो किस दिशा में और कहां तक पहुंचे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। अभी उस पर निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रामकिशन : निर्णय का एलान तो भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी पहले ही कर चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी यह प्रश्न मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है। भारत सरकार सारे देश में यूनिफार्म पॉलिसी सीलिंग के बारे में लागू करना चाहती है और उन्होंने हमें कुछ आदेश दिए हैं सीलिंग लॉ में परिवर्तन करने के लिए। उसमें फेमिली की डेफिनेशन दी है और उसमें डिपेन्डेन्ट्स में मेजर को भी अलग नहीं माना है हमने माइनर और पेरेन्ट्स को फेमिली माना था। इस प्रकार फॅमिली की डेफिनेशन में संशोधन करना है।

दूसरी बात यह है कि जहां पांच से ज्यादा सदस्य हों दस सदस्य तक हों तो डबल दी सीलिंग एरिया दिया है। इस बारे में भारत सरकार ने जो सुझाव दिया है, राजस्थान के सीलिंग लॉ में पहले से ही प्रोविजन है। जहां तक सीलिंग की सीमा का प्रश्न है, यह प्रश्न राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है। जो भारत सरकार ने सजेशन दिया है उसके अनुसार सीलिंग को काफी हद तक रिड्यूस करने की बात है। इसमें कई प्रश्न निहित हैं। राजस्थान में हार्ड डेजर्ट हैं। राजस्थान में रेनफाल बहुत कम है। राजस्थान में फॅमिन रिकरॅस है। राजस्थान की ज्योग्राफिकल कण्डीशन्स दूसरे हिस्सों से डिफरॅंट है। राजस्थान में पर बीघा यील्ड, प्रोड्यूज लोयेस्ट दी कण्ट्री है। यह सब मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। उस समय जो सीलिंग कमेटी बनी थी उस सीलिंग कमेटी के सामने जो इन्कम का बेसिस था और इन्कम जो बेसिस मान कर उन्होंने सीमा निर्धारित की होगी उसको देखकर अब कितनी चीजों के भाव बढ़े हैं और उन सब को देखकर कितना रिडक्शन करना पोसिबल है यह सब प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारत सरकार ने किस मात्रा में सीमा कम करने का सुझाव दिया है, यह बता दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने जो पहले इन्स्ट्रक्शन दी हैं उसमें जहां इर्रीगेशन से दो फसलें ली जाती हैं वहां पर 10 से 18 एकड़ तक के बीच में सीमा निर्धारित करने की गाइडेन्स दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारत सरकार ने यह सुझाव दिल्ली में राजस्थान सरकार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जिन्होंने कि सम्मेलन में भाग लिया था उस समय भी दिया था और जब बाद में आपने विचार किया तब भी दिया था। उसका विचार करने के बाद आपने कितना रिड्यूज कर दिया है। क्या यह सही है?

श्री परसराम मदेरणा : यह जनरल किया है। उस स्टेट को सॉइल की क्या कन्डीशन है, वहां की प्रोडक्टिविटी क्या

(श्री परसराम मदेरणा)

है, इस पर विचार करना उन्होंने उस स्टेट पर छोड़ा है कि वह इन सब बातों को देख कर सीमा निर्धारित करे। अभी यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और अभी पिछले महीने में भारत सरकार का परिपत्र भी आया है उसकी जाँच की जा रही है कुछ बातों के ऊपर और चूंकि मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है मैं अभी कोई आश्वासन और रिडक्शन कितना होगा और कितना नहीं होगा, इस मसले पर अभी कोई विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : खनिज मन्त्री।

ग्राम बड़ोदिया में सिलीका सेन्ड की खान

24. श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की तहसील हिन्डोली के गाँव बाड़मेर के पास श्री कन्हैयालाल नाम के व्यक्ति की सिलीका सेन्ड की खान चल रही है ?

(2) यदि हाँ, तो उस खान का एरिया कितने एकड़ का है और यह खान उसे किस तारीख को दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि लीज होल्डर ने सीमांकन के वास्तविक खम्बों को उखाड़ कर फेंक दिया है और एरिया बढ़ा कर नये खम्बे लगा दिए हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि लीज होल्डर ने अपने एरिया के बाहर भी पिट लगा कर माल निकाल लिया है ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या सरकार ने उक्त खान की जाँच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खनिज मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) जी हां।

(2) उस खान का एरिया 640 एकड़ है। दिनांक 13-10-61 द्वारा श्री कन्हैयालाल घाटीवाला के नाम स्थानान्तर हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) खान का निरीक्षण समय समय पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

श्री विट्ठल भाई : क्या आपने सही जानकारी कराई है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17-9-69, 30-12-69, 27-6-69, 14-4-71 को निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा माइन्स फोरमैन ने 19-8-71 को निरीक्षण किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम

25. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सवाई माधोपुर के 68 ग्राम क्रेश

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
प्रोग्राम के अन्तर्गत लिए जाकर इनमें कुएं, पम्प आदि के लिए कृषि उन्नति हेतु लगभग 46 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था? यदि हां तो यह योजना किस वर्ष स्वीकृत की गई तथा अब तक कितनी राशि इसमें से काश्तकारों को वितरित की जा चुकी है?

(2) उक्त राशि कब तक वितरित किये जाने की योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है?

(3) क्या राज्य सरकार वर्तमान वितरण की प्रगति से जो पंचायत समिति सवाई माधोपुर में अब तक हुई है सन्तुष्ट है? यदि नहीं तो उक्त राशि निर्धारित पीरियड़ में वितरित हो जावे इसके लिए राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है?

यातायात मन्त्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी हां। सवाई माधोपुर पंचायत समिति के 68 ग्रामों के लिए लघु सिचाई योजना के अन्तर्गत कुए, पम्प आदि के लिए 46.16 लाख का प्रावधान है। यह योजना 19-3-71 को स्वीकृत हुई। अब तक 1 लाख 92 हजार रुपये वितरित किये जा चुके हैं।

(2) योजना में अंकित राशि वर्ष 72-73 तक के लिए स्वीकृत की गई है।

(3) जी हां, योजना देर से स्वीकृत होने से योजना की अवधि वर्ष 73-74 तक बढ़ाने हेतु कृषि पुर्नवित निगम को निवेदन किया जा चुका है जिससे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1-3-71 को यह योजना स्वीकृत हुई है और अभी तक 1 लाख 92 हजार रुपया ऋण पर दिया गया है। 8 महिनों में इतना सा अमाउन्ट ऋण का दिया गया है इसका क्या कारण है?

श्री ओंकारलाल : योजना 19-3-71 को ही स्वीकृत हुई है और उसके अन्तर्गत जो प्रावधान है उसमें से इतना सा ही रुपया स्वीकृत हो पाया है। यह सही है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 8 महिनों में 2 लाख रुपया ही स्वीकार किया है इसका क्या कारण है।

श्री ओंकारलाल : जी हां एक लाख 92 हजार का वितरण किया गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है। मैंने इसका कारण पूछा है।

श्री अध्यक्ष : इसकी गति बड़ी शिथिल है। वे कहते हैं कि इस गति से निर्धारित रकम का चुकरा नहीं हो पायेगा?

श्री ओंकारलाल : जी हां यह सही हैं परन्तु धीरे धीरे इस प्रकार से दी जायेगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह कोई उत्तर नहीं हुआ। 8 महीनों में आपने 2 लाख रुपयों का वितरण इस प्रकार किया है तो पूरी राशि का कब तक होगा? यह देरी किन कारणों से हुई है?

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, गति जरूर धीमी है इसको तेज करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसकी ढिलाई के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बाफणा !

ग्राम वेनपुरा में पानी पीने से बीमारी

26. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वेनपुरा (तहसील बाली, जिला पाली) में कुओं के पानी पीने से प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होते ही प्रत्येक मानव के पीठ में कूबड़ निकल जाती है अतः इसकी जांच हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग, जिला पाली के वरिष्ठ अधिकारी (डी. एम. एण्ड एच. ओ.) वेनपुरा से बोतल में पानी का नमूना ले गये थे ? यदि हां, तो किस तारीख को यह नमूना ले गये थे विश्लेषण हेतु ?

(2) उपर्युक्त विश्लेषण का क्या नतीजा आया है और वेनपुरा ग्राम निवासियों के इस कष्ट निवारण हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(3) यदि विश्लेषण नहीं हुआ तो विश्लेषण का नतीजा नहीं आया अथवा कोई कदम नहीं उठाया गया तो इतनी देरी का कारण क्या है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (1) जी हां। दिनांक 28-9-70 को उक्त ग्राम के पीने के पानी का नमूना जांच हेतु लिया गया।

(2) विश्लेषण से पता चला कि पानी में क्लोराइड की मात्रा उतनी ही है जितनी होनी चाहिये। यह रोग पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर ही होता है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आवश्यक जांच के लिए एक्स-रे भी लिए गए हैं। परिणाम अभी आना है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री फूलचन्द बाफणा : अध्यक्ष महोदय यह फैक्ट है कि वहां पर प्रौढ़ अवस्था में सभी नागरिकों के कूबड़ निकली है। इस का इलाज होना जरूरी है। इसके कोई नतीजे पर नहीं पहुंचने का क्या कारण है ? यह बीमारी इतने अर्से से क्यों है और इसका कोई इलाज क्यों नहीं निकाला गया है ?

श्री अध्यक्ष : और कुए, बावड़ी भी बन्द कर दिये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन कुए हैं। यह जो प्रश्न है उससे हम स्वयं ही चिन्तित हैं। जोधपुर की लैबोरेटरी, डिफेन्स की लेबोरेटरी में इसके पानी को जांच के लिए भेजा है परन्तु उसमें कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया है लेकिन यह सत्य है कि वहां पर बीमारी है इसलिए उन व्यक्तियों का एक्स-रे लिया जा रहा है और आगे इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री फूलचन्द बाफणा : क्या चिकित्सा विभाग सक्षम नहीं है इतना अर्सा हो गया फिर भी पता नहीं लगा कि इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मरीज का एक्स-रे लिया जा रहा है और इसका परीक्षण किया जा रहा है।

Page No 27

श्री अध्यक्ष: नेक्सट। श्री विश्नोई।

अकाल ग्रसित क्षेत्रों से लगान की वसूली

27. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि लगातार अकाल ग्रसित क्षेत्रों के काश्तकारों से सारी बकाया ऋण व राजस्व एक साथ वसूल करने की सरकार की नीति नहीं है? अगर हां तो सरकार द्वारा अब तक वसूली के बारे में क्या नीति निर्धारित की गई है?

(2) उपरोक्त नीति के अनुसार इस साल ऐसे जिलों में सरकारी वसूली किस प्रकार की जावेगी?

(3) क्या सरकार अकाल ग्रसित क्षेत्रों के काश्तकारों से ऋण व राजस्व बकाया के ब्याज की वसूली माफ करने का विचार रखती है? अगर हां तो कब तक अगर नहीं तो क्यों नहीं?

(4) अब सरकार की वसूली के लिए क्या नीति है ताकि काश्तकारों की आर्थिक हालत बकाया वसूली के कारण खराब न हो सके?

(5) क्या सरकार जिला जालोर में इस वर्ष अभाव की स्थिति होने से काश्तकारों की वसूलियां तुरन्त स्थगित करने का निर्णय लेगी? अगर हां तो कब तक अगर नहीं तो क्यों नहीं?

1 **राजस्व मन्त्री** (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां वसूली के सम्बन्ध में जो आदेश प्रसारित किए गए हैं उसकी प्रतिलिपि (अ) संलग्न है।

(2) सरकारी वसूली प्रश्न के भाग 1 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।

(3) उपरोक्त भाग में अंकित परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(4) ऐसा ध्यान में रखकर ही उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं।

(5) अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई: सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है उसके अनुसार फॉलो नहीं किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा: यह तो आपने एक जनरल बात कह दी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): 5 मिनिट और हैं। तीन, चार प्रश्न और लिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भमर सेमला बांध

20. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ शहर से लगा हुआ पश्चिम की तरफ भमर सेमला बांध बनवाने की मांग कई दिनों से चल रही है? यदि हां, तो इसका सर्वे कब तक किया जायगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त बांध के बन जाने से नीचे की तरफ आदिवासी एरिया की हजारों एकड़ जमीन 'पीवल हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना के सर्वेक्षण का इस वर्ष के सर्वेक्षण प्रोग्राम में प्रावधान है तथा सर्वे कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

(2) सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही इस सम्बन्ध में बताया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी

8. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने सन् 1972-73 तक सम्पूर्ण राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी करने की घोषणा की थी उस घोषित नीति की दिशा में क्या कार्यक्रम बन चुका है, और बनने जा रहा है ?

(2) किन किन क्षेत्रों में कब कब मद्य-निषेध नीति लागू की है और उन क्षेत्रों में जनता को वाकिफ रखने का शिक्षित एवं जागृत रखने हेतु प्रचारात्मक कार्य सरकार की ओर से क्या क्या हो रहा है ?

(3) राज्य सरकार कौन कौन सी समाजसेवी सार्वजनिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देकर, साधन आदि देकर, मद्य निषेध कार्य में उन संस्थाओं से सहयोग ले रही है ? यदि सहयोग ले रही है तो 31 मार्च, 1971 तक के पिछले तीन वर्षों में नकद, सामग्री, गाड़ी आदि के रूप में क्या सहायता किस किस संस्था को दी गई ? क्या फिल्म, पोस्टर, पत्रिका आदि से इन संस्थाओं या सरकार द्वारा प्रचार किया गया ? यदि हां, तो किस तरह का किसने प्रचार किया ?

(4) (अ) राज्य सरकार ने मद्य निषेध परामर्शदात्री समिति किस तारीख से बनाई उसके सदस्य कितने और कौन कौन हैं ? उस समिति का क्या विधान है ? जबसे यह समिति बनी तब से कितनी बैठकें कब कब बुलाई गईं ?

(ब) क्या इस समिति के परामर्श से शराब बन्दी का कार्यक्रम बनाया जाता है ? यदि हां, तो किस किस परामर्श से क्या क्या कार्यक्रम बनाया गया ?

(5) (अ) क्या राज्य सरकार की नीति विद्यालय, धर्मस्थान, सराय, धर्मशाला आदि के पास शराब की दुकान न रखने

(श्री फूलचन्द बाफना)
देने की है ? यदि हां, तो उसका पालन बराबर हो रहा है क्या ?

(ब) जयपुर में मोती डूंगरी सड़क पर एक मन्दिर के पास एक शराब की दुकान है वह क्यों नहीं हटाई जा रही है ?

(स) जयपुर में बनीपार्क में झोटवाड़ा जाने वाली सड़क पर एक मन्दिर के सामने सन् 1970 में सितम्बर में शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी थी क्या ? यदि बिना इजाजत या बिना जानकारी के भी यह बिक्री केन्द्र खुला व चल रहा है तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ? क्या बनीपार्क सेवा समिति ने इस दुकान को हटवाने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना की थी ? उनकी इस प्रार्थना का क्या परिणाम हुआ ? क्या उस समिति के कार्यकर्त्ताओं को भूख हड़ताल भी करनी पड़ी थी तब दुकान हटाई गई ? यदि हां, तो दुकान कब हटाई ?

(द) क्या राज्य सरकार के पास भरतपुर नगर में विद्यालय, मन्दिर आदि के पास से शराब की दुकानें हटवाने के लिये प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो किस किस का, कब कब आया और सरकार ने क्या क्या कदम कब कब उठाये ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(6) शराब बन्दी वाले क्षेत्रों में भारत में अथवा भारत के बाहर बनी हुई विदेशी शराब की दुकानें कहां कहां खुलवाई गई और क्यों ? स्वास्थ्य के कारण शराब की परमिट वाले कितने लोग हैं ? क्या ऐसी दुकानों पर आम बिक्री होती है ? क्या सिरोही नगर में ऐसी दुकान है ? स्वास्थ्य के कारण परमिट लेने वाले को क्या शुल्क देना पड़ता है और कौन परमिट देता है ? प्रतिदिन की कितनी मात्रा के लिए ऐसा परमिट दिया जाता है ? क्या परमिट वाला ऐसे परमिट की शराब दूसरों को पिला सकता है ? यदि ऐसा करना दण्डनीय है तो किस कानून के किस प्रावधान से ?

उत्तर

(1) जिन क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू कर दिया है उसका विवरण इस प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में वृद्धि करने का राज्य सरकार विचार नहीं रखती।

(2) राजस्थान में 1-4-1968 से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही जिले व उदयपुर जिले की झाड़ौल, खैरवाड़ा व कोटड़ा तहसीलों में मद्य निषेध लागू किया तत्पश्चात् दिनांक 1-4-1970 से बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालोर जिले एवं उदयपुर जिले की गोगुन्दा, धरियावद व सराड़ा तहसीलों में भी मद्य निषेध लागू किया गया।

मद्य निषेध प्रचार के लिये मैसर्स पुरोहित एन्ड सन्स बम्बई से मद्य निषेध विषयक पुस्तकें (1) "शराब का परिणाम" (2) "कसौटी व विजय" पुस्तकें खरीद कर वितरित की गई।

इस सम्बन्ध में कृपया भाग (3) का उत्तर भी देखें।

(3) राज्य सरकार ने नीचे लिखी समाज सेवी सार्वजनिक संस्थाओं को

(आबकारी मंत्री)
अनुदान देकर मद्य निषेध कार्य में सहयोग लिया है।

क्र.सं.	नाम संस्था	अनुदान की रकम 69-70 रुपया	अनुदान की रकम 70-71 रुपया
1.	मद्य निषेध एवं सामाजिक स्वास्थ्य सुधार समिति, जोधपुर	33475	47500
2.	बांसवाड़ा जिला सेवा सघ, प्रतापपुर	33050	65150
3.	राजस्थान नशाबन्दी समिति, जोधपुर	5000	—
4.	माणिक मंडल, जयपुर	1500	—

मद्य निषेध क्षेत्र में प्रचारार्थ नीचे लिखी कार्यवाही की गई:—

1. मद्य निषेध विषयक पुस्तकें (1) शराब का परिणाम व (2) कसौटी व विजय प्रत्येक की 12500 व 12500 कुल 25000 प्रतियां खरीद कर वितरित की गईं।

2. 2 अक्टूबर, 1969 को सारे राजस्थान में मद्य निषेध दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया।

3. समाज कल्याण विभाग व जन सम्पर्क विभाग द्वारा भी प्रचारात्मक कार्यवाही की गई।

(4) (अ) राज्य सरकार ने मद्य निषेध परामर्शदात्री समिति दिनांक 7 जून, 1968 से बनाई है। सदस्यों की सूची 'क' संलग्न है विधान की रूपरेखा परिशिष्ठ (1) में अंकित है। जबसे समिति बनी है तब से दो बैठकें दिनांक 15-11-68 व 31-7-69 को हुई हैं।

(ब) हां, मद्य निषेध समिति के परामर्श से नीचे लिखि कार्यवाही की गई।

शराब की दुकानों के खोलने के समय में कमी की गई।

सार्वजनिक स्थानों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से शराब की दुकानों को हटाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन दिवस को शराब की दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

(5) (अ) आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत विद्यालय, अस्पताल, धर्मस्थान, कपड़े का कारखाना, मजदूर बस्ती एवं अन्य लोक समागम या मनोरंजन के स्थानों के पास देशी शराब की दुकान लगाना मना है। जहां इस नियम का पालन नहीं होना पाया जाता है वहां नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(ब) वर्तमान स्थान पर दुकान बहुत पूर्व से लगभग 20 वर्ष से चल रही है इसके समीप में शिवजी का मंदिर है इसी आधार पर इसे हटाने के निदेश दिये गये थे किन्तु राजस्व मण्डल, अजमेर के स्थगन आदेश के कारण दुकान नहीं हटाई जा सकी।

(स) बनीपार्क सेवा समिति ने बनीपार्क में शराब की उस दुकान को

(आबकारी मंत्री)
हटाने के लिये भूख हड़ताल करने पर श्री गोकुलभाई भट्ट के परामर्शानुसार इस दुकान को वहां से हटा कर 15-1-71 से अन्य स्थान पर लगा दिया है।

(द) भरतपुर नगर में विद्यालय मंदिर आदि के पास से शराब की दुकानें हटाने के लिये निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं:--

1. सचिव, राजस्थान बोर्ड, ऑफ वक्फ्स 19-7-67 जम्मा मस्जिद भरतपुर की दुकान हटाने के आदेश दिये गये हैं। दुकान न हटाने पर अनुज्ञाधारी पर 25 पच्चीस रुपया जुर्माना किया गया है। उपयुक्त स्थान न मिलने से दुकान नहीं हटाई जा सकी।

2. राजस्थान प्रदेश नशा बन्दी समिति, जयपुर 3-10-69 को डीग, नदबई से विद्यालय, मंदिर जैसे स्थानों पर से शराब की दुकाने हटाने की मांग की गई पर जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार आपत्तिजनक स्थान पर उक्त जगहों पर शराब की कोई दुकान नहीं है।

भरतपुर में वासन गेट की उप दुकान भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास हनुमानजी के मंदिर के समीप है। 1-4-70 को इसे हटाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

3. भरतपुर जिला नशाबन्दी परिषद् द्वारा 5-4-1971 को भरतपुर जिले में मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे शिक्षण संस्थाएं द्वारा ऐसे सार्वजनिक स्थानों के समीप से भी जहां विशेषकर महिलाओं का आना जाना होता है, शराब की दुकानें हटाई जावें मांग की, जिला आबकारी अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है।

(6) शराब बन्दी क्षेत्रों में भारत एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के लाईसेंस नीचे लिखे स्थानों के लिये दिये गये हैं। चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर ऐसे लोग जिनका कि स्वास्थ्य मदिरा पिये बिना ठीक नहीं रह सकता उनको मदिरा उपलब्ध हो सके।

जालोर 1

सिरोही 2

बांसवाड़ा 1

बाड़मेर व डूंगरपुर के लिये भी दुकानें स्वीकृत हुई हैं, किन्तु अभी लाइसेन्स नहीं दिया गया है। मद्य निषेध क्षेत्र में (आबू एरिया को छोड़ते हुए) स्वास्थ्य के कारण भारत अथवा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के परमिट वाले 75 व्यक्ति हैं, ऐसी दुकानों पर आम तौर पर बिक्री नहीं होती है। स्वास्थ्य के कारण परमिट लेने वालों से शुल्क के 15/- पन्द्रह रुपये लिये जाते हैं। किन्तु भारतीय संघ की सशस्त्र सेना के सदस्यों से मद्य निषेध क्षेत्र में जो तैनात हैं अथवा अन्यथा अवकाश पर जाते हैं शुल्क मुक्त हैं। परमिट देने का अधिकार उपायुक्त मद्य निषेध राजस्थान तथा सम्बन्धित सहायक मद्य निषेध अधिकारी को है। मद्य निषेध क्षेत्र में (आबू एरिया को छोड़कर) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर नीचे लिखे व्यक्तियों को नीचे लिखी सीमा तक का परमिट दिया जा सकता है।

(आबकारी मंत्री)

(1) मद्य निषेध क्षेत्र में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के मामले में एक समय में दो यूनिट अथवा एक माह के दौरान कुल मिला कर 6 यूनिट।

(2) ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे मद्य निषेध क्षेत्र में बार-बार यात्रा करनी पड़ती है एक समय में दो यूनिट अथवा एक माह के दौरान कुल मिला कर 6 यूनिट।

(3) राज्य तथा अन्य राज्यों के मद्य आपत्ति सिद्ध क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति के मामले में एक सप्ताह अथवा उसके किसी भाग के लिये एक समय में डेढ़ यूनिट परन्तु इसकी अधिकतम अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।

एक यूनिट से आसव तथा मद्य की एक क्वार्टर बोतल अथवा मदिरा या सुरमीरा की तीन क्वार्टर बोतल अथवा यव मदिरा माल्ट लीकर्स की छः क्वार्टर बोतल अभिप्रेत है।

आबू एरिया में बम्बई प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार हैल्थ परमिट मेडिकल बोर्ड की शिफारिश से दो यूनिट की मात्रा तक जिलाधीश, सिरोही द्वारा दिया जा सकता है।

बोम्बे प्रोहिबीशन एक्ट के अनुसार एक यूनिट की मात्रा नीचे लिखी मात्रा होती है।

एक बोतल स्प्रीट या तीन बोतल वाइन या नौ बोतल परफ्यूमेन्टेड लीकर अलकोहल (वोल्यूम से) जिसमें दो प्रतिशत से ज्यादा न हो या सत्ताईस क्वार्ट बोतल दो प्रतिशत से कम अलकोहल (वोल्यूम से) हो।

राजस्थान मद्य निषेध नियम, 1967 के अन्तर्गत जो परमिट दिया जाता है उसके अनुसार परमिट वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो परमिट होल्डर नहीं है, को मदिरा नहीं पिला सकता।

आबू एरिया में प्रचलित बोम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के अन्तर्गत नियमों के अनुसार परमिट वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शराब नहीं पिला सकता। यदि कोई व्यक्ति नियमों के विपरीत किसी दूसरे व्यक्ति को मदिरा पिला देता है तो उसका परमिट रद्द किया जा सकता है। और राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अन्तर्गत भी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसी तरह आबू एरिया के सम्बन्ध में परमिट वाले का परमिट बोम्बे प्रोहिबीशन एक्ट की धारा 54 के अन्तर्गत कैन्सिल किया जा सकता है और बोम्बे प्रोहिबीशन एक्ट, 1949 की धारा 82 के अन्तर्गत उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

रिफण्ड के मामले

9. **श्री रिद्धीचन्द्र पालीवाल** (गंगापुर): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वाणिज्य कर विभाग रिफण्ड अपील के पश्चात् नहीं करता है इस प्रकार के कितने केसेज राजस्थान में हैं ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार का आदेश प्रदान करने का विचार रखती है

(श्री रिद्धिचन्द्र पालीवाल)
कि रिफण्ड एक माह के अन्दर-अन्दर दे दिया जावेगा ? अगर नहीं दिया जावेगा तो पार्टी को 12% ब्याज जिसका डिफाल्ट होगा उसकी पे से काट कर दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

पाली में गैर सरकारी कार्यकर्ता सम्मेलन

10. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार पाली में तारीख 23-9-71 को एक गैर सरकारी कार्यकर्ता सम्मेलन पाली के उप-जिला विकास अधिकारी ने बुलाया था ?

(2) क्या यह सही है कि सम्मेलन में सरकार को सिचाई सम्बन्धी सर्वसम्मति से कुछ सुझाव दिये थे ? यदि हाँ, तो उन सुझावों के क्रम में सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है, अथवा भविष्य में करने का निश्चय किया है।

(3) किन किन सुझावों पर अमल करने का विचार नहीं है और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

बांधों और तालाबों द्वारा सिंचाई के नियम व नीतियां

11. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में विभिन्न सरकारी बांधों और तालाबों द्वारा सिचाई किये जाने हेतु किन किन नीतियों और नियमों का पालन करना आवश्यक है? इन नीतियों और नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई बांधों और तालाबों की सिंचाई के सम्बन्ध में समितियों का गठन किया हुआ है और कई बांधों व तालाबों के लिये समितियों का गठन नहीं किया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) ऐसी समितियों का गठन किन नियमों के तहत किया जाता है और इनकी सदस्यता किन किन व्यक्तियों की किस प्रकार मान्य होती है ?

(4) सरकारी बांधों और तालाबों में पानी की कमी होने पर सिंचाई में कटौती किन आधारों पर निर्धारित की जाती है, और छोटे छोटे व गरीब काश्तकारों के सम्बन्ध में किस प्रकार की नीति अपनाई जाती है ?

(5) क्या सरकार नीति में सुधार की आवश्यकता महसूस करती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सिचाई एवं जल विकास अधिनियम, 1954 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार विभिन्न सरकारी बांधों और तालाबों द्वारा सिंचाई किये जाने हेतु कार्य किया जाता है। अधिनियम व रूल्स की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई समितियों का गठन नहीं हुआ है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 34

(सिंचाई मंत्री)

(4) बान्धों एवं तालाबों में पानी की कमी होने पर सिंचाई में कटौती करने के लिए कोई निर्धारित आधार नहीं है। अधिकतर सब काश्तकारों का रकबा 'प्रपोशनली' काट दिया जाता है पर चूंकि इस तरह से छोटे छोटे काश्तकारों को बहुत असुविधा होती है इसके लिए कोशिश की जाती है कि जहां सम्भव हो छोटे काश्तकारों को पूरा पानी मिले।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नमक बनाने योग्य जमीनें

12. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य के कई हिस्सों में यथा बाजोर, जिला सीकर एवं लूनकरणसर, जिला बीकानेर में नमक बनाने योग्य जमीनें उपलब्ध हैं? अगर हां, तो इन जमीनों को नमक उत्पादन हेतु आवण्टित करने के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है?

उत्तर

हां बाजोर में लवण उत्पादन की सम्भावनाओं की जांच विभाग द्वारा की जा रही है। लूनकरणसर में नमक उत्पादन योग्य भूमि मैसर्स बीकानेर जिप्सम के पास लीज पर है। जब तक इस लीज की समयावधि समाप्त नहीं हो जाती व इस क्षेत्र को लवण क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता, इसका आवंटन संभव नहीं है।

जिला सवाई माधोपुर में मन्दिरों की माफी का मुआवजा

13. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत मन्दिरों की माफी किस साल व महीनें में अधिगृहीत की गई तथा अधिनियम के अन्तर्गत मन्दिरों को क्या क्या मुआवजा दिया जाना चाहिये था?

(2) क्या यह सही है कि तहसील बोंली, जिला सवाई माधोपुर के मन्दिरों को आज तक किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है? यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि मन्दिरों को माफी का मुआवजा न मिलने से ठाकुरजी की सेवा पूजा की इस तहसील में समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है? यदि हां, तो इस तहसील के मन्दिरों को मुआवजा कब तक दे दिया जायगा?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर के मन्दिर की माफी सन् 63 में 1 जुलाई से अधिगृहीत की गई है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम, 1952 के तहत उक्त माफी की आय में से 10 प्रतिशत काट कर 90 प्रतिशत वार्षिक वृत्ति दी जाती हैं।

(देवस्थान मंत्री)

(2) यह सही नहीं है। 245 में से 204 मन्दिरों को वार्षिक वृत्ति देने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा में हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं

14. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह निर्माण एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर में हाउसिंग बोर्ड ने सन् 1970-71 व 1971-72 वर्ष के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं?

(2) कौन कौन से क्षेत्र को अपने हाथ में लेकर उसका विकास किया?

(3) किस किस श्रेणी के कितने कितने आवास गृह कब कब तैयार कर रहा है?

उत्तर

(1) आवासन बोर्ड ने कोटा में दादाबाड़ी एवं साबरमती नाम की योजनाएं बनाई हैं।

(2) उपरोक्त योजनाओं के विकास कार्य हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई हैं।

(3) साबरमती योजना में 165 मकान अल्प आय वर्ग के लिए और दादाबाड़ी में 123 मकान अल्प आय वर्ग एवं 34 मकान मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए बनाने की निविदायें आमन्त्रित करली गई हैं तथा कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयत्न रहेगा।

रतनगढ़ नगरपालिका के चुंगी नाकेदारों द्वारा यात्रियों को तंग करने की जांच

15. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित रतनगढ़ नगर में नगरपालिका चुंगी नाका स्टेशन के नाकेदार द्वारा आम यात्रियों को नाजायज तरीके से तंग किया जाता है और नाजायज तौर पर रुपया वसूल किया जाता है और नाम मात्र की चुंगी की रसीद काटी जाती है जो भी चुंगी नियम के विपरीत है?

(2) क्या सरकार इस विषय पर कोई निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच करायेगी जिससे जनता को परेशान नहीं होना पड़े?

(3) सन् 1969 व 1970 में गैर दुकानदारों के नाम चुंगी की कितनी रसीद कटी हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नाकेदार के विरुद्ध नगरपालिका कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) 107। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

Page No 36

बाड़मेर जिले में कुदरतन आगजनी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

16. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में पिछले पांच सालों में कुदरतन आग लगने के कारण किन किन लोगों ने सहायता लेने बाबत कब-कब दरख्वास्त राज्य के अधिकारियों को प्रस्तुत की उसकी सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त प्रभावित व्यक्तियों ने क्या क्या नुकसान के बाद में क्लेम किया और राज्य अधिकारियों ने क्या नुकसान आंका एवं उन्हें कब क्या सहायता मिली ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सत्य है कि ऐसे नुकसान से प्रभावित लोगों को समय पर पर्याप्त सहायता देने के लिये सरकार द्वारा उपयुक्त धनराशि जिलों में नहीं रखी जाती है ? अगर हां, तो अब राज्य सरकार इस बारे में क्या निर्णय ले रही है ?

(स्थगित किया गया)

गंगानगर किसान आन्दोलन के समय दिये गये आश्वासन

17. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर किसान आन्दोलन के समय किसान संघर्ष समिति के साथ बात-चीत करने के पूर्व एवम् पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी और जो आश्वासन दिए गए थे उस सम्बन्ध में अब तक सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा चुके हैं तथा क्या क्या कदम उठाने बाकी हैं ?

(2) उन घोषणाओं एवम् आश्वासनों के सम्बन्ध में पूरी तरह अमल कब तक हो जायगा ?

(3) क्या सरकार द्वारा की गई घोषणाओं और दिये गये आश्वासनों के विपरीत कार्य भी किये गए हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(4) समय समय पर की गई घोषणाओं की प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

(1) गंगानगर किसान आन्दोलन के समय राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार जो कार्यवाही की गई है उसके विवरण की प्रति संलग्न है।

(2) आश्वासनों के अनुसार अमल करने की जो तिथियां निश्चित की गई हैं उसकी सूचना प्रगति विवरण में समाविष्ट कर दी गई है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) की गई घोषणा की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समितियों द्वारा वितरित ऋण

18. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न प्रकार का ऋण आरम्भ से दिसम्बर, 1969 तक कितना वितरित किया गया ?

(2) इस ऋण में से कितना वसूल किया जा चुका है और कितना बकाया है ? पंचायत समिति वार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

पाली जिले की रूरल वर्क्स योजनाएं

19. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में 'रूरल वर्क्स योजना' के तहत किन किन गांवों में किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी धनराशि कब कब स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस योजना के तहत कौन कौन से कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव कितनी धनराशि के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) यह प्रस्ताव कब से कहाँ कहाँ विचाराधीन पड़े हैं और उनकी स्वीकृति कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में रूरल वर्क्स योजना के तहत वित्तीय वर्ष 70-71 एवं 71-72 के लिए निम्न प्रकार स्वीकृतियां दी गई:—

नाम कार्य	स्वीकृत धनराशि (लाखों में) 70-71	71-72
सिंचाई विभाग के अभिकरण से—		
1. केसूली बांध	3.00	4.00
2. वोड़ावडा	2.68	2.50
3. फुलाद	3.50	3.00
4. हेमावास	11.00	1.50
5. खारड़ा	2.00	2.50
6. जुमादड़ा फोडर	0.47	0.50
7. मान्डोगढ़ बांध	0.50	—
8. भातपुरिया कनवास	0.50	1.85
9. दीपावास नहर	0.50	—
10. मिपियावाला	0.50	0.50
11. बादर-का-वास	0.50	0.41
12. वोसरा डेम व नहर	0.50	0.92
13. चन्डावल	0.15	0.63
14. बोरीनाड़ा	0.20	0.47
15. पोटला	0.20	0.47
16. सिन्धरू	0.50	1.00
17. गिरोलिया	1.50	3.00
18. तख्तगढ़	0.25	0.80
19. रानी तालाब	0.08	0.01
20. जोगरावास बांध	0.50	1.46
21. एन्डला बांध	0.20	0.17
22. चौकी का वाला	0.30	0.50
23. सोनगरी का वाला	1.02	0.50
24. गोगरा नहर	2.50	1.50
	33.10	28.79

Page No 38

(अकाल सहायता मंत्री)

वन विभाग के अभिकरण से—

नाम कार्य	(लाखों में) सन् 1970-71 में स्वीकृत राशि
1. रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फारेस्ट	1.75
2. क्रियेशन ऑफ फोडर बैंक	2.43
3. नर्सरीज	0.60
4. पाश्चर डवलपमैन्ट	2.75
	7.53

वित्तीय वर्ष 1971-72 में इन कार्यों को चलाने के लिए 4.86 लाख रु. की स्वीकृति दी गई। ये कार्य निम्न स्थानों पर करवाये गयेः—

रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेड फॉरेस्ट—

कोट, जोजावर, सिरयारी, खोरिया, आगरी बड़ागुड़ा, सुमेर।

चरागाह सुधारः— कालूजोड़, असरलाई जोड़, केसूरी, नन्दभाटी।

नर्सरीजः— पाली, सेवाड़ी चन्डावल, सेन्दड़ा की नर्सरो का विकास।

(2) इस योजना के तहत निम्न कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैंः—

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से—

1. रोहट से जालोर 10,00,000) रु.
2. सादड़ी — केनपुरा वाया रानी 9,00,000) रु.
3. जैतारण से मेड़ता सिटी सड़क सुधार 10,50,000) रु.
4. सांडेराव से तख्तगढ़ वाया कोसेलाव 5,00,000) रु.
5. देसूरी-सादड़ी 3,00,000) रु.
6. चण्डावल-जैतारण 4,50,000) रु.

जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिक विभाग के अभिकरण से—

खारियादीन से बूटेलाव 8,00 000) रु.

बाबा गांव से चाणोद 19 00,000 रु.

वन विभाग एवं सिंचाई विभाग के अभिकरण से—

सिंचाई विभाग एवं वन विभाग के प्रस्ताव की विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है।

(3) भारत सरकार के पास जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उन पर नवम्बर, 71 के अन्त तक अथवा दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक उत्तर प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। वन विभाग एवं सिंचाई विभाग के नये कार्यों के प्रस्ताव विभागों में विचाराधीन है। विभागों से आते ही इन्हे भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

तहसील लाडनूं में भूमि का आवंटन

20 **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम लोडसर, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के खसरा नम्बर 187, 187/370, 187/371, 196/372 को कृषि कार्य हेतु आवंटन किया है ? यदि हां, तो कब किस किस व्यक्ति को कितना कितना बीघा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है उनके भूमि होने तथा अनुसूचित जाति के होने का प्रमाण-पत्र किसके द्वारा दिया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति संयुक्त परिवार के सदस्य हैं ? उनके परिवार के मुखियाओं के नाम से पहिले ही खातेदारी की भूमि है और भूमिहीन नहीं हैं ? यदि हाँ, तो उनको यह भूमि क्यों दी गई ?

(4) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि ग्राम लोडसर, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में खसरा नं: 187, 187/370, 187/371 व 196/372 को कृषि कार्य हेतु आवंटन किया है। आवंटन दिनांक 16-9-70 को किया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	नाम आवंटिति	आवंटित: ग्राम	ख. नं.	रकबा	जमीन किस्म	आवंटित भूमि के अतिरिक्त खातेदारी की भूमि
1.	श्री केशा वल्द गोपी नायक	लोडसर	187/371	9)4	बारानी अव्वल	वालू व केशा वल्द गोपी के नाम इसी ग्राम में खातेदारी की भूमि 3॥) बीघा है, तुलछां के जमीन नहीं है।
2.	श्री तुलछां वल्द गोपी नायक	,,	187/370	6॥)	,,	
3.	श्री वालू वल्द गोपी नायक	,,	187/370	6॥)	,,	
4.	श्री किशना वल्द अमरा भांबी	,,	196/372	10)4	,,	अमराराम वल्द नानगराम कौम मेघवंशी के नाम लोडसर में 46 बीघा जमीन खातेदारी में है। यह इनके पिता हैं और लड़के दोनों अलग अलग रहते हैं।
5.	श्री जैसाराम वल्द अमराराम भांबी.	,,	187	6)4	,,	

Page No 40

(राजस्व मंत्री)

(2) जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है उनके पास भूमि कितनी है इसकी जांच सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकार्ड देखकर की जाती है। उक्त केस में भी राजस्व रेकार्ड देखकर ही भूमि बाबत जानकारी की गई थी? अनुसूचित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जाता बल्कि ग्राम के मोजी व्यक्ति प्रधान आदि से जांच करली जाती है उक्त केस में भी ऐसा ही किया गया था और सभी व्यक्ति जिन्हें भूमि ग्राम लोडसर में आवंटित की गई है, को अनुसूचित जाति का होना पाया गया।

(3) जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है वो संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं हैं बल्कि उनका अलग अलग होना मालूम हुआ था। पांच सदस्यों में से तुलछां के पास कोई भूमि नहीं थी, केशा व बालू के नाम केवल 3।।।) बीघा जमीन खातेदारी में पहले से जमीन थी और किशना व जैसाराम के नाम खातेदारी में कोई जमीन नहीं थी। किशना व जैसाराम के पिता अमराराम के नाम ग्राम लोडसर में 46) बीघा जमीन है किन्तु किशना व जैसाराम का अलग रहने की जानकारी दी गई जिस आधार पर उन्हें अलग परिवार मान कर भूमि आवंटित की गई।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

1. श्री नन्दलाल, श्री देवीलाल गाड़िया....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा नाम देवीदत्त गाड़िया है।

श्री अध्यक्ष : कभी लाल भी कह देता हूं। खैर दत्त कर देता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया तथा श्री प्रेमसिंह सिंघवी ने कोटा जिले के आटोन गांव तहसील अटरू में दशहरा के अवसर पर दिनांक 29-9-71 को हिन्दू धर्मावलम्बियों के जुलूस के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का मुख्य मन्त्री द्वारा माह अगस्त में आश्वासन दिये जाने के उपरान्त भी उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकारी आदेश जारी न किये जाने, राज्य बीमा विभाग के कर्मचारियों को मुख्य सचिव द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी उनकी मांगों को मन्जूर न किये जाने तथा राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय के कर्मचारियों की मांगे अनिर्णित रहने से उत्पन्न असन्तोष का उल्लेख किया गया है।

3. श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा ने 8 फरवरी, 1971 से पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को बाड़मेर व शिव तहसील में जहां लाखों एकड़ भूमि पड़त पड़ी हुई है, न बसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के प[illegible] में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के विरुद्ध सरस्वती सभा द्वारा पारित निन्दा प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के

(श्री अध्यक्ष)
सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी विषय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा से भी प्राप्त हुई है।

5. एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया से प्राप्त हुई है जिसमें जिला गंगानगर के भूमिहीन किसानों को राजस्थान नहर क्षेत्र में वगैर रिश्वत लिये भूमि····

श्री रामचन्द्र आर्य : रामानन्द नहीं रामचन्द्र आर्य।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देखूंगा कि श्री रामानन्द हैं या श्री रामचन्द्र आर्य क्योंकि वे भी ऐसे प्रश्न उठाया करते हैं इस लिए सामन्जस्य हो सकता है।

एलॉट नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

मैं देखता हूं कि रामानन्द जी का है या आपका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें रामचन्द्र आर्य कर देता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामचन्द्र आर्य, रामानन्द अनार्य।

श्री अध्यक्ष : This is between you and him. इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है:—

1. श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री प्रेमसिंह सिंघवी तथा श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान द्वारा अपनी फौजें तैनात कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में जानकारी देने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी शीघ्र ही कुछ विधायकों की एक मीटिंग बुलाकर सदस्यों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

2. श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने राष्ट्रपति महोदय द्वारा 6 लाख रुपये की कार बाहर से मंगवाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला केन्द्र सरकार एवं राष्ट्रपति महोदय से सम्बन्धित है।

3. एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें बिजोलिया क्षेत्र के जितने भी जंगलात के बीड़ राजस्व से आये हैं उन सबका एलॉटमैंट कमेटी द्वारा भूमिहीनों में न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

4. श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने मांडलगढ़ क्षेत्र व चित्तौड़गढ़ में हाथ से खेती न करने वालों को नाजायज तौर पर जमीन दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा ने कोटा नगर में

Page No 42

(श्री अध्यक्ष)

हाड़ौती विश्व विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी तरह श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग की है। विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मामलों पर कल ही चर्चा होने वाली है अतः इन मामलों की उस बहस के दौरान चर्चा उठाई जा सकती है।

6. श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान विद्युत् बोर्ड द्वारा अजमेर में बिलों के भुगतान के लिए अधिक स्थानों पर व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इन्हीं माननीय सदस्य ने हरिजन बस्ती रोड पर वनी हरिजन बस्ती में नल व रोशनी की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। अजमेर एवं जयपुर में अचानक बिजली बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने भी राजस्थान बिजली नल वर्कर्स फेडरेशन के तत्वाधान में उनकी 24 सूत्री मांगों के लिए चल रही भूख हड़ताल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इन चारों प्रस्तावों का सम्बन्ध विद्युत् मण्डल से है। विद्युत् मण्डल के आय-व्ययक पर चर्चा दिनांक 13 नवम्बर, 1971 को रखी गई है उस समय सम्बन्धित माननीय सदस्य इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

7. श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं दी हैं:—

(क) राजस्थान के सीमान्त क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर आदि में अनैतिक व्यापार,

(ख) राजस्थान राज्य कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष,

(ग) यू. आई. टी., अजमेर द्वारा गरीब व अनाथ नागरिकों को जमीन न देने के सम्बन्ध में,

(घ) अजमेर नगर के मध्य स्थित जानवरों के अस्पताल को नगर से बाहर ले जाने तथा उसी स्थान पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,

(च) अजमेर नगरपरिषद् द्वारा बाबू मोहल्ला स्थित एक ठेकेदार के मकान को तुड़वाये जाने से सम्बन्धित,

(छ) अजमेर नगर के पहाड़गंज क्षेत्र के समीप श्मशान व पोल्ट्री फार्म बनाये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री देवीदत्त गाड़िया ने जिला झुन्झुनूं क्षेत्र के प्रमुख कस्बा मुकन्दगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष एवं नगरपालिका के कर्मचारियों तथा सड़क निर्माण कार्य करने वाले कुछ मजदूरों पर कुछ गुण्डों द्वारा अचानक हमला करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री शंभूराम, सस्दय विधान सभा ने ग्राम रावास, तहसील लालसोट के बंधे को पूर्ण रूप से ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

10. श्री नन्दलाल, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री कृष्णकुमार गोयल तथा श्री प्रेमसिंह सिंघवी ने कोटा जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में अतिवृष्टि से पानी के तालाब टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

11. श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा ने ग्राम डुमोली खुर्द, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं में अनुसूचित जाति के हरिजन परिवारों पर दिनांक 3-11-71 को कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किये जाने, उन्हें पीटने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

12. श्री चुन्नीलाल इंदलिया, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि सीमान्त जिला बीकानेर की चालू खरीफ की फसल वर्षा के अभाव में नष्ट हो जाने पर भी रेवेन्यू स्टाफ द्वारा पैदावार के मनमाने आंकड़े दिखाये गये हैं।

13. निम्नांकित माननीय सदस्यों ने तेल शोधक कारखाना सवाई माधोपुर में न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है:—

(1) श्री श्रवणलाल
(2) श्री प्रेमसिंह सिंघवी
(3) श्री जयनारायण सालोदिया
(4) श्री हरिवल्लभ शर्मा
(5) श्री लक्ष्मण तानीवाल
(6) श्री भगवानदास शास्त्री व
(7) श्री दिग्विजयसिंह

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मै माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने तहसील नोहर के भूमिहीन किसानों को माह जून व जुलाई, 1971 में एलॉट की गई भूमि के पट्टे व कब्जा काश्तकारों को न दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। मै यह चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल दिनांक 12 नवम्बर, 1971 को इस पर वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कल सदन के अन्दर प्रस्तुत किया था....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस बात का दिया था कि एक भूतपूर्व विधायक श्री जगनसिंह 5 दिन से भूख-हड़ताल पर बैठे हैं और श्री केसरीसिंह जी मेहता....

श्री अध्यक्ष : कै बजे दिया आपने ?

श्री मोहनलाल मोदी : अभी दिया है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 दिन से एक भूतपूर्व विधायक....

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने नहीं प्रस्तुत हुआ कि अभी आपने दिया है।

श्री मोहनलाल मोदी : काफी देर हो गई है, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने स्थगन प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री मोहनलाल मोदी : 5 दिन से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं समझ रहा हूं लेकिन मेरे सामने नहीं आया है।

श्री मोहनलाल मोदी : एक भूतपूर्व विधायक, एक इन्सान 5 दिन से, अध्यक्ष महोदय, भूख-हड़ताल पर है और ऐसा गम्भीर मामला है जिसका····

श्री अध्यक्ष : आपका गम्भीर मामला होगा लेकिन मेरे सामने प्रस्तुत तो होना चाहिए। मैंने निर्णय दे दिया है जो प्रस्ताव मेरे सामने आये हैं। इसका आयेगा तो निर्णय कल आपको दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि जो प्रस्ताव अस्वीकार किये गये हैं नियमों के अन्तर्गत उन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। मैं बार-बार इसकी पुनरावृत्ति कर चुका हूं फिर भी माननीय सदस्य अगर आगे आने वाली डिबेट का समय इसमें लेना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन संक्षेप में बोलकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष,····

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष निवेदन करना है। अभी एक माननीय सदस्य ने सीमा के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और उसको इस सदन में डिस्कस करने की आपने अनुमति नहीं दी है। वह स्थगन प्रस्ताव था हमारे राजस्थान की सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं के जमाव के सम्बन्ध में। उस पर आपका निर्णय हुआ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ विधायकों को बुलाकर मीटिंग करके उनको सूचना दे देंगे। श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ विधायकों को बुलाकर इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दे देना पर्याप्त नहीं होगा। मैं भूतपूर्व सेना का अधिकारी रह चुका हूं। इस वक्त राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है····

श्री हरिदेव जोशी : एक सैकण्ड। माननीय मुख्य मंत्रीजी कल एक स्टेटमैंट भी इस सिलसिले में देंगे और उसके ऊपर माननीय सदस्य चर्चा भी कर लेंगे।

श्री फतेहसिंह : तो क्या वह स्टेटमैंट इस हाउस में होगा या कुछ व्यक्ति विशेष के सामने।

श्री हरिदेव जोशी : स्टेटमैंट हाउस मे होगा और जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने कहा इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री फतेहसिंह : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेटमैंट होगा और उस स्टेटमैंट के बाद में इस हाउस को भी राजस्थान

Page No 45

(श्री फतेहसिंह)
की जनता की भावनाओं का कलेक्शन करने का कुछ मौका मिलना चाहिए। उस पर हमें बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वह तो इम्प्लाइड है।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमैंट होगा।

श्री फतेहसिंह : आपने कहा कि चर्चा नहीं होगी।

श्री हरिदेव जोशी : कोई परिपाटी तय कर दें तो राज्य सरकार को कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो परिपाटी है उसका अनुसरण किया जायगा।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : संस्कृत कॉलेज के....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, माननीय मंत्रीजी की ओर से जो उत्तर दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार इस प्रश्न को विधान सभा में किसी प्रकार से लाना नहीं चाहती। अध्यक्ष महोदय, अभी जो महत्वपूर्ण मसले उठाये गये हैं, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे इस प्रकार का लगता है कि सरकार इस प्रश्न को विधान सभा में लाना नहीं चाहती है। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से जो मुझे मालूम हुआ है कि इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपकी आज्ञा हो तो कल क्वेश्चन आवर के बाद में स्टेटमैंट दूं।

श्री भैरोंसिंह : आप के स्टेटमैंट पर इस सदन के माननीय सदस्य चर्चा कर सकेंगे इसके लिए आपने जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि 13 तारीख के बाद विधान सभा नहीं होगी। इस रेखा को हटा कर बोर्डर पर चर्चा करने की आज्ञा दें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष की आज्ञा हो तो माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : चर्चा आज ही हो सकती है।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : कल यूनिवर्सिटी के मामले में चर्चा होगी। यूनिवर्सिटी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रति समय का अभाव है। एक दिन के लिये समय निर्धारित किया है। तीन चार रिपोर्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी के ऐसे कई मसले हैं जिन पर माननीय सदस्य विचार करना चाहेंगे। और दूसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रश्न आता है। कोई ऐसे प्रश्न नहीं हैं, उनकी दूसरे दिन चर्चा कर सकते हैं। आज शिड्यूल कास्ट कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। उस पर कल चर्चा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न पर सदन में चर्चा हो। 1965 में भी लड़ाई हुई थी।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष जी....

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य मोशन लाये हैं। यूनिवर्सिटी डिबेट से समय निकाल कर....

श्री अध्यक्ष : समय का प्रश्न रहता है। इस का समय यूनिवर्सिटी-डिबेट में समावेश किया जाये, यह तरीका हो सकता है....

श्री नत्थीसिंह : अलग से रखा जाये।

मेजर श्री फतेहसिंह : हमारे लोग एयर-फोर्स में हैं। सेनाओं में हैं। इसलिए मैं इसको ज्यादा महत्व का समझता हूं। इस पर डिबेट होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इसी पर विचार हो रहा है। इस पर कैसे विचार हो। कैसे इसे एडजस्ट किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो दिन सदन और बढ़ा दें।

श्री नत्थीसिंह : सदन को दो दिन और बढ़ाया जाये। आप भागना चाहते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : भागना नहीं चाहते हैं। भागने की बात है तो आप नो कान्फीडेंस मोशन ले आयें, मैं फेस कर लूंगा।

श्री नत्थीसिंह : भगवाने की ताकत है हम में।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बरकतुल्ला खां : देखिये, माननीय अध्यक्ष, मैंने कल भी कहा है। बार बार कह रहा हूं। कल मैं स्टेटमैण्ट दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : एडजस्टमैन्ट कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर........

श्री भैरोंसिंह : मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा, कल स्टेटमैन्ट दें........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपकी तो चेम्बर प्रेक्टिस रही है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी भी है। आप भी वहीं चलायें।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय मुख्य मन्त्री कल स्टेटमैन्ट देने को कह रहे हैं। कल वह स्टेटमैन्ट दे रहे हैं। समय का प्रश्न रहता है। समय कितना लगेगा इसका असेसमैन्ट करके कि कितना समय लिया जाना चाहिए। यह सारा प्रश्न मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से बात करके सदन को अवगत कर दूंगा। कैसे एडजस्ट करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय........

श्री दुर्गालाल बादृदार : यह कैसे करेंगे।

श्री शिवचरणसिंह : ऐसा हो जाना चाहिए जिससे कि अनर्गल प्रचार न हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सब्सटेन्टिव मोशन है। जिस पर विचार होगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय से बात करके आप कल अवगत करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा सब्स्टेन्टिव मोशन है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के स्टेटमेन्ट के बाद जो चर्चा होगी तो उस पर क्या उसी में होगी या मेरे मोशन पर अलग से चर्चा होगी ?

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने अभी कोई नहीं आया। अभी मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अभी मैं नहीं कह सकता हूँ।

श्री फतेहसिंह : कल माननीय मुख्य मन्त्री महोदय सीमा के सम्बन्ध में स्टेटमैन्ट दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो स्टेटमैन्ट दें तो उस वक्त हाउस में यह बता दें कि जनता युद्ध की स्थिति में किस तरह से तैयारी कर रही है ? आखिर आपका, हमारा और जनता का उत्तरदायित्व उतना ही है। लोग चिन्तित हैं इसलिए जहां तक सीमा पर 1965 में........

श्री अध्यक्ष : देखिये माननीय सदस्य....

श्री फतेहसिंह : हमला हुआ था।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार प्रेस करते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरणसिंह : (अश्रव्य)

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, श्री मोदीजी कह रहे हैं.......

श्री अध्यक्ष : श्री मोदीजी को मैंने नहीं सुना है।

श्री शंकरलाल : मुख्य मन्त्री महोदय का स्टेटमैन्ट होने वाला है, तभी चर्चा कर लें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मुख्य मन्त्री महोदय सदन को यह भी अवगत करेंगे कि स्टेट की जनता के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या काम किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मसला बिल्कुल साफ है। राजस्थान की सीमाओं पर चिन्ता के बादल हैं।

श्री अध्यक्ष : मसला साफ है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस सम्बन्ध में आम जनता को किस तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वही मसला है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके लिए राजस्थान के सदन के प्रतिनिधि बैठे हैं और सीमाओं पर दुश्मन ताल ठोक रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, इस पर स्टेटमैन्ट दिया जा रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके लिए मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
पूरे दिन हमें बैठने का अवकाश हो। जैसा कि माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा है कि दूसरे प्रश्न इतने महत्व के नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं पुनः, जो रिजेक्ट हुये हैं, उन पर न बोलने के लिए निवेदन करूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर उचित समझें········

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करता हूं कि आप रिजेक्टेड एडजर्नमेण्ट मोशन पर नहीं बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय············

एक माननीय सदस्य : वह तो आदी हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में कई स्थगन प्रस्ताव रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह : समय के बारे में क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है, मुख्य मन्त्री महोदय से बात करके········

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री महोदय तैयार नहीं हैं, यह मानकर चला जाये। आप क्या जो निर्धारित समय है, उसमें कटौती करने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं ?

श्री भैरोंसिंह : आप।

श्री अध्यक्ष : ऐसी मान्यता मत रखिये।

श्री भैरोंसिंह : मान्यता तो है क्योंकि मुख्य मन्त्री जी एक दिन का समय भी नहीं बढ़ाना चाहते।

श्री अध्यक्ष : फिर मैं दायित्व को नहीं लेता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप मत लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं लेता हूँ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मुख्य मन्त्री का सीधा चैलेंज है कि अविश्वास प्रस्ताव लायें।

श्री शंकरलाल : समय का जो मामला है यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समय में कटौती करने वाला हूँ—यह मान्यता है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : ऐसी मान्यता नहीं है।

श्री नरपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि बिना अविश्वास प्रस्ताव लाये तेरह तारीख के बाद विधान सभा नहीं चलायेंगे। उनकी यह हठधर्मी है कि हम अविश्वास का प्रस्ताव लायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं मुख्य मन्त्री जी को कहना चाहता हूँ कि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया !

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कह चुका हूँ कल सीमा के बारे में स्टेटमेंट दूंगा, उसे आप डिस्कस करेंगे। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों बहस हो रही है। मैंने निवेदन कर दिया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह तो फर्माया, मुख्य मन्त्री जी कल स्टेटमेंट वरमायेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कल का है विश्वविद्यालय का, परसों है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का—उसमें से समय काटें, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है। आप पुनरावृत्ति न करें। यह माननीय सदस्य ने कह दिया है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, समय का जो मामला है वह पुनः बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर लिया जाय। हाउस का क्यों समय लिया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दुबारा बुला ली जाय।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : अभी जानकारी नहीं, माननीय सदस्य खड़े हैं। आप स्थान ग्रहण करें। सारण बोलना चाह रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट के लिए पहले दो दिन के लिए तय हुआ था। आज इसको रखा है, तो कल भी रखिये। दो रोज के लिए इसको रखिये और कल स्टेटमेंट दिलायें तो दो दिन के बाद रख लीजिए। दो दिन के बिना इस पर बहस नहीं हो सकेगी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसके लिए दो दिन दिये जायेंगे। आप दो दिन के लिए आश्वासन दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : दो दिन इस पर डिबेट होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, अपेक्षा तो यह थी, राज्य सरकार अपनी ओर से इस सम्बन्ध में पहल करती और स्टेटमेंट देती विधान सभा बैठते ही और अवसर देती इस सदन को विचार विमर्श करने का। लेकिन मुझे खेद है, राज्य सरकार ने इसकी जरूरत नहीं समझी कि विधान सभा के सामने बोर्डर की स्थिति रखी जाय। जब सदन ने बहुत ज्यादा प्रेस किया आपके माध्यम से तब जाकर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य की बात कही गई। मेरी समझ में नहीं आता, इतने बड़े अहम मसले पर, जिससे हमारे जीवन, हमारी सम्पत्ति और हमारे अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार एक दिन देकर इस सदन के विचारों को क्यों नहीं सुनना चाहती? आखिर इससे हानि क्या है? सदन का सहयोग मिलता है और सदन के सदस्य अपने अपने सुझाव देंगे।

श्री शंकरलाल : मैं यह सुझाव दूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुला लिया जाय और उसमें बहस कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव ठीक है। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुला लेता हूं और इस प्रश्न को वहां रख दिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : धन्यवाद !

दूसरी बात है। मेरे चार प्रस्ताव थे, उनमें से एक तो इसमें आ जायगा। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा प्रस्ताव था, बेरोजगारी और मंहगाई से सम्बन्धित····

श्री अध्यक्ष : उसको छोड़ दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान की अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित था। वह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 90 करोड़ का राजस्थान सरकार पर ओवर ड्राफ्ट है। राजस्थान में पढ़े लिखे लोग गली गली में खाक छानते फिर रहे हैं, अनपढ़ों का तो क्या सवाल है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति अत्यन्त भयावह है। वस्तुओं की कीमतें चढ़ रही हैं। रोजगार मिलने का तो क्या सवाल, यह सरकार रेजगारी की व्यवस्था नहीं कर सकती है····

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति दी है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य होकर बहस का अवसर इस सदन को दिया जाय ताकि राज्य की सारी अर्थ व्यवस्था पर चिन्तन किया जा सके, विचार विमर्श किया जा सके और राज्य सरकार को समस्या के समाधान के लिए सदन की तरफ से सहयोग प्राप्त हो सके। मैं यह चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस मुद्दे को खास तौर से लिया जाय····

श्री अध्यक्ष : मुद्दे नहीं आयेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में।

श्री दौलतराम सारण : तीसरा यह है कि राजस्थान में सारे परिवार बुखार से पीड़ित हैं। राजस्थान में हर एक परिवार में कोई ही ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसको बुखार नहीं हुआ हो। यह बुखार टाइफाइड में बदल जाता है। राजस्थान में आज जन जीवन में बीमारी छाई हुई है। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है—उस पर वक्तव्य दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनको बुखार है।

श्री अध्यक्ष : मैं इनको बार बार कहता हूं, मेडिकल एडवाइस के खिलाफ यह बोलते हैं। इनके प्रति सारा सदन चिन्तित है।

श्री दौलतराम सारण : एक मेरा अकाल, बाढ़, अनावृष्टि से सम्बन्धित प्रस्ताव था। उस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह बहुत अहम समस्या है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को वक्तव्य देने के लिए बाध्य करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी रिपोर्ट है उसके समय की रक्षा कर सकें तो बहुत अच्छा हो।

श्री दौलतराम सारण : सेन्टीमैंट्स की बात कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या कर सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : अकाल का प्रश्न गरीबों से जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी का प्रश्न है, जिस रिपोर्ट पर बहस होगी, उससे वह जुड़ा हुआ है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न है वह गरीबों से जुड़ा हुआ है। इन्हें इस रिपोर्ट से अलग नहीं किया जा सकता है।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें सदन का समय खराब हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हर एक माननीय सदस्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा का आपका दायित्व है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी दायित्व है।

श्री विट्ठल : आप क्या व्यवस्था करेंगे स्वास्थ्य के लिए ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तेल शोधक कारखाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 150 करोड़ की पूंजी का विनियोजन का प्रावधान किया है, जिससे बेरोजगारी का प्रश्न भी कुछ हल होगा····

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इन समाजवादियों और साम्यवादियों पर मुझे तरस आता है। राजस्थान की जनता के अहम मसले हैं लेकिन यह मजाक कर रहे हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उस तेल शोधक कारखाने के बारे में········

श्री दौलतराम सारण : यहां पर यह मजाक कर रहे हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर में लगाने के बारे में सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (धौलपुर) : इनकी अक्ल का दिवाला निकल गया है ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, तेल शोधक कारखाने का प्रश्न है, उसके बारे में मुझे रिपोट नहीं करना है। लेकिन वर्तमान मुख्य मन्त्री ने उसके सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं, प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? केन्द्रीय सरकार से पूंजी का विनियोजन कराने के मामले में राजस्थान हमेशा से ऐसे कारखाने की स्थापना कराने में पिछड़ा हुआ रहा है। अब इतनी बड़ी पूंजी लगाई जाने वाली है, उसके बारे में राज्य सरकार क्यों उदासीन रही है ? अगर नहीं तो वह क्या प्रयत्न कर रही है, क्या नहीं ? मुख्य मन्त्री जी पांच मिनिट में इसके बारे में बतला दें तो मेरे ख्याल से हमें काफी संतोष मिल जायगा। यह सारे राजस्थान का प्रश्न है, एक जिले का प्रश्न नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके पुनः विचार अपनी व्यवस्था पर करें और तेल शोधक कारखाने के बारे में राज्य सरकार और मुख्य मन्त्री जी ने क्या प्रयास किया है, क्या कर रहे हैं और क्या करने का दृष्टिकोण है, क्यों उदासीनता बरत रहे हैं—इसके बारे में निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था आप करें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक भूतपूर्व माननीय सदस्य मरणासन्न स्थिति में हैं। वह पांच रोज से भूख हड़ताल पर हैं लेकिन राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप····

Page No 52

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल मोदी : एक परम्परा····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप आसन को बाध्य करना चाहते हैं उस प्रश्न पर, जो प्रश्न मेरे सामने नहीं आया है। उस पर फिर चर्चा उठा दी, दुबारा फिर चर्चा उठा दी। आप देखिये, ख्वामख्वाह सदन का समय नहीं लें। मेरे सामने आता तो मैं निर्णय दे देता कुछ न कुछ। बीच में प्रश्न उठायें नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, स्थिति भयंकर है। वह मरणासन्न स्थिति में है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! चर्चा को न उठायें।

श्री गाड़िया !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरा भी जो स्थगन प्रस्ताव था, अध्यक्ष महोदय, वह सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाने को लगाये जाने के मुद्दे को लेकर था····

श्री अध्यक्ष : वही प्रश्न है जो माननीय सदस्य ने कहा ?

श्री श्रवणलाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : फिर क्यों कह रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है····

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त प्रकाश डाल दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : जिला सवाई माधोपुर में भूख हड़ताल की जा रही है, इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है जिससे वहां····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। इसका अर्थ यह हुआ जितने माननीय सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं, सभी माननीय सदस्य खड़े होकर बोलना शुरू करें। यह अर्थ नहीं है····

श्री भैरोंसिंह : इसका अर्थ यह है कि सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना सेन्ट्रल प्रोजेक्ट में डेढ़ सौ करोड़ की लागत से बनने वाला था लेकिन राजस्थान की सरकार मौन है। वह मौन क्यों है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : धौलपुर में लगने की बात चल रही थी। सवाई माधोपुर बीच में कहां से टपक पड़ा।

श्री शिवचरणसिंह : सवाई माधोपुर में लगने की बात है····

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फैक्ट्री है आलरेडी, इसलिए धौलपुर ही इसके लिए उपयुक्त स्थान है।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह तो सवाई माधोपुर में लगेगा यह धौलपुर कहां से बीच में आ गया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर की घोषणा हुई है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य बेकार बहस कर रहे हैं हमारा तो यह कहना है कि वह राजस्थान में प्रोजेक्ट लगाना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो धौलपुर में लगाने की घोषणा की जा चुकी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की है कि वह प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में लगेगा। यह तो घोषणा की बात है जो सही है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सवाई माधोपुर की घोषणा हो चुकी तो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह झूंठ कैसे बोल रहे हैं कि वह प्रोजेक्ट धौलपुर में लगेगा, धौलपुर की तो बात ही नहीं, ये माननीय सदस्य सैबोटेज्योर का काम कर रहे हैं। धौलपुर का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वह प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में लगेगा। माननीय सदस्य इस भुलावे में नहीं रहें कि वह धौलपुर में लगेगा।

(कई सदस्य एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : × × ×

श्री शिवचरणसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, कुछ भी अंकित नहीं हो। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : × × ×

श्री शिवचरणसिंह : × × ×

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि चाहे वह प्रोजेक्ट धौलपुर में लगे, भरतपुर में लगे, चाहे सवाई माधोपुर में लगे पर मेरा तो निवेदन है कि वह राजस्थान में लगना चाहिये। स्थिति यह है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी नये मुख्य मन्त्री बनने के बाद जब सवाई माधोपुर में गये और वहां उनका अभिनन्दन हुआ तो उन्होंने कहा सवाई माधोपुर में तेल शोधक प्रोजेक्ट खुलेगा, और अगर वह धौलपुर में गये तो उन्होंने वहां अपने अभिनन्दन के वक्त कहा कि धौलपुर में तेल शोधक कारखाना खुल रहा है। यह तो मुख्य मन्त्री जी ने भ्रम फैलाया है। यह तो स्थिति उन्हें साफ करनी चाहिये कि वह कहां खुलेगा। इन्होंने तो जहां जहां अभिनन्दन हुआ है वहां वहां ही तेल शोधक कारखाना खोलने की घोषणा कर दी। मेरा तो सुझाव यह है कि इस झगड़े को तो छोड़ दिया जाय और सभी सदन के सदस्य मिलकर मुख्य मंत्रीजी पर दबाव डालें कि वह तेलशोधक कारखाना कहीं खुले पर खुले राजस्थान में। कहीं ऐसा नहीं हो कि वह इस झगड़े में राजस्थान के बाहर कहीं दूसरी जगह नहीं खुल जाय। मेरी ऐसी जानकारी है अध्यक्ष महोदय कि वह कारखाना राजस्थान में नहीं खुलकर यू. पी. में खुल रहा है और वह जगह आगरा है। इस प्रकार की कार्यवाही

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 54

(श्री भैरोंसिंह)
केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा चुकी है और आगरा में इसके लिए साइट भी देखी जा चुकी है। इसलिये मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि इस सवाई माधोपुर और भरतपुर और धौलपुर के झगड़े को छोड़कर यह तय कराया जाय इस सदन में कि वह राजस्थान में प्रोजेक्ट खुलेगा नहीं तो इस झगड़े में वह आगरा में खुल जायेगा क्योंकि ऐसा निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जा चुका है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री इस विषय में अपना वक्तव्य दें और भारत सरकार पर जोर डालें कि तेल शोधक कारखाना राजस्थान में ही खुलना चाहिये और अगर यह नहीं खुलता है तो यह मुख्य मन्त्री जी की कमजोरी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तो यों ही उद्योगों की कमी है और अगर यह तेल शोधक कारखाना राजस्थान में सवाई माधोपुर और धौलपुर के झगड़े में नहीं लगा तो राजस्थान एक और अच्छे उद्योग से वन्चित रह जायेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सदन के सदस्यों की इस बात को केन्द्रीय सरकार तक पहुँचावें और भारत सरकार से राजस्थान में कारखाना (तेल शोधक) खुलवाने की व्यवस्था करावें और मेरा तो निवेदन यह है कि इसके लिये एक सभी माननीय सदस्यों की तरफ से ज्ञापन केन्द्रीय सरकार को दिया जावे कि तेल शोधक कारखाना राजस्थान में खुलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त करें। मैं अब दूसरा बिजनेस लूंगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : इसी के बारे में।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) **:** अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि तहसील किशनगंज, शाहबाद तहसीलों में 21 व 22 जुलाई को अतिवृष्टि से पानी के तालाबों के टूट जाने से भयंकर बाढ़ आई है जिससे उस क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन की खड़ी फसल, धान व ज्वार व बाजरे की फसल बह गई तथा सैंकड़ों गरीब लोगों के मकान खाने का अनाज तथा कपड़े आदि बह गये लगभग 10-15 व्यक्ति व बच्चे बह कर मर गये उसके लिए क्या हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उस पर मेरी क्या व्यवस्था है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने क्या व्यवस्था दी है। जानकारी के लिये कहा है या उसे अस्वीकार किया है। फिर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आप तीन बार बोलेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिये। सदन के अमूल्य समय को नष्ट कर रहे हैं। सदन के अन्दर और भी महत्वपूर्ण मामले आने हैं। शिड्यूल्ड ट्राईब और शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट भी ली जायेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : कुछ भी निवेदन मत करिये।

Page No 55

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, एक और स्थगन प्रस्ताव नगरपालिका के बारे में था बारां नगरपालिका द्वारा अनुसूचित जाति की झोंपड़ियों को जबरन हटा दिया है तथा उनका सामान फेंक दिया है ।

श्री अध्यक्ष : ये नयी बात कहां से आगई है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है गरीब अनुसूचित जाति के लोगों की झोंपडियों को हटा दिया गया है वो लोग वे घरबार हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : उस पर मेरी क्या व्यवस्था है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि····

श्री अध्यक्ष : कोई निवेदन नहीं । श्री गाड़िया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैंरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय आपने जो व्यवस्था दी है इनको उसका पता नहीं शायद ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, 105 मजदूरों को बेघरबार कर दिया है । पहले नगरपालिका ने भूखण्ड उनको दिये लेकिन बाद में अध्यक्ष महोदय उन्हें पुलिस की सहायता से उनकी झोंपड़ियों को हटाया गया और वो जमीन किसी दूसरे को देने के लिए उन्हें हटाया है ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया समाप्त करें और सदन की कार्यवाही चलने दें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर स्वायत्त शासन मन्त्री अपना वक्तव्य दें कि तहसील शाहबाद और किशनगंज में जो फसल बह गयी है और जिससे वहां लोगों को नुकसान हुआ है उसके बारे में····

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । एक के बाद एक स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य रखे जा रहे हैं आपने तो सभी पर बोलना ही शुरू कर दिया है आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही भयंकर बाढ़ आयी थी। गांव के गांव नष्ट हो गये हैं । 10-15 व्यक्ति और बच्चे मर गये हैं । सारी खेती नष्ट हो गयी है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप अकाल राहत मन्त्री को आदेश दें कि वे इस पर वक्तव्य दें। अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को जानकारी है इसके बारे में, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है या क्या किया है ? जानकारी के लिये भेजा है या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी हां····क्या

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी नहीं है । मैंने इसपर निर्णय दे दिया है ।

Page No 56

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको पता नहीं है मैंने अस्वीकार कर दिया है। अब आप स्थान ग्रहण करें। आप नहीं बोलेंगे। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

राजस्व मन्त्री !

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4 (13) रे.व./कोल/67, दिनांक 25-10-67 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना, 1955 से पूर्व के अस्थाई अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्तें, 1971 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रम मन्त्री।

श्री भीखा भाई (श्रम मंत्री) : मैं श्रम विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (254) लेब/68 (जी.एस.आर., 119) दिनांक 10-3-71 जिसके द्वारा राजस्थान कोन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एन्ड एबोलिशन) रूल्स, 1971 जारी किये गये हैं।

(2) मैं श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1(13) (9) एल. एण्ड ई/65 (जी. एस. आर. 204), दिनांक 6-5-1968 जिसके द्वारा कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स (वर्क स्टोपेजेज रिजल्टिंग फ्रोम इन्डस्ट्रीयल एण्ड लेबर डिस्प्यूट्स) रूल्स जारी किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये श्रम मन्त्री 68 की अधिसूचना अब सदन की मेज पर रख रहे हैं।

श्री भीखा भाई : ये तो 71 में रूल्स प्रकाशित हो रहे हैं वैसे प्रस्तुत हो चुकी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि रूल्स अब निकल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब जाने दें, सदन की मेज पर तो रख दिये गये थे।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : उनको बैठे बैठे बोलने की क्यों आज्ञा दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : खड़े खड़े बोल लीजिये।

श्री भीखा भाई : अधिसूचना संख्या एफ 1(13)9 एल. एण्ड ई./65 (जी.एस. आर. 204), दिनांक 6-5-1968 जिसके द्वारा कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स वर्क स्टोपेज रिजल्टिंग फ्रोम इन्डस्ट्रियल एन्ड लेबर डिस्प्यूट्स) रूल्स जारी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। चूंकि हम मीट कर रहे हैं इसलिये उसके बाद ही इसको रखा है।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

समिति के प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ विश्नोई (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि जितने भी नियम एवं अधिसूचनायें आदि रखी गई हैं उसके सम्बन्ध में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को निर्देश दिया जाय चूंकि हाउस तो मीट करेगा नहीं, इसलिए वह इन सबको एग्जामिन करले और नेसेसरी संशोधन कर लिए जायं। जो नियम, अधिसूचनायें आदि हैं वह इसको रेफर हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति है।

(स्वीकृत)

समाज कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के अठारहवें प्रतिवेदन पर विचार

श्री भीखा भाई : (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की अठाहरवीं रिपोर्ट, वर्ष 1968-69 पर जो दिनांक 3 नवम्बर, 1970 को सदन की मेज पर रखी गई थी और जहां तक उसका राजस्थान से सम्बन्ध है, उस पर विचार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस पर जानकारी करना चाहूंगा। 1968-69 की रिपोर्ट है जो 3 नवम्बर, 1970 को सदन की मेज पर रख दी गयी तो 69-70 की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी होगी ?

श्री भीखाभाई : जानकारी तो नहीं है कि सदन की मेज पर रख दी गयी। अवधि न होने के कारण चिन्तन नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 68-69 की रिपोर्ट है जो 3 नवम्बर, 70 को सदन की मेज पर रख दी गयी। आज 11 नवम्बर, 71 है। 1969-70 की दूसरी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी होगी ?

श्री भीखाभाई : हो गयी होगी, इसकी जानकारी नहीं है। मैं बाद में बता दूंगा। आपके कहे को मैं कैसे मान लूं। इसलिए जानकारी करके कल निवेदन कर सकूंगा और रिपोर्ट होगी तो दो दिन बाकी हैं रख दूंगा।

(12.54 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : अब तो डिप्टी स्पीकर कहें।

श्री जयनारायण सालोदिया : अभी चुनाव कहां हुआ है।

श्री रामकिशन (वैर) : जबसे उपाध्यक्ष पद की चर्चा चली है आपके चहरे पर रौनक तो आ गयी है।

श्री सभापति श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की अठारहवीं रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं। मैं समय समय पर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं। समाज कल्याण विभाग जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये स्थापित किया गया है यह बिलकुल निकम्मा है और यह समझिये कि इसके माध्यम से जो पैसा खर्च होता है वह बिलकुल बेकार जाता है।

माननीय सभापति महोदय, विभाग के जो फंक्शन्स हैं, काम हैं यह कतई अन्जाम नहीं देता है इसलिये यह विभाग जिस परपज के लिये बनाया गया है, वह उसके माध्यम से यदि सर्व न होता हो तो उस विभाग की क्या आवश्यकता है। मैंने बार बार निवेदन किया है कि यह विभाग अनुसूचित जाति और जन जाति के उत्थान के लिये निर्मित किया गया है तो इस पर सरकार की कड़ी निगरानी होनी चाहिये। करोड़ों रुपया इस विभाग के द्वारा खर्च हुआ है लेकिन 10 पर्सेन्ट भी हरिजनों के पास नहीं पहुंचा है और जो हालत है उससे सब परिचित हैं।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी अपने भाषण में निवेदन किया था कि अनुसूचित जाति और आदिम जन जातियों के काम पूरे होते हैं या नहीं यह सब देखने के लिये लोक सभा में एक कमेटी बनी थी। मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था और उन्होंने भी बार बार आश्वासन दिया था और जब डिस्कशन हुआ था तो समाज कल्याण मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हाउस की कमेटी बनायेंगे और वह इसको देखेगी। अब तक उस कमेटी का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिये माननीय मन्त्री जी जो अब समाज-कल्याण मन्त्री जी है, इस कमेटी का निर्माण करें और अपने जवाब में वह स्पष्ट कहें कि अब तक वह कमेटी क्यों नहीं बनी और इसका क्या कारण था और अब कब बन रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसी के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो 28 प्रतिशत की घोषणा सरकारी नौकरियां देने की की वह 28 प्रतिशत का कोटा एक डिपार्टमेंट में भी नहीं है। इसलिये माननीय मन्त्री जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सभापति जी, एक भी विभाग ऐसा हो जहां पर 28 प्रतिशत नौकरियां इन जातियों के लोगों को दी गयी हों वह बता दें। मैं चैलेन्ज करता हूं कि समाज कल्याण विभाग में भी हर पद पर 28 प्रतिशत का कोटा पूरा किया हो तो बता दें। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि 28 प्रतिशत का कोटा समाज कल्याण विभाग में भी नहीं है, हर पद पर। टोटल कर्मचारियों की संख्या, जिसमें फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को भी ले लिया जाता है, और यह बता दिया जाता है कि इतने कर्मचारी हैं और यह 28 प्रतिशत का कोटा पूरा कर दिया गया।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार की यदि इसमें दिलचस्पी है और सरकार अपनी घोषणाओं को कार्यरूप में परिणित करना चाहती है तो पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि 28 प्रतिशत का कोटा जिस विभाग के

(श्री जयनारायण सालोदिया)
अधिकारी के द्वारा पूरा नहीं हुआ है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये और सजा मिलनी चाहिये वरना भीखाभाई लिखते रहें और उनका विभाग उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता है । इसलिये 28 प्रतिशत का कोटा जिन विभागाध्यक्षों के द्वारा पूरा नहीं किया गया है उनके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिये और तब ही यह पूरा होगा ।

मन्त्री महोदय, अपने उत्तर में यह भी बतायें कि कितने कितने प्रतिशत हर श्रेणी के कर्मचारी डिपार्टमैंट में इन जातियों के हैं और कितने कितने डिपार्टमैंट्स ने किन किन की भर्ती की है और उस आधार पर की है ?

दूसरी बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं । मंत्री महोदय तो उधर बात कर रहे हैं और इधर मैं पोइन्ट्स रख रहा हूं । जो कह रहा हूं उनको तो नोट तो कीजिये । सुन लीजिये जिससे मुझे मेरी बातों का जबाव तो मिले । तो मैं निवेदन कर रहा था कि किस किस विभाग में यह 28 प्रतिशत का कोटा पूरा हो गया है यह आप बताने की कृपा करें ।

यह भी निवेदन करूंगा कि जब तक कोटा पूरा न हो तब तक जो भी नियुक्तियां हों वे सब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही दी जावें इस आशय की आज्ञा आप निकाल दें । नहीं तो होता क्या है कि किसी विभाग में एक दो जगह निकली तो उसका कोटा कुछ नहीं होता है तो वे एक दो एक दो करके सारी जगहें दूसरों को दे दी जाती हैं ।

इसी तरह कन्फर्मेशन और प्रोमोशन की बात पर भी निवेदन करूंगा कि इस बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं होने से जिनकी पहुंच होती है उनके हो जाते हैं और ये लोग ब्लाक रह जाते हैं । तो इसमें भी रिजर्वेशन रखा जावे । कई प्रदेशों में ऐसा है भी । इस विभाग के मन्त्री जी अपनी पंगु जबान से मजबूती से इस मुद्दे को मुख्य मन्त्रीजी के सामने क्यों नहीं रखते और निर्णय लेते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, छात्र वृत्तियों के सम्बन्ध में भी एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं । पांचवीं क्लास के ऊपर के बालकों को यह दी जाती है । पर इसमें सरकार के पास फण्ड्स पूरे नहीं होने से सभी छात्रों को यह मिल नहीं पाती । परिणाम यह होता है कि जो असर वाले लोग हैं वे इसका लाभ उठा ले जाते हैं और जो वास्तव में डिजर्विंग हैं वे यों ही रह जाते हैं । तो इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार इसके लिये सफीसियेन्ट फण्ड प्रोवाइड करे । बेकार के दूसरे विभागों के फण्ड को इसमें पूल करे और पांचवीं क्लास से ऊपर के जितने भी छात्र छात्राएं हों सभी को वृत्तियां दे दें तो इस समस्या का उचित समाधान निकल सकता है ।

इसमें एक निवेदन और करूंगा कि छात्रवृत्तियां देने का काम शिक्षा विभाग से लेकर समाज कल्याण विभाग के हाथ में दे दिया जाना चाहिये ताकि उचित समय पर इसका वितरण हो जावे । शिक्षा विभाग तो इसको बेगार और अपने लिए एक्स्ट्रा काम समझता है, दिलचस्पी नहीं लेता । इससे बड़ा असन्तोष है । न समय

(श्री जयनारायण सालोदिया)
पर वृत्तियां मिलती हैं, न फार्म ही मिलते हैं। हैड मास्टर सिफारिश नहीं करते। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल सुनता नहीं। समय पर मिलती नहीं। इस बारे में मैंने कल ही एक प्रश्न भी सदन में पूछा था टोंक जिले के सम्बन्ध में ही। वहां तो समाज कल्याण विभाग के ही हाथ में यह काम था। छात्र भी वहीं का था, दफ्तर भी वहीं था पर समय पर नहीं मिली। यह बड़ा शोचनीय ही नहीं निन्दनीय विषय है।

सभापति महोदय, मैंने आज ही अखबारों में पढ़ा है कि जयपुर के मेडिकल के छात्रों को वृत्ति नहीं मिलती है। लोगों के डेपूटेशन आपके अधिकारियों से मिले भी आश्वासन भी दिया, पर कुछ नहीं हुआ। तो यह रवैया आपका ठीक नहीं है। इसके लिये एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिये। आप कहेंगे कि प्रक्रिया तो निर्धारित है, पर वह कागजों में है, उसका पालन कोई नहीं करता।

जयपुर में, टोंक में हर जिले में जिला समाज कल्याण विभाग बैठा है पर वहां भी शिकायतें हैं। फिर आपका विभाग है किसलिये? लाखों रुपया आपके विभाग पर खर्च किया जाता है, गाड़ियों और पेट्रोल का पैसा मिलता है, टी. ए., डी. ए. आप लेते हैं फिर भी जब आप तत्परता से काम नहीं करते तो सब बेकार है। कोई बहुत काम भी नहीं है। काफी काम तो अलग अलग विभागों को ही बांट दिया है। मैडिकल के मामले मैडिकल विभाग को सौंप रखे हैं, शिक्षा के मसले शिक्षा विभाग को दे रखे हैं। फिर यह समाज कल्याण विभाग है किस काम का? इसमें ऐसे ही लूज मन्त्री रहे हैं। स्ट्रोंग है नहीं। हम तो इनको रजिस्टर्ड लूज समझते हैं। उनकी कोई एक नीति नहीं है। एक एक फाइल पर तीन तीन ऑर्डर करते हैं। एक ने जाकर कह दिया तो वैसा ऑर्डर कर दिया, दूसरे ने जाकर कुछ और कह दिया तो दूसरा ऑर्डर हो गया, तीसरे ने कुछ और कह दिया तो वैसा ही बदल गया। तो इस तरह के मन्त्री से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पर खेद है ये शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। हमें कहा जाता है आपके आदमी हैं हम भी मानते हैं हमारे आदमी हैं, पर हमारे आदमी इतने निकम्मे, लूज और बेकार हैं कि जिनसे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। भीखाभाई जैसे आदमी से क्या उम्मीद करें?

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो छात्रावास में रहते हैं उनकी भी बड़ी बुरी दशा है। उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है। हमें ऐसे छात्रावासों में जाने का मौका मिलता रहता है। सरकारी कर्मचारी जो देखभाल करते हैं इनको वे ऐसा समझते हैं जैसे वे मालिक हैं और इन बच्चों को कोई धर्मादा का और पुण्य का खिलाते हैं। इस तरह की उनकी भावना है। हमें उनकी इस भावना को बदलना चाहिये।

यह पैसा जो छात्रावासों में और समाज कल्याण में खर्च किया जाता है कोई उनका सरकारी नौकरों का नहीं है। सरकार का भी नहीं है। जनता का ही है। जनता में भी बहुत बड़ा हिस्सा हम ही

(श्री जयनारायण सालोदिया)

लोगों का है। 30 प्रतिशत हम लोग हैं। हमारा दिया हुआ ही पैसा राज के खजाने में इकट्ठा होता है। कस्टोडियन की हैसियत से आप पैसा खर्च करते हैं न कि आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं लेकिन आज हर ऑफिसर और मंत्री की यह भावना है कि मेरा पैसा है और जो मैं खर्च कर रहा हूं वह इन पर एहसान कर रहा हूं। इस तरह की जो भावना है वह गलत है, निन्दनीय है, कतई अशोभनीय है। आप हमारे नौकर हैं, आपको हम तनख्वाह देते हैं, पैसा हमारा है व्यवस्था खर्च करने की हमने दे रखी है। इसका मतलब यह नहीं है मालिक हम हैं। हम मंत्रियों को पैसा देते हैं, उनको कार देते हैं, उनको टी. ए., डी. ए. देते हैं, कार के लिये पैट्रोल देते हैं इसलिए मालिक हम हैं लेकिन आपने तो आज हैसियत बदल दी है नौकर हम हैं और मालिक आप बन गये, यह सब गलत है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, होस्टल्स की हालत बहुत खराब है चाहे आपके विभाग का ही हो और चाहे अनुदानित हो। होस्टल जिसमें खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, वह सब न टाइम पर कपड़ा मिलता है और न स्वास्थ्य लायक खाना मिलता है। सभापति महोदय, आपको जानकारी होगी जयपुर का जो होस्टल समाज कल्याण द्वारा संचालित है उसकी रोटी और आटा मैंने पेश किया था। आप अन्दाजा लगाइये जब राजस्थान की राजधानी जयपुर जहां डाइरेक्टर का दफ्तर है, मंत्री रहते हैं, उप मंत्री रहते हैं तो वहां के होस्टल की यह व्यवस्था होगी तो अन्य जगह का अन्दाजा तो आप स्वयं लगा लीजिये। मुझे दुःख होता है इस तरह के कपड़े, इस तरह का खाना जिससे हर आदमी यह पहिचान लेता है कि यह शिड्यूल्ड कास्ट का लड़का है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो नया भेद पैदा कर रहे हैं उसे कृपया आप हटाइये। होस्टल को व्यवस्था सुधारिये।

सभापति महोदय, मैं कुछ आवास के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने बार बार घोषणाएं की हैं– आवास के सम्बन्ध में भी, नौकरियों के सम्बन्ध में भी, प्रमोशन और कन्फर्मेशन के सम्बन्ध में भी और खेती के सम्बन्ध में भी बार बार घोषणायें की हैं। एडवरटाइजमेंट में तो यह सरकार होशियार है। कोई काम किया नहीं लेकिन घोषणायें बहुत कर दीं। हम अछूतों का उद्धार करेंगे, दलितों का यह कर देंगे, वह कर देंगे इस तरह की जितनी घोषणायें बरकत भाई ने इन 2-4 महिनों में की हैं उतनी किसी ने नहीं की हैं। मंत्रिमण्डल बनने के बाद हरिजनों पर ज्यादा जुल्म हुआ है, यह मेरा दावा है। बरकत भाई के विभाग पुलिस में भी बहुत भ्रष्टाचार है। बरकत भाई ने शुरू शुरू में कहा मैं भ्रष्टाचार को खतम कर दूंगा या मैं खुद खतम हो जाऊंगा। अब वह भ्रष्टाचार तो खतम हुआ नहीं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये सरकार घोषणायें बहुत करती हैं। इन्होंने कहा जो भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या म्यूनिसिपैलिटि प्लाट अलॉट करेगी उसमें 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को देगी। आज तक मंत्री महोदय बतायेंगे कितने प्लॉट अनुसूचित जाति एवं जन जाति को

Page No 62

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिये। जब म्यूनिसिपैलिटि के मंत्री थे तब भी पूछा था कुछ नहीं बताया और आज समाज कल्याण के मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं, आज तक ट्रस्ट ने और म्यूनिसिपैलिटि ने कितने प्लॉट अनुसूचित जाति एवं जन जाति को दिये। मैं निवेदन करूंगा इसी के साथ साथ एक ओर कि मुझे यह बहुत ही दुःख का विषय है कि आप म्यूनिसिपैलिटि के मंत्री थे कई बार और गान्धी शताब्दी में अनुसूचित जाति और जन जाति को आपने प्लाट, एलॉट किये थे वह आपके मंत्रित्व में ही खतम हो गये। इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। गान्धी शताब्दी में प्लाट दें और आपके मंत्री काल में ही समाप्त हो जायं। उन लोगों ने पैसे जमा करा दिये अब पैसे भी नहीं और प्लाट भी नहीं। मैं निवेदन करूंगा आखिर गवर्नमेंट की नीति क्या है। गान्धी शताब्दी में बहुत घोषणायें कीं। एक साल तक उन्हीं लोगों को प्लाट दिये जायेंगे, उन्हीं को खेती की जमीन दी जायगी। यह भी एक धोखा था। प्रजातन्त्र सरकार में या किसी भी ईमानदार सरकार में यह बात नहीं होनी चाहिये लेकिन इस सरकार को तो ईमानदारी से कोई लेने देने नहीं है। प्रजातन्त्र की परिभाषा नहीं जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा इस तरह की जो घोषणायें की हैं कि गान्धी शताब्दी में एक साल के लिये अनुसूचित जाति के लोगों को प्लाट एलॉट करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितनी जमीन आज उन लोगों को एलॉट हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा और वे अपने जवाब में यह बतायेंगे कि गान्धी शताब्दी में कितनी जमीन अनुसूचित जाति एवं जन जाति को एलॉट की गई है, कितनी जमीन उन लोगों को एलॉट कर खारिज की गई है, जो आपने कागजों में जमीन एलॉट की है उनको पट्टा मिला या नहीं। मेरी जानकारी में है 10 प्रतिशत ऐसे हैं जिनको आप कब्जा या पट्टा दे पाये होंगे बाकी 90 प्रतिशत ऐसे हैं जिनको कागज में तो कब्जा दिया गया है लेकिन वास्तविक कब्जा व पट्टा नहीं दिया गया है। कागजों में तो बढ़ा चढ़ा कर बतायेंगे हमने इतनी जमीन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बांट दी है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज वास्तविक जमीन पर कितने लोगों का कब्जा है। आप नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपके पास है ही नहीं। एक्चुअली जिन लोगों को एलॉट हुई है उनके पास न कब्जा है, न पट्टा है। कुछ लोग मुकदमे बाजी में फंसे हुये हैं, कुछ लोग इस तरह के जो परेशान हैं, कुछ को पटवारी कब्जा नहीं देते हैं, कुछ को तहसीलदार नहीं देते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके पास आंकड़े हैं कितनी जमीन एलॉट की ? लेकिन एक्चुअली न उनका कब्जा है न पट्टा है। आज उन जमीनों पर दूसरे लोग काबिज हैं। अगर आप में यह दम है तो यह निर्णय लेंगे और क्या मंत्रिमण्डल से यह आश्वासन दिलायेंगे कि उनको पुलिस के मार्फत, जिनको एलॉट हुई है एक उडन दस्ते जैसी व्यवस्था हो। जैसे पुलिस के लिये एक उडन दस्ता कायम किया गया है उसी प्रकार जिनको जमीन गान्धी शताब्दी में एलॉट हुई है उन पर उनका कब्जा हुआ है या नहीं, यह देखें। उन पर काश्त करते हैं या नहीं। किसी तरह उन पर दबाव है या कोई परेशानी है तो उडन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दस्ता मौके पर जाकर उनको कब्जा दिलाकर आयें। अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो उनको मदद मिल सकती है।

सभापति महोदय, बाकी जो जमीन सीलिंग कानून के तहत मिलने वाली है, जो जंगलात की है, जो काबिल काश्त है जो सिवाय चक है उन सारी जमीनों का एक पूल बनाकर जो भूमिहीन अनुसूचित जाति के और जन जाति के लोग हैं उनमें समान बंटवारा किया जाना चाहिये, यह मेरा दूसरा सुझाव है। जितनी जमीन हमारी जंगलात की है, चाहे चरागाह जमीन हो, चाहे जंगलात की जमीन हो और चाहे सिवाय चक जमीन हो उनका सबका एक पूल बनाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े इकट्ठा करके अनुसूचित जाति के लोगों में जो भूमिहीन हैं उनमें उसका बंटवारा किया जाना चाहिये लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे और न आप कर सकते हैं। आपकी जमीन, जमीन वालों को मिलेगी, आपकी जमीन पैसे वालों को मिलेगी, आपकी जमीन साधन सम्पन्न लोगों को मिलेगी। गरीब और भूमिहीन लोगों को आपका सहारा नहीं मिलने वाला है। सभापति महोदय, इसी के साथ मैं इस विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रवृत्तियों के लिये भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट जो आदिम जाति की है, जो आयोग की रिपोर्ट है···

श्री भीखाभाई : आयोग थोड़ा ही है। कमिश्नर है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो इनकी समझ में बहुत जल्दी आया। इसमें भी राजस्थान के सम्बन्ध में कई ऐतराज हैं। चाहे नौकरियों के सम्बन्ध में हों, चाहे छुआछूत के सम्बन्ध में हो। यह छुआछूत भी सभापति महोदय, नौकरियों में मैं मानता हूँ बहुत कम हो गई है लेकिन देहातों में आज भी हालत खराब है। आज दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में क्या हो रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि यह तो मंत्रियों की कम संख्या है, इसलिये भीखाभाई जी को आगे बैठने का अवसर मिला है, वर्ना तीसरी लाइन में होते। मुझे अखबारों में पढ़कर शर्म आई कि भीखाभाई जी ने किसी सीनियर मंत्री के जूतों के फीते बांधे।

श्री भीखाभाई : यह तो शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों का कैरेक्टर हो सकता है, आदिबासियों का नहीं। आदिवासी तो मर जायेगा लेकिन झुकेगा नहीं। आप स्वतन्त्र पार्टी के लीडर हैं, आप केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये ही बोलते हैं, आप आदिवासियों के बारे में तो बोलते ही नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : झुकेगा तो वह जो बड़ा होगा, आप तो छोटे से हैं, आप तो पहले ही झुके हुए हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने अखबारों में पढ़ा था, खुदने नहीं देखा। मैंने तो अखबारों में पढ़ा था कि किसी सीनियर मंत्री के जूतों के फीते बांधे।

श्री रतनलाल रोत : आपको रिपोर्ट पर ही बोलना चाहिये और मंत्री जी, जो कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री लादूराम बुलानिया (फागी) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन आदिवासी नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने ये शब्द वापिस लें, ये असन्सदीय हैं और इनको शोभा नहीं देते। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में कोई अन्तर नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि सारे लोगों के अन्दर कोई अन्तर नहीं है। आपको अपने मन में यह शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और हिन्दू इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिये।

श्री भीखाभाई : यदि आपको बुरा लगा है तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में, जहां तक गरीबी का सवाल है, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही गरीब हैं। परन्तु जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स को समाज के बीच रहना पड़ता है वहां आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं और उनके कैरेक्टर में फर्क है। आदिवासियों में फाइटिंग मूड रहता है और आप क्योंकि स्वतन्त्र पार्टी के नेता हैं, इसलिये मैंने निवेदन किया कि आप दोनों के बारे में बोलें।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप मेरा भाषण उठा कर देखें तो मैंने दोनों के बारे में बोला है।

श्री भीखाभाई : एक शब्द भी आप आदिवासियों के बारे में नहीं बोले।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह भी कहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये अलग डिपार्टमेंट होना चाहिये।

श्री भीखाभाई : कई स्टेट्स में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, परन्तु यह डिपार्टमेंट एक कॉन्स्टीट्यूशनल चीज है। राजस्थान के अन्दर आदिवासियों की इतनी संख्या नहीं है, परन्तु महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, जहां आदिवासियों की काफी संख्या है, वहां अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इससे फन्ड्स ज्यादा मिलते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये जो फंड्स होते हैं, उनमें उनका कोई हिस्सा नहीं रहता है।

श्री अमृतलाल यादव (राजसमन्द) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को तो अधिकार है कि कुछ ज्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार हैं, इसलिये आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिये, और आपको कोई ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिये जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में फर्क पैदा करे। मुझे दर्द है कि आपने कैरेक्टर के बारे में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच तुलना की जिस पर लादूराम जी को जोश आया जो स्वाभाविक है। आप आयन्दा ध्यान रखें।

श्री सभापति : आपने जो कुछ कहा, उसका समाधान इन्होंने पहले ही कर दिया।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसके लिये मैंने कहा। मैंने तो कैरेक्टरिस्टिक की बात कही थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ स्पेशल छात्रवृत्ति के बारे में स्पेशल छात्रवृत्ति में इस तरह का प्रावधान है कि जो लड़के / लड़कियां 55 प्रतिशत मार्क्स लावें उनको ही स्पेशल छात्रवृत्ति मिलती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रावधान ठीक नहीं है। जो विद्यार्थी पास हो जाये, चाहे वह थर्ड क्लास में ही पास हो जाये, उसको स्पेशल छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। तो फिर यह किस तरह का प्रावधान है ? यह किस तरह की प्रक्रिया है ? हर साल और हर बार 55 प्रतिशत कोई कैसे ला सकता है ? एक बार यदि कोई 55 प्रतिशत ले आता है और आप उसको वनस्थली में या बीकानेर में स्पेशल छात्रवृत्ति दे देते हैं, फिर एक साल के बाद यदि वह 55 प्रतिशत न ला पावे, तो आप उसकी छात्रवृत्ति बन्द कर देते हैं। इससे आपने जो एक साल के अन्दर उस पर पांच हजार खर्चा किया वह भी बेकार गया और उस लड़के या लड़की की एक साल की पढ़ाई भी बेकार गई। तो आपको ऐसा करना चाहिये कि एकबार जो विद्यार्थी 55 प्रतिशत मार्क्स ले आवें और उसको आप छात्र वृत्ति ग्रांट कर दें, तो जब तक उस विद्यार्थी-की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाये तब तक उसको छात्रवृत्ति मिलती रहनी चाहिये चाहे वह 55 प्रतिशत से कम मार्क्स ही लावे। हर साल 55 प्रतिशत लाने का प्रावधान नहीं होना चाहिये। हर साल 55 प्रतिशत मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े से बड़े घराने के लड़के भी लगातार हर साल 55 प्रतिशत मार्क्स नहीं ला सकते। इसलिए यह प्रावधान आपको हटा देना चाहिये। दो साल आपने किसी लड़के को सेन्ट जेवियर्स में पढ़ाया और बाद में उसकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी क्योंकि वह दूसरे साल 55 प्रतिशत नहीं ला सका तो इससे आपने जो दो साल में उसके ऊपर पांच दस हजार खर्च किये वे भी बेकार गये और उस बच्चे की दो साल की पढ़ाई भी बेकार गई। तो इसमें आपको संशोधन करना चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूँगा। आपने पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं को आदेश दे रखे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के लिए 25 प्रतिशत भू-खण्ड रिजर्व किये जायें और उनको एक रुपये में ही पट्टा दिया जाये। लेकिन आप इसके आंकड़े मंगा कर देख लें तो किसी पंचायत समिति और किसी भी नगरपालिका में उनको भू-खण्डों पर कब्जा नहीं दिया गया। तीन पीढ़ियों से जो काबिज हैं, मकान के मालिक हैं, जागीरदारों के राज से काबिज हैं, उनको भी आप पट्टा नहीं दे पा रहे हैं, यह किस तरह की व्यवस्था है ? आप चाहते हैं कि 40 साल का कब्जा होना चाहिए। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई केस हो तो आप देखिये कि 40 साल का तो बहुत बड़ा टाइम होता है इसमें 10-12 साल का ही पीरियड आप रखें और उसमें भी यह रखें कि वोटर्स लिस्ट में जिसका नाम है और जो वोटर्स लिस्ट की कापी पेश कर दे उसी आधार पर उसको प्रमाणित मानकर उसको पट्टा दे दिया जाना चाहिए। यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था होने से ही उनको कुछ मदद मिल सकती है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आपने पंचायतों में भी कहा है कि इस तरह से आवासीय भू-खण्डों की कमी है और लोगों के प्रार्थना-पत्र हैं तो तहसीलदार की मार्फत, जिलाधीश की मार्फत इस तरह की जमीन एलॉट करवा कर इन लोगों को दी जानी चाहिए लेकिन आपके आदेशों को मैंने पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पढ़ा और बारबार मीटिंगों में कहा लेकिन उसका कोई असर नहीं है। एक भी भू-खण्ड टोंक डिस्ट्रिक्ट में आपके आदेशों के बावजूद उन लोगों को नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी कोई आवासीय समस्या ही नहीं है? क्या यह माना जाय? और अगर आवासीय समस्या है तो इसमें कुछ न कुछ गलती है और चाहे वह गलती पंचायत की हो, पंचायत समिति की हो, चाहे जिलाधीश की हो या तहसीलदार की हो। इस तरह के आदेश निकाल देते हैं और उनकी पालना नहीं होती है। आप समाज कल्याण अधिकारियों को पाबन्द कीजिए कि वे जिला परिषदों और पंचायत समितियों की मीटिंगों में जायें और वहां वे पूछें कि इस तरह का आदेश आया था और उसके लिए कितने लोगों की एप्लीकेशन्स आई, उनको कितनी जमीन मिली, क्यों नहीं मिली, कहां रुकी हुई है—इस तरह की जानकारी कीजिए तो ही इससे कुछ फायदा हो सकता है...

श्री विजयसिंह (मकराना): इनको टाइम नहीं है मनोविनोद में लगे हुए हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि छूआ-छूत के मामले में मैंने गयी बार प्रश्न उठाया था और सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिये हुए हैं वे संतोषप्रद नहीं हैं। जितने भी छूआ-छूत के मामले हैं उनके लिए कानूनी प्रावधान रखा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपके उत्तर में यह जानना चाहूंगा कि कितने मुकदमें हर डिस्ट्रिक्ट में छूआछूत के संबंध में दर्ज हुए, कितने मुकदमों का फैसला हुआ, कितनों को कानूनी सहायता दी? इसी के सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपकी पब्लिसिटी बहुत कम है। पहले समाज कल्याण विभाग की तरफ से पब्लिसिटी अच्छी हुआ करती थी लेकिन पांच-सात सालों से पब्लिसिटी कम हो गई है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पब्लिसिटी भी आपका कार्यकलाप है उसको जानने का माध्यम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छूआ-छूत के सम्बन्ध में और नौकरियों के सम्बन्ध में 28 प्रतिशत रखा जाय और छूआ-छूत एक अपराध है इस तरह के बड़े पोस्टर काचों में मंढवाकर जिस तरह से सिनेमाओं के पोस्टर लगे हुए हैं ऐसे ही हर स्टेशन पर, तहसील हैडक्वार्टर पर, हर स्कूल में इस तरह के स्थाई पोस्टर लगायें जिससे आपकी पब्लिसिटी हो।

इसी के साथ साथ माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जयनारायण सालोदिया: यह सेशन तो 12 बजे तक चलेगा।

श्री सभापति: आपने बहुत समय ले लिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : लेकिन यह 12 बजे तक चलेगा।

श्री सभापति : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं तो अभी बहुत बोलूंगा। रात के 12 बजे तक चलेगा।

श्री विजयसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि आप मंत्री महोदय के 12 बजा कर रहेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो माननीय सभापति महोदय, यह भी मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह के पोस्टर लगवाये जायें और सिनेमा स्लाइड्स चलवाई जायें।

मैं इसी के साथ साथ कुछ उदाहरण देना चाहता था लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप से आदेश मिला है कि जल्दी किया जाय। आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छूआ-छूत का मामला था। कोई को-आॅपरेटिव इन्सपेक्टर था उसने छूआ-छूत की, रिपोर्ट मांगी और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की और वह मारे मारे फिरे। पंचायत समिति का रेज्योल्यूशन भी आया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हरमाड़ा थाने का किस्सा है जो कि मैंने गयी बार रखा था।

माननीय सभापति महोदय, छूआ-छूत के सम्बन्ध में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जयपुर जिले में गये दो माह में छूआ-छूत को लेकर एक समाज विशेष और सवर्ण जाति के लोगों में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। जयपुर जिले के 25-30 गांवों में एक दूसरे के साथ मार पीट हुई है, आगजनी हुई है, लूटपीट हुई है, उनको जमीनों से बेदखल किया गया है, उनको मारा पीटा गया है, लूटा गया है, उनको गांवों से निकाला गया है। इस तरह की घटना जयपुर जिले में हुई है लेकिन आपके डिपार्टमेंट की तरफ से या मन्त्री महोदय की तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं निकला और न सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य निकला है। आपके डिपार्टमेंट को तो शायद जानकारी भी नहीं है, फिर यह डिपार्टमेंट किस मतलब का है? आपका डिपार्टमेंट और आप क्या करते हैं? जब जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक समाज के लोगों को बेगार देने के लिए मजबूर किया जाये और नहीं देने पर उनको मारा जाये, पीटा जाये, उनके हरे खेत काट दिये जायें, उनके घरों में आग लगा दी जाये, उनको जमीनों से बेदखल कर दिया जाये, 15-15 दिनों तक गांवों में नहीं निकलने दिया जाये, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करने दी जाये-इस तरह की स्थिति हो और फिर समाज कल्याण विभाग सोता रहे तो उस डिपार्टमेंट के रहने से क्या फायदा है? मैं नामजद निवेदन करना चाहता हूं कि बस्सी तहसील में अलोवा गांव में एक काण्ड हुआ। एक विशेष जाति के लोग जो कि रैगर जाति के हैं उनके साथ दो महीनों से जयपुर डिस्ट्रिक्ट, में टोंक डिस्ट्रिक्ट में और अन्य जगहों पर कम से कम सौ गांवों में ऐसी स्थिति है कि उनका जीवन असुरक्षित है, उनको सामान नहीं मिलता है, उनको कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, उनके जानवरों को जंगल में चरने नहीं दिया जाता है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनके मकानों में आग लगा दी गयी है, उनको बेदखल कर दिया गया है और पुलिस कोई मदद

(श्री जयनारायण सालोदिया)
नहीं करती है, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, उनके हाथ पैर टूटे पड़े हैं लेकिन यह समाज कल्याण विभाग और मुख्य मन्त्री श्री बरकतुल्ला खां और उनकी समाजवादी नीतियों को चैलेन्ज है। उनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि एक तरफ तो घोषणा करते हैं कि हम दलितों का उत्थान करेंगे और वह समाजवादी बातें करते हैं और दूसरी तरफ मुगलशाही तरीके लोगों ने अपना रखे हैं। सरकार चुप बैठी है और समाज कल्याण मन्त्री ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया। यह डिपार्टमैंट क्या करता है? क्या आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई? मैंने देखा है जितने गांवों में काण्ड हुआ है सब लोगों ने रजिस्ट्री से एप्लीकेशन भेजी है लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात और शर्म की बात और मुख्य मन्त्री जी के लिए नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, कई गांवों में तो इस तरह के तजुर्बे हुए हैं कि उनकी बहन बेटियों के साथ बुरा सलूक किया गया, उनके बीस बीस आम के पेड़ों को काट लिया गया, उनके जानवर छीन लिये, कपड़े छीन लिए और उनके घरों में आग लगा दी। यह सरकार है या क्या चीज है कि जो उनकी कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर वे भी राजस्थान के नागरिक हैं और उनको क्या तकलीफ है, समाज कल्याण विभाग आपकी मदद करेगा, सरकार आपकी मदद करेगी–इस तरह की बात करना तो दूर रहा लेकिन वह एप्लीकेशन्स लेकर आये और आप उसको रद्दी की टोकरी में डाल दें, कलेक्टर के पास जाते हैं उनको धक्के देकर निकाला जाता है एस. पी. के पास जायें तो धक्का देकर निकाल देते हैं, डॉक्टर के पास जावें तो धक्का देकर निकाल देते हैं, तहसीलदार के पास जावें तो धक्का देकर निकाल देते हैं। आप से मिलना मुश्किल है। साधारण लोगों का आप से मिलना मुश्किल है। आपके पास वजरिये रजिस्टर्ड पत्र भेजते हैं तो आप उनको पहुंच की सूचना भी नहीं देते हैं। इससे ज्यादा घोर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उनके साथ क्या हो सकता है?

मैं माननीय सभापति जी इसके साथ ही थोड़े समय में कुछ बातें.......

श्री सभापति : कितने समय में?

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत थोड़े समय में।

श्री सभापति : आप कृपया करके जल्दी समाप्त करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने हमेशा आपको आज्ञा का पालन किया है लेकिन यह आपकी जानकारी में है कि यह लास्ट सैशन है और आगे का न आपको पता है और मेरा मेरे को पता है। तो मुझे इस भावना के साथ में थोड़ा समय दें।

श्री सभापति : इसीलिये तो सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी सरकार के आदेश अनुसूचित जाति और जन जाति के फेवर के निकले हैं उनका संकलन आप द्वारा किया जाना चाहिए।

(श्री जयनारामण सालोदिया)
कोई एक छोटा मोटा संकलन आपने किया है। हिन्दी, अंग्रेजी के पांच, दो आदेश उसमें संकलित हैं। यह छोटी सी किताब है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश जिसमें मुख्य मन्त्री जी की ओर से आदेश हों, मन्त्रीमण्डल के निर्णय हों, मुख्य सचिव द्वारा और समाज कल्याण मन्त्री के द्वारा आदेश प्रसारित किये गये हों उनका आप संकलन करिये और वह भी सरल भाषा में करिये। किताबें निकलतीं हैं लेकिन उनको कौन पढ़ेगा। जो अंग्रेजी में किताब है उसको कितने लोग पढेंगे? कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? इस तरह की किताबों में समाज कल्याण विभाग का पैसा खर्च हो और वे उपयोग में न आवें तो ऐसी किताबों से कोई फायदा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय भूतपूर्व समाज कल्याण मन्त्री जी विराज रहे हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा था कि हिन्दी हो रही है। वह किताब को हिन्दी हो रही है या मन्त्री जी की हिन्दी हो रही है, यह मुझे जानकारी नहीं है लेकिन यह हिन्दी....

श्री सभापति : रिपोर्ट की हिन्दी हो रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह हिन्दी में सारे आदेशों को संकलित कर सरल भाषा में जिसको कि हर आदमी पढ़ सके और जो उसके फेवर के आदेश, निर्णय हों वे उसमें होने चाहियें ताकि वह सम्बन्धित अधिकारी को, कलेक्टर को कह सकें, एस. पी. को कह सके, तहसीलदार को कह सके। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस तरह की किताबें निकलेंगी जो हिन्दी में हों और उसका पूरा उपयोग हो सके।

मैं अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने बोर्ड बना रखे हैं। जिलों में बोर्ड हैं समाज कल्याण बोर्ड है। प्रान्त में दो दो बोर्ड हैं लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी बोर्ड का सदस्य हूं जिले के बोर्ड का और प्रान्त के बोर्ड का भी सदस्य हूं, इन बोर्डों ने जो जो सिफारिशें सरकार को की हैं आज तक सरकार की ओर से उन पर कोई ठोस उत्तर नहीं आया है। सरकार की ओर से कोई कार्यवाही उन सिफारिशों पर नहीं की गई है। जिलों के बोर्ड तो ऐसे हैं कि उनकी बैठकें नहीं होती हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि समाज कल्याण बोर्ड के जिलों में जितने बोर्ड हैं उनकी आज तक कितनी बैठकें हुई हैं? क्या उनकी प्रोसिडिंग्स आपके पास में आती हैं और क्या उनको आपके अधिकारी पढ़ते हैं और जो सुझाव उनके द्वारा दिये गये हैं क्या उन पर आपके द्वारा कार्यवाही की गई है? मेरी जहां तक जानकारी है, मैं भी जिला समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य हूं, इन बोर्डों ने जितनी सिफारिशें करके भेजी हैं, निर्णय करके भेजे हैं आज तक सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया है, कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है यह जानकारी नहीं दी गई है। यही हाल प्रान्तीय बोर्ड का है। उसकी सिफारिशों पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उनको सिफारिशों का भी कोई नतीजा नहीं है। सरकार का क्या इरादा है यह भी पता नहीं चलता है। अगर डिक्टेटरशिप का इरादा है तो फिर क्यों सरकार का पैसा खर्च किया जाता है इस तरह के बोर्ड को बनाने पर? अगर सरकार इनकी जरूरत महसूस नहीं करती है तो बन्द कर देना चाहिये और जरूरत

(श्री जयनारायण सालोदिया)
महसूस करती है तो इनको एक्टिव बनाया जाना चाहिये और जो सिफारिशें वे करते हैं उनमें से दस, बीस प्रतिशत सरकार को माननी चाहिये।

एक और निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, और वह है शराब बन्दी के बारे में। हरिजन, अनुसूचित जाति और आदिम जाति के अन्दर सबसे बुरा व्यसन है तो शराब का। यह मैं मानता हूं कि समाज कल्याण विभाग करोड़ों रुपया इनके उत्थान के लिये खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ शराब की दुकानें लगाकर इन हरिजन आदिवासियों की कमाई, मजदूरी को इस व्यसन के जरिये खर्च करवा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस समाज कल्याण विभाग को तोड़कर इससे जो भी पैसा बचता है वह शराब बन्दी में लगाया जाना चाहिये ताकि इन जातियों में सुधार हो। शराब ही ऐसी चीज है जिसको अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हरिजन लोग ज्यादा पीते हैं और इस लिये पीते हैं कि वे अशिक्षित हैं या पहले से ही उनको इसका व्यसन है। एक तरफ हम उनके उत्थान पर पैसा खर्च करते हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकानें बढ़ा रहे हैं ताकि उनको सरलता से, आसानी से शराब मिल सके। इसका जवाब मैं मन्त्री महोदय से चाहता हूं। आज हाल यह है कि आप सड़क पर चले जाइये, सड़क के पांच पांच कदम पर आपको शराब की दुकानें मिल जायेंगी, स्कूल के पास, मोटर स्टेण्ड के पास आपको शराब की दुकानें मिलेंगी, गरीबों की बस्तियों में शराब की दुकानें मिलेंगी। क्या यही सरकार की नीति है। एक हाथ से उनकी मदद करते हैं दूसरे हाथ से उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इस तरह से दो तरह की नीति नहीं होनी चाहिये। शराब बन्दी की तरफ भी समाज कल्याण विभाग को कुछ ध्यान देना चाहिये। यह भी उसका फंक्शन होना चाहिये। शराब बंदी उसकी ड्यूटी हो। समाज कल्याण मन्त्री को इस पर प्रेस करना चाहिये और कहना चाहिये कि यदि समाज में अनुसूचित जाति और जन जाति का अगर उत्थान करना है तो शराब उसमें बड़ी बाधक है। पहले इसको रोकना चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरी बातों की ओर ध्यान देगी।

श्री सभापति : श्री जसराज।

श्री मुकुटबिहारीलाल : इनके बाद ?

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

माननीय सदस्य आप समय का ध्यान रखिए आपके दल की तरफ से 15 सदस्य बोलने वाले हैं। जिस प्रकार श्री सालोदिया ने एक घन्टा ले लिया आपने लिया तो कई माननीय सदस्य रह जायेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल : कोई सीमा रख दीजिये, पांच मिनिट, दस मिनट वैसे ये स्वयं समझदार हैं।

श्री जसराज (भिनाय) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर जो कि वर्ष 1968-69 की है इस सदन में विचार किया जा रहा है, बहस की जा रही

(श्री जसराज)

है। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक हम यहां पर जो बहस कर रहे हैं, जो राय देंगे या निर्णय लेंगे, उस राय के बाद क्या इसका कोई महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है अथवा नहीं होने वाला है। इस बाबत मैं थोड़ा सा इस रिपोर्ट का एक हवाला देकर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें राज्यपाल महोदय के द्वारा, इस संविधान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करनी होती है परन्तु राज्य-पाल महोदय ने भी 66-67 की रिपोर्ट अलबत्ता जरूर केन्द्रीय सरकार को भेजी है परन्तु उसके बाद 67-68 और 68-69 की रिपोर्ट का जहां तक सवाल है वह रिपोर्ट राज्य सरकार ने अभी तक नहीं भेजी है। अगर राज्यपालजी अपने यहां के जो भी कुछ कार्यकलाप हैं, कितनी प्रगति हुई है, किस प्रकार की कार्यवाही हम करने जा रहे हैं, हमारा किस प्रकार का आर्थिक प्रोग्राम है अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण के लिये, उसकी रिपोर्ट अगर राज्यपाल महोदय केन्द्रीय सरकार को समय पर नहीं भेज सकें तो मैं सोचता हूं कि आज यहां पर कोई निर्णय करें, राय करें तो उस राय, निर्णय का क्या होने वाला है इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है। साथ ही यह सोचते हैं कि आज समाज कल्याण मंत्रीजी क्या अपने आपको इतना सक्षम प्रतीत करते हैं कि जो कुछ ये निर्णय लेते हैं उन निर्णयों का परिपालन होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार से कुछ कमेटियां बनी हुई हैं चाहे जिला स्तर की अथवा राज्य स्तर की परामर्शदात्री समितियां हैं वे हर प्रकार की मीटिंग्स करती हैं और अपनी राय देती हैं, परन्तु उस राय का मैं सोचता हूं जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी राय फाइल में जरूर डाल देते हैं परन्तु किसी प्रकार की जो परिपालना होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। इनका विभाग भी कुछ लिख दे पर उस विभाग का कुछ असर होता हो यह मेरी समझ में कम आता है। मैं सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इनका जो विभाग है उस विभाग में जो 28 पर्सेन्ट का निर्णय है वह वहां की सारी श्रेणियों में--तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, प्रथम और तृतीय श्रेणी में उसकी परिपालना की अथवा नहीं की। जहां तक मेरी जानकारी है 28 पर्सेन्ट का कोटा इसने पूरा नहीं किया है। अगर इनका विभाग ही उसको पूरा नहीं करता है तो मैं सोचता हूं कि वही बात हुई कि खुद तो कुछ काम न करें और दूसरों को आदेश दें, तो यह कैसे हो सकता है यह मेरी समझ में कम आता है। सभापति महोदय, इसके दो मतलब निकलते हैं कि या तो मंत्री महोदय सक्षम नहीं हैं कि अपने विभाग में जितनी पूर्ति 28 पर्सेन्ट की होनी चाहिए वह नहीं कर पाये हैं अथवा विभाग के कर्मचारी आपके आदेशों को अवहेलना करते हैं, राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं। इसलिए यही कारण है कि हम यह देखते हैं कि विगत 23 वर्षों के इतिहास में एक नहीं अनेकों आदेश निकले हैं और उन अनेकों आदेशों को परिपालना कितनी मंत्री महोदय करा पाये हैं अथवा भूतपूर्व मंत्री करा पाये हैं यह सोचने का विषय है। इसलिये कभी कभी इस प्रकार की हमारे मनमें शंका सी होती है

(श्री जसराज)

कि यह केवल मखौल है अथवा केवल झूंठा आश्वासन है अथवा केवल हमारे साथ में किसी प्रकार का कुछ विश्वास देते हैं और विश्वास को पूरा नहीं किया जाता है, आज 23 सालों के बाद भी हम ऐसा प्रतीत करते हैं। अभी मेरे से पूर्ववक्ता कह रहे थे कि यहां से कुछ दूरी पर, 23 मील की दूरी पर पलावा गांव का किस्सा सुना रहे थे। मुझे वहां स्वयं जाकर देखने का मौका मिला है। वहां पर एक पब्लिक मीटिंग होती है 5 तारीख को। जहां तक मेरा खयाल है पिछले महीने में या 5 सितम्बर को मीटिंग हुई थी। पब्लिक मीटिंग में इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है कि जो रैगर समाज है वह रैगर समाज बेगार नहीं कर रहे हैं, चमड़े का काम नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको मारा जाय, पीटा जाय। उसकी अध्यक्षता पंडित नंदलाल शर्मा कर रहे थे। एक पैम्फलेट इश्यू किया जाता है। उस पैम्पलेट में यह लिखा जाता है कि यह रैगर लोग पाकिस्तानी एजेन्ट हैं और पाकिस्तान के धन पर पल रहे हैं। इस प्रकार की भद्दी से भद्दी गाली समाज को एक कलेक्टिव रूप में दी जाय....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : ये नन्दलालजी शर्मा कौन हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): कहां के हैं।

श्री जसराज : मुझे पता नहीं कि ये नन्दलाल शर्मा कौन हैं। नंदलाल शर्मा ने पैम्फ्लेट इश्यू किये हैं। उन्होंने नवज्योति में एक स्टेटमैंट दिया है और पब्लिक मीटिंग की है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : किस की मीटिंग थी ?

श्री जसराज : काश्तकारों की मीटिंग में कहा है। पब्लिक मीटिंग में इस प्रकार की बात चीत की है। उसी मीटिंग के अनुसार उन्होंने....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वे राम-राज्य परिषद् की तरफ के हैं।

श्री जसराज : मैंने स्वयं ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने सारी हकीकत रखी। यही नहीं आई. जी. पी. के सामने रखी, तथा विभाग के अधिकारियों के सामने रखी, परन्तु ऐसे समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ भी अगर राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले सके तो मैं सोचता हूं कि हम यहां पर बात भी कर लेंगे तो उसके बाद भी होगा क्या, यह समझ में नहीं आता है।

9 तारीख को उन लोगों ने सामूहिक रूप से 3 हजार आदमियों ने पलावा गांव पर हमला किया चारों तरफ से घेरघार कर, और वहां पर पंडित नारायण एक हरिजन है उसने स्वयं ने कहा कि एक महीने का मौका दिया जाय हम आपकी व्यवस्था करेंगे कि चमड़े का काम कौन करेगा। रैगर समाज ने निर्णय ले लिया था। मैं सभापति महोदय, हमारी सामाजिक स्थिति पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हम हमारी रोटी को हम स्वयं कम कर रहे हैं। हमारे पेट की चिन्ता हमें स्वयं को होना चाहिए। हम हमारा काम छोड़ रहे हैं। उसका कारण है कि हम हमारी सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जिस व्यवस्था के द्वारा हम

(श्री जसराज)

नीच कहे जायं, जिस कार्य के करने से समाज हमें हेय समझे चाहे वह ढाण्ढे उठाने का कार्य हो अथवा चमड़े का कार्य हो। तो हमारे समाज के विचारकों ने तय किया है कि हम इस व्यवस्था को तोड़ेंगे। हम भी इन्सान हैं और इन्सानों की तरह जीना चाहते हैं और इन्सान की तरह से रहना चाहते हैं। इसलिए इसी दृष्टिकोण को लेकर सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के दृष्टिकोण से चूंकि समाज हमें इस प्रकार के कार्य करने के कारण नीच समझता है तो इस कार्य को बन्द किया जाय। तीन हजार आदमियों ने मिल कर उस गांव पर हमला किया और हमला करने के बाद उसमें आग लगा दी। मैंने स्वयं ने देखा है कि दो मकान जले हुए थे। लोगों के सामान को बाहर फेंक दिया, लोगों को जानवरों की तरह से मारा है। उन लोगों का सामान लोग ले गये। उनके जूते ले गये। उनके रेडियो आदि चोरी कर ले गये। उसके बाद लोग शिकायत करते हैं और बावजूद इसके कि वे लोग यह कहने को तैयार हैं कि जूते हमारे फलां आदमी के पास उसके घर में पड़े हुए हैं, राज्य सरकार ने उनके माल की वसूली की कार्यवाही नहीं की। मैं यह स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने कुछ मदद जरूर की, पुलिस की व्यवस्था की और जो आतंक था उसमें कमी लाने की व्यवस्था की, और वहां के लोगों ने जागरुक होकर निर्णय ले लिया है कि या तो मरेंगे या समाज की व्यवस्था को बदलेंगे। एक दफा तो निश्चित मरना है तो फिर क्यों न स्वाभिमान के साथ जिन्दा रहें। इस प्रकार का निर्णय लिया।

मैं, सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकार से 10 हजार आदमियों ने जयपुर में एक जलूस निकाला, पब्लिक मीटिंग की। पब्लिक मीटिंग के बाद उस पब्लिक मीटिंग में मुख्य मंत्रीजी मौजूद थे, शिक्षा मंत्रीजी मौजूद थे उन्होंने तकरीर की और सुरक्षा के लिए भी कहा था। कुछ सुरक्षा के लिए हुआ, पर इस प्रकार के जो बदमाश थे उनके खिलाफ खास तौर से पंडित नन्दलाल शर्मा ने पब्लिक मीटिंग में इस प्रकार की बातचीत की अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कार्यवाही कोई नहीं की गई। जहां तक मुझे पता लगा है उसने इस प्रकार की धमकी दी थी कि अगर मेरे खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आत्मघात कर लूंगा। मुझे पता नहीं कि उसकी आत्मघात की धमकी से डरकर सरकार ने उसको गिरफ्तार नहीं किया अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं की।

यह तो एक घटना है। इस तरह की घटनाएं रोजमर्रा हमारे सामने हो रही हैं। पास में खातीपुरा गांव है उसमें दो औरतों पर, इसी सिलसिले में मैं बता रहा हूं, हमला किया जाता है और उनको घायल किया जाता है और यही नहीं, घायल करने के बाद इस पास वाले गांव के अस्पताल में जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने एक्स-रे रिपोर्ट नहीं दी। एक्स-रे के लिए ट्रक नहीं दिया। हमारे पास पैसा नहीं है। इतना पैसा नहीं है कि जयपुर के

(श्री जसराज)
अस्पताल में भर्ती करायें। अगर हम करायें तो सरकार का दायित्व क्या है? समाज कल्याण विभाग क्या है? हमें कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कुछ कदम उठाये हैं या नहीं? यह तो मन्त्री महोदय बतायें। हमारे साथ आज जो रिजर्वेशन है। शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के कुछ लोग रिजर्वेशन के आधार पर लोकसभा में हैं, और विधान सभाओं में हैं। दुर्भाग्य से लोग राज्य सभा में नहीं हैं। राज्य सभा में जगन्नाथ पहाड़िया को अवश्य एक बार भेजा गया है। इसके अलावा और आज तक कोई राज्य सभा में भेजा नहीं गया है। इसी तरह से पंचायत समितियों में रिजर्वेशन नहीं किया जाएगा तो जो हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वह नहीं पहुंचेगा। यहां तक कि हिन्दुस्तान की जो राज्य सभा है, उसमें 15, 13 और 5 सीटें पूरी की गई हैं।

धोबी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में एक महिला के चोट आने सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा

श्री भंरोंसिह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय,

मैं माननीय सदस्य से एक मिनट की माफी चाहूंगा।

सभापति महोदय, अभी विधान सभा के सामने जयपुर नगर के धोबियों को और उनके साथ अलवर के कुछ लोग मुख्य मन्त्री महोदय को अपना मांग पत्र पेश करना चाहते थे। विधान सभा के सामने आये तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। एक महिला कार्यकर्त्ता थी। पुलिस ने उनको मारा और उनके कपडे फाड़े। विधान सभा को इसका कान्गीजेन्स लेना चाहिये। जब कोई मांग लेकर आता है कोई डेपुटेशन मिलने के लिए आता है तो उससे मिलने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। वह व्यवस्था नहीं हुई है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में विधान सभा में कई बार विचार किया है। आये दिन जुलूस निकलते हैं। जुलूस में स्वभाविक ही है कि ज्यादा से ज्यादा जोर से लोग बोलने की कोशिश करेंगे और उस पर पुलिस लाठी चार्ज करेगी फिर क्या विधान सभा का महत्व रहेगा। क्या राज्य के लिए महत्व रहेगा। सरकार और मुख्य मंत्री से मिलने के लिए 11 बजे से वह घूम रहे हैं। उनको मुख्य मन्त्री के दर्शन नहीं हो रहे हैं। उन गरीबों की मांग सुनने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं है। तो कम से कम अध्यक्ष महोदय की ओर से यह जांच करायें या इन्क्वायरी करायें और यह परम्परा डाल दें कि विधान सभा के सामने अगर लाठी चार्ज होता है तो विधान सभा का कोई अधिकारी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उस पैनल के कोई भी महानुभाव जांच करें। यहां पर लाठी चार्ज करें तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। विधान सभा का एक अलग महत्व होता है। सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे। साथ में मैं सरकार से भी कहूंगा, मन्त्री महोदय जो भीखा भाई हैं····

एक माननीय सदस्य : ओंकारलाल जी बैठे हैं।

श्री भंरोंसिह : ये अगर शिड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये लाठियां जो भी चली हैं विधान सभा के सामने, मैं समझता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

शिड्यूल कास्ट के लोगों पर ही चली हैं। लेकिन इन पर कितनी चलती हैं, यह देखना है। उनसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने रखे प्रस्ताव के आधार पर सरकार के सामने उनको रखना चाहिये। मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज आपका अस्तित्व खतरे में पड़ता है। कोई आदमी जुलूस लेकर नहीं आ सकता है। यही सरकार के अधिकारियों से निवेदन करूंगा, ऐसी स्थिति आप बनाकर चलेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं निवेदन करूंगा कि विधान सभा के दो जिम्मेदार व्यक्तियों को या किन्हीं अधिकारियों से जांच कराने के आदेश दें ताकि जिनके चोट आई है उनकी जांच की जाये और भविष्य में विधान सभा के सामने कोई अन्याय नहीं हो सके। इसी आधार पर मेरा यह निवेदन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सभापति महोदय, यह अपने आप में बहुत ही गम्भीर मसला है। एक तरफ हम जनतन्त्र की दुहाई देते हैं। दूसरी तरफ की हालत यह है कि गुलामों वाली पुलिस डण्डे बरसाती है, गोली चलाती है। आज राजस्थान में जहां लॉलैसनेस है, उसके राजस्थान पुलिस के डण्डे नहीं उठ सकते हैं। राजस्थान पुलिस के डण्डे गरीब जनता पर ही चल सकते हैं। अपने बच्चों की बात सुनाने के लिए इस विधान सभा के समक्ष अपनी मांग को लेकर आते हैं। उनके ऊपर, उन निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी प्रहार किया जाये। यह अपने आप में बहुत ही अशोभनीय घटना है। हम विधान सभा में बैठकर बहस करते रहें। चर्चा करते रहें और वहां विधान सभा के प्रांगण में इस प्रकार का नंगा नृत्य होता है। जो पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे वही पुलिस इस प्रकार से डण्डे चलाये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वही लाड़ली पुलिस जो एक महिला पर डण्डे चलाये। उसको घायल कर दे। मैं निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा यह डण्डे, यह सही माने में माननीय मुख्य मन्त्री के सिर पर चले हैं। उनकी थोथी दलीलों पर चले हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : राजस्थान की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए राजस्थान में वह किस प्रकार का शासन चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, पेट की ज्वाला लाठी, गोली से नहीं बुझाई जा सकती है। लोग बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। भुखमरी है, बेरोजगारी है। इन चीजों का समाधान लाठी और गोली से नहीं हो सकता है। हमने बड़े बड़े शासनों को देखा है। लाठी और गोली के बल पर लोगों को मुंह बन्द करने की वह कल्पना करते हैं। वह दिन लद गये हैं। इस प्रकार के अन्याय का निराकरण होना ही चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप इसकी व्यवस्था करें। जैसा कि अभी माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा है, हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए। हमें इस पर

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

विचार करना चाहिये। यहां विधान सभा के प्रांगण पर लाठी चार्ज होता है। राजस्थान के जन प्रतिनिधियों की यह संस्था है। इसके सामने वह अपनी मांग लेकर आ रहे थे। इस विश्वास को लेकर आ रहे थे कि उनकी समस्या हल होगी। उसके बद में यह क्या हो रहा है? लाठी, डण्डे महिला के ऊपर, धोती फाड़ दी एक अबला की धोती फाड़ देना क्या पुलिस का कर्त्तव्य है। सभापति महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। यह तमाम कृत्य एक अमानवीय कृत्य है। मैं इसकी निन्दा करता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : अभी अभी जो आपके सामने.......

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज!

श्री रावतराम : श्री भैरोंसिह जी ने जैसा बताया और मुकुटबिहारीलाल जी ने जो बात कही, वह वास्तव में खेदजनक है.......

श्री लादूराम सुलानिया : जनता अपनी मांग को लेकर आये और उस पर पुलिस....

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज! माननीय सदस्य!

श्री लादूराम सुलानिया : मैं अधिक समय न लेकर दो तीन मिनिट में कहना चाहूंगा। विशेष बात यह है, धोबी जाति के लोग अपनी मांगों को लेकर आये हैं। उनकी मांग क्या है, इस बारे में विचार करने का काम सरकार का है। मैं जहां तक समझ पाया हूँ, उनकी एक मांग है—कपड़े धोने के घाटों का इन्तजाम किया जाय। वह कपड़े खुद के नहीं धोते हैं। अपने परिवार के नहीं धोते हैं। वह सारे समाज के कपड़े धोते हैं, उनको उजला करते हैं, उनकी सारी गन्दगी निकालते हैं। लेकिन आज वह अपनी मांग को लेकर इस विधान सभा के सामने आये, जो सबसे उच्च और सर्वमान्य स्थान है जन प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय देने का और यहां पर कानून बनाने की व्यवस्था है संवैधानिक तरीके से। उसके सामने वह आकर राज्य सरकार से मांग करें और कहें कि हमारी यह समस्या हल कर दें। यह मांग मानने के बजाय पुलिस द्वारा उन पर डण्डे बरसाये जायं, साड़ी फाड़ी जाय, लाठी मारी जाय, महिला की पिटाई की जाय—इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है। मैं विशेष तौर पर सभापति महोदय यह निवेदन कर रहा हूं, आज के दिन जिस दिन राजस्थान को जो कास्ट्स हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके आयोग की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं, यह दिन राजस्थान के हरिजनों की समस्याओं के बारे में बोलने का दिन है उस दिन जो लकड़हारे और धोबी हरिजन जाति में आते हैं, उनके साथ में अन्याय किया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा की सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया

(श्री लादूराम सुलानिया)

जाय कि पुलिस ने डण्डे क्यों चलाये, क्यों महिला के साथ अन्याय किया गया। जिनके लिए कहते हैं कि इनके साथ न्याय किया जाय उनके साथ में अन्याय किया जाय, तो मैं कहूंगा कि इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों जितने हरिजन सीटों से चुन कर आने वाले माननीय सदस्य हैं उनको चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में पुरजोर मांग रखें कि जिनके साथ में अन्याय हुआ है उनके साथ में न्याय हो। अभी हमारे सामने जो यह समस्या आई है, वह दर्द भरी है, दुःख दर्द भरी घटना है। औरतों की पिटाई की जाय। गांवों में खेतों पर गरीब लोगों की पिटाई करें, और मसलों पर अन्याय करें, छूआछूत के मामलों में पिटाई की जाय, उनके घरों को जलाया जाय—लेकिन सरकार उनको न्याय नहीं दे। मेरा निवेदन है कि आज विधान सभा के सामने जिन्होंने प्रदर्शन किया, उनको मारा और पीटा, ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेण्ड किया जाय, और सस्पेण्ड करके उनको गिरफ्तार करके उन पर 323 का मुकदमा चलाया जाय, 324 या 325, जो भी दफा लगे, वह उन पर लगाई जाय, और उन पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाय। उन्होंने किसी लोकल आॅथोरिटी मजिस्ट्रेट की इजाजत लेकर लाठी चार्ज नहीं किया है, अन्य किसी अधिकारी की इजाजत से नहीं किया है—इसलिए उनको तुरन्त सस्पेण्ड किया जाय। हमारी यह मांग है और अगर नहीं करेंगे तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री जसराज : सभापति महोदय....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो बाहर लाठी चार्ज हुआ है इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र में यह सामान्य प्रक्रिया है, लोगों को अधिकार है, राज्य सरकार के सामने, विधान सभा के सामने प्रदर्शन होते भी रहे हैं। वहां पर इस प्रकार से लाठी चार्ज हो तो निश्चित तौर से उसको किसी प्रकार से भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से कहूंगा कि इसके सम्बन्ध में आज ही वक्तव्य गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए कि क्या हुआ और जो भी इस बात के लिए दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रकार से हमेशा हर सदन के सामने प्रदर्शन होते रहे हैं, मन्त्री वहां जाकर उनसे नहीं मिले तो डेपूटेशन बुलाकर उनसे मिलते रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया, मंत्री को वहां जाने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए, डेपुटेशन को बुलाकर बात करने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए। उनकी जो मांग है, उनसे एग्री करें या न करें, उनको बुला कर उनसे मिलना एक सामान्य बात है। हम आम जनता के प्रतिनिधियों के रूप में चुनकर आये हैं वह हमसे मिलने के लिए आते हैं, विधान सभा के सामने आते हैं, वह गवर्नमेंट के सामने नहीं आते हैं। ऐसे ही हालत में गवर्नमेंट की तरफ से उन पर लाठी चार्ज करना विधान सभा का अपमान है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैं अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचा देता हूं, वह क्या करना चाहते हैं....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचाने का प्रश्न नहीं है। हमने सुना है रेडियो पर, अखबारों में पढ़ा है और भाषणों को पढ़ा है कि नई गवर्नमैंट बनी है, वह पुरानी परम्पराओं को तोड़ने और नई परम्पराओं को कायम करने जा रही है। बहुत जोर डाला था इस बात पर, लेकिन इसकी कथनी और करनी में भेद है। गरीब आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विधान सभा के सामने आयें तो उनकी डण्डों से पिटाई की जाय। यह आप नई परम्परा कायम करने जारहे हैं, नई परम्परा कायम करने की आपमें हिम्मत है। जो गरीब हैं उनसे मिलने की पहले के मुख्य मन्त्री हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान मुख्य मन्त्री या मन्त्रि-मण्डल के सदस्य हिम्मत करें, और उनके पास जायं और पुलिस ने जो गलती की है उसके लिए वह खेद प्रकट करें।

श्री सभापति : श्री जसराज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, सदन के बाहर गरीब आदमियों.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आप उपाध्यक्ष बनने वाले हैं। ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है। आपने व्यवस्था देना नहीं सीखा तो मैं निवेदन करूंगा.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमैंट की तरफ से कोई बोलें।

श्री नत्थीसिंह : गवर्नमैंट की तरफ के सदस्य बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मन्त्रीजी को सदन में आना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : यह मूक क्यों बैठे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लकड़हारे और धोबी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो और यह निकम्मी सरकार चुप बैठी रहे। विधान सभा में इस प्रश्न को रखा है लेकिन इस सरकार की ओर से उत्तर नहीं मिलता है और इस तरह से इसे टाल दिया जा रहा है। सभापति महोदय, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। विधान सभा में किसी बात को लाने के नियम हैं। नियम के तहत बात उठाई जा सकती है। मन में जब आवे तब नहीं उठाई जा सकती है।

श्री नत्थीसिंह : आपकी अनुमति से बोले हैं इसलिए नियमों में उठाई है।

श्री सभापति : मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री नत्थीसिंह : आपने बोलने कैसे दिया ?

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रदर्शनकारी न्यायोचित मांगों को लेकर आये हैं सरकार उन पर लाठीचार्ज करेगी इस चीज का हमें पता नहीं था। इस विचार का पता होता कि सरकार लाठीचार्ज करने वाली है तो हम दूसरी व्यवस्था करते। यह अचानक लाठीचार्ज किया गया विधानसभा

Page No 79

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के सामने, हम इस घटना को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए इस प्रश्न को हाउस में रखा है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार उत्तर किस समय देगी। चाहिए तो यह था कि मुख्य मन्त्री को यहां आना चाहिए था। मुख्य मन्त्री चेम्बर में बैठे हैं क्योंकि बीमार हैं। बीमार मुख्य मन्त्री जो है वह इस्तीफा दे दें। ऐसा मुख्य मन्त्री नहीं चाहिए जो सदन में नहीं बैठे, ऐशो आराम करे, बीमारी के कारण सदन में नहीं आ सके। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री या मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य इस सम्बन्ध में आश्वासन दे कि तीन बजे या चार बजे तक इस पर वक्तव्य देंगे और जिन पुलिस कर्मचारियों ने, जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इस प्रकार की बात का मन्त्रिमण्डल की ओर से या सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिया जायगा तो यह सदन संतुष्ट नहीं होगा। यह बहुत बड़ी घटना घटी है। यह सदन का अपमान है। इसलिए आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं आप पवित्र आसन पर बैठे हैं, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही आपको इस पर निर्णय देना चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : हाउस के बाहर सहनशील प्रदर्शनकारी.......

श्री सभापति : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : नियमानुकूल अपनी मांग रख रहे थे, नारे लगा रहे थे, वह हाउस में नहीं घुस रहे थे। इस हाउस में जो घुसे थे, जो व्यक्ति घुसे थे, नौजवान घुसे थे तब आपने कुछ नहीं किया। इस हाउस में पर्चे फेंके थे तब भी आपने उनको क्षमा कर दिया। वह हाउस में घुसने की चेष्टा नहीं कर रहे थे। शांति के साथ, सभ्य तरीके से अपनी मांग रख रहे थे। मैं अकाउन्ट्स ब्रांच में बैठा हुआ देख रहा था। उन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, पचास आदमियों को गाय-भैंसों की तरह भी जिसे नहीं मारा जा सकता, उस तरह मारा। ऐसा दुश्शासन, जालिम अधिकारी कौनसा था, किसके आदेश से लाठी चार्ज किया। एक महिला कार्यकर्त्री की एक पसली, मुझे पूर्ण विश्वास है, टूटी है, उसकी धोती फाड़ दी गई। शर्म आनी चाहिए। दुश्शासन की गवर्नमैंट है, इस दुश्शासन को समाप्त कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में आश्वासन हमें मिलना चाहिए जांच का, यहां पर कौनसी पुलिस है, होम गार्ड्स की पुलिस मंगाई गई.......

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : प्रदर्शनकारी सहनशील हैं, उनकी सुरक्षा की गारन्टी सरकार दे। उन्होंने कोई असहनशीलता नहीं की है, इस हाउस में घुसने की चेष्टा नहीं की है.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! मेरा आपसे निवेदन है कि विधान सभा के नियमों के अनुसार आप घटना की सूचना दे दीजियेगा। विधान सभा के नियमों के अनुसार उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री जसराज !

श्री लादूराम सुलानिया : जहां तक आपने नियमों का हवाला दिया है उसके सम्बन्ध में आपको पूर्ण विश्वास के साथ निवेदन करना चाहूंगा, जो मसला विधान सभा में उठाया जाता है वह नियमों के अनुसार उठाया जाता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं. इस घटना के निर्णय होने पर ही विधान सभा हम चलने देंगे।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मेरा भी इसके बारे में निवेदन है....

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय. आज जो विधान सभा के बाहर घटना घटी है उसके बारे में मैं भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार का हरिजनों के साथ, गरीब धोबियों के साथ कैसा व्यवहार है। इतने माननीय सदस्यों ने आपसे निवेदन किया है उसके साथ मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में आप व्यवस्था दें और जब तक आप इसके बारे में व्यवस्था नहीं देंगे हम तब तक सदन की दूसरी कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको यह मालूम है कि विधान सभा के अन्दर जो भी कार्यवाही होती है इसके लिये नियम बने हुए हैं आप उसी के अनुसार कार्यवाही करें तो ठीक रहेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, आपने जो नियमों के तहत कार्यवाही करने का कहा वो ठीक है लेकिन कई मसले बहुत जरूरी होते हैं उनमें आपको व्यवस्था करना चाहिये। लोग हजारों की तादाद में अपनी वाजिब मांगों को लेकर विधान सभा के सामने राज्य सरकार के पास आये हैं और राज्य सरकार के पुलिस विभाग ने उन पर लाठीचार्ज किया लोगों के चोटें आयी हैं। लोगों को डन्डों से पीटा गया है और आप उनके बारे में कुछ नहीं व्यवस्था कर रहे हैं इस प्रकार डेमोक्रेसी और जनतन्त्र का गला घोटा जा रहा है। लोगों को निर्दयता से पीटा गया है और यहां मन्त्रिमण्डल के नेता दिखायी नहीं दे रहे हैं। मैं आपके मारफत निवेदन राज्य सरकार से करूंगा कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें जो कि इसके लिये दोषी हैं....

श्री सभापति : माननीय श्री इन्दलियाजी स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही कह दिया कि नियमों के अन्तर्गत आप कोई नोटिस दें तो उस पर कार्यवाही होगी।

श्री शंकरलाल (नसीराबाद) : सभापति महोदय, जब आसन के द्वारा इस पर बहस करने के आदेश हुए तो इस पर बहस होनी चाहिये और आज चूंकि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है तो उस प्रसंग में इसे भी जोड़ कर ये माननीय सदस्य बोल रहे हैं और जब यह बोल रहे हैं तो उस पर कोई निश्चित कार्यवाही तो होनी चाहिये। आप ऐसा कोई विश्वास दिलादें तो ठीक रहेगा।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर । माननीय सदस्य मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि विधान सभा की कार्यवाही के लिये नियम बने हुए हैं उनके अन्तर्गत माननीय सदस्यों को चाहिये कि नोटिसेज दें ताकि उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभापति महोदय, यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो लोग सरकार के सामने अपनी मांगें लेकर आये और उन्हें सरकार सुने नहीं, न्याय देने के बदले में उन्हें डन्डों से पीटे, मुख्य मन्त्रीजी यहां नहीं और कोई मन्त्रीजी यहां बैठे नहीं हैं सिवाय समाज कल्याण मन्त्रीजी के ये भी शिड्यूल्ड ट्राइब की जातियों में से आते हैं इन्हें भी तो कुछ उठकर कहना चाहिये पर ये तो यहां बैठे हुए हैं....

श्री सभापति : माननीय श्री गाड़िया अपना स्थान ग्रहण करें, सदन का वक्त जिसके लिये मुकर्रर है उसके अनुसार कार्यवाही करने दें । मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि विधान सभा की प्रक्रिया के अनुसार आप जानते हैं कि उसके लिये आप नोटिस दें और आपको कोई भी शिकायत अगर है तो आप उसके जरिये नियमानुसार कार्यवाही करावें । जब आपको समय मिले तो उस समय आप अपने विचार व्यक्त करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, जहां तक नियमों का सवाल है कि नियमों के अन्तर्गत सवाल उठाये जायं वह तो समझ में आई हुई है पर कई मामले इतने गम्भीर होते हैं उन पर हाउस की कार्यवाही को रोक कर कार्य करना पड़ता है । आज बेचारे हरिजन अपनी मांगों को लेकर आ रहे थे तो उनकी अपनी मांगों को राज्य सरकार ने सुना नहीं और उन्हें डन्डों से पीटा । ये सरकार हरिजनों के साथ अन्याय करती है होना तो यह चाहिये था कि जिस अधिकारी के हुक्म से उन पर लाठीचार्ज किया गया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती लेकिन आप इस पर कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं । हम सदन की कार्यवाही को तब तक नहीं चलने देंगे जब तक आप हमें सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन नहीं दिलावा दें कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होगी । सभापति महोदय,....

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री सुलानिया जी अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : सभापति महोदय, आप स्थान ग्रहण करने का कह रहे हैं और कोई कार्यवाही इसके लिये करने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं । गरीब हरिजन धोबियों पर लाठीचार्ज हुआ है । ये सरकार हरिजनों के पक्ष में बोलती है पर उनके लिये कुछ नहीं करती । गरीब हरिजनों को पीटा गया और हो सकता है जिन पर लाठीचार्ज हुआ है उनमें लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति खराब है इसके लिये आपको तुरन्त कार्यवाही राज्य सरकार से करवानी चाहिये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री गंगाराम चौधरी : अगर सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही

Page No 82

(श्री गंगाराम चौधरी)
के आदेश नहीं दिये गये तो हम विधान सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि विधान सभा की कार्यवाही तो नियमों के अनुसार ही होगी।

श्री देवेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही जो निश्चित की हुई है वह चल नहीं रही है और हमारा समय वेस्ट हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : आप तो माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। कह रहे हैं उधर गरीब हरिजनों पर लाठी चार्ज हुआ है और आप यह कह कर हमें चुप करना चाहते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इसके बारे में निश्चित जवाब चाहते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, जब तक आप इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकालें तक तक हम आपको आगे दूसरी कार्यवाही करने से रोकेंगे कोई व्यवस्था तो होनी चाहिये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज श्री सुलानिया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य आपको स्थिति से अवगत करा रहे हैं उसे आप आज जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पेश हो रही है उसके साथ जोड़ा गया समझा जाये। आज विधान सभा के बाहर गरीब हरिजनों के साथ मारपीट की गयी उसमें औरतें भी हैं, औरतों के चोटें आयी हैं, लाठीचार्ज हुआ है। मेरा निवेदन है कि अभी हाउस में समाज कल्याण मन्त्रीजी बैठे हैं वो क्या कह रहे है इस बारे में इस स्थिति के बारे में हाउस को अवगत करादें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की रिपोर्ट पर ही विचार हो रहा है और उसी प्रसंग में अगर बात कह रहे हैं तो जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वे बहस के समय अपने विचार व्यक्त करदें तो ठीक रहेगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, जब मन्त्री महोदय समाज कल्याण के बैठे हैं तो क्यों नहीं उनसे इस बारे में पूछ लिया जाय क्या कोई जांच करने की समिति गठित की गयी है या और कोई इन्क्वायरी के लिये किसी को कहा गया इस बारे में ट्रेजरी बैन्चेज में जो बैठे हुए हैं उन्हें जवाब देना चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि पिछले 15 सालों से इस हाउस में डिस्कस नहीं हो रही है और हरिजनों के कल्याण के लिये कार्यवाही यह सरकार नहीं कर रही है। यह सरकार सिर्फ घोषणायें करती है बाकी इस सरकार के पास गरीब हरिजनों के लिये करने को कुछ नहीं है। इसलिये मेरा सभापति महोदय, आपके मारफत राज्य सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार आदेश करे। वो कुछ व्यवस्था करे। ये व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : ये कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, व्यवस्था का ही प्रश्न है जब सदन के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न इसलिये है कि समाज कल्याण मन्त्रीजी यहां बैठे हुए हैं बाकी मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं सभी अपने अपने बंगलो में बैठे हुए हैं। मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं कि वे अस्वस्थ हैं और इस प्रकार सिवाय समाज कल्याण मन्त्रीजी के यहां कोई नहीं बैठा है यह समाजवाद की सरकार है जो कि हरिजनों के लिये इतनी बड़ी घोषणायें करती है पर यहां कोई मौजूद नहीं है। ये हरिजनों के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं सभापति महोदय, आप देखलें। मैं तो आपके मारफत यह निवेदन राज्य सरकार से करूंगा कि सबसे पहले समाज कल्याण मन्त्री इसके बारे में वक्तव्य दें और बतायें कि इस काण्ड के लिये इन्होंने क्या कार्यवाही की है कोई इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया है या कोई जांच समिति गठित की गयी है और जो भी इन्होंने कार्यवाही की है उससे इस सदन को अवगत कराया जाय।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, यह काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अभी भी वही प्रश्न लिये जा रहे हैं मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि विधान सभा की कार्यवाही के नियमों के अन्तर्गत जिस तरह से कार्यवाही होती है उसी प्रकार से होगी।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, हाउस का समय जा रहा है इसलिये व्यवस्था का प्रश्न है। नहीं तो फिर क्या है।

श्री सभापति : रिपोर्ट पर बहस हो रही है स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, मेरा इस बारे में निवेदन है कि इस सदन में जब भी इस प्रकार के मसले आये हैं तो सदन की परम्परा रही है कि उन पर सदन की कार्यवाही जो निश्चित होती है उसे बन्द कर इस प्रकार के प्रश्नों पर उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा दिया जाता है। मेरा सभापति महोदय, आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन है, जो कि ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हैं कुछ आश्वासन देदें इस बारे में कि कोई कार्यवाही इस सम्बध में राज्य सरकार द्वारा की जावेगी तो मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को कुछ सन्तोष मिले और सदन की कार्यवाही चले....

श्री सभापति : श्री सुलानिया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, ऐसा मामला तो पिछले 22 वर्षों में भी नहीं हुआ ऐसा अत्याचार हरिजनों के साथ हुआ है उन्हें बुरी तरह पीटा गया है। यों ही इस विषय को कैसे छोड़ दिया जाय।

श्री सभापति : (श्री श्रवणलाल के खड़े होने पर) माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, एक तरफ तो हरिजनों के साथ मारपीट हुई है और दूसरी तरफ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर हाउस में डिस्कशन हो रहा है यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था को जाय जिससे सदन की कार्यवाही जो निश्चित है चल सके। समाज कल्याण मन्त्री जी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य बोल रहे हैं उस मुद्दे पर अगर मन्त्री महोदय कोई निश्चित जवाब कार्यवाही करने का दें। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर कोई कार्यवाही होगी यह उन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया जाय।

श्री सभापति : मैंने निवेदन कर दिया है कि आपने जो बात उठाई है उस सम्बन्ध में आपको और अधिक कहना है और सदन के सामने उठाना चाहते हैं तो नियमानुसार आप उसकी पूर्व सूचना देकर उसको उठायें।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसके बाद और क्या होगा ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप जब हमारे इस तरफ बैठते हैं तो नियमों का हवाला नहीं देते हैं और नियमों का हवाला यहां दे रहे हैं।

श्री विठ्ठलप्रसाद (मकलेरा) : सभापति महोदय, नोटिस आकर तो इजाजत दी जा सकती थी। लेकिन जब प्रश्न उठाया गया है और बहस हो चुकी है और आप फर्मा रहे हैं कि विधिवत् क्यों नहीं पेश किया गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : आप इस पर व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। आध घंटा इस पर बहस होते हुए हो गया है शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार नहीं हो रहा है और समय बेकार जा रहा है उसके लिये। इसलिये न तो उन लोगों के साथ न्याय होगा और न ही हम लोगों के साथ न्याय होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल : इस प्रश्न पर गवर्नमैन्ट कुछ कहना चाहती है या मौन धारण करना चाहती है ? बिल्कुल मौन है।

श्री नाथूराम : राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं वे कुछ तो कहें।

श्री विट्ठलभाई : सरकार की ओर से न तो कोई मुख्य मंत्री है और न ही दूसरा कोई मंत्री। अकेले भीखाभाई बैठे हुए हैं। इधर से और उधर से मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो रिपोर्ट पर बहस चल रही है और नीचे दूसरी तरफ पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं जनता पर। यहां आवाज आ रही है डंडे पड़ रहे हैं। डंडे क्यों पड़े हैं, यह तो जानकारी करनी चाहिये। नियम यह है।

श्री सभापति : क्या सदन की इच्छा है, कि आज की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ?

श्री नत्थीसिंह : कार्यवाही क्यों स्थगित होनी चाहिये ? चलनी चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विधान सभा के सामने लाठीचार्ज किया जाय और सरकार जवाब न दे और चुप है। राजस्थान के मुख्य मंत्री के इशारे पर गृह मंत्री ने उनकी पुलिस से लाठी चार्ज करवाया।

श्री सभापति : रिकार्ड न किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका भाषण रिकार्ड नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। बहुत हो चुका है।

श्री जयनारायण : सरकार कहां है यहां कोई सरकार ही नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : एक व्यवस्था का प्रश्न है सभापति महोदय। आपकी ओर से व्यवस्था दी गई है और सदन में कहा है आपने कि आपकी भावना को अध्यक्ष महोदय तक पहुँचा दूंगा और वे विचार करके निर्णय दे देंगे। आपने यह भावना उनके पास पहुंचा दी है क्या ?

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : सभापति महोदय, हमने बार बार निवेदन किया है, आसन की आज्ञा को शिरोधार्य रखा है। आप बार बार टालते हैं और हम इसको उठाते हैं। आप पहले ही इसको रोक देते तो बात दूसरी होती।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, हमें अधिकार है। हाथ जोड़ कर निवेदन कर सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : बात सुनी नहीं।

श्री सभापति : आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : डंडे पड़े हैं जनता के····

श्री सभापति : माननीय सदस्य का भाषण अंकित नहीं किया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया : × × ×

श्री सभापति : श्री जसराज।

श्री जसराज : सभापति महोदय····

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार-भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 86

श्री गंगासहाय (कठूमर) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। बाहर डंडे बरसाये जा रहे हैं इन्हीं लोगों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे जब तक आप इसका निर्णय नहीं देंगे।

श्री सभापति : सदन की इच्छा जानना चाहता हूँ कि आगे शाम के 5 बजे तक आपका बैठने का इरादा न हो····

कई माननीय सदस्य : शाम तक बैठने का है।

श्री नत्थीसिंह : जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस रिपोर्ट पर बहस के लिये रात्रि के दस बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं। एक मुद्दा खड़ा हुआ है कि विधान सभा भवन के बाहर लोग अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर आये उन पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है निर्मम ढंग से। क्या हम यह मान कर चलें कि मुख्य मंत्री के इशारे पर गृह मंत्री द्वारा लाठीचार्ज कराया गया है ? मुख्य मंत्री नहीं हैं। किन अधिकारियों ने किन की शह पर लाठीचार्ज किया है ? लोकतन्त्रीय व्यवस्था में विधान सभा के सामने कोई मांग लेकर आये और उन पर लाठीचार्ज किया जाना यह शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। इसलिये सभापति महोदय, मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को बाध्य करें और स्पष्टीकरण कराया जाय कि जांच करायी जावेगी या नहीं। अपराधी कर्मचारी जिस प्रकार से लाठीचार्ज कराया है उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे या नहीं ? स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं ? इतना सा स्पष्टीकरण मात्र खड़े होकर कर दीजिये।

श्री सभापति : मैं सदन की कार्यवाही को····

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक सुझाव सुन लीजिये। मैं यह चाहूंगा कि····

श्री लादूराम मुलानिया : आप हमें धमका रहे हैं ? चैलेन्ज कर रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री जयनारायण सालोदिया : अनिश्चित काल के लिये सदन को स्थगित नहीं किया जावे।

श्री सभापति : मैं सदन की कार्यवाही चलाने के लिये माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

श्री लादूराम मुलानिया : (शोरगुल के बीच) आप सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं कर सकते, यह अन्याय है।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्थगित नहीं किया जावे सदन।

श्री लादूराम मुलानिया : आप हमें इस तरह से डराते हैं, धमकाते हैं ? कार्यवाही चलाई जावे और नियमानुसार चलाई जावे।

(शोरगुल : अश्रव्य)

(2. 42 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो मसला विधान सभा के समक्ष उपस्थित है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं सुझाव देना चाहता हूं। एक प्रश्न खड़ा हो गया सदन के सन्मुख। अब सरकार उस प्रश्न पर मौन रहना चाहती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यह निवेदन करूंगा कि आप में से कोई भी दो सदस्य, पांच सदस्य इधर के उधर के इस मामले को देखने के लिये नीचे चला जावे, उनका प्रतिवेदन ले लें और इस लाठीचार्ज की घटना के बारे में उनके जो आब्जर्वेशन्स हैं वे ले लें और फिर जांच के लिए उनको रेफर कर दें, न करें जैसा हो वैसा कर दें। पर कुछ करें आप। यह मेरा निवेदन है और इससे इस समस्या का समाधान हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इस सदन की व्यग्रता से अवगत रहा हूं। इसलिये यह जो प्रश्न उठा है और जो कुछ बाहर चल रहा है उस प्रश्न पर आज जानकारी कर ली जावेगी राजस्थान सरकार की तरफ से और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से जो स्टेटमेन्ट होगा जो प्रतिवेदन होगा शायद उसको ले लेंगे।

इसलिये अब आप जो चल रही है चर्चा, उसे आरम्भ रखिये।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उत्थान के लिये जो कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति हो तो, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, डिप्टी स्पीकर का जो मसला है वह मैं इस वक्त ही रख देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी ओवर बर्डण्ड हूँ। इससे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के प्रश्न पर मैं आज ही घोषणा कर दू। तीसरा कोई केण्डीडेट है नहीं। दो ही हैं। यदि आप चाहें तो अभी इस प्रश्न को रख दू और फिर डिबेट कर लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इससे पहले कि आप इस प्रश्न को रखें मैं दो बात, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कहना चाहूँगा।

सर्व प्रथम बात यह है कि हम जनतन्त्र की परम्पराओं का निर्माण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया कि आप यह कहना चाहते हैं कि उपाध्यक्ष विरोधी दल में से हो। वह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष जी, वह प्रश्न पैदा होता है या नहीं यह मैं अभी नहीं कहूंगा। पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जनतन्त्र की दुहाई देते आप लोग थकते नहीं। हम भी इस जनतन्त्र के निर्माण में स्वस्थ सहयोग देना चाहते हैं। पर यह आप पर निर्भर है कि आप ईमानदारी से वह सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं। हमें जनतन्त्र में कुछ स्वस्थ परम्पराएं निर्माण करनी हैं और अपनी ईमानदारी का सबूत देना है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

यहां उपाध्यक्ष का चुनाव आज हो उसका सिवाय इसके अब कोई महत्व नहीं है कि वे तनखा और दैनिक भत्ते वगैरह उठाते रहें। कल परसों विधान सभा स्थगित हो जावेगी। इसके बाद नये चुनाव आवेंगे।

तो इतने छोटे से काल के लिये भी, इतनी छोटी सी बात के लिये भी ये जनतन्त्र की दुहाई देने वाले, जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण करने की बात कहने वाले सरकारी पक्ष ने इतनी सी उदारता और शिष्टाचार भी नहीं दिखाया कि कम से कम इस मसले पर विरोधी पक्ष के लोगों को कान्फीडेन्स में लेकर दो मिनिट बात भी कर लेते कि हम इस के लिये अमुक व्यक्ति को रखना चाह रहे हैं।

इंगलैण्ड की पार्लियामेन्ट का हम उदाहरण देते नहीं अघाते पर उनका अनुकरण आप करते हैं? स्पीकर नान पार्टी मैन होता है उसे पार्टी से ऊपर का व्यक्ति मानते हैं जो निष्पक्षता के साथ कार्य संचालन करता है। विरोधी पक्ष को विश्वास में लेकर चलते हैं। अपने बहुमत के बल से सही को गलत और गलत को सही करने की वे भी क्षमता रखते हैं पर फिर भी वहां अच्छी परम्पराओं का निर्माण हुआ है। जनतान्त्रिक शासन प्रणालियों में उपाध्यक्ष विरोधी पक्ष का हुआ करता है। अच्छा होता अगर हम भी ऐसा करते। ऐसा नहीं करते यहां, पर शालीनता तो दिखाते कम से कम। इस तरह का प्रस्ताव तो दूर की बात रही। विरोधी दल को विश्वास में लेकर उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया गया। यह अपने आप में एक प्रकार से जनतन्त्र का मखौल है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

अब आप अपना प्रश्न रखिये।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास तो प्रश्न इतना है कि निर्धारित समय के अन्दर जो नाम इसके लिये आये वे आपको बतादूं। इसके लिये केवल दो नाम आये हैं। एक तो जो सदन के सभापति हैं उनका श्री रामनारायणजी का और दूसरा गिरधारी लालजी का। और कोई नाम नहीं आया है ऐसी स्थिति में मेरे पास प्रश्न है संवैधानिक केवल मैं यों तो इसको कल हो डिक्लेअर करता और आप अनुमति देते हो तो आज घोषणा कर दूं मैं सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन की तिथि शुक्रवार, दिनांक 12 नम्बर, 1971 निश्चित की गई थी तथा नियम 8 (2) के अनुसार आज मध्याह्न से पहले इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना दी जानी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष के पद के लिये श्री रामनारायण चौधरी व श्री गिरधारीलाल व्यास के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में समय के अन्दर प्रस्तुत किये गये हैं और वे दोनों प्रस्ताव नियमानुकूल हैं। श्री गिरधारीलाल व्यास ने अपना नाम वापिस लेने की अनुमति चाही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब केवल एक नाम शेष रह गया है श्री रामनारायण चौधरी का। अतः मैं श्री रामनारायण चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के अठारहवें प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट की बहस को केवल समाज कल्याण मन्त्री सुनने को यहां बैठे हैं, बाकी मन्त्रीगण अनुपस्थित हैं। इससे लगता है कि इन लोगों की हमारे प्रति कितनी सहानुभूति है। हमारी समस्याओं के प्रति वे कितने जागरूक हैं। हमारी समस्याओं को सुनने का भी अवसर उनके पास नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आज जन जाति और अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है, वह आज भी बड़ी चिन्तनीय है। भूमि के वितरण का जहां तक सवाल है केवल संख्या दिखाने के लिये यहां कह दिया जाता है या सरकारी आंकड़ों में दिखा दिया जाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्ष के सदन में प्रवेश करने पर उपाध्यक्ष का परिचय कराइयेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी वर्तमान में सदन के सभापति रहे हैं। आज आपके सहयोग से उनको उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। अब वे अपना आसन ग्रहण करते हैं मुझे विश्वास है आप सबका सहयोग जिस प्रकार मुझको मिलता रहा है, उसी तरह से उनको भी मिलता रहेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं कहता हूं कि ये इसके अयोग्य हैं। मैं इसके विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट करता हूं।

श्री खेतसिंह : मुकुटबिहारी जी को भी ले लें तो उनका भी साथ हो जावेगा। इन को बना दें ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं ऐसी नाव पर नहीं बैठना चाहता जो दो तीन दिनों में ही डूबने वाली है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस जगह तो पहले ही बहुत सरप्लस हैं।

श्री जसराज : या अगर जमीन दी ही जाती है तो ऐसी जगह जो काश्त के काबिल नहीं होती। अगर किसी प्रकार काश्त के काबिल भी हुई तो उसका कब्जा नहीं दिया जाता। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि वे यह बतावें कि किस किस जगह काश्त के योग्य जमीन किस किस को कितनी कितनी आंवटित की गई तथा उसमें से कितनी भूमि पर कब्जे दिलाये गये।

कई जगह अगर अच्छी जमीनों पर किसी तरह कब्जे भी मिल गये तो आसपास के लोग आतंकित करते रहते हैं। इन सब बातों का उल्लेख कमिश्नर ने अपनी इस रिपोर्ट में भी किया है।

(2.50 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और जब वह जमीन किसी प्रकार जोत भी लेते हैं, हल भी चला लेते हैं तो काटकर घर ले जाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की असुरक्षा का सवाल है। मैं आज समाज कल्याण मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा क्या समाज कल्याण की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, क्या इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध किये गये हैं, क्या समय समय पर और किसी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके चाहे वह रेवेन्यू का हो या पुलिस का हो आंकड़े उपलब्ध कराकर कोई प्रयास समाज कल्याण की

(श्री जसराज)

ओर से हुआ है । इसके साथ ही साथ उद्योग धन्धों में भी हमें यह देखने को मिला है कि इन हरिजन लोगों को उद्योग धन्धों में जितना पूरा सहयोग मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। उनकी ऋण की व्यवस्था जो नेशनलाइज्ड बैंक में है, जो लोन लेने वाले हैं उनको 25 प्रतिशत जमा कराना पड़ता है। जो भूमिहीन काश्तकार हैं वह 25 प्रतिशत कहां से लाये और जो नेशनलाइज्ड बैंक की इस प्रकार की फारमिलिटी है उसको गरीब लोग पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिये जितना सहयोग और जितना इस प्रकार का जो फायदा उठाने वाले हैं उन काश्तकार और भूमिहीन हरिजनों को नहीं मिल पाया। यही नहीं नौकरियों में भी जैसा मैं पहले बता चुका हूं समाज कल्याण में भी 28 प्रतिशत की घोषणाओं के बावजूद पूरा नहीं किया गया है। जहां तक सूचना है 21 विभाग और भी अन्य हैं जिनमें 28 प्रतिशत जो है वह पूरा नहीं किया गया है। अब समाज कल्याण की पोजीशन एक अजीब सी है। समाज कल्याण मन्त्री लिख भी दें तो दूसरे विभाग तो क्या स्वयं के विभाग भी उसको पूरा नहीं करते हैं। कोई अधिकारी मान्यता नहीं देता है तो उसके प्रति उसकी क्या कार्यवाही की जा सकती है और क्या कार्यवाही आज तक की गई है, यह भी मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे। जहां तक नौकरियों का जो सवाल है, नौकरियों में आज तक प्रमोशन का प्रावधान नहीं रखा गया है। सन् 1968 में केन्द्रीय सरकार ने प्रावधान कर दिया, पंजाब सरकार ने कर दिया। जहां तक मेरा ख्याल है उड़ीसा में भी कर दिया गया है किन्तु राजस्थान सरकार में जब कभी मसला उठाया जाता है और तीन साल से तो मुझे ख्याल है बार बार लिखा जा चुका है और विचाराधीन कहकर टाल दिया जाता है। जब कभी आई. ए. एस. और आर. ए. एस. का प्रमोशन होता है उसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट का कोई कोटा नहीं है तो जिस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आगे जाने का मौका मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है इसलिए में स्पष्ट उत्तर चाहूंगा क्या सरकार इस प्रमोशन में भी कोई निर्धारित कोटा करना चाहती है और करना चाहती है तो कब तक करना चाहती है। एक स्पष्ट उत्तर और चाहूंगा और उपाध्यक्ष महोदय, आप से भी निवेदन करना चाहता हूं हमारे हकों की समाज कल्याण के हकों की पूर्ति नहीं होती है। जो आपकी परामर्शदात्री समिति है उससे भी नहीं होती है, मंत्री मण्डल से भी नहीं होती है इसलिये हम लाचार होकर कहें कि इस विधान सभा की एक कमेटी निर्माण कर दी जाय जो कि पार्लियामेंट में निर्माण कर दी गई है। जो हरिजनों की समस्या है उनका अध्ययन कर सके, उनके अधिकारों का हनन कैसे और किस प्रकार होता है उसकी जांच कर सके और सदन के सामने रिपोर्ट कर सके। अगर इस प्रकार की कमेटी का निर्माण हो जाता है जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी और मैं समझता हूं भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिये थे कि हम विचार कर रहे हैं।

हम यह नई चीज इसी सदन में, इसी सत्र में अगर वास्तव में कायम करके चले जायं यह बहुत बड़ी उपलब्धि शिड्यूल्ड

(श्री जसराज)

कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये होगी। मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में इस रिपोर्ट में कहा गया है और वास्तव में सच्चाई है कि जहां तक तरक्की का सवाल है वह बहुत कुछ शिक्षा पर निर्भर है परन्तु आंकड़ों को देखने से ऐसा लगा है कि राजस्थान इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ रहा है। राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर है खास तौर से हायर सेकेन्डरी और हाई स्कूल का वह दूसरे राज्यों से बहुत ही कम है। यहां तक कि छोटे छोटे राज्यों से भी कम रहा है। मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर 65-66 की रिपोर्ट है 6751 तो लड़के है और 161 लड़कियां है। ट्राइब्स के 1391 तो लड़के हैं और 48 लड़कियां है। ये आंकड़े मैसूर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा में भी ज्यादा हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो हम इनके ऊपर व्यय करते है समाज कल्याण की ओर से वह इतना कम है उन आंकड़ों को भी मैं आपके सामने रखना पसन्द करूंगा। राजस्थान में ये आपके आसाम, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिलनाडू में जो खर्च किया गया है, उससे कम है। इसके अलावा पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो समाज कल्याण की ओर से मद रखा गया था वह था चार करोड़ और सवा पांच लाख परन्तु खर्च किया गया है दो करोड़ 71 हजार। इसी प्रकार तीसरी योजना में रखा गया था दो करोड़ 54 लाख उसमें से केवल 1 करोड़ 74 लाख 64 हजार खर्च हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रावधान स्पष्ट रख देने के बाद और चतुर्थ योजना में चार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वह प्रावधान होने के बाद भी कम खर्च क्यों? क्या हमारी स्थिति इतनी हो गई है कि हरीजनों का उत्थान हो गया है कि अब पूरा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं रही है? मैं नहीं समझता कि इतने पैसे क्यों बच जाते हैं? इसलिए मैं नये मंत्री महोदय से तो कम से कम यह निवेदन करूंगा यह जो चार करोड़ का प्रावधान रखा है वह इस सत्र में या चतुर्थ योजना में खर्च कर दिया जाय। यही नहीं इस समाज कल्याण विभाग के द्वारा, पंचायतों के द्वारा या और किसी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वह भी अपर्याप्त हैं। जो बजट 1951-52 या 53-54 में रखा गया था वही आज तक कन्टीन्यू चला आ रहा है और उसमें जो वृद्धि होनी चाहिए वह नहीं हुई। छात्रों की संख्या में तो वृद्धि हुई लेकिन छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि न्यूनतम हुई है, ना के बराबर हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा लाना है तो छात्रवृत्ति में वृद्धि करनी होगी। खास करके जो आदिम जाति के छात्र हैं वे ऐसी परिस्थिति में अध्ययन करते हैं। जो जंगल में रहते हैं, 5-6 मील दूर से पैदल चलकर आना पड़ता है अथवा किसी प्रकार के वाहन में बैठकर स्कूलों में जाते हैं। ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां किसी प्रकार से भी अध्ययन माकूल नहीं है। इसलिए छात्रावास अधिक से अधिक खोले जायें, आश्रम अधिक से अधिक खोले जायें ताकि उनको अध्ययन के लिए पूरी सुविधायें मिल जायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक समान अवसर उनको नहीं मिलेंगे अध्ययन के तो कम्पोटीशन्स में दूसरे लोगों के साथ में नहीं बैठ सकेंगे और तरक्की नहीं कर

(श्री जसराज)

सकेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके लिए अच्छे छात्रावास खोले जायें, अच्छा भोजन दिया जाये, अच्छी सुविधायें दी जायें और समय पर पुस्तकें दी जायें, छात्र-वृत्तियां भी समय पर दी जायें। और यह रहा तो मैं सोचता हूं कि हम कुछ कर पायेंगे अन्यथा जिस प्रकार की रिपोर्ट में राय दी गयी है परन्तु उस राय पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हो पाई हो ऐसा नहीं लगता। रिपोर्ट्स आती है और उन पर चर्चा हो जाती है लेकिन उनके ऊपर जो कार्यवाही होनी चाहिए वह संतोषप्रद नहीं हो पाती है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान में जहां हमने समता लाने की बात कही है वहां पर हमने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष अवसर प्रदान करने की बात कही है और किस तरह से हम विशेष अवसर प्रदान करें ताकि समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, समाज का वह वर्ग जो कि आर्थिक विषमताओं में रह रहा है उसको कुछ राहत मिल सके, सामाजिक उत्थान मिल सके, सोशियल जस्टिस मिल सके—इसके लिए हमने समाज कल्याण की योजना चालू की है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रमुख तरीके पर समस्या दो प्रकार की है और वह दो प्रकार की समस्या में एक समस्या मैं लेना चाहता हूं कि हमने आर्थिक विषमताओं को मिटाने के लिए आपने अपने सामने क्या प्रोग्राम रखा है, दूसरे उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हमने क्या तौर तरीके बरते हैं। मैं इन दो चीजों के बारे में ही विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के अन्दर एक बहुत बड़ा आन्दोलन इस बात के लिए चलाया गया कि जिससे हम भूमि पर कब्जा करें। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के सभी सदस्य उससे परिचित हैं। हम यह चाहते थे कि इस आन्दोलन के जरिये जिन लोगों के हाथों में जमीन इकट्ठी हो गई है वह भूमिहीनों में वितरित हो। गरीब लोगों को और विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को उस वितरण के द्वारा राहत मिल सके उस आन्दोलन के पीछे यही उद्देश्य था। गांधी शताब्दी का वर्ष था और गांधी जी हरिजन कल्याण की बात कहते थे। हमने विशेष तौर से एक बात पैदा की कि गांधी शताब्दी के वर्ष में हरिजन कल्याण के लिए हम कुछ कार्य करें और उस चीज को लेकर एक जन-आन्दोलन चलाया 'भूमि हथियाओ आन्दोलन'। भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्दर भरतपुर जिले के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, कांठ की बावड़ी को जिसमें 27 हजार बीघा का रकबा है उसको तोड़ने की बात की गई और उस पर हमने धरना दिया, उसके ज्यादातर हिस्से पर कब्जा किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं स्वयं 9 अगस्त को और 22 अगस्त को दो बार गिरफ्तार किया गया। एक बार 5 हजार व्यक्तियों के साथ और दूसरी बार 8 हजार व्यक्तियों के साथ हमने तमाम जमीन पर कब्जा किया।

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)
हम राज्य सरकार का ध्यान उस विकट समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहते थे कि 8 हजार भूमिहीन व्यक्तियों के साथ बरसते हुए पानी में उस कठिन भूमि पर कब्जा सिम्बोलिक पजेशन इसलिए करना चाहा था कि ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आश्वासन दिया गया कि कांस की बावड़ी को हम तोड़ेंगे। हमें यह आश्वासन दिया गया कि रूंधों का डेरा को रिलीज करके भूमिहीन लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को वितरित करेंगे। परन्तु वह तमाम आश्वासन न जाने कहां गये और वह फाइलों में पड़े हुए हैं। हमें यह कहा गया कि हम गांधी शताब्दी के अन्दर इन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे; परन्तु वे तमाम आश्वासन खोखले ही निकले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक ही चीज चल रही है और वह है गरीब लोगों के ऊपर मुकदमे और पुलिस के डंडे, लोगों का शोषण और लोगों को परेशानियां पैदा करना। इसके बाद भी इन रूंधों के अलावा हमने कलेक्टर से और दूसरे लोगों से मिलकर एक वातावरण पैदा किया। भरतपुर जिले के अन्दर 25 हजार बीघा जमीन उपलब्ध कराई और उस 25 हजार बीघा जमीन का वितरण भूमि अलॉटमेन्ट कमेटियों के द्वारा हमने नियम बनाकर अलॉटमेन्ट करने का प्रोग्राम बनाया। उपाध्यक्ष जी आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत 25 हजार बीघा जमीन भूमिहीन किसानों को वितरित की गई। राजस्थान की सरकार ने रेडियों से, अखबारों के माध्यम से और विज्ञप्तियों में, बड़े-बड़े भाषणों में इसका उल्लेख किया कि गांधी शताब्दी वर्ष में हमने भूमिहीन किसानों के लिए इतनी भूमि अलॉट की है, इतने हजार परिवारों के लिए जमीन दी है। घोषणायें हो गयीं, अलॉटमेन्ट हो गए—आखिर उसका नतीजा क्या निकला?

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेक बार इस विधान सभा के अन्दर भी मैं चौथी बार इस समस्या पर बोल रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि 25 हजार बीघा जमीन में से आज एक बीघा जमीन पर भी किसी भी हरिजन का, किसी भी आदिवासी का, किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी का कब्जा नहीं होने दिया गया। आखिर यह सरकार की क्या नीति है? या तो यह मानें कि इस नीति में कहीं कोई गलती है या सरकार की नीति से जो नीचे फैला हुआ भ्रष्टाचार है वह किस तरह से अनडन कर देता है, किस तरह से समाप्त कर देता है—इसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा।

अव्वल तो 25 हजार बीघा जमीन का कब्जा नहीं दिया गया, पट्टे इश्यू नहीं किये गये। आज क्या ही अच्छा होता समाज कल्याण मंत्री महोदय अभी-अभी कलेक्टर को अरजेन्ट टेलीफोन करें और आंकड़े प्राप्त करें कि भरतपुर जिले की 10-12 तहसीलों में से किस किस तहसील में कितनी कितनी जमीन अलॉट की गई, कितने कितने किसानों को दी गई, कितने लोगों को कब्जा दिला दिया और कितने लोगों को पट्टे इश्यू कर दिये और एक्चुअली कितने आदमी जमीनों पर काश्त कर रहे हैं। जब यह आंकड़े आजायेंगे

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

तो हरिजन कल्याण की इन स्कीमों का खोखलापन सामने आ जायेगा। अव्वल तो कब्जे नहीं दिलाये गये, पट्टे इश्यू नहीं किये गये और अगर पट्टे इश्यू भी हो गये तो वहां पर एक व्यवस्था है भरतपुर जिले में एडीशनल कलेक्टर की पोस्ट है विशेष तौर से। स्टे आर्डर जारी हो गए। स्टे आर्डर जारी हो गए तो वह जमीन रेगुलेराइज करके धनीमानी लोगों के पास चली गई। जिन लोगों के पास आज भी हजारों बीघा जमीन है आज उन लोगों ने डंडे बरसा कर, लाठियां चलाकर हरिजनों को मार मार कर भगा दिया और एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया। इस प्रकार की सांठ गांठ रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से लेकर मानो ए. डी. एम. से लेकर, जितने तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, गिरदावर हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, इनके बीच चल रही है। इनका चक्र इस तरह से फैल गया है कि इन्होंने हरिजनों को इस तरह से पीस रखा है कि आज इनकी इतनी दयनीय हालत हो गई है, लॉ एण्ड आर्डर की हालत है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार की अराजकता की आज स्थिति है उपाध्यक्षजी कि एक एक गांव की बात नहीं कहता, मोटी मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं विधान सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं और मुझे लगता है कि यहां पर भी विधान सभा में भी चाहे कितना ही, कुछ भी कहा जाय अरण्य रोदन के समान है, वन में कोई चिल्ला कर चाहे कितना ही कहे उसको कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इसी अरण्य रोदन को विधान सभा के सामने भी रखता हूं। हमने यहां पर कहा था कि गांव गांव में जो चरागाह निश्चित किए गए हैं, हजारों बीघा जो जमीन चरागाह की है सरकार यदि इन चरागाहों की रक्षा कर सके तो इन्हें चरागाह रहने दे और अगर इन चरागाहों का निर्वाह नहीं कर सकती सरकार तो इन चरागाहों की जमीन को रिलीज करके भूमिहीन किसानों में, पिछड़े वर्ग के लोगों में इसका उचित वितरण कर दिया जाय, परन्तु ऐसा भी नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि वह जमीन जो धनीमानी, पैसे वाले लोग हैं, असरदार लोग हैं, पहले से ही जिनके पास ज्यादा जमीन है, ऐसे लोग पैसा देकर, रिश्वत देकर खुलेआम जमीन बिक रही है। आज किसी भी तहसीलदार के, किसी भी ए. डी. एम. के, किसी भी एस. डी. एम. के दलालों के दलाल बैठे हैं, चील कव्वों की तरह बैठे हुए हैं। किसी भी काम के लिए जाइए, तुरन्त झपटेंगे कि लो अभी हाल लो काम करा देते हैं। तीन सौ रुपया बीघा की भेंट दे दो आपके नाम अभी खातेदारी करवा देते हैं।

पिछली बार विधान सभा में भी मैंने इस बात को उठाया था कि दस लाख रुपयों की रिश्वत इस तमाम मामले में उस वक्त के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दी गई थी। उपाध्यक्षजी, मैं इस बात को यों ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं फाइलों के नम्बर दे सकता हूं, मुकदमों के अनुवान दे सकता हूं परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी जबरदस्त अराजकता गांव गांव में है।

उपाध्यक्षजी, मैंने जैसा कि पहले कहा कि भूमि अलॉट भी हो गई तो कब्जा नहीं

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

दिया गया, कब्जा भी मिल गया किसी तरह से तो पटवारी हैं, गिरदावर हैं इन्होंने सौ सौ रुपये बीघा जब तक हरिजनों से नहीं लेलिया तब तक कब्जा नहीं दिया। और अगर किसी तरह से कब्जा भी मिल गया और स्टे भी ऊपर से नहीं मिला किसी नेता की कृपा के कारण या पैसे देकर स्टे को भी तुड़वा दिया तो भी क्या होता है आप सुनिए। अभी कार्तिक की फसल खड़ी है। उस कार्तिक की फसल को भी किसी भी हरिजन को उसकी फसल नहीं काटने दी गई। पुलिस से मिल कर बड़े बड़े डन्डे देकर सब हरिजनों की फसल को काट कर ले गए। खरेड़ा गांव है बयाना तहसील के अन्दर। वहाँ पर 55 बीघा जमीन को फसल वहाँ के जमींदार काट कर ले गए। जो जमीन हरिजनों के लिए दी गई थी और उस 55 बीघा जमीन पर हरिजनों ने जो खेती की थी उस सारी जमीन की फसल को वहाँ के लठ्ठ वाले जमींदार काट कर ले गए। तीन दिन तक लगातार फसल कटती रही, भरतपुर जिले के वह हरिजन बेचारे मारे मारे फिरते रहे, तहसीलदार के पास गए पटवारी के पास गए. कलेक्टर के पास गए, एस. पी. के पास गए लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। 55 बीघा की फसल एक दिन में नहीं कट सकती। तीन दिन तक लगातार फसल कटती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसके बाद में जब हरिजनों ने उस पर धरना देना चाहा तो उनकी औरतों को नंगा करके पीटा गया।

उपाध्यक्षजी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हरिजनों की औरतों को अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर एक नाला था उसमें वे कूद पड़ी ताकि जिससे वह अपनी इज्जत की रक्षा कर सकें। बन्दूकें चलाई गईं लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ। केस दर्ज कराया जाय अगर किसी तरह से तो उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं। हमने चरागाह के कब्जों के बारे में जब कलेक्टर को बहुत ज्यादा कहा कि इन चरागाहों को हरिजनों में वितरण कर दीजिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं और दूसरी तरफ बड़े बड़े लोगों ने उन पर कब्जे कर लिए। मुकदमे पुलिस के अन्दर बनाए लेकिन क्या आज तक एक भी मुकदमे का चालान पेश हुआ। खैथली के अन्दर एक नहीं दस दस मुकदमे पड़े हुए हैं। बड़ी पिटाई हुई है, हरिजनों की हड्डियां टूटी पड़ी हुई हैं अस्पताल का रिकार्ड उठा कर देख लीजिए लेकिन उल्टे हरिजनों पर ही मुकदमे चल रहे हैं।

उपाध्यक्षजी, वैर तहसील के अन्दर खादौली गांव है, भौतिली गांव है गाजीपुर है वहां पर उपाध्यक्षजी आप देखिए कि किस तरह से लठ्ठ चले हैं। किस तरह से हरिजनों को घायल किया गया है। किस तरह से चरागाह की जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। दूसरी तरफ हरिजनों को अपनी जमीन तक जोतने नहीं दी गई है। इसके अलावा बयाना तहसील में नगला बीछी गांव में ऐसे ही लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। मान लीजिए एक जगह पर एस. डी. एम. एक जाति के हैं, तहसीलदार भी एक जाति के हैं, आप ताज्जुब करेंगे उपाध्यक्षजी, मैं कोई जातिवाद में विश्वास नहीं रखता पर चूंकि वहां का ए. डी. एम. जाति विशेष का हो, सिटी मजिस्ट्रेट भी एक जाति का हो, सर्किल इंस्पेक्टर और

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

इंस्पेक्टर भी एक जाति विशेष का हो, मानो पटवारी भी उसी जाति का हो, मानो गिरदावर भी उसी जाति का हो, मानो तहसीलदार भी उसी जाति का हो, हो सकता है कि राज्य सरकार की यह कोई विशेष नीति के कारण हो। यहां तक कि सिपाही के नाम पर भी जमीन अलॉट करदी। आज वहां एस. डी. एम. की हालत यह हो गई है कि किसी भी फाइल पर तब तक कलम नहीं चलती जब तक कि रिश्वत नहीं आ जाती। एक एक बात को क्या कहा जाय। हरिजनों के मुकदमे हैं और उनमें राजीनामा हो गया और राजीनामा तस्दीक करना है तो ऐसे सैंकड़ों केसेज बयाना के एस. डी. एम. के यहां पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप आज भी जाकर देख लीजिए, कम से कम ढाई सौ, तीन सौ मिसलें ऐसी पड़ी हैं जिनमें राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है। आज फुरसत नहीं है, तारीख दे दो, राजीनामा तस्दीक करने की। राजीनामा तस्दीक करने के लिए एक एक वर्ष से फाइलें इस बात के लिए पड़ी हुई हैं कि उनमें राजीनामा तस्दीक करके दस्तखत हों और मिसल दाखिल दफ्तर हो। लेकिन उनको फुरसत नहीं है क्योंकि जब तक रिश्वत भवानी नहीं चढ़ाई जाय तब तक वह मिसल पर दस्तखत कैसे करें। आज राज कौन करते हैं....

श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) : यह रिश्वत ऊपर से चलती है या नीचे से।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह आपने अच्छा याद दिला दिया। बुजुर्ग आदमी मौके पर ही काम आते हैं। जब पिछली विधान सभा के अन्दर भी इस बारे में बात कही गई थी, उपाध्यक्षजी, तो कुछ खलबली मची उस गिरोह के अन्दर। मुझे बताया गया, मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले सकूं, परन्तु यह सही है कि एक लाख रुपया चला। यह सत्य है कि एक लाख रुपया भरतपुर के इन व्यापारियों का चला, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में वह रुका नहीं, वहां काम नहीं बन सका तो वह आपके मुख्य मन्त्री जी की कोठी के चारों तरफ घूमता रहा। अब यह जांच की बात है कि वह रुपया मुख्य मन्त्रीजी के पास किसी फण्ड में जमा हुआ या नहीं, उनके पास तक पहुंचा या नहीं। पर हकीकत इतनी जरूर है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी की इस घोषणा के बाद कि या तो अन्याय रहेगा, रिश्वतखोरी रहेगी, भ्रष्टाचार रहेगा या मैं रहूंगा, ऐसी घोषणाओं के बावजूद वह अन्याय, वह रिश्वतखोरी, वह दलाली, वह अत्याचार, वह अनाचार आज तक बदस्तूर चल रहे हैं, वह उत्पीड़न चल रहा है। हरिजनों पर लट्ठ चल रहे हैं, बेदखलियां हो रही हैं, भूमि पर कब्जे नहीं दिए जा रहे हैं, फसल जोतने नहीं दी जाती और जोतते भी हैं तो काटने नहीं दी जाती। मुकदमे नहीं बन रहे हैं। इस तरह की घटनाएं चल रही हैं, वह बरकरार हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहां पर आए, जयपुर में दरख्वास्तें दीं, आई.जी. को दरख्वास्तें दीं, क्राइम ब्रांच को दरख्वास्तें दीं, सैंकड़ों रजिस्ट्रियां दीं इन्द्रा महारानी से लेकर दुनियां में दरख्वास्तें फैला दीं लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या इसी प्रकार से आप हरिजन कल्याण करना चाहते हैं?

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इस तरह से हरिजन कल्याण हो सकेगा। हरिजन कल्याण के नाम पर एक इस प्रकार की फिजा बनी कि अगर गांधी शताब्दी नहीं मानते तो हमारी हड्डी तो नहीं टूटती, हमारी बहन बेटियों की इज्जत तो खराब नहीं होती, आज यह भावना बन रही है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं उपाध्यक्षजी, मैं आपको कुरका गांव की बात कहता हूं, कुरका गांव का किस्सा है, सोवारी, खरेड़ी गांव की बात ले लीजिए, जैतोली के अन्दर मोटा गांव में झगड़े हुए। हजारों मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा सूपड़ा, सिघावली, पाडरी, खोरी, बसेई के मामले हैं। इसी सम्बन्ध में रताऊ की बात कहता हूं। इस प्रकार के हजारों मुकदमे और झगड़े चल रहे हैं। पिटाई हो रही हैं, घायल हो गए हैं परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस दलाली कर रही है। पुलिस से मिल आओ कि यह फसल काटना है और काट लो, पिटाई कर दो। पीट कर लोग भाग गए हैं। फसल को काट लिया है और किसी आदमी ने इस कार्य में इन्टरप्शन किया तो जमींदार से कह दिया एक बात करो इनके खिलाफ एक झूंठा मुकदमा दायर कर दो कि हमारी फसल ये काट कर ले गए हैं। 375 का केस बन गया और पुलिस डंडा लेकर पीछे पड़ गई। इस तरह की यह अराजकता है। आज मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय से, समाज कल्याण मन्त्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर आप इन तमाम चीजों के बारे में क्या राय रखते हैं। आप एक जांच आयोग बिठा दीजिए। हरिजन कल्याण के नाम पर आप एक गांव को ले लीजिए। उस गांव में कितने बीघा जमीन अलॉट की गई, कब्जा हुआ कि नहीं ? आज वहां दूसरे काश्तकार आराम से काश्त कर रहे हैं। कोलियों को जमीन अलॉट की गई, 103 परिवारों को जमीन अलॉट की गई, खेतोलपुरा, जसतेवरा बनवारक में 103 हरिजन परिवारों को, कोली और जाटव को जमीन अलाट की गई उसमें पटवारी ने 100 रुपया फी पट्टा के हिसाब से पहले लिया और कब्जा आज तक नहीं लेने दिया है। उनको कह दिया कि वहां तक जोत लो और जोतने गए तो उनकी पिटाई कर दी। 18 बीघा जमीन जोती तो उसकी फसल को दूसरे आदमियों ने काट लिया। जो आदमी मेहनत, मजदूरी करते हैं, वास्तविकता के अन्दर जायें तो देखिए क्या सच्चाई आती है ? जो हरिजन मेहनत करके एक रुपया डेढ़ रुपया कमाते हैं, जिन पर चार पांच बच्चे आश्रित हैं, जिसके औरत है, उस हरिजन से यह बात कही जाय कि तुम एस. डी. एम. की कोर्ट में जाकर दावा करो, मुकदमा लड़ो तो उपाध्यक्ष महोदय मुझे एक कहावत याद आती है, किसी गांव में एक आदमी का लड़का, भले आदमी का लड़का ठाड़े होकर पेशाब कर रहा था। गांव के लोगों ने समझा यह बुरा लड़का है इसके बाप से कहेंगे और वे उसके बाप के पास जाने लगे तो देखते हैं कि उसका बाप फिरकिनियां लेकर पेशाब कर रहा है। अब तहसीलदार से न्याय नहीं मिलता है तो एस. डी. एम. के पास जाओ, वहां पर नहीं मिलता है तो अलवर के हाकिम के पास जाओ, और

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

वहां से रेवेन्यू अपीलेट आॅथोरिटी के पास जाओ। वह वहां पर गया तो उसने कहा कि 300 रुपया फी बीघा की भेंट हमारे यहां पर है। उसने कहा हद हो गई, 200 रुपया और ज्यादा हो गए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन में ठेस पहुंची, जब परसों के रोज मैं भरतपुर से यहां आ रहा था विधान सभा की मीटिंग के लिए तो जेतवाली गांव की एक हरिजन विधवा महिला सिसरती ठिठुरती वहां सवेरे पांच बजे गाड़ी चलती है, उस फाटक के पास दो-तीन आदमियों को लेकर बैठी है। मोटर रुकी, क्योंकि रेल का फाटक बन्द था, मैंने उससे पूछा यहां कैसे खड़ी हो तो कहा कि हमारे एम. एल. ए. साहब जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ विधान सभा तक जाना चाहती हूं। वहां से न्याय मिल जायेगा। मैंने कहा वहां कैसे न्याय मिल जायेगा जयपुर में जबरदस्त पोल है, बड़ी बड़ी पोलें हैं, बड़े बड़े आदमी चले जायें तो भी मुश्किल से न्याय नहीं मिल पाता है। मैं तुम्हारी ओर से निवेदन कर दूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति को देख कर मुझे रोना आता है कि आज क्या व्यवस्था है, कैसी अराजकता है। क्या आप यही न्याय का नारा देकर शासन को चला रहे हैं। आज इसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। 25 हजार बीघा जमीन हरिजनों को अलाॅट की गई और आज इस 25 हजार बीघा में से एक्चुअली कल्टीवेशन कितना हो रहा है। उनको पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। पट्टे दिए जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। अगर उन्होंने कल्टीवेशन कर लिया है तो कितने आदमियों की फसल जबरन काट ली गई है और फसलें काटी गई हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या किया है। क्या उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं।

एक माननीय सदस्य : किस को सुना रहे हैं ....

श्री जयनारायण सालोदिया : भीखाभाई कान में रूई लगा कर बैठे हैं।

श्री भीखा भाई : मैं सुन रहा हूं, सब लिख रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की जाती हैं कि सरकारी नौकरियों में 28 प्रतिशत संरक्षण दिया जायेगा। क्या आप यह बता सकते हैं कि क्या आपकी आत्मा में करेज है, आप बता सकेंगे कि कितने व्यक्तियों को आपने इस कानून के अन्तर्गत, इस घोषणा के बाद, नौकरी दी है, इस घोषणा का पालन आपने किया है। हमारे यहां पर इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल के अन्दर अगर चार जगह होती हैं तो वे इन चार जगहों की घोषणा नहीं करेंगे। पहले एक को भरने की कोशिश करेंगे। हजार बारह सौ रुपया लेकर वह भर लेंगे। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी नियुक्ति करेंगे। चार जगहों का एक साथ करेंगे तो उसमें एक हिस्सा हरिजन में बंट जायेगा। मैं समाज कल्याण के अधिकारियों से नीति निर्धारकों से और उन लोगों से जो आज राजस्थान के अन्दर सोशल जस्टिस लाना चाहते हैं इनइक्वेलिटी को मिटाना चाहते हैं, नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम रेवेन्यू विभाग के अन्दर पुलिस विभाग के अन्दर

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

इन लोगों को रखा जाये। आज की पुलिस किस पर डंडा चलाती है। क्या बड़े बड़े नेताओं पर चलाती है, बड़े पूंजीपतियों पर चलाती है, नहीं। पुलिस का डंडा गरीबों के सिर पर पड़ता है, चाहे गलती की हो या न की हो। इसलिए ज्यादातर भर्ती पुलिस के अन्दर हरिजनों की होनी चाहिए। पटवारी से लेकर तहसीलदार के पद तक, 50 से 60 प्रतिशत तक रेवेन्यू विभाग के अन्दर पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए ताकि समाज की आर्थिक विषमता पर करारी चोट की जा सके। जैसा कि मैंने पहले बताया एक एस. डी. एम. एक जाति विशेष का है तो उस पर वह जातीयता हावी हो जाती है। तो इस तरह से यह जो शासन चलाते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इससे सरकारी अधिकारियों में जातिवाद चल पड़ा है जो अपने आप में घोर अनैतिकता की बात है।

तो मैं निवेदन कर रहा था, छात्रवृत्ति की घोषणा की गई कि हम आदिवासियों, हरिजनों की जाति के विद्यार्थियों को जो कि ग्रेजुएट्स हैं उनको कुछ स्थायी वजीफा, स्टाइपेन्ड देंगे। जब तक कि वे सरकारी नौकरी में नहीं लग जाते। उसका क्या हुआ ? कितने आदमी हैं और कितनों को आप वजीफा दे रहे हैं। क्या आपकी घोषणा का इम्पलीमेन्टेशन हुआ है। जो हुआ है क्या वह ठीक है। यह आपकी वोट फेचिंग डिवाइस है। हरिजनों के वोट प्राप्त करने के लिए यह सरकार हमेशा किसी न किसी बहाने से अपना जादू का डंडा इन हरिजन भाइयों पर घुमाती है और उनके वोट प्राप्त कर लेती है। खैर, यह बुरा नहीं है लेकिन जितना उनका सहयोग आप लेते हैं उसका पांच प्रतिशत कल्याण की बात तो आप सोचिए। जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के ग्रेजुएट्स के लिए वजीफा का सवाल है उसमें मेरा एक संशोधन है। और वह संशोधन सुझाव के तौर पर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं निश्चित तरीके से उनके ग्रेजुएट्स को स्टाईपेन्ड मिले, पर जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनमें कई जातियां ऐसी आती हैं जिनमें कि लोगों के पास जमीनें काफी हैं और कई लखपति भी हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : शिड्यूल्ड कास्ट्स में भी हैं।

श्री रामकिशन : कास्ट में नहीं हैं।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : कास्ट में ज्यादातर नहीं हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि उसके लिए आर्थिक मापदण्ड होना चाहिये कि उसके पास इतनी बीघा जमीन से ज्यादा हो, या उसकी इतनी आमदनी हो, उसकी कैसी आर्थिक हालत है यह देखकर वह निर्धारित किया जाय। नहीं तो यह लांगटर्म प्लान नहीं चल सकेगा।

इसके साथ ही मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण के लिए अपनी वही बात रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज देश की हालत देखी जाय तो 60 परसेन्ट हमको हरिजन, आदिवासी, महिलाओं और मुसलमानों के लिए यानी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये रिजर्वेशन करना चाहिए।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
आज आप इस तरह से जो दिखावा करते हैं वह दिखावा नहीं चलना चाहिए। जितने भी हमारे साधन हैं, चाहे प्राईवेट एन्टर-प्राईजर्स हों, चाहे दूसरे सरकारी और अर्ध सरकारी या दूसरे साधन हों, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जिसमें हरिजन, आदिवासी महिलाएं—महिलाएं चाहे किसी जाति की हों, क्योंकि मैं महिलाओं को पिछड़ा मानकर चलता हूं। आज नारी का स्थान भारतीय समाज में नगण्य है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इन्दिरा जी के और लक्ष्मीकुमारी जी को क्या मानते हैं आप? क्या उनको पिछड़ा मानते हैं?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पिछड़े हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : वे क्या कम प्रगतिशील हैं?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं उनकी प्रगतिशीलता के लिए जरूर कहता हूं, परन्तु महिलाएं आम तौर पर राज-स्थान के अन्दर और देश के अन्दर पिछड़ी हुई हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं है। उनका कोई इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स नहीं है। इस प्रकार की हर प्रकार की महिलाएं हैं चाहे वे किसी भी वर्ग की महिला हों, चाहे बड़े आदमी की हों चाहे छोटे आदमी की। महिलाओं को आज की समाज व्यवस्था में पिछड़ा मानकर चलता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात घर पर जाकर नहीं कह देना कि पिछड़ा मानता हूं।

श्री रामकिशन : आपकी घरवाली बहुत एडवान्स्ड है क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मैंने तो बराबरी का दर्जा दे रखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा है कि आपको खतरा हो गया कि मैं भाषण दिये जा रहा हूं और बद्रीप्रसाद जी चुपचाप बैठे हैं तो उनको शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए प्रोटेस्ट के तौर पर ये शब्द कहे हैं। यह उनकी मजबूरी की बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: कहीं घर पर खबर मिल गई तो मुश्किल हो जायगी। घर-घर मिट्टी के चूल्हे हैं।

श्री रामकिशन : महिलाओं के सताये हुए मालूम पड़ते हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भारतीय संविधान के अन्दर इक्विलिटी की बात कहते है, समानता की बात कहते हैं, वहां पर यह बात कहकर चलना चाहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दुर्बल लोग हैं, सताये हुए लोग हैं, विषमता की परिस्थिति में रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने नारकीय जीवन बिताया है, जिन्हें आजादी की एक सांस भी नहीं मिली, उन लोगों को विशेष अवसर प्रदान किये जायें। जब हम यह बात कहते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन, आदिवासी और दूसरे लोगों को पुलिस के अत्याचारों से, सामाजिक अत्याचारों से, विशेष प्रोटेक्शन देने की अपील करता हूं। इनको विशेष संरक्षण दिया जाय ताकि इनको सामाजिक

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
न्याय मिल सके, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों में कुछ कमी हो सके। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण अधिकारी को और दूसरे अधिकारियों से मिलकर इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ?

श्री बिरदाराम : एक उस तरफ से और एक इस तरफ से होना चाहिए।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज-कल्याण विभाग की जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की रिपोर्ट जो गत सत्र में प्रस्तुत की गई है उसके ऊपर माननीय सदस्यों की ओर से यहां पर काफी समय से चर्चा हो रही है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, इसी रिपोर्ट के आधार पर मैं अपनी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और जो कमियां हैं उनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

यहां पर इस रिपोर्ट के अन्दर जन-गणना जो कि पुरानी जन-गणना है 61 की है उसके आधार पर आबादी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों की मिलाकर करीब 23,91,470 आज से दस वर्ष पूर्व थी, जो इस समय बढ़कर करीब करीब 25 लाख के आसपास हो गई है। आबादी को देखते हुए समाज-कल्याण के लिए हमारी राज्य सरकार और सेन्टर की ओर से हमें जो भी सहायता के रूप में, अनुदान के रूप में सहायता मिलती है उसको समाज-कल्याण विभाग के द्वारा समाज को समतल बनाने के लिए, उनकी कुरीतियों को मिटाने के लिए, उनमें किसी प्रकार की बुराइयाँ आ गई हैं उनको मिटाने के लिए यह पैसा उन लोगों पर खर्च किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपकी मारफत तो अभी हमारे यहां गांधी शताब्दी चली थी उस गांधी शताब्दी के अन्दर जो काम हुए हैं उसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने घोर आपत्ति की है कि गांधी शताब्दी में जो जमीनें दी गई हैं उसके बारे में झूंठे आंकड़े देकर सदन को गुमराह किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि जो स्वतन्त्रता से पहले के हमारे यहां आंकड़े हैं उन्हें उठाकर देखा जाय तो कुल मिलाकर यहां की आबादी की संख्या को देखते हुए उनके पास जो जमीन थी वह करीब 23 लाख के आसपास भूमि थी जब कि 20 लाख के बाद के अन्दर हमारी सरकार ने मौके मौके पर कुछ जमीनों को अलॉटमैंट किया है, उनके ऊपर कब्जा नहीं दिया गया है, पट्टा नहीं दिया गया है, पट्टे मिल गये तो मुकदमे चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें 20-20 साल से उनके नाम खातेदारी राइट्स हैं, उनके नाम पट्टा है, सैटलमैंट में उनके नाम पर इन्दराज है उनकी जमीनें छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस प्रकार की प्रवृत्ति बन गई है कि हरिजनों से किस प्रकार से जमीनें छीनी जायं। आज हम देखें तो उनके पास जमीन कम थी। कम होने के कारण अच्छी मेहनत करते थे। जिससे वह जमीन उपजाऊ हो गई है। उसके कारण हर व्यक्ति की निगाह उन

(श्री श्रवणलाल)
ज़मीनों पर पड़ती है। सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि अधिकतर ऐसी जमीने हैं। उनको लोगों ने जोतना शुरू कर दिया। जैसे कि थाना, राजपुरा, सूरतगढ़, बगर कलां, प्रतापगढ़, थानागाजी, हुरडा। अधिकतर बैराठ में इस प्रकार की घटनायें ज्यादा हुई हैं जिसमें हरिजनों से जमीन छीनने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से हमारे जो भूतपूर्व मन्त्री रहे हैं, वह इस प्रकार से सम्बन्धित रहे हैं। जो उस समय सिंचाई मन्त्री रहे हैं। इस प्रकार की घोषणाएं हमारे मुख्य-मन्त्री जी करते रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि हम हरिजनों को आगे लाने के लिए उनको अधिक से अधिक जमीन देंगे। उनको जमीन दिलाई जाएगी। मुख्य मन्त्री महोदय ने जो घोषणा की है, वह तो चले गये हैं। ऐसे मन्त्रियों के खिलाफ जो हरिजनों की जमीन हड़प करके बैठ गये हैं, आने वाले मुख्य मन्त्री महोदय क्या उनसे जमीन को निकलवायेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस समय श्री हरदेव जोशी जो मन्त्री हैं, कई दफा विधान सभा में यह मामला आया। वह हरिजनों की जमीन हड़प करके बैठे हैं। मुख्य मन्त्री महोदय ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। हरिजनों की जमीन हड़पने का षड़यन्त्र उनके द्वारा रचा जाये। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि मनफूलसिंह जी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसका इस रिपोर्ट से क्या ताल्लुक है?

श्री श्रवणलाल : हरिजनों की जमीन ले ली है।

एक माननीय सदस्य : बहुत सी जमीन हरिजनों की जमीन ले ली है।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट पर बोलें।

श्री श्रवणलाल : मैं हरिजनों की जमीन के बारे में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत आक्षेप न लगायें।

श्री दिग्विजयसिंह : व्यक्तिगत आरोप होगा तो जवाब दे देंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बताइये, किस तरह से किसकी जमीन ले ली है? जो कानून बना रखा है उसी के अनुसार ली जाती है।

श्री दिग्विजयसिंह : जितनी जानकारी आपकी थी वह पहले ही दे दी है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : (अश्रव्य)

श्री लादूराम सुरानिया : आपको पता नहीं है क्या?

श्री श्रवणलाल : उनको उनकी भूमि से बेदखल करके 9 साल से कब्जा करके हड़प कर लिया है।

एक माननीय सदस्य : मनफूलसिंहजी का कह रहे हैं न?

श्री श्रवणलाल : इसी प्रकार से गांधी शताब्दी के अन्दर इस प्रकार की फिजा फैलाई कि हरिजनों को जमीन मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी मेहनत करके उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया कि हमको जमीन मिलेगी।

(श्री श्रवणलाल)

अपने बच्चों को हम पढ़ायेंगे। उनको आगे बढ़ायेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वह हरिजन परिवार जिस तहसील में इस प्रकार की जमीन चाहते थे, पूरी गांधी शताब्दी निकल गई, ऊबड़ खाबड़ जहां पानी नहीं है, काश्त किसी प्रकार से हो नहीं सकती है। इस प्रकार की जमीन उनको दी गई और जो वह अच्छी जमीन थी जिनमें काश्त हो सकती थी, उन जमीनों को पटवारी ने छुपा रखा था। जो गांधी शताब्दी के बाद अलॉटमेण्ट हुए, वह कहां छुपी हुई थी? वह पहले कहां थी? उसका कारण था। नहीं तो उस लिस्ट से हरिजनों को अलॉट करना होगा। इसलिए अच्छी जमीन जो थी वह सब कागजों में दबा दी गई। जो ऊबड़ खावड़ जमीन थी, विवादग्रस्त जमीन थी, जिसमें टीले थे, ऐसी जमीन के नम्बर देकर अलॉटमेण्ट कर दिया गया। अलॉटमेण्ट में क्या होता है गरीबों को कहा जाता है। तहसीलदार साहब उनको कहते हैं कि अमुक जमीन तुमको दिलाई जाएगी। पैसे इकट्ठे करो। पैसे इकट्ठे होते हैं। अलॉटमेण्ट कमेटी की मीटिंग होती है। वहां किसी को मालूम होगया। इसमें तो बू आ रही है। तहसीलदार ने पैसा खाया हुआ है। उसने 10 हजार रुपये की रकम वसूल की है। मगर किसी प्रकार से वहां कमेटी होती है। प्रोसीडिंग बदल दी जाती है। अमुक आदमी का अलॉटमेण्ट कैंसिल किया जाता है। वह तो अपने बाबा के पास है। तहसील हिण्डौन में पनकी ग्राम है। वहां जमीन का अलॉटमेण्ट किया गया। 10 हजार रुपये की रिश्वत ली गई है। माननीय मन्त्री महोदय, वहां दयानन्द स्टोन फर्म है। उसके मालिक को एक एक व्यक्ति ने कर्ज लेकर अदा किया है। वहां यह हुआ कि उनके पास जमीन है। उनको न दी जाये। बेचारा हरिजन शिड्यूल कास्ट था। अच्छा आदमी था। जो पत्तों का साग बनाकर बेचता था। कुछ खटीक थे। धोबी, नाई, कुम्हार आदि थे। उनको अलॉटमेण्ट किया गया। उसके बाद प्रोसीडिंग बदल दी गई। काट दी गई। कलेक्टर को लिखा गया कि ऐसा अहसास हुआ है कि यह यहाँ रहता नहीं है। यह बाहर रहता है। इसके फादर यहाँ रहते हैं। यह बाहर रहता है। मैं कहूंगा माननीय मन्त्री महोदय, इन्क्वायरी करायें। मैं साबित कर सकता हूं 10 हजार रुपये की रिश्वत ली गई है। नहीं तो विधान सभा से इस्तीफा दे सकता हूं। इस प्रकार से कार्यवाही की जाये। जिनको अलॉटमेन्ट हुआ है उनको नकलें नहीं मिली हैं। उन्होंने अलॉटमेन्ट होने से पहले ही बीज बो दिये। अलॉटमेन्ट किये हुवे दो-दो महीने हो गये। कब्जा किस प्रकार से मौके पर पटवारी जाकर दे सकता है? कहाँ जायें बेचारे।

(3.47 म. प.)

(श्री विजयसिंह मकराना, सभापति, पदासीन)

इस प्रकार अगर अमुक जगह हो रहा है सभापति महोदय, जितने इस प्रकार के सवाल हैं। हमारी सरकार ने बार-बार घोषणा की है। यहां पर 28% का कोटा है। इसको पूरा करने के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को आगे लायेंगे। इस

(श्री श्रवणलाल)

प्रकार यहां बार बार सदन में घोषणा की गई है। तो हमने भी सोचा कि हमारे कुछ बच्चे आगे बढ़ेंगे। अपने परिवारों को अच्छा बनाकर दूसरे आदमियों के बराबर सम्पन्न होंगे। घोषणा सुनकर हमने भी तालियां बजाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि 28% तो दूर रहा, आंकड़े उठाकर देखिये तो आंकड़े कहीं उपलब्ध नहीं होंगे। हमारे माननीय सदस्य इस पर कह चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। 28% तो दूर रहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे लोगों को निकाला कैसे जाता है। 3-3 साल की सर्विस है, उनको निकाला कैसे जाता है। एक व्यक्ति वन विभाग में करीब 3 साल से सर्विस कर रहा था उसको हटा दिया है। श्री प्रेमनारायण। श्री प्रेमनारायण सन आॅफ श्री हीरालाल कनिष्ठ लिपिक के पद पर 28-8 से काम कर रहा था, उसको सारी, यह दूसरा है……

श्री मनोहरसिंह मेहता : कोई हर्ज नहीं।

श्री श्रवणलाल : श्री किशनलाल महावर को उप वन निरीक्षक के पद पर 21-9-69 को नियुक्त किया गया और निकालते हैं, न किसी प्रकार का चार्ज, न किसी प्रकार की कार्यवाही, न किसी प्रकार के ऐक्शन को लेने का सवाल, उसको कार्य से मुक्त कर देते हैं 26-7-71 को कार्य-मुक्त कर देते हैं, बगैर नोटिस दिये हुए, उसकी सर्विस से छुट्टी कर देते हैं। उसने जी. ए. डी. से लिखा-पढ़ी की, अपने डिपार्टमेन्ट से लिखा-पढ़ी की, उसके साथ-साथ समाज कल्याण विभाग को कई एप्लीकेशन्स दी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

इसी तरह से जो दूसरा नाम बताया, श्री प्रेमनारायण सन आॅफ श्री हीरालाल को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 21-8-71 को मत्स्य विभाग के अन्दर एल. डी. सी. के पद पर नियुक्त किया गया। सभापति महोदय, पता नहीं उस गरीब से पटी नहीं या पता नहीं, दूसरे आने वाले से हजार, दो हजार की रिश्वत ली, उसने 21-8-71 को ड्यूटी जोइन की और 26-8-71 को उसे पत्र मिल गया कि सर्विस से हटाया जाता है, तुम्हें सर्विस से मुक्त किया जाता है। 21-8-71 को नियुक्ति और 26-8-71 को सर्विस से टर्मिनेशन, यानि चार दिन के अन्दर, इसलिए इसमें बू आती है कि दूसरे नियुक्त होने वाले ने कुछ दिया है तब जाकर जो अपॉइन्टमेंट 21-8 को किया गया वह कैंसिल किया गया।

इसी प्रकार 28 पर्सेन्ट की बात करते हैं, वह पूरी नहीं हुई। आज हमारे नौजवानों को, जिन्हें नौकरी पर रखते हैं, वहां से हटाया जाता है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, जो यह रिपोर्ट है इसके अन्दर छात्रवृत्ति का सवाल आता है। जहां तक छात्रवृत्ति का सवाल है छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि अधिक से अधिक छात्रवृत्ति मिले। हम कहते हैं, हमें जो दूसरे अनुदान दिये जा रहे हैं, चाहे समाज कल्याण के लिये दिये जा रहे हों, चाहे छूआ-छूत को मिटाने के लिए दिये जा रहे हों, चाहे दूसरी चीजों के लिए दिये जा रहे हों उनको खत्म करके पूरा पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाय जिससे स्वतः ही वह अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के

(श्री श्रवणलाल)

लिए अपने पैरों पर खड़े हो जायें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर लड़के-लड़कियों की संख्या, जो इस समय अध्ययन कर रहे हैं, विद्यालयों में, या कॉलेजों में, करीब 22,00,573 है। हमारे यहां पर छात्रवृत्तियों के रूप में, अनुदान के रूप में, सेन्ट्रल सहायता के रूप में जो खर्च करते हैं वह करते हैं करीब 23 लाख, पूरी मिला कर, सेन्ट्रल अनुदान और जो कुछ भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वह करीब इतनी है तो यह बहुत कम के बराबर है। इसमें भी ऐसा है कि एक व्यक्ति को आज अधिक मात्रा में छात्रवृत्ति मिलती है और बहुतसों को नहीं के बराबर मिलती है। मेरा सुझाव है कि इनकी संख्या को देखते हुए हमें अधिक से अधिक छात्रवृत्ति उन बच्चों को देनी चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं और जो वास्तव में उसका उपयोग कर सकते हैं।

रिक्त स्थानों का सवाल था, उसके लिए 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन के हिसाब से कोटा पूरा करने के लिए मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी। उसके लिए पिछड़ी जाति और वर्ग के व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए रोस्टर प्रणाली को अपनाया जायगा-यह घोषणा की थी। वह रजिस्टर मेन्टेन किया जायगा, और पन्द्रह दिन के अन्दर इस प्रकार की कार्यवाही की जायगी जिससे पता लग जायगा कि फलां डिपार्टमेंट के अन्दर इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को नौकरी देकर रिजर्वेशन की पूर्ति की जाय। जिस विभाग में नहीं हैं उनके लिए घोषणा की गई कि उनके अन्दर इस प्रकार के व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए कोटे की पूर्ति करने के बाद ही दूसरे व्यक्तियों को लिया जायगा। मैं समझता हूं इस घोषणा और मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा की है, उन घोषणाओं की मेरे ख्याल में कहीं पूर्ति नहीं हुई है। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, इस घोषणा के साथ साथ मैं बताऊं, राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित कोटा था, उसकी पूर्ति करनी चाहिए. उसके आंकड़े मैं आपको बताऊं कि राज्य के अन्दर रिक्त स्थान 10410 हैं यह राज्य सरकार के विभागों में रिक्त स्थान थे, इसके अलावा जो पब्लिक अन्डरटेकिंग है जो दूसरी कम्पनी. कोर्पोरेशन है, जो गवर्नमेंट से सम्बन्धित हैं उनमें 10024 हैं। कुल मिला कर 20434 जगह थीं। अब देखा जाय कि 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन के अनुसार रिक्त स्थान भरे जाते तो काफी समस्या हल हो जाती। लेकिन कितने रिक्त स्थान भरे हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 230 रखे हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स के 124। कुल मिला कर के 354 व्यक्तियों को अपाइन्टमेंट दे पाये हैं जब कि संख्या थी रिक्त स्थानों की कुल 20434। अब, सभापति महोदय, आप अन्दाज लगाइये, इसमें कितना पर्सेन्टेज आयेगा ? 20434 में से 354 को दे पाये हैं। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री से मांग करता हूं, जिस प्रकारी की आपने घोषणा की हैं उसको पूरा करें और पूरा करने के साथ साथ आपने 28 पर्सेन्ट कोई रिजर्वेशन किया है, इसको पब्लिक अन्डरटेकिंग आदि में भी लागू करना चाहिए। जिनमें गवर्नमेंट के शेअर हैं, जो फैक्ट्री हैं उनके अन्दर भी इस कोटे को लागू करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के शेअर हैं पब्लिक अन्डर-

(श्री श्रवणलाल)

टेकिंग के अन्दर गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, इसलिए यह जो कोटा फिक्स किया है उसको वहां लागू करें जिससे और लोगों का भी भला हो सके। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं, जो संस्थायें हैं, जो एडेड संस्थायें हैं—चाहे स्कूल हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे दूसरी प्रकार की संस्थायें हों—इनमें इस प्रकार की प्रणाली लागू करनी पड़ेगी कि उनके अन्दर भी यह रिजर्वेशन हो क्योंकि पैसा आप देते हैं, एड आप देते है और एड के कारण से वह संस्थायें चलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर लालबहादुर शास्त्री कॉलेज चलता है। आपने कोई नियम नहीं बनाया है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग और ऐसी संस्थाओं के अन्दर भी 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन की प्रणाली लागू की जाय, इसलिए वह मनमानी करते हैं। वह किस प्रकार करते हैं? गवर्नमेंट से एड मिल जाती है, कॉलेज खोल लेते हैं और अपने कुटुम्ब के पालन की योजना चालू कर देते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि शास्त्री कॉलेज में घनश्याम तिवारी है....

श्री मनोहरसिंह मेहता : लालबहादुर शास्त्री कॉलेज तो तिवारी कुटुम्ब कॉलेज है।

श्री श्रवणलाल : जयपुर में लालबहादुर शास्त्री कॉलेज है। नाम अच्छा रखा है, शास्त्री कॉलेज। कितने महान व्यक्ति के नाम पर किस तरह की करतूत करते हैं। शास्त्री के नाम से कॉलेज खोल दिया, उसमें कौन हैं, ललित शंकर तिवारी—भतीजा, श्री विष्णु पाठक—जंवाई, देवीशंकर तिवारी के....

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनके लड़के-लड़की ही भरे हुए हैं।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, राजेश राय यह भतीजा है। श्री गंगाधर भट्ट यह जवाई है, श्री घनश्याम तिवारी यह उनके भाणजे हैं, श्रीमती रेखा तिवारी ये उनके लड़के की बहू है। कितना सुन्दर मामला है....

श्री मनोहरसिंह मेहता : यही लालबहादुर शास्त्री कॉलेज नहीं है यह तो कुटुम्ब पाल कॉलेज है।

एक माननीय सदस्य : यही तो समाजवाद है।

श्री श्रवणलाल : इस प्रकार कोई नहीं बचा है। भाई, भतीजा आगया, जवाई आ गया है, लड़के की बहू आ गयी है। तो, सभापति महोदय, इनमें आपको कहीं भी एक भी आदिवासी या पिछड़ी जाति का सदस्य नहीं है। सभापति महोदय जबकि राज्य सरकार अपनी जो नीतियां घोषित करती है उनके अनुसार 28 परसेन्ट का रिजर्वेशन किया गया है। मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह राज्य सरकार के दफ्तरों में ही क्यों रहे। यह सरकार के जितने पब्लिक अण्डर टेकिंग्ज हैं उनमें भी होना चाहिये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जिनमें राज्य सरकार के शेयर्स हैं उनमें भी ऐसा रिजर्वेशन होना चाहिये जितनी भी एडेड स्कूल्स हैं उनमें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नौजवानों को प्राथमिकता रिजर्वेशन के आधार पर दिया जाना चाहिये और उन सभी इन्स्टीट्यूशन्स में भी इसी प्रकार रिजर्वेशन होना चाहिये और उन्हें वहां नौकरियां मिलनी चाहिये।

(श्री श्रवणलाल)
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कोई रिजर्वेशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है और गरीब हरिजनों के नौजवानों को कहीं पर नौकरियों की सुलभता नहीं है। इसके साथ साथ मुझे, सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है....

श्री सभापति : क्यों ?

श्री श्रवणलाल : अफसोस इस बात का है, सभापति महोदय, यह सरकार इस सदन में समाजवाद के ऊंचे ऊंचे नारे लगाती है कि इस तरह की सहूलियतें सरकार आदिवासी लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रही है और सरकार इतना खर्चा कर रही है उनके उत्थान के लिये। सभापति महोदय, आज जो राज्य सरकार द्वारा खर्चा किया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहने को तो सरकार ने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नारी निकेतन केन्द्र खोले हुए हैं। मैं आपको सभापति महोदय ऐसे ही नारी निकेतन के बारे में निवेदन करूंगा। भरतपुर के अन्दर एक नारी निकेतन समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है वहां पर एक हरिजन लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया....

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारी तरफ भी ऐसे ही केन्द्र खुले हुए हैं....

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, उस लड़की ने बताया कि उसके साथ क्या अभद्र व्यवहार वहां किया गया है। इसके अलावा उसको पीटा गया तथा उसके साथ बलात्कार भी किया गया। जहां इस प्रकार का हरिजनों के साथ इन नारी निकेतन में बर्ताव किया जाये, इस तरह की कार्यवाहियां होने पर यहां कोई सुनने वाला नहीं है। उस लड़की ने जिसने अपने साथ जो बर्ताव हुआ उसके लिए उन लोगों के खिलाफ स्टेटमेन्ट दिये पर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई इन्क्वायरी नहीं होती है। ये, सभापति महोदय, नारी निकेतन नहीं है, नारी के रक्षक नहीं ये तो भक्षक हैं। गरीब हरिजनों की लड़कियों के साथ बलात्कार करके इन्हें इस तरह खराब किये जाते हैं और ये समाज कल्याण केन्द्र नहीं हैं। वहां जो लड़कियां रहती हैं उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता है। अफसोस तो इस बात का है, सभापति महोदय, कि समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार में आज ऐसे कृत्यों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होती। माननीय सभापति महोदय....

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, कोई मिनिस्टर नहीं है....

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मिनिस्टर हैं।

श्री सभापति : प्लीज केरी ओन।

श्री शंकरलाल : भीखाभाई जी खड़े हैं न।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, भीखाभाई बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर पाते तो खड़े होकर क्या करेंगे।

श्री सभापति : केरी ओन।

श्री भीखाभाई : I have not left the House.

श्री भैरोंसिंह : अंग्रेजी नहीं बोलें ।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं आपके मारफत मंत्री महोदय, से पूछना चाहूंगा कि क्या आप बता सकते हैं कि इनके लिए आपने क्या कार्यवाही की है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब आप जल्दी ही समाप्त करें ।

श्री श्रवणलाल : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, अभी तो और बोलेंगे ।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने बड़ी लम्बी चौड़ी घोषणायें की थी और जब भी सेशन आता है तो माननीय सदस्यों को यह घोषणायें सुनने में मिलती हैं, कि सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब को इतनी सहूलियतें दे रही है और इस प्रकार की घोषणायें सुनकर सदन में तालियां बजायी जाती हैं तो सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितना फायदा सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये आज तक उनके भले के लिये क्या किया गया । अभी नये मुख्य मन्त्री जी ने भी मुख्य मन्त्री पद की शपथ लेते ही घोषणायें की थी क्या उन्होंने जो घोषणायें की थी उनकी क्रियान्विति हुई है । सभापति महोदय, मैं पुरजोर शब्दों से कहता हूं कि सरकार को शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये जो, घोषणायें जमीन के बारे में की हैं उन्हें पूरी की जानी चाहिये और जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दी जानी चाहिये । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितनी घोषणायें सरकार ने आदिवासी लोगों को जमीन देने के बारे में की है कितने भूमिहीन लोगों को उसने जमीनें आज तक दिलायी हैं । मेरा मुख्य मन्त्री जी से इसके लिये अनुरोध है कि हरिजन जाति के इन लोगों को जो कि भूमिहीन हैं उन्हें जमीनें दिलायी जाय ताकि वो अपने परिवार वालों का पेट पाल सकें और अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, पिछले सेशन में राज्य सरकार ने यह कहा था कि सीलिंग से जो जमीनें राज्य सरकार के पास आयेंगी उन जमीनों को हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों में बांटी जायेगी ताकि वो उन पर खेती करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें । मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को और शिड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें दी जाय और उसका कब्जा उन्हें दिया जाय । इसी प्रकार, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने हरिजनों के रहने के लिये मकान के बारे में घोषणायें की थीं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये जमीनें चाहे वे यू. आई. टी. से अलॉट हों, चाहे वे गांव में हों तो पंचायतों से हो चाहे म्यूनिसपैलिटी है उन्हें उपलब्ध करायी जानी चाहिये । इसी प्रकार अगर आबादी की जमीन हो तो वो भी इन्हें दी

(श्री श्रवणलाल)

जानी चाहिये। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये घोषणायें होने के बाद जयपुर की यू. आई. टी. ने कितनी जमीन के प्लॉट हरिजन लोगों को बांटे, कितने शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों में अलॉट किये? कहने को तो यह कह देते हैं हम शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों और हरिजनों को जमीनें देंगे, रहने को मकान देंगे। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कितने हरिजनों को इन्होंने पट्टे दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करने वाला हूं। सभापति महोदय, अभी गान्धी शताब्दी के मौके पर कुछ लोगों को जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को जयपुर यू. आई. टी. द्वारा 16 प्लाट अलॉट किये गये थे जिनमें कुछ एम. एल. एज. भी थे और कुछ लोग और भी थे। इन लोगों में से एक डिप्टी मिनिस्टर सेन्ट्रल के भी थे, एक मिनिस्टर साहब भी थे। दुर्भाग्य से सभापति महोदय, इसमें एक प्लॉट भीखा भाई की लड़की के नाम भी अलॉट हुआ था। तो, सभापति महोदय, जिन हरिजन लोगों को गान्धी शताब्दी में प्लॉट यू. आई. टी. द्वारा अलॉट किये गये थे उन्हें कैंसल कर दिया गया क्योंकि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। सभापति महोदय, आज अगर कोई आदमी जयपुर में दस बीस साल तक आकर रहे और उसके पास कोई जगह नहीं हो रहने के लिये तो कम से कम आपको उसे ठहरने के लिये कोई इन्तजाम तो करना चाहिये। इन दस बीस सालों में, सभापति महोदय, हरिजन जाति और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को कोई प्लॉट अलॉट नहीं किये गये और जो गान्धी शताब्दी के अन्तर्गत 16 प्लॉट एलॉट किये थे वह सभी के सभी कैंसल कर दिये गये क्योंकि हरिजनों का यह मामला है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों का मामला है। हरिदेवजी जोशी ने सांसियों और कन्जरों की जमीन को दबा रखा है उनसे कभी खाली नहीं कराई जावेगी और इसी प्रकार दूसरों से खाली नहीं करायेंगे क्योंकि वे स्वयं इसमें लिप्त हैं। इसलिये इन गम्भीर शब्दों के साथ इन तथ्यों पर विचार किया जाय।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जो मैं कहने से भूल गया हूँ। एक दूसरी प्रणाली अपना ली है। पहले एक हजार रुपया मकान बनाने के लिये सहायता मिलती थी और बड़ी मुश्किल से मिलती थी। वह पंचायत समिति के द्वारा मिलती थी। जब तक नीचे से लेकर विकास अधिकारी तक परसेन्टेज नियत नहीं हो जाता वह हमारा काम नहीं करते। यह प्रणाली समाप्त हो गई। इसकी जगह दो हजार रुपया लोन दिया जायगा बिना ब्याज के।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो हजार रुपया में मकान नहीं बन सकता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : जो पैसा आपने रख रखा है उसको बढ़ाकर पांच हजार कर दीजिये। हमें अनुदान मत दीजिये लोन के

(श्री श्रवणलाल)
रूप में दीजिये। पांच हजार रुपया दें तो मकान तो खड़ा कर सकें। लोन के रूप में अदा करेंगे।

एक ही बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। प्रीमेडीकल टैस्ट होते हैं। अनुसूचित जाति और जन जातियों के विद्यार्थियों को उसमें सलेक्ट किया जाता है। किसी प्रकार की छूट नहीं है कि हरिजन और आदिवासी जातियों के विद्यार्थियों को कोइ छूट नहीं है कि अगर प्रिमेडीकल टैस्ट में फेल हो जायं तो दुबारा उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है कि सलेक्ट हो सकें। वे आ नहीं सकते हैं। जो जगह सुरक्षित हैं और जो खाली हो जाती हैं उन पर दूसरों को सलेक्ट कर लिया जाता है और दूसरों के लिये ऐसा करने के लिये हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि चाहे मेडीकल टैस्ट हो या न हो और सलेक्ट हो या न हो, हमारे रिजर्व कोटा की पूर्ति हर सूरत में होनी चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड टाइब्स के बच्चे प्रीमेडीकल टैस्ट में यदि दो तीन बार भी फेल हो जाय तो भी उनको कोटा के हिसाब से जगह मिलनी चाहिये।

श्री मनोहरसिंह : समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल यादव।

श्री लादूराम सुलानिया : हमें इजाजत दीजिये।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के एक सदस्य बोल चुके हैं और बी. के. डी. का तो नम्बर ही नहीं आया है। सब का नम्बर आ जावेगा।

यस। श्री अमृतलाल यादव !

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय....

कई माननीय सदस्य : ये तो मन्त्री रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव (राजसमन्द) : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। चूंकि यह संविधान के कारण अनिवार्य है किसी भी राज्य सरकार के लिये कि वह इसे सदन में प्रस्तुत करे और इसीलिये यह सदन में प्रस्तुत की जाती है। हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यह एक ऐसा रिवाज सा बन गया है कि चूंकि उपस्थित करना है इसलिये उपस्थित की गयी है लेकिन इसके पीछे जो मंशा है उसके अन्दर हमें कुछ कमी नजर आती है और उसके प्रमाण में मैं यह मानता हूं कि किसी भी सदन में यह रिपोर्ट डिस्कस की जाय तो राज्य के मुख्य मन्त्री को, राज्य के वरिष्ठ मन्त्री को उपस्थित अवश्य रहना चाहिये और अधिकारियों में मुख्य सचिव और राजस्व सचिव और विभाग के सचिव अनिवार्य तौर पर उपस्थित होने चाहियें। लेकिन यदि ओफिसर्स गेलेरी में आप इस बात को खुद देखेंगे तो प्रमाण मिलेगा कि सिवाय समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के और किसी विभाग का अधिकारी नहीं है।

श्री सभापति : चूंकि मैं कभी मन्त्री नहीं रहा इसलिये मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जब मैं मिनिस्टर था तो यह देखता था कि दूसरे विभाग के मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री जी भी उपस्थित रहते थे।

कई माननीय सदस्य : गलत। गलत।

श्री भैरोंसिंह : इसका माने भोखा भाई आप से कमजोर हैं।

श्री अमृतलाल यादव : इस रिपोर्ट की बहस के समय यथासंभव वरिष्ठ मन्त्रीगण और यथासंभव राज्य के उच्चाधिकारीगण उपस्थित हों तो उनको मालूम पड़े कि माननीय सदस्य अपने विचारों में क्या क्या कठिनाइयां और दिक्कत अनुभव करते हैं वे सदन के सामने रखते हैं और किस प्रकार से उनको कार्यवाही करने में सहूलियत हो सकती है।

68-69 की यह रिपोर्ट है। 69-70 की रिपोर्ट भी सदन के सामने आनी चाहिये। जो कुछ भी रिपोर्ट आयी है इस रिपोर्ट के क्रम के अनुसार सबसे पहले शिक्षा के सवाल को रखा है। शिक्षा के माने में इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान सरकार ने काफी महत्वपूर्ण काम किये हैं। काफी धनराशि के, छात्रवृत्ति और छात्रावासों के लिये और विभिन्न प्रकार को शैक्षणिक प्रगति के लिये, प्रावधान किये हैं और उन प्रावधान के कारण ही उन वर्ग में शैक्षणिक चिन्तन आया है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

लेकिन सवाल सामने यह है कि क्या हम इसको हमेशा के लिये रखना चाहते हैं या जब तक ऐसी स्थिति है इन वर्गों को समान अधिकार न मिल जायं तब तक उनका संरक्षण हो और यह प्रयत्न किया जाय कि न कोई हरिजन रहे और न ही कोई सवर्ण रहे, हम सब भारतवासी रहें इसी दिशा में हमारा प्रयत्न करने का विचार है। उस दृष्टि से मैं सोचता हूं तो मैं इस राय का हूं कि जो हमारे विद्यार्थी कालेज में पढ़ते हैं उनके लिये हमें अलग से कोई जरूरत नहीं है। राजकीय कालेजों से अटेच्ड छात्रावास हैं उनमें इन विद्यार्थियों को रखना चाहिये ताकि उनमें निम्नता की भावना है वह निकले, वे सवर्ण विद्यार्थियों के संपर्क में रह कर अपने संस्कारों को बढ़ायेंगे और समानीकरण की भावना उनमें पैदा होगी और इधर सवर्ण विद्यार्थियों में भी इस प्रकार भेदभाव नहीं रहेगा। उस दृष्टि से भी राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किया है और मुझे मालूम है कि पांच प्रतिशत उन छात्रावासों को जिनसे मेडीकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेज अटेच्ड हैं सुरक्षित किया है। कई कारणों से उन विद्यार्थियों को स्थान नहीं मिलता है, कई अड़चन उनके सामने ला दी जाती हैं जिससे भरती नहीं हो सकते हैं, कोई टेक्निकल फ्लो रख दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि पांच प्रतिशत के बजाय जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के विद्यार्थी हैं उन सब को पहले प्राथमिकता दी जाय और बाद में दूसरे विद्यार्थियों को लिया जाय तो मैं समझता हूं कि स्वस्थ वातावरण बनेगा

(श्री अमृतलाल यादव)
और इस प्रकार जो अलग छात्रावासों पर रकम खर्च की जाती है वह रकम बचाकर इन विद्यार्थियों को जिनके मां बाप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको दी जावे। जिनके मां बाप की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत ठीक है उनको कम सहायता दी जावे और जिनकी अधिक खराब है उनको अधिक दी जावे।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सदस्य, एक बात बता दें। आज से दो महीने पहले तक जब कि आप मन्त्रिमण्डल में थे तब ऐसी बात आपको क्यों नहीं उपजती थी? तब तो ऐसा करना आपके हाथ में ही था, क्यों नहीं किया? फिर आज भी तो सरकार आपकी ही है, आप करा सकते हैं। कराते क्यों नहीं, बातें क्यों करते हैं। इतने दिन बीस बरस से अधिक समय तक मिनिस्ट्री में बैठकर क्या अब तक ××× कोन आपको रोक रहा था? किया क्यों नहीं ऐसा?

श्री सभापति : शब्द एक्सपन्ज कर दिये जावें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, ××× नाम तो मछली का है। इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : हरिजनों और आदिवासियों पर नाना प्रकार के अन्याय अत्याचार होते रहे लगातार। आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया। आज कहते हैं होना चाहिये। यह होना चाहिये, वह होना चाहिये जब धरती दिखने लग गई। मिनिस्ट्री में थे तब तो बस ऐशो अशरत में डूबे रहे हैं। अब याद आ रहे हैं हम। आज भी आपकी सरकार है, कराइये इससे।

श्री सभापति : आप बोलेंगे जब अगर इसी तरह आपको डिस्टर्ब किया तब?

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। मेरा तो केवल यही कहना है कि आप बीस पच्चीस सालों तक लगातार मिनिस्ट्री में रहे, प्रतिनिधि रहे, पर इस सारे अरसे में कुछ नहीं किया, खुद ऐश आराम में पड़े रह गये, आज वे ऐश अशरत छूट गये और धरती दिखने लग गई तब हम याद आये हैं। जिस समय ये मिनिस्ट्री में गये तब जो हालत हमारी थी, वही आज है। आज भी आप सरकार में ही बैठे हो एक तरह से तो बजाय कहने के अब भी कुछ करके दिखाओ।

श्री गोकुल प्रसाद जाटव : हमने नहीं किया तो आप कर लेना।

श्री लादूराम सुलानिया : आपकी सरकार चली जावेगी तो हम तो करेंगे ही। आप इस तरह से बोलकर क्यों समय खराब करते हैं सदन का।

श्री सभापति : आप कृपा करके बिराजिये।

श्री अमृतलाल यादव : मैं निवेदन कर रहा था ता विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से और राज्य सरकार के साधन सीमित होने की वजह से यह

.×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री अमृतलाल यादव)

आवश्यक हो गया है कि आंख मींचकर सभी विद्यार्थियों को एक दम सहायता दी जावे यह सम्भव नहीं होगा। इसलिये आर्थिक स्थिति का आधार मानकर उन विद्यार्थियों को सहायता दी जावे और उनको आम सार्वजनिक छात्रावासों में रखा जावे जिससे वे एकता की भावना को हृदयंगम कर सकें।

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से या स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से जो छात्रावास चलते हैं कुछ हरिजनों के और कुछ आदिवासियों के वहां हमने इस प्रथा को डाला कि हरिजनों और आदिवासियों में एकात्मक भावना का विकास हो इसके लिये हरिजनों के छात्रावासों में बीस प्रतिशत आदिवासी छात्रों को प्रवेश दिया जावे और आदिवासी छात्रावासों में बीस प्रतिशत हरिजन छात्रों को प्रवेश मिले। यह सुन्दर नीति है सरकार की। इसकी मैं सराहना करता हूं।

कहीं कहीं इन कामों को कार्यरूप में परिणित करने वाले जो कर्मचारी हैं जैसे छात्रावासों के व्यवस्थापक हैं या दूसरे लोग हैं वे गफलत कर देते हैं या इस बात के महत्व को नहीं समझ पाते कि राज्य सरकार का इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि राज्य सरकार के विभागों के संचालक हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं वे जागरूक रहें और राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुकूल वे सरकार की नीति को अमल में लावें।

माननीय सभापतिजी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या आदिवासी लोगों की है। हरिजन अधिकतर शहरों में रहते हैं या गांवों में पर आदिवासी अधिकांश दूर गांवों में जंगलों में रहते हैं। उनकी अधिकांश आबादी ऐसी जगहों पर हैं जहां आवागमन के साधन नहीं हैं, ऊंट, जीप आदि साधन भी जहां पहुंच नहीं सकते। आदमी को पैदल पहुंचना भी जहां मुश्किल होता है। तो उनकी भी हमें देखभाल करनी है। उनके बच्चों के शिक्षण की भी व्यवस्था करनी है। वे भी भारत के ही नौनिहाल हैं। होनहार बालक हैं और बालकों की ही तरह। इसके लिये स्वर्गीय ठक्कर बापा ने एक योजना निकाली थी आश्रम स्कूलों की। आश्रम स्कूलों के माने यह कि अध्यापक जहां रहें वहीं विद्यार्थी रहें। तो विद्यार्थियों को आने जाने की असुविधा नहीं रहेगी। ऐसे आश्रम स्कूल गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्यप्रदेश में, जहां इनकी अधिक संख्या है, हैं। राजस्थान में इनकी संख्या आज कम है इनकी आबादी को देखते हुए। यहां केवल ऐसे आश्रम स्कूल चार हैं सरकार की तरफ के और तीन स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर के हैं। मैं समझता हूं कि कुछ दूसरी तरफ कमी करके भी इनको प्राथमिकता दी जाय। इनको अधिक सहायता दी जाय। उनको पूरी सहायता मिलनी चाहिये। यह खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे राज्यों ने कुछ स्पेसीफिक प्रोवीजन रखा है हरिजन आदिवासी छात्रों को विदेशों में ट्रेनिंग पर भेजने के लिये टेक्निकल इन्जीनियरिंग

(श्री अमृतलाल यादव)

या मेडिकल साइड की। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेस के शासन काल में उसके विशेष प्रयत्नों से यह स्थिति आई है, यह चेतना आई है और सौभाग्य से आज प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी भी हम में मिलने लगे हैं जो डिस्टिंक्शन भी लाये हैं, फस्ट डिविजन भी पास होते हैं। अगर ऐसे विद्यार्थियों को विदेशों में विशेष अध्ययन के लिये इनको भेजना प्रारम्भ करे, सरकार इनको भी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे तो यह एक उत्तम बात होगी। फिर इसमें राज्य सरकार को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार इसकी व्यवस्था करती है। थोड़ा बहुत राज्य सरकार को करना पड़ेगा। पर ऐसा लगता है कि समाज कल्याण विभाग अभी तक इस और विशेष ध्यान नहीं दे पाया है। आशा करता हूं कि सरकार अब इस ओर विशेष ध्यान देगी। और नमूने के तौर पर एक दो विद्यार्थियों को भिजवाने के लिये ठोस प्रयास करेगी। मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूं।

जमीन का सवाल भी आया। मेरे से पूर्व वक्ता ने इस बारे में जो कहा मैं उससे सहमत हूं। इसके लिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह ऐसा आदेश निकाले कि हरिजन आदिवासी जो पिछली अक्टूबर तक जो जमीन पर कहीं काबिज हैं और जो कुछ निर्माण कार्य भी कर लिया है तो उसका नियमन कर दिया जावेगा और जिन आदिवासी या हरिजनों को शहर के बाहर बढ़िया जमीन मिली हुई है वह उनसे नहीं छीनेगी। आज उन जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इस लालच में उनसे छीनकर सरकार अगर बेचना चाहे, तो यह वाजिब नहीं होगा। और रही पट्टे वाली बात। तो सरकार उनको एक रुपया लेकर जैसी सरकार की घोषणा है उसके मुताबिक उनको उन जमीनों का पट्टा भी दे देगी। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है जो चालीस बीस साल से निवास करता है उसको एक रुपये के पट्टे पर दिया जाना चाहिये। पर वह काम जिस तरह से होना चाहिये नहीं हुआ। कुछ मामलों को जिलाधीश के सुपुर्द करने की भी कोशिश की, पर वहां से भी नहीं हुआ।

वाजिब बात तो यह है कि एक एक पत्ते को सींचने से काम नहीं बनेगा। इसकी जड़ को पकड़ कर हमें उसका इलाज करना होगा और वह यह उचित होगा कि जिसका भी नाम मतदाता सूची में हो उसको ये पट्टे दे दिये जाने चाहिये। और ये पट्टा की जिम्मेदारी राज्य के जिलाधीश के दफ्तर की होनी चाहिए, वे इसकी जिम्मेदारी को निभायें तो निश्चित रूप से हल होगी।

श्री लादूराम सुलानिया : ऐसा कानून तो अभी है....

(शोरगुल, व्यवधान)

इतना कानून तो है।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री सभापति : श्री सुलानिया।

श्री अमृतलाल यादव : है या नहीं है मैं आपसे ज्यादा जानता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : जानते हैं तो आप पालन करवाते....

श्री अमृतलाल यादव : आपको इतना सब्र तो रखना चाहिये माननीय सदस्य, मैं बोल रहा हूं उसके बाद आप बोल लेते....

श्री लाटूराम सुलानिया : उस समय आपको कौन रोक रहा था।

(व्यवधान)

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति जी, जो कुछ आप कहना चाहते हैं उससे ज्यादा मुझे मालूम है। आज गरीब लोगों की स्थिति बहुत नाजुक हो रही है। गरीब और आदिवासी के तिलक निकाल कर रहने दिया और एक ब्राह्मण को निकाल दिया जाय यह भी हम नहीं चाहते हैं। गरीबी हर एक को तकलीफ देती है। हर इन्सान का अभाव अभियोग दूर होना चाहिये। समाजवादी सरकार की यह नीति स्पष्ट होनी चाहिये जहां दुखी हों उसको राहत मिलनी चाहिये। इसलिये जो भू-खण्ड प्राप्त हों उनका निश्चित रूप से आवंटन सही तरीके से, डिजरविंग तरीके से होना चाहिये।

ग्राम पंचायतों की हालत आज खराब है। आज मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की जांच करवायें। ग्राम पंचायतों ने अपनी आमदनी का मुख्य जरिया क्या बना रखा है जमीनें बेचने का। उनसे कहें जमीनें हरिजनों को दीजिये, आदिवासियों को दीजिये तो वे हां भर लेंगे लेकिन देते नहीं हैं। अगर आप जांच करवायें तो मालूम हो जायगा कि पंचायतों ने कितनी जमीन दी है। मैं छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं, ग्राम पंचायत बनने से पहले कहीं कोई हड्डियों का ठेका नहीं होता था। मेहतर ही उनको चुन लिया करते थे। बल्कि कहीं कोई जानवर मर जाता था तो वे कहते थे इसे उठाकर ले जावो—सड़ रहा है। कोई यह नहीं कहता था कि मैं इसकी कीमत ले लूंगा। लेकिन आज ग्राम पंचायतों ने हड्डियों का ठेका देकर अपनी आमदनी का मुख्य जरिया बना रखा है। हमने कोशिश भी की कि यह आमदनी का जरिया बन ही गया है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कोई जरिया हो जिससे हरिजनों को भी लाभ हो जाय और ठेका भी दे दिया जाय। हमने इसके लिए यह कोशिश की कि सहकारी समिति बनाकर इस ठेके में मेहतरों को प्राथमिकता दी जाय और यह आदेश भिजवाये हैं। मैं समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहूंगा इसकी पालना निश्चित रूप से करवायें। आज आप देखेंगे कि जो हड्डियों का कलेक्शन हो रहा है वह तो मेहतर ही कर रहा है लेकिन उसका लाभ दूसरे ठेकेदार उठा रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कृपा कर इस पर प्रकाश डालें कि हरिजन और आदिवादी शराब से तो पीड़ित नहीं हैं।

श्री अमृतलाल यादव : आखिर में डालूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : लेकिन अवश्य डाल दीजिये।

श्री सभापति : आखिर आ चुका है।

श्री अमृतलाल यादव : आखिर आ चुका है क्या? अच्छा तो मैं जल्दी जल्दी में कह दूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था आज राज्य सरकार ने पिछड़ी जाति के लिये नौकरियों में 28 प्रतिशत का कोटा कर दिया लेकिन आज मैला उठाने के लिए एक

Page No 116

(श्री अमृतलाल यादव)
प्रतिशत भंगी के अलावा कोई दूसरा नहीं आता है। मेरी मान्यता यह हो गई है कि भंगी का जो काम है, मैला उठाने का उस काम में भंगी को बिलकुल मजबूर नहीं किया जाय और जो लोग दूसरे करना चाहें वे करें और जब तक....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप 250) रु. का वेतन करा दीजिये । 250 से 300 का ग्रेड करा दीजिये ।

श्री लादूराम सुलानिया : अब इनके बस की बात नहीं है ।

श्री अमृतलाल यादव : अब तो सभापति महोदय, मेहतरों की....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सवर्णों की बात अब याद आई है जब मंत्री मण्डल से बेवफा होकर निकाल दिये गये तब याद आई है उस समय तक तो××× में रहे तब तो दलित वर्ग भी याद नहीं आया....

श्री जसराज : पाइन्ट आफ ऑर्डर ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ ऑर्डर आ गया है ।

श्री जसराज : माननीय सदस्य ने जो ××× कहा है उसको एक्सपंज करा दिया जाय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह तो तथ्यों पर आधारित है ।

श्री जसराज : यह आब्जेक्शनेबिल है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह आब्जेक्शनेबिल नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : अश्लील नहीं तो असभ्य जरूर है ।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या मतलब समझते हैं ? कोई भी माननीय सदस्य×××में नहीं रहता है ।

श्री जसराज : इसको एक्सपंज कर दिया जाय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने ऐसा नहीं कहा है....

श्री जसराज : नहीं नहीं कहा है। इसको एक्सपंज करा दिया जाय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने कह दिया अध्यक्ष ने आज्ञा दे दी आपको आसन को कंपेल करने का कोई हक नहीं है ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कहीं उन्होंने मुझे ××× में देखा हो तो यहां बताया जाय नहीं तो इन शब्दों को वापिस लिया जाय ।

श्री मनोहरसिंह : शराब कभी नहीं पी यह तो मैं भी कह सकता हूँ ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सभापति जी माननीय सदस्य ने एक प्रश्न ऐसा खड़ा किया है कि मैंने आंखों से देखा हो कभी नहीं देखा ।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : You should withdraw your words.

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह तो मैंने शासन मेंXXXके लिये कहा है।

श्री शंकरलाल : आपने किस आधार पर कहा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति जी........

श्री सभापति : यह कहते हैं मैंने नहीं देखा तो विथ ड्रा कर लिया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: (माननीय सदस्य जसराज जी की ओर इशारा करके) आप शराब नहीं पीते हैं क्या ? आप बता दीजिये....

श्री जसराज : आपने इनको आंखों से देखा है क्या ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नहीं, पहले आप बता दीजिये । आप झूंठ ही बोल दीजिये कहीं तो कुछ करिये ।

श्री शंकरलाल : वहां से (श्री अमृतलाल यादव से) अब इनके ऊपर आ गये ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम बुलानिया : बात तो यह ठीक ही है । कम से कमXXXकी बात तो नहीं कहनी चाहिये । यह शब्द तो हर हालत में लेना ही चाहिये ।

श्री जसराज : यह वापिस नहीं लेंगे तब तक कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

श्री सभापति : मैं इसको एक्सपंज करता हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बात कही है वह यह है कि जब ये शासन में रहे तो ये शासन केXXXमें इस तरह रहे कि इनको कुछ पता नहीं रहा और जब ये शासन से निकाल दिये गये, मंत्रिमण्डल से हटा दिये गये तोXXXहट गया । इनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आरोप इस प्रांगण में आये तो........

श्री सभापति : आपने आलरेडी टाइम ले लिया है ।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापतिजी इस सदन के सदस्य के नाते जैसे माननीय सदस्य को अधिकार है अपने विचार रखने का वैसे ही मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है । मैं मंत्रिमण्डल में रहने का कोई जिन्दगी भर का पट्टा लेकर नहीं आया हूं और माननीय सदस्य लाए हों पट्टा तो वह जानें । यहां पर ओछी बातें करना मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है । और माननीय सदस्य को संयमित बातें यहां सदन में करनी चाहिए । माननीय सभापति जी, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया और ये कितना ही डिस्टर्ब करेंगे तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा और मुझे अपने विचार जाहिर करने का पूरा अधिकार है.........

XXXअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले ये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति जी, मैं यह जरूर चाहूंगा कि पिछले सदन में जो भी आरोप माननीय मंत्री होने के नाते इस सदन के अन्दर लगे हैं यह बेहतरीन मौका है इसके लिए कि यह भी सफाई दे दें.........

श्री सभापति : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज ।

श्री जसराज : चर्चा हो रही है और ये बीच में व्यवधान कर रहे हैं ।

श्री सभापति : तो फिर आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति जी, जसराज भी ज्यादा बोल रहे हैं और कृपा करके मैं पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट के द्वारा इस तरह से भ्रष्टाचार में पकड़े गए सरकारी सेवा से इनको बरखास्त किया गया और इस तरह का इनका आचरण रहा है इसकी सफाई भी आज हो जानी चाहिए । मैं यह आरोप लगाता हूं कि यह भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बरखास्त किये गये इसकी भी सफाई हो जानी चाहिये ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज आप कोई प्रस्ताव रख दें बाद में ।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति जी, जमीनों के मामले में जहां तक मुझे याद है.........

श्री सभापति : (माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें ।

श्री अमृतलाल यादव : सारे देश के अन्दर एक राजस्थान सरकार पहली है कि जिसने गांधी शताब्दी वर्ष में केवल हरिजनों और आदिवासियों के लिए भूमिहीनों को भूमि आवंटन का प्रावधान किया है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि लाखों बीघा, हजारों नहीं लाखों बीघा जमीन हरिजनों और आदिवासियों के लिए अवाप्त की गयी । इसके लिये राज्य सरकार बेशक प्रशंसा के योग्य है किन्तु जहां तक इसके इम्प्लीमेन्टेशन का सवाल है, जहां तक जमीन देकर कब्जा देने का सवाल हैं, कब्जा देने के बाद में उसको राहत देने का सवाल है इसमें बहुत बड़ी कमी रही है और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता रहा तो जो भी विशेष सुविधाएं हैं वह बिल्कुल व्यर्थ हो जायेंगी और जो मेरे पहले माननीय सदस्यों ने इस समस्या पर रोष प्रकट किया उसमें बहुत बड़ा वजन है और निश्चित तौर से उसमें यह व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बल्कि यहां तक ही नहीं यह राज्य सरकार ने प्रावधान किया कि हरिजनों और आदिवासियों की जमीन को कोई नहीं ले सकता है लेकिन धर्म परिवर्तन करके भी जमीन लेने के केसेज सामने आए हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बौद्ध धर्म एडाप्ट करने के बाद में भी जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को सहूलियत प्राप्त होती है वह अगर हो जाये तो जमीन उनसे नहीं छीनी जाये इस बात का विशेष प्रावधान होना चाहिये ।

(श्री अमृतलाल यादव)

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक अस्पृश्यता निवारण का सवाल है हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा काम हुआ है लेकिन गावों में कुओं के ऊपर आज भी कई जगह हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता है। इस बात की ओर समाज कल्याण अधिकारी विशेष तौर से ध्यान दें क्योंकि राज्य सरकार उच्च अधिकारियों की समय समय पर मीटिंग भी बुलाती है उसके अन्दर इस सवाल को रखा भी जाता है वह इसको इम्पलीमेन्ट करते हैं या नहीं इसको निश्चित तौर से देखा जाना चाहिये। इसकी तरफ मैं विशेष तौर से तवज्जोह दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री अमृतलाल यादव : दो तीन मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : जल्दी ही समाप्त कर दें और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अमृतलाल यादव : बस दो तीन मिनट में ही करता हूं।

मुझे यह कहना आवश्यक हो गया है कि जो लोग बौद्ध धर्म में हैं या नहीं हैं लेकिन जहां तक सामाजिक अधिकार का सवाल है नाथद्वारा का मन्दिर यह हाईकोर्ट से फैसला हो चुका है कि यह एक सार्वजनिक मन्दिर है और इसलिए सार्वजनिक मन्दिर होने के नाते सबको इसमें दर्शन करने का अधिकार है और दर्शन करते भी हैं। कई जयपुर के हमारे मेहतर भाई दर्शन कर आये हैं लेकिन वह यह नहीं कह सकते कि हम जयपुर से आये बलाई हैं या चमार हैं या भंगी हैं। यह कह दें तो वहां पर कोड़े पड़े। तो मैं यह नहीं समझ पाया कि सब जानते हैं, आम लोग जो दर्शन करने जाते हैं वह हरिजन भी हैं तो राज्य सरकार इसके लिए विशेष प्रयत्न करे कि जो ट्रस्ट कमेटी है वह भी आज बदले हुए समय में इस बात के लिए विचार करे कि हरिजन जा तो रहे ही हैं फिर इस यश को कमाने से क्यों वंचित रहें। मीनाक्षी मन्दिर या दूसरे मन्दिर कोई भी मन्दिर ऐसा नहीं है जहां नहीं जा सकते हों लेकिन यह एक ही मन्दिर ऐसा है कि जिसमें हरिजनों को वंचित रखा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है।

एक बात और निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। राज्य सरकार ने 12½ प्रतिशत से 28 प्रतिशत स्थान हरिजनों, आदिवासियों के लिए सुरक्षित किये हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ जो पाबन्दी यह थी कि नयी नियुक्तियां नहीं की जायें वह शायद अभी भी पाबन्दी लगी है तो मैं समाज कल्याण मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय मुख्य मन्त्री के समक्ष इस बात को रखें कि जहां 28 प्रतिशत कोटा जिस विभाग में नहीं है वहां छूट दे दी जाये कि उन लोगों का अपॉइन्टमेन्ट उसमें हो जाये जिससे यह जो भेदभाव है यह मिट जाये और जो राज्य सरकार ने फैसला किया है वह फैसला भी कार्यान्वित हो जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आधा मिनट में समाप्त करता हूं।

(श्री अमृतलाल यादव)

प्रोमोशन्स का जहां तक सवाल है यह निश्चित बात है कि जब तक प्रोमोशन्स के अन्दर रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक हरिजनों की, आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी । इसलिए आज तो यह आवश्यक है कम से कम कि 5 साल के लिये आवश्यक कर दें कि कम से कम 5 साल तो प्रोमोशन्स में भी रिजर्वेशन किया जावेगा । उसके बाद में लोगों को जब उपयुक्त स्थान मिल जाते हैं तो फिर चाहे प्रोमोशन्स में रिजर्वेशन नहीं रखें । लेकिन यह केन्द्रीय सरकार ने और अन्य राज्य सरकारों ने भी इसमें रखा है इसलिए निश्चित है कि वह रखा जाये कि राजस्थान में कम से कम 5 साल के लिए आवश्यक है । मैं आशा करूंगा कि राजस्थान सरकार इस तरफ विशेष तवज्जोह देगी ।

कार्य सलाहकार समिति के 37वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 37वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 11 नवम्बर, 1971 को हुई ।

समिति के 36वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए समिति सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर, 1971 तक लिये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में सिफारिश करती है कि इनके लिए समय का बंटवारा इस प्रकार किया जाये:—

शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर, 1971	राजस्थान की पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य तथा इस पर विचार ।
शनिवार, दिनांक 13 नवम्बर, 1971	राजस्थान के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा ।
सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर, 1971	राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवेचन (आय व्ययक) 71–72 पर विचार ।

उपरोक्त कार्यों के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 37वें प्रतिवेदन से सहमति प्रकट करता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी एग्री किया गया था कि राजस्थान शॉप्स एण्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट अमेन्डमेन्ट बिल, 1971 भी इसमें टेक-ओवर किया जायेगा । उसको 13 को या 15 को रख लिया जायेगा उसको एग्री कर लिया गया था और वह भी इसमें होना चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, जो भी मेरे पास ऑफिस से रिपोर्ट आई है

(श्री हरिदेव जोशी)

उसी का मैंने उपस्थापन किया है। अब इसमें कोई परिवर्तन करने की बात है तो अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके ही किया जा सकेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात तो कल भी तय हुई थी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के अठारहवें प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार

श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

जिस प्रकार लिस्ट में नाम दिए गए हैं उसी के अनुसार बुला रहा हूँ। इनकी पार्टी से अभी एक भी नहीं बोले हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.) : माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण की रिपोर्ट पर सदन में बहस हो रही है। इस रिपोर्ट को देखने से इस बात का पता लगता है कि राज्य सरकार की नीति जो है वह पिछड़े हुए लोगों के प्रति किस प्रकार की रही है। यह इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की जो नीति इस 23 साल की आजादी के लम्बे अर्से में रही है वह घोर निन्दनीय रही है। आज आप जानते हैं कि गांवों में बसने वाले हरिजनों की और शहरों में बसने वाले हरिजनों की जो हालत है उस हालत में पुराने जमाने से लेकर आज के युग तक कोई विशेष तौर पर फरक नहीं पड़ा है। माननीय सभापति जी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि गांवों में बसने वाले हरिजनों की जो हालत है वह पुराने राजाओं के समय की तरह ही आज भी है। गांवों में बसने वाले पिछड़े हुए हरिजन किसान, सामाजिक अधिकारों के अनुसार गांव में कुए से पानी भी नहीं भर सकते हैं। आज भी हरिजनों की हालत यह है कि हरिजन समाज अधिकार से गांव के कुए से पानी नहीं भर सकते हैं। आज भी हरिजनों के लिए शुद्ध पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात को राज्य सरकार भी जानती है। इस 23 साल की आजादी के लम्बे अर्से के बाद भी आज शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था राज्य सरकार नहीं कर सकी है। इससे साफ जाहिर है कि राज्य सरकार जो है वह स्वयं इस ओर उदासीन है और राज्य सरकार की उदासीन नीति है और ढीली नीति रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे और गांवों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
में बसने वाले हरिजनों के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करे।

इसी तरह से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचना चाहता हूं कि गांव में बसने वाले विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार ने किसी तरह की व्यवस्था नहीं की है। राज्य सरकार की जो नीति रही है वह हमेशा पक्षपात की नीति रही है, सौतेले व्यवहार की नीति रही है। चाहे गांवों की बात ले लीजिए, चाहे शहरों की बात ले लीजिए, जहां हरिजन, रहते हैं वह हरिजन मौहल्ले और हरिजन बस्तियों के नाम से कहलाती हैं। गांवों में भी हरिजन गांव से बाहर रहते हैं। राज्य सरकार की इस नीति से साफ जाहिर है कि हरिजन नाम से ही सरकार को घृणा है। सरकार चाहती है कि गांवों में और शहरों में हरिजनों के नाम से अलग कुए हों, अलग स्कूल हों। सरकार की इस तरह की नीति देश के लिए और समाज के लिए घातक रही है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी इस नीति में परिवर्तन करे, इस तरह से जातियों के नाम पर अलग अलग छात्रावास न रखकर एक साथ ही समान अधिकार से एक ही जगह सबको रखे।

थोड़ी देर पहले भूतपूर्व मंत्री श्री अमृतलाल जी यादव का हम भाषण सुन रहे थे। इस 23 साल के समय में वे कितने जागरुक रहे हैं हरिजनों की तरफ उनका कैसा विशेष ध्यान रहा है। आज उनको पता लगा है कि पीड़ा कैसी होती है। पीड़ा जिस आदमी को होती है उसी को मालुम होता है कि दर्द कैसा होता है। यादव जी सत्ता से बाहर आए और हमारी तरह खड़े हुए तो अमृतलाल जी को पता लगा कि पीड़ा क्या होती है। इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा समाज कल्याण मन्त्री जी से भी कि जब वे भी इसी तरह से बाहर आयेंगे और समाज के बीच में आकर बैठेंगे तब समाज के दुख दर्द का पता उनको लगेगा। देश में समाजवाद का नारा लगाना आसान है लेकिन समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाना कठिन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी शख्स सत्ता में बैठे हों, आखिर वे हरिजनों के नाम से सत्ता में बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि वह सत्ता का दुरुपयोग न करें। आप जानते हैं, चाहे भीखाभाई हों, चाहे अमृतलाल जो यादव हों, गांव में जाते हैं तो बर्तन नहीं मिलेंगे, होटल में। जायेंगे तो वहां जगह नहीं मिलेगी, मन्दिर में जायेंगे तो वहां नहीं जाने देंगे, गांवों में कुए के पीने का पानी नहीं मिलेगा। आज भी यह व्यवस्था चल रही है। आज भी वही 45 वर्ष पुरानी और आजादी के बाद 23 साल के बाद भी वही हालत चल रही है। आज भी कोई हरिजन सामाजिक अधिकार से अच्छी जमीन को काश्त नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं जमीनों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अभी राजस्थान केनाल के अन्दर बीकानेर के पास आराजी एरिया में हरिजनों को भूमि अलाट हुई। लगभग 700 हरिजनों को भूमि मिली लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया है। उन लोगों को पट्टे नहीं दिए गए हैं। अच्छी जमीन होने से, न मालूम राज्य सरकार के किस गुप्त आदेश की वजह से उन हरिजनों को कब्जा नहीं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया) : दिया गया है। इस तरह को जो राज्य सरकार की नीति है, वह निन्दनीय है और इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए। पिछली सरकार गई और नई सरकार आई, सरकार बदली लेकिन उसकी नीति रीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ......

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, सदन का समय समाप्त हो रहा है इसलिये पहले समय बढ़ा दिया जाय, घण्टे भर के लिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब तक इस पर कार्यवाही पूरी न हो जाय तब तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से दो घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले तो एक घण्टे के लिए ही बढ़ाया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : समाज कल्याण की कार्यवाही समाप्त न होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से मैं सदन का समय दो घन्टे के लिए और बढ़ाता हूं।

(स्वीकृत)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सभापति जी, इस तरह की सरकार की जो नीति है उस नीति को देखते हुये मुझे बड़ा खेद है कि इनकी नीति में और राजाओं और जागीरदारों की नीति में आज भी कोई विशेष फर्क नहीं है। समाजवाद का नारा देश में आया लेकिन समाजवाद के नारे के बावजूद दिनों दिन गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और भी ज्यादा अमीर हो रहे हैं। उनके पास और भी ज्यादा धन इकट्ठा हो रहा है। यह कोई समाजवाद का तरीका नहीं है। सत्ता भी कुछ लोगों के पास सीमित दायरे में रही है। समाजवाद का नारा खाली नारा लगाने के लिए नहीं काम करने के लिए होना चाहिए। इसलिए, सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण मन्त्री जी से चाहूंगा कि आपके पास भीखाभाई यह महकमा है समाज कल्याण का। आप थोड़े जागरुक होकर गांवों में जाइए, चाहे शहरों में जाइए और देखिए कि आज भी हालत क्या है। आज भी हरिजनों की वही हालत है जो पुरानी हालत थी। आपने क्या परिवर्तन किया है। क्या यह समाजवादी नीति है कि एक इन्सान का मैला दूसरा इन्सान अपने माथे पर रख कर बाजार में चलता है। क्या यही समाजवाद है? नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह सरकार समाजवादी सरकार कहलाती है तो इस तरह के भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। जिनका जो हक है उनको अधिकार देना पड़ेगा। एक तरफ धन सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग भूख से तड़फ रहे हैं। क्या यही समाजवाद है? एक भूमिहीन आदमी के पास एक बीघा भूमि नहीं है और उसके पड़ोस में एक व्यक्ति के पास लाखों बीघा भूमि है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार की जो यह नीति है इसमें परिवर्तन करें तो आपका समाजवाद का यह नारा कुछ दिनों तक

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
चलेगा, ज्यादा दिन तक यह बात चलने वाली नहीं है।

इसी तरह से मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जो हरिजनों के जो छात्रावास हैं, उनके विद्यार्थियों को वजीफा देने का सवाल है उनको दूसरे छात्रावासों में ही भर्ती कीजिए ग्रौर उनको जो भी सुविधा देना है वह सुविधाएं वहीं पर देनी चाहिए, वरना यह ढोल बजाना बेकार है। केवल समाजवाद का ढोल वजाए जायेंगे तो ढोल ज्यादा दिन तक बजने वाला नहीं है। हरिजनों के नाम पर 23 साल तक राज्य कर लिया वह बहुत कर लिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार ग्रपनी नीति में परिवर्तन करे ग्रौर हरिजनों को सुविधाएं देने की कोशिश करे। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मान्डलगढ़) : सभापति जी गांधीजी ने कहा था कि मैं ग्रगला जन्म भंगी के घर लूंगा। ग्रौर जब डाक्टर ग्रम्बेडकर उनसे बात करने गए ग्रौर बड़े उत्तेजित थे तो डा. ग्रम्बेडकर को उन्होंने कहा तुम मेरे मुंह पर थूंको मैं इसको सहन करूंगा क्योंकि हम लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक हरिजनों, ग्रादिवासियों के साथ ग्रत्याचार किया है। ग्राजादी के बाद यह ग्राशा थी कि उनकी स्थिति में परिवर्तन ग्रायेगा लेकिन दुर्भाग्य से जो हरिजन, ग्रादिवासी मन्त्री बने उन्होंने ग्रपने ग्रापको इन हरिजनों ग्रौर ग्रादिवासियों से दूर कर दिया। ग्रपनी जाति बताने में संकोच करने लगे। चमार थे तो यादव बताने लगे, रेगर थे तो दूसरा नाम बताया। इस तरह से उनका जाति में बैठना, उनके सामाजिक कार्यों में शरीक होने के लिए हेय समझने लगे। इधर इन्होंने मदद की ग्रौर उधर जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उन्होंने वोट के खातिर इनका दुरुपयोग किया। वोट के ग्रलावा इनका कोई कल्याण नहीं किया। समाज कल्याण विभाग 23 वर्षों से चल रहा है ग्रौर करोड़ों रुपया इन पर खर्च कर दिया। इनके लिए ग्राज ग्रलग से होस्टल चल रहे हैं। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। ग्राप ग्रलग होस्टल खोलें। ग्रापने इनको दस वर्षों तक चलाया, यह समझ में ग्रा सकता था परन्तु 25 वर्षों के बाद भी ग्रलग होस्टल चलायें इससे बढ़ कर ग्रौर कलंक की बात नहीं हो सकती। ग्राप वजीफा दीजिए कमी हो तो निश्चित रूप से इतना दीजिए कि दूसरी जाति के लड़कों की तरह वे रह सकें लेकिन रखिए उनमें जिनमें कि दूसरे लड़के रहते हैं। इस तरह के होस्टल्स की तादाद कम करिये। मैं निवेदन करूंगा कि जितने होस्टल चलते हैं ग्रगर उनमें ग्रच्छे सुपरिन्टेन्डेन्ट होते ग्रौर वे चरित्रवान होते तो ग्राज हालत दूसरी होती। जितने होस्टल चलते हैं उनमें दो, चार को छोड़ दीजिये बाकी सब में भयंकर भ्रष्टाचार है। इनके नाम से चीजें ग्राती हैं ग्रौर वे लोग खा जाते हैं जो कि वहां के ग्रधिकारी हैं। एक दो की बात छोड़िये मैं ग्रधिकांश होस्टल्स के ग्रधिकारियों की बात कहता हूं कि होस्टल की ग्रधिकांश चीजें उनके घर चली जाती है। संसार में बड़ा ग्रादमी वह है जो हरिजनों के नाम से ग्राई हुई चीज को खा जाता है। सच्चे मायने में भंगी वो है जो हरिजन कल्याण के नाम की चीज को खा जाता है। समाज कल्याण विभाग में ग्राज

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दो विभाग हो गए हैं और यह समाज जहां का तहां है और कल्याण उनका हो रहा है जो उसमें काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इनता करिये कि इस महकमें में उन लोगों को लाइये जो चरित्रवान हों और जिनमें इनके कल्याण के लिये तड़प हो, जिनमें समाज के कल्याण की भावना हो। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कोई मन्त्री इनका काम नहीं कर रहा है, वे तो अपना काम कर रहे हैं। अगर दो बातें भी इनके लिये की जाती हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दे देते, जिनके पास बहुत अच्छा धन्धा है, उनके हुनर को उठाया जाता और उनको शिक्षा दी जाती तो जो समन्वय बैठता उसकी वजह से आप से आप छूआ-छूत दूर हो जाती। लेकिन इन मन्त्रियों ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण दूंगा, उन मन्त्रियों का उदाहरण दूंगा जो अपने आपको सब से बड़ा समाजवादी कहते हैं, और ये जो 26 मन्त्री अलग हो गये हैं, जिनको कि दागी कहते हैं, परन्तु ये जो बेदागी बन कर बैठे हैं, उनका एक उदाहरण मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के हरिजनों, आदिवासियों को किसी व्यक्ति ने भूमि से वंचित किया है तो वह किया है माननीय शिवचरण जी माथुर ने, जो कि अपने आपको समाजवादी कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, 1968 में एक जंगलात की जमीन निकलने की कार्यवाही ही चल रही थी, वह निकले उसके पहले वहां के कार्यकर्ताओं ने, इन लोगों ने मिल कर 40-50 हजार खर्च करके एक समिति के नाम से वह जमीन एलॉट करा ली और इस तरह से उस क्षेत्र के अनेक हरिजनों को वंचित कर दिया। त्रिवेणी के पास उनको अगर एक एक बीघा जमीन भी मिल जाती तो वे और उनके बच्चे भुट्टे खाते। वह 25 बीघा शहरी जमीन आपने मामासुर गणपतलाल जो को दिलाई, 15 बीघा सुगनचन्द जैन को, 15 बीघा खटोड़ जी को दिलाई और कहां दिलाई औराई में, चित्तौड़ में, और किस को दिलाई उन साहू को जो कि 15 हजार रुपया सरकार का पहले खा गये, नाम है हरिश्चन्द्र प्रवासी, वे राज्य का 15 हजार रुपया खाकर भाग गये। खैर उनका नाम प्रवासी था परन्तु उनके लड़के लड़कियों को आपने फिर जमीन दिलाई। अगर इतनी तत्परता हरिजनों को भूमि दिलाने में दिखलाई होती तो आज कोई भी हरिजन बेजमीन नहीं रहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप संकल्प करिए, अपने आपको मन्त्री न मानिए, यह संकल्प करिये कि कोई भी हरिजन बेजमीन नहीं रहेगा, वह जमीन से वंचित नहीं रहेगा। जिन जिनको जमीन एलॉट हो गई है तो कानून में परिवर्तन करिये कि अगर वह हाथ से खेती नहीं करता है तो वह जमीन हरिजनों, आदिवासियों को दी जायेगी। यह मैंने आपसे संक्षेप में निवेदन किया है। आज हरिजन मैला ढो रहे हैं, उनके कपड़ों और शरीर पर मैले का पानी चूता है, वह कपड़ों पर बहता है परन्तु वह आज भी मैला ढो रहे हैं। आज राजस्थान में हमारे हरिजन भाइयों की स्थिति क्या है। आज नाथद्वारा का मन्दिर उनके लिए नहीं खुला है। यह शर्म की बात है। लेकिन यह सब कब होगा जब उनके पास जमीन होगी, उनके पास कोई धन्धा होगा और साथ में शिक्षा होगी। कर्म, ज्ञान और भक्ति का

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

समन्वय बैठेगा, तब होगा और जाति का अदल बदल नहीं करेंगे। अपनी जाति बतायेंगे। सबसे बड़ा हरिजन, आदिवासियों का शत्रु है तो वह है शराब। शोभारामजी आप नाम कमा जायेंगे। कोई भी मन्त्रि-मण्डल लम्बे समय तक नहीं चलता है। आपका नाम काले अक्षरों में भी लिखा जा सकता है और स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जा सकता है। यह आपके हाथ में है। अगर काले अक्षरों में लिखाना है तो आप जायें परन्तु यह मन्त्रिमण्डल हमेशा रहने वाला नहीं है। शोभारामजी को लोग याद करेंगे कि वे एक अच्छे आदमी थे, वे गांधीजी के अनुयायी थे जब मौका मिला तो उन्होंने शराब बन्दी नहीं की। आप 72-73 में पूर्ण शराब बन्दी घोषित कर दें। शराब बन्दी की घोषणा को कार्यरूप में परिणित कर दें और दस जिलों के नाम घोषित कर दें तो आपका नाम अमर हो जायेगा। चाहे इसके लिये आपको मन्त्रिमण्डल को छोड़ना पड़े, आप इसकी चिन्ता न करें। आप चाहे इस बात को महसूस करें या न करें। लेकिन एक द्रौपदी के चीरहरण में महाभारत खड़ा हो गया परन्तु आज लाखों द्रौपदियों का चीरहरण शराबी पतियों के द्वारा हो रहा है, लाखों औरतें मार खा रही हैं, हरिजन परिवार के बच्चे बिलख रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : शराब के ठेके दिये जा रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके दृढ़ता के साथ इस पर आ जाइये और अकेले भी रह जायें तो दृढ़ता मत छोड़िये। एक हरिजन मन्त्री और एक आदिवासी मन्त्री आपका साथ देंगे और लोग भी आपका साथ देंगे। मुख्य मन्त्री मोहम्मद के अनुयायी हैं, वे भी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको एक मौका आ गया है। दृढ़ता के साथ इस पर अमल करिये। अभी आपने गोपाष्टमी मनाई है और दूसरी तरफ शुद्ध गौ मांस के कारखाने केरल में खोल रहे हैं। क्या इसलिये यह दिन मनाया गया है कि अच्छी गायें तैयार हो जायें। तो राज्य की यह दुरंगी नीति नहीं चलेगी। जो राज्य शराब और जुए पर चलता है उसका निश्चित रूप से सर्वनाश होता है और इस नीति से समाजवाद नहीं आ सकता। मैं कहता हूं कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सचमुच में इन जातियों का उत्थान करना चाहते हैं तो आप मेरी ही तरह हाथ जोड़कर शोभारामजी के पीछे पड़ जाइये कि आपको यह बन्द करना होगा। यादवजी और जितने भी माननीय सदस्य हैं मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि शराब ने इन लोगों को बर्बाद कर दिया है। कृष्ण के वंशज भी शराब के कारण चौपट हो गये, मुगल साम्राज्य, जिस बाबर ने संकल्प किया था कि वह शराब को नहीं अपनायेगा और यह साम्राज्य स्थापित किया था वह शराब के कारण ही नष्ट हो गया। इसलिये कृपा करके इसकी तरफ ध्यान दीजियेगा। 28 पर्सेन्ट वाली बात मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। हरिजन भाई नाराज हो सकते हैं, आदिवासी भी नाराज हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको खूब स्कालरशिप मिले, इनकी योग्ता बढ़ाने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

के लिए अच्छे से अच्छे साधन मिलें, लेकिन शिक्षा विभाग और मेडिकल विभाग में 28 पर्सेन्ट का रखेंगे और उनमें योग्य व्यक्ति नहीं आयेंगे तो बहुत बड़ी कुसेवा होगी। इनमें वही आना चाहिए जो ज्यादे से ज्यादा योग्य हो। इनमें सिफारिश चलती है तो पाप होता है। आज मेडिसिन साइन्स इतनी डेवलप हो रही है कि इसमें योग्य और अच्छे से अच्छे काबिल आदमी उसमें भेजने चाहिए, और यही बात शिक्षा विभाग के लिए है। उसमें अच्छी योग्यता वालों को नहीं भेजते हैं और 45 पर्सेन्ट वालों को भेजते हैं और 70 पर्सेन्ट वाले रह जाय तो यह अच्छी चीज नहीं होगी। यह समाज की कुसेवा होगी, हरिजन और आदिवासियों की कुसेवा होगी। इसलिए कृपया 28 पर्सेन्ट वाली बात इनमें न रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो दफा घन्टी बज चुकी है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण में चाहे कम खर्चा हो लेकिन हरिजन और आदिवासी भाइयों के गले में उतारें और उनके मन में उतारें कि अपने रिश्तेदारों के लिए जमीन नहीं लें, अपने रिश्तेदारों के कल्याण की बात न सोचें। आपके महकमे में भी कई चरित्रवान आदमी हैं उनको कहिये कि जितने भ्रष्ट आदमी हैं रिश्वत खाते हैं और कामों में पैसा खाते हैं वे इसमें नहीं आ सकें और इस विभाग को पार्टीबाजी का अड्डा न बनायें। सहकारिता, समाज-कल्याण और पंचायत इन तीनों में पार्टीबाजी के अड्डे बने हैं तब से समाज के कल्याण का कार्य रुक गया है।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, मेरी भी याद है।

श्री देवेन्द्र कुमार (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, आज विधान सभा में आदिवासी और हरिजनों की जो रिपोर्ट गत सेशन में पेश होनी चाहिए थी वह आज इस सेशन में पेश की गई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद हरिजनों और आदिवासियों के लिए सरकार ने जो मदद की है उसके लिए मैं आभारी हूं, परन्तु जो सरकार ने इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए धनराशि दी उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ और उनकी आर्थिक हालत जैसी पहले थी उसी तरह से आज भी चली आ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर यह बतौरा बना हुआ है कि जब भी यह रिपोर्ट डिस्कस होती है तो समाज-कल्याण मंत्रीजी तो बिराजे हैं लेकिन अन्य कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं है। मैं यह मानता हूं कि जब हरिजन और आदिवासियों के लिए डिमाण्ड या मांग हाउस में आये तो सब विभागों को रहने की जरूरत है और आज भी जरूरत थी। आज भी आप देखिये कि किसी विभाग का कोई भी अधिकारी इस हाउस के अन्दर नहीं है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हरिजन और आदिवासियों को आराम मिले

(श्री देवेन्द्रकुमार)

तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है न कि केवल समाज कल्याण विभाग की।

मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर एक ऐसा पहाड़ी एरिया है जिसमें कि आदिवासी रहते हैं और सदियों से घिरे हुए हैं और उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने उन लोगों की आर्थिक हालत देखी है और उन लोगों की परिस्थितियों को जानते हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो उनको पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग क्यों होता है उसकी आपने कभी कोई जांच की है? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में पढ़ने वाले लड़के हैं लेकिन बहुत दूर दूर पर होस्टल बने हुए हैं इस कारण से अपने लड़कों को वहां पर भेजकर गरीब लोग पढ़ा नहीं सकते। इस लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विभाग द्वारा पास पास में जहां पर हाई स्कूल हों वहां पर होस्टल होने चाहिएं और उन लोगों को हर प्रकार का सहयोग और हर प्रकार की मदद मिलनी चाहिए।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे सामने यह समस्या है, पहले भी मैंने कहा था इस हाउस के अन्दर कि अगर आप उनकी आर्थिक हालत को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पढ़े हुए आदिवासी लोग हैं उनके बहते हुए पानी को रोकें और पढ़े-लिखे लड़कों को नौकरियां दें। आज उनके पढ़े लिखे लड़कों को नौकरियां नहीं मिलती हैं उसका क्या कारण है? मैं मानता हूँ कि इसमें नियोजन अधिकारी की लापरवाही है। सरकार की तरफ से यह आदेश है कि हरिजन और आदिवासी लड़कों को नियोजन विभाग में नाम लिखाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप चपरासी भी लेंगे तो उसमें भी नियोजन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से मुझे इसका जवाब मिले और अपने जवाब से मुझे सन्तोष देंगे कि क्या हरिजन एवं आदिवासी लड़कों को भी नियोजन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है? इसके लिए मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि आप यह कहें कि उसकी जरूरत नहीं है।

दूसरी बात यह है जिस पर हमारे विभाग को ध्यान देना चाहिए। दूसरे विभाग ध्यान दें या न दें। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से नियुक्ति विभाग की तरफ से एक पत्र मिला है वह इस प्रकार है—

"विषय:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान की धारा 335 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए राज्य की समस्त सेवाओं में····राजस्थान पुलिस सेवाओं के अतिरिक्त सीधी भर्ती के द्वारा वर्तमान आरक्षित प्रतिशत तत्काल प्रभाव से निर्धारित करती है।"

इस तरह से यह आर्डर है। मैं मानता हूं कि सरकार की तरफ से पहले $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत था लेकिन अब 28 प्रतिशत है

(श्री देवेन्द्रकुमार)

लेकिन क्या हुआ? कितनी वेकेन्सी हुई और कितनों को लगाया। आज आपके विभाग में हरिजन और आदिवासी घूमते रहते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। वहां पर कौन से ऐसे ऑफिसर हैं जो आदिवासी हैं। आप जातिवाद फैला रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जातिवाद को मत बढ़ाइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भेदभाव मत बढ़ाइये, और हरिजन और आदिवासियों के लिए जो 28 पर्सेन्ट की सुविधा है उसकी पूर्ति कराइये। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ढीली धोती से काम न लें। थोड़ा ताकत से काम लें।

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय....

श्री नाथूराम (बागोडोरा) : सभापति महोदय,.......

श्री सभापति : श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : सभापति महोदय, शिडयूल कास्ट और शिडयूल ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट 68-69 पर विचार हो रहा है। होना यह चाहिये था कि 69-70 की रिपोर्ट पर विचार होता जिससे कि आजकल की समस्या पर विचार होता। यह एक स्थिति चल रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी रिपोर्ट पहले पढ़ी है, उसमें जो फैक्ट हैं, वही के वही इसमें हैं किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। एक आध बातों पर प्रकाश डालते हैं लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कोई विचार करके समाधान करने की कोशिश नहीं होती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ है जबकि हमारे मन्त्री जो पहले यादव साहब थे, उन्होंने भी उन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है जो कि हमने ही कई बार उनके सामने बातें रखी हैं। हमने उनको बताया कि ये ये कमियां रही हैं। तो वह अपने मन्त्रित्व काल में पूरा नहीं करके वह भी वही बता गये हैं। तो स्थिति क्या है? गवर्नमेंट में जो काम करने वाले हैं, वह काम नहीं करा पाये हैं। इससे क्या इन जातियों का भला हो सकेगा। मैं सारी समस्याएं आपके सामने बताऊं। बेरोजगारी, शिक्षा, आवास की समस्याएं बनी हुई हैं। यानी किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं जो कि एक जाति के उत्थान के लिए होनी चाहिए। आज तक कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। मैं तो कहूंगा कि 5% भी विकास नहीं हुआ है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई पैदल चलने वाला आदमी साइकिल ले लेता है तो दूसरे बड़े आदमी कई कई कारें ले लेते हैं। तो उनका विकास क्या हुआ है। अगर 50 आदमियों के पास कारें हैं और दो चार आदमी भी कारें ले लेते हैं तो यह भी कहा जा सकता है कि विकास हुआ। रोजगार की हालत वही बनी हुई है। सरकार ने भूमि अलॉटमेंट समस्या को हल करने की कोशिश की। लेकिन सरकार नहीं कर पाई है। उनका एक खास प्वॉइन्ट है। वे लोग जो गांवों में रहते हैं, वे जमीनों पर कब्जा नहीं होने देते हैं। वे चाहते हैं कि ये जो धन्धा करते आये हैं, वही करें। यह जाति के हिसाब से जो उनके अन्तर्गत था वे वही काम करें। इसलिए इस जरिये से उनको जमीनें नहीं दी गई हैं। गवर्नमेंट ने भी उनको जमीनें नहीं दी हैं। गवर्नमेंट समय समय

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

पर घोषणा जरूर करती है कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को 25% कोटा रिजर्व किया है। अभी गत वर्ष में गान्धी शताब्दी में जमीन देने की बात की थी। जिन जमीनों के लिए उन्हें कहा गया था उन जमीनों पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो चाहा वह किया। एक लाख बीघा भूमि है तो 75 हजार पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो चाहा वह किया। यानी 12 आना भूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया और सरकार ने उसको रेगुलराइज कर दिया है। 4 आना भूमि थी, वह भी उनको नहीं मिल पाई है। जो जबरदस्ती घुस गये हैं वह उनको लेने ही नहीं देते हैं। मारपीट कर भगा देते हैं। सरकार जमीन देने में वंचित रही है और उनकी कोई समस्या हल नहीं हुई है। अगर यह कहा जाये कि उनको जमीन नहीं मिल रही है तो उनको उद्योगों में लगा दिया जाये। गांवों में उद्योग पनपे नहीं हैं। उनको और धन्धा कहां से मिलता। जो रेंगर, चमार हैं, उनका पुराने टाइप का काम खत्म हो गया है। नये टाइप का काम शुरू नहीं किया है। एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि गये वक्त यह जो चुनाव हुआ है, जब कि यह कहा गया है कि हम समाजवाद लायेंगे, गरीबों को ऊंचा उठायेंगे लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान की समस्या और ले आये हैं जिससे कि यह दब जायें। न उनको खेती के लिए जमीन दिलाई जाती है न उद्योगों के विकास का सोचा जाता है। इसके अलावा मैं कहूंगा, अभी गांवों का जिक्र आया था। चमड़े का काम गांवों में बन्द करने के कारण उनको मारा पीटा है। अगर उनको दूसरा काम दिया जाता तो उनका ऐसा नहीं होता। गांव में दूसरा काम करने से ही तब्दीली होती है। गांव में चमड़े का काम करो नहीं तो पीटा जायेगा। अगर गवर्नमेन्ट उनको दूसरे उद्योग धन्धे दे, छोटे छोटे उद्योग धन्धे देती तथा कई तरह से उनकी सहायता दे सकती थी। पहले कहा जाता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद पैसे की गुंजाइश हो गई है। लेकिन आज भी बैंक से पैसा दिलाने की हिम्मत नहीं है। गवर्नमेन्ट जितना पैसा टैक्स लगाकर वसूल करना चाहती थी, वह भी ले लिया है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये रिपोर्टें तो आती रहेंगी। उन पर विचार होता रहेगा। उनको जब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे, कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर सरकार उनका विकास करना चाहती है तो जो जमीन बाकी बची है, जो वन विभाग की जमीन है वह उनको दी जानी चाहिए। जो बंजर भूमि है, बेकार है, वह जांच करके उन लोगों को दी जानी चाहिए ताकि उनका भला हो। उद्योगों के बारे में छोटे छोटे उद्योग पनपाये जाने चाहिए ताकि वह मारे मारे नहीं फिरें। तो सब तरह से अपने आपको शक्तिशाली बना सकते हैं। यही निवेदन मैं सरकार से करना चाहता हूं। यह भी कहना चाहता हूं कि अगर उनको बैंक से छोटे छोटे उद्योग, छोटी छोटी दुकान, अनाज की दुकान, जनरल स्टोर आदि कई प्रकार के छोटे कस्दों में इस प्रकार का धन्धा करने के लिए कर्जा दिया जा सकता,

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
है, तो इस प्रकार से काफी सुधार हो सकता है। और जो आज कल हम सोचते हैं, छूआछूत का जो मामला है, उसमें काफी सुधार आ सकता है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो। नहीं तो उनका कभी सुधार नहीं हो सकता है। जिसके पास अच्छी दुकान होगी उसके पास लोग आकर बैठेंगे। किसी प्रकार की छूआछूत नहीं होगी। पैसा लगाकर इस प्रकार उनका विकास हो सकता है। यह रिपोर्ट तो आती रहेंगी। आपने कुछ पैसा कुओं को बनाने के लिए दे दिया या किन्हीं और कामों के लिए दे दिया तो इस प्रकार से विकास कुछ नहीं होगा।

सरकारी नौकरियों के बारे में कहना चाहूंगा कि 12½ प्रतिशत के अलावा 28 प्रतिशत की बात की है। लेकिन 12½ प्रतिशत भी पूरा नहीं किया है। यह गलत घोषणाएं हमारी सरकार करती है। अगर सरकार घोषणा करती है तो उसे कार्य रूप में परिणित करना चाहिए। तभी वह पूरा हो सकता है। नहीं तो नहीं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब तक किसी को बड़े पदों पर नहीं भेजेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट से जो सहायता मिलती है, वह उनको पूरी नहीं मिलती है। क्योंकि उनकी पीठ पर कोई बड़ा आदमी तो है नहीं। और आज तो हिन्दुस्तान में जातिवाद का नारा है कि जब किसी अधिकारी के पास जाएगा और वह उसका रिश्तेदार नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इन लोगों में से कुछ लोगों को बड़ी पोस्टों पर जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो इन जातियों को जो भी सहायता गवर्नमेन्ट से मिलती है, वह उसका उपयोग कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, पांच मिनिट नहीं हुए।

श्री सभापति : आप सारी वही की वही बातें रिपीट कर रहे हैं, नया कॉन्क्रीट उदाहरण नहीं दे रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह देंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं यह कहना चाहता हूं, यह भी कहेंगे। सरकार कहती हैं, हमारे राज्य में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र ने प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं, वैसा ही राज्य सरकार को भी खोलना चाहिए। वह प्रशिक्षण केन्द्र ऐसा हो, जिसमें जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाते हैं उनको शिक्षा दी जाय, जिससे वह दूसरी जातियों के व्यक्तियों के कम्पीटीशन में आकर अपना विकास कर सकें। आज जो कमी राज्य सरकार बताती है वह है कि उपयुक्त आदमी नहीं मिलते हैं, इससे वह भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जो नौकरियों में रिजर्वेशन की पूर्ति नहीं होती है उसके लिए सरकार को एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिए। इस तरह से केन्द्र में किया गया है, पंजाब राज्य में भी किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

समिति बनाई जाय जो यह देखे कि कौनसे डिपार्टमेंट में कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी लिये गये हैं, कौनसे में नहीं लिये जा रहे हैं। कोई उपयुक्त आदमी है तो उसको क्यों नहीं लिया जा रहा है। अगर नहीं लिये जा रहे हैं तो यह कमेटी आपके राज्य के लिए बड़ी सहायक होगी। इस प्रकार की समिति केन्द्र ने भी बनाई है और दूसरी राज्य सरकारों ने भी बनाई हैं। यही निवेदन मैं राज्य सरकार से करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं कि एक कान से सरकार सुन रही है लेकिन कोई काम नहीं करती है, वैसा नहीं करेगी।

श्री सभापति : श्री गंगासहाय !

श्री लादूराम मुलानियां (फागी) : मुझे दे रहे हैं टाइम।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : मुझे दे रहे हैं।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : सभापति महोदय, एक इधर से बोलें और एक उधर से।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! समय का बंटवारा बराबर होगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मैंने सुबह से यह देखा है····

श्री किशनलाल वर्मा : तीन चार नाम बताये आपने, इसका मतलब यह है कि आपने गलत बताया। उसके हिसाब से मेरा नम्बर आ जाना चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री किशनलाल वर्मा : यह तरीका ठीक नहीं है कि हमें बार बार खड़ा किया जाय। और सही बात हमें नहीं बताई जाय।

श्री नाथूराम : मेरा नाम है, लेकिन मेरा नाम नहीं बोला है।

श्री भगवानदास शास्त्री : इधर से भी नहीं बोले हैं।

श्री सभापति : ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य हैं उनको कोपरेट करना चाहिए।

श्री किशनलाल वर्मा : यह ठीक तरीका नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री किशनलाल वर्मा : इस तरह की गड़बड़ी चलती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक दिन रखा है उसमें भी हमारा नम्बर नहीं आया·······

श्री सभापति : जिस प्रकार से नाम हैं, उसी प्रकार से बोले जायेंगे। यह नाम आपके चीफ ह्विप ने दिये हैं।

श्री नाथूराम : ह्विप की गलती मैं कहूंगा।

श्री किशनलाल वर्मा : हम आसन से उम्मीद करते हैं कि वह न्याय करेगा।

(शोरगुल)

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री किशनलाल वर्मा : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री सभापति : कुछ भी अंकित नहीं हो।

श्री किशनलाल वर्मा : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री किशनलाल वर्मा : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री किशनलाल वर्मा : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री किशनलाल वर्मा : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री सभापति : सुबह से कौन नहीं बैठा है। आॅर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा निवेदन है, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री नाथूराम : इसका फैसला आज होगा।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। कुछ भी अंकित नहीं हो।

श्री लादूराम सुलानिया : XXX

श्री किशनलाल वर्मा : XXX

श्री नाथूराम : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री नाथूराम : चेअर के आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन यह पक्षपात हो रहा है। कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, लेकिन आदिवासी सदस्यों को समय नहीं दिया गया है। यह समय की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। किसी को एक एक घण्टा दिया जा रहा है तो किसी को पांच मिनिट दिए जा रहे हैं और किसी को कोई समय नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज ! श्री गंगासहाय ! आप भी बिराजिये। अंकित नहीं हो।

श्री लादूराम सुलानिया : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री लादूराम सुलानिया : XXX

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : XXX

श्री सभापति : किसी का भी अंकित नहीं हो रहा है।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 134

(श्री सभापति)

मैंने जिन सदस्य का नाम पुकारा है, सिर्फ उनका भाषण अंकित होगा। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री गंगासहाय : सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट प्रति वर्ष विचारार्थ ली जाती है....

श्री सभापति : श्री मुलानिया। ऑर्डर प्लीज !

श्री गंगासहाय : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट हर वर्ष विचारार्थ ली जाती है, उसमें....

श्री किशनलाल वर्मा : चीफ ह्विप को हटाना चाहते हैं हम, यह बिचौलिया क्यों टिका रहे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री गंगासहाय : कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसमें कुछ सिफारिशें होती हैं। यह रिपोर्ट प्रति वर्ष औपचारिकता की पूर्ति करने के लिए विचारार्थ ली जाती है। लेकिन इस रपोर्ट की उपेक्षा की जाती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद में ही यह विचारार्थ ली गई। पहले कहा गया था कि इस पर डिस्कशन के लिए दो दिन दिये जायेंगे। लेकिन अब केवल खानापूर्ति कर देना चाहते हैं। यह समाजवाद का ढोंग है....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

कैप्टेन ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): मैं समझता हूं, भाषण हो रहा है इसलिए कांग्रेस के सदस्य लड़ाई घर पर करें तो अच्छा है। यह कोई तरीका है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री गंगासहाय : सभापति महोदय, कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें हैं। कुछ रिफारिशों के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बात आई है कि जो भूमि दी जाती है उसका दस दस साल के बाद भी कब्जा नहीं मिला पाता है। उस सम्बन्ध में एक सुझाव है वह मैं सुनाना चाहता हूं। वह सुझाव है :

"गैर आदिवासी लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से आदिवासियों की जमीन को हड़पना बन्द करने का एक कारगर तरीका यह है कि सम्बन्धित अधिकारी इस बात का विचार किये बिना कि किन परिस्थितियों में जमीन गैर-आदिवासी के हाथ में आई चाहे वह खरीदी गई हो, या गैर-आदिवासी ने गैर कानूनी ढंग से उस पर कब्जा कर लिया हो उस जमीन को उसके मूल स्वामी को वापिस कर दे और इसके लिये गैर आदिवासी खरीददार या गैर-कानूनी कब्जेदार को किसी प्रकार का मुआवजा न दे।"

इस प्रकार की सिफारिश है। तो मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि सरकार द्वारा इस सिफारिश को माना जाया। यह कार्यवाही नहीं की जायेगी तो आदिवासियों और हरिजनों को जमीन नहीं मिलेगी। यह ढेबर भाई कमीशन की रिपोर्ट है इसमें आगे कहा गया है :

(श्री गंगासहाय)

"अधिकारियों की अनुसूचित क्षेत्र में एक विशेष प्रशासनिक अभिकरण (एजेन्सी) की स्थापना की जा सकती है जिसका काम ही यह हो कि वह उस सारी जमीन के स्वामित्व के विषय में जांच पड़ताल करे जो गैर आदिवासियों के कब्जे में चली गई हो जिसमें मौके पर जाकर तुरत फुरत खोजे। इसके बाद यदि जमीन के मूल स्वामी का पता चल जाय तो जमीन उसे लौटा दी जाय। या यदि मूल स्वामी का पता ही न चल सके या वह खुद का दावा करने के लिए सामने ही न आवे तो ऐसी हालत में उस जमीन को सुरक्षित रख लिया जाय और बाद में उसे किसी भूमिहीन आदिवासी को आवंटित कर दी जाय।"

इस प्रकार नहीं किया जायेगा तब तक न्याय नहीं हो सकता है, न हुआ है और न होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1969 का वर्ष घोषणाओं का वर्ष रहा है। उस समय कहा गया कि हरिजन आबादी को खेती की भूमि दी जायेगी, 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन कर दिया गया है, सारी बातें कर दी गई हैं, छात्रवृति: बढ़ा दी गई है। लेकिन इनका किस हद तक पालन हुआ इसका क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे। जो सिफारिश प्रति वर्ष होती है उसका पालन कितना प्रतिशत होता है। जब तक नहीं होता है तब तक यह ढकोसला है समाजवाद का। इसके साथ ही

(5.42 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीलिंग की बात बारह-तेरह वर्ष से चली आ रही है। अभी कहा कि सीलिंग के बाद जमीन देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भूमि सीलिंग कानून के लागू होने के बाद प्राप्त हो वह सारी की सारी भूमि हरिजन और आदिवासियों को दी जाय। सभापति महोदय, जो घोषणायें राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं वो मेरे ख्याल में तो एक तरह से धोखा ही है। क्योंकि राज्य सरकार ने जो सीलिंग के बारे में हरिजनों को जमीन देने की थी वह आज तक पूरी नहीं कर पायी है। सभापति महोदय इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने यह घोषणा की थी सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीनें आयेंगी वह हरिजनों को जो भूमिहीन हैं उन्हें अलॉट की जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं आज इतने लम्बे समय गुजर जाने के बाद भी कितने हरिजन भूमिहीनों को आज तक कितनी जमीनें अलॉट की। सभापति महोदय देखने से पता चलेगा कि राज्य सरकार ने इस बारे में सिवाय थोथी घोषणा करने के कुछ नहीं किया। दूसरे सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जो ने यह भी घोषणायें की थी कि राज्य सरकार ने इतने प्रतिशत कोटा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को नौकरियों के लिये फिक्स है। राज्य सरकार ने 28 प्रतिशत कोटा नियत किया है और इसके लिए राज्य सरकार ने रोस्टर प्रणाली भी लागू करने की घोषणा की। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, कितनी इस प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार ने कार्यवाही की। इसलिए सभापति महोदय मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कितने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के शिक्षित लोगों को नौकरियां दी,

(श्री गंगासहाय)

कितनी एल. डी. सीज. की पोस्ट्स दी कितने बी.ए. और एम. ए. पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां दी। आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के कई बी. एड. और एम.ए. बी. एड. लोग जो बेकार हैं पर आज राज्य सरकार उन्हें कहीं भी नौकरियां नहीं दे रही है। सभापति महोदय आज हरिजनों के कई लोग ऐसे हैं जो कि ओवरसियर की पढ़ाई किए हुए हैं कई ऐसे हैं जो इन्जीनियर्स हैं पर उन्हें आज कोई नौकरी नहीं मिल रही है। आज जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की जो नीति है उसके अनुसार उसने क्या किया? आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के कई आइ. टी. आई. ट्रेण्ड लोग हैं और भी कई टेक्नीकल ट्रेण्ड लोग क्या सरकार उन्हें नौकरी दिलाने की व्यवस्था करेगी? आज ये हरिजनों के शिक्षित लोग कितने अर्से से बेकार बैठे हुए हैं, सभापति महोदय मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और कितने शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को कहां कहां और कब कब नौकरियां दी हैं? इसी प्रकार सभापति महोदय भारत सरकार ने अभी बेंकों का राष्ट्रीयकरण किया है इसमें मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने कितने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को लोन दिया गया कितने लोगों को कुओं के लिए लोन दिया गया? सभापति महोदय, कितने लोगों को उद्योग लगाने के लिए बेंक से ऋण दिया। सभापति महोदय मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि बीकानेर के अन्दर रेंगर जाति के लोग जो कि कच्चे चमड़े का काम करते हैं आज जब सरकार की यह नीति है कि हरिजन जाति के लोगों को और पिछड़ी जाति के लोगों को सहूलियतें दी जायं, सभापति महोदय, उन्हें ऋण देना और उन उद्योगों को पनपाना तो दूर रहा इस सरकार ने उन पर टैक्स लगा दिया है। एक तरफ तो अपनी नीति हरिजनों के उत्थान को घोषित करती है दूसरी तरफ इस तरह के टैक्स लगाकर उनके उद्योगों को पनपने नहीं देती है यह है सरकार का समाज कल्याण कार्य। सभापति महोदय एक तरफ तो सरकार यह नीति घोषित करती है कि हरिजनों को सब जगह प्रवेश है। वो सभी जगह जा सकते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सभी जगह तो क्या वो चाहें तो अपने जिले के कलेक्टर से नहीं मिल सकता, मिलना तो दूर वह उसके कमरे में प्रवेश नहीं पा पाता। ये सरकार क्या हरिजनों का कल्याण करेगी। जो हरिजन अपने दुख दर्द की फरियाद नहीं कर सकता जो जाकर कलेक्टर से मिल नहीं सकता वह न्याय की क्या उम्मीद कर सकता है। इसी प्रकार सभापति महोदय राजस्थान सरकार ने मनीलेण्डर्स एक्ट बनाया वह तो ठीक है पर उसका फायदा गरीब हरिजनों को नहीं है। आज भी शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की वही हालत है आज भी उसका शोषण हो रहा है। आज भी गांवों में बनिया भयंकर ब्याज ले रहा है, आज उनकी ब्याज देते देते हड्डी निकल गयी है। ये सभापति महोदय, शोषण नहीं है तो क्या है? जो सहकारी बेंकों द्वारा लोन दिया जाता है वह उन्हें नहीं

(श्री गंगासहाय)

मिल पाता है। जिस प्रकार की घोषणायें की जाती हैं उसके अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिये। मेरा तो निवेदन है कि सभापति महोदय, जिस तरह सरकारी नौकरी में राज्य सरकार ने कोटा निर्धारित किया है उसी प्रकार सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार के रिजर्वेशन पब्लिक अण्डर-टेकिंग्ज में रखे। उन सभी कारखानों में रखे जिनमें सरकार के शेयर्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, कॉलिजेज हैं, उन सभी में यह रिजर्वेशन रखा जाय और उन्हें वहां नौकरी दी जाय। लेकिन आज नौकरी में गरीब हरिजनों को कहीं जगह नहीं है। भाई भतीजावाद सभी जगह पनप रहा है, जहां जो भी पावर में आया वह अपने भाई भतीजों को घुसेड़ देता है। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज तो पूरा भाई भतीजों, लड़के, लड़के की बहू से भरा है। जवांई है तो वो भी वहीं पर लगे हुए हैं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का कोई भी नवयुवक वहां नहीं है। तो कहां गयी आपकी नीति शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की रिजर्वेशन की बात। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या वो उन जगहों में जहां पर इस प्रकार भाई भतीजावाद से लोगों को लिया गया है उन्हें हटा कर सरकारी घोषित नीति के अनुसार हरिजनों के पढ़े लिखे नवयुवकों को जगह देंगे? इसी प्रकार सभापति महोदय, जमीन आवन्टन के बारे में है चाहे वह जमीन खेती के लिये हो चाहे वह जमीन मकान के लिये हो, ये जमीनें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को मिलनी चाहिये। सीलिंग के अनुसार जो भी जमीनें सरकार के पास आये वो सरकार की घोषित नीति के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को मिलनी चाहिये। इसके अलावा मैं तो यह भी कहूंगा कि जो आज सरकारी भूमि पर गरीबों, हरिजनों ने कच्चे मकान बना लिये हैं और वो सरकारी भूमि है, वो उन्हें ही दी जानी चाहिये। अगर सरकार उन्हें आबाद करना चाहती है, अगर सरकार उनका उत्थान करना चाहती है तो उन्हें ये सुविधायें उपलब्ध कराये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इसके अलावा एक बार और मैं पुरजोर से ये कहूंगा कि जितने भी बैंक्स हैं भूमि बन्धक बैंक हों चाहे वह सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक हों, इनसे गरीब हरिजनों को ऋण मिलना चाहिये ताकि वो अपनी खेती कर सके, कुए बनायें, कुओं में बिजली लगायें और अपना उत्थान कर सकें। इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि इन बैंकों में पढ़े लिखे हरिजनों को नौकरियां भी दी जावें। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप कहां बैठे हुए हैं, आप कहां से बोल रहे हैं? आप की सीट यही है क्या?

श्री नन्दलाल बैरवा : जी हां मेरी सीट यही है।

श्री सभापति : तो ठीक है।

श्री नन्दलाल बैरवा : सभापति महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में समाज कल्याण रिपोर्ट पर बहस हो रही है। उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज हिन्दुस्तान आजाद हुए 22-23 साल हो चुके हैं और आजाद भारत होने के बाद सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिए कई सुविधायें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी इसके लिये तो मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सभापति महोदय, जो सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये जो घोषणायें करती हैं उनको क्रियान्वित करने की कार्य प्रणाली जो तय की जाती है वह ठीक नहीं है या यों कह दीजिये कि उसकी ठीक प्रकार से क्रियान्विति नहीं होती है। क्योंकि उसकी सही मायने में अब तक हरिजनों को सुविधायें नहीं मिली हैं। सरकार सुविधायें तो बहुत सी घोषित कर देती है पर उनका ठीक प्रकार से अमल नहीं हो पाता है। सभापति महोदय, चाहे वे घोषणायें भारत सरकार द्वारा की गयी हों चाहे राजस्थान सरकार द्वारा की गयी हों। इसलिये सरकार को चाहिये वह उसकी क्रियान्विति सही मायने में करे। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इलाका है या वहां का कोई नेता प्रभावशाली है उसी इलाके में सुविधाओं का काम किया जाये। आज अगर हम बड़े शहरों के लोगों की स्थिति देखें और उसकी तुलना में बेचारे गांवों के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देखें तो आपको ऐसा मालूम देगा कितना पिछड़ा हुआ है ये हरिजन वर्ग। आज सरकार की तरफ से इतनी सुविधाओं की घोषणाओं के बावजूद उनके परिवार वालों की हालत तथा उनकी खुद की हालत में कोई भी सुधार हुआ वह नहीं के बराबर है। सभापति महोदय, दुख की बात तो यह है कि हमारी सरकार आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, पर अभी तक उन लोगों की वही हालत है जो पहले थी न उनके रहने के मकान हैं न उनके पास जमीन है खेती के लिये इसका कारण यह है कि जो सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है उनका सदुपयोग नहीं हुआ है। आज हम समाजवाद की दुहाई देते हैं समाजवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उसके लिये करते कुछ नहीं है। अगर हमें सही मायने में समाजवाद लाना है तो इन पिछड़ी जातियों के लोगों को उठाना होगा उनका जनमानस ठीक करना होगा। उनकी समाजिक और आर्थिक हालत को सुधारना होगा। उनके सामाजिक विचारों को ठीक करना होगा। जब तक ये चीजें इन हरिजनों में ठीक नहीं होंगी तब तक चाहे कांग्रेसी सदस्य कहें, चाहे विपक्ष के सदस्य कहें, वहां तब तक समाजवाद आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर पिछड़े वर्ग में समाजिक चेतना नहीं है और अगर आज भी वो उसी तरह पिछड़े हुए हैं समाज की हर बात में तो समाजवाद आ ही नहीं सकता। पिछड़े वर्ग में तो तरक्की होती रहेगी पर गरीब जो पिछड़े हरिजन हैं वह साधन सम्पन्न नहीं होने से उनके लड़के पढ़ लिख नहीं सकेंगे और वे उसी हालत में रह जायेंगे। साधन सम्पन्न परिवार वाले लोग पढ़ लिख जाते हैं उन्हें तो नौकरियें भी मिल जाती हैं पर जो लोग साधन सम्पन्न नहीं हैं उन्हें तो फिर भी पिछड़े के पिछड़े ही रहना है क्योंकि उनके साधन नहीं

(श्री नन्दलाल बैरवा)

इसलिये सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के उन गरीब लोगों को ऊंचा उठाया जाय उसके लिए कार्यवाही की जानी चाहिये नहीं तो वो नीचे के नीचे ही रह जायेंगे।

साथ ही साथ इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि 24 साल की आजादी के बाद छूआछूत की बात करते हैं। गांवों में और शहरों में जाते हैं, आप किसी भी गाँव में, कस्बे में चले जाइये, नगरपालिका क्षेत्र हो, पंचायत समिति क्षेत्र हो या कोई हो, सैकडों केसेज इस प्रकार के मिलेंगे। तहसील भी होगी, पंचायत समिति भी होगी लेकिन समाज कल्याण विभाग की ओर से नहीं कहा जा सकता है कि आप ऐसी रिपोर्ट सरकार को दें। आप इस मामले की रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस अफसर और अधिकारी कहते हैं कि कानून कागजों में है। कानून कागजों में रह कर इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं तो पिछड़ा समाज, गरीब लोग आपके साथ बैठकर समाजवाद का कैसे लाभ उठा सकेंगे।

साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के आर्थिक स्तर को उठाने का सवाल है, हजारों लाखों बीघा जमीन बहुत सहूलियत के साथ हरिजनों को दी है। जिला बूंदी में ही सैकड़ों बीघा जमीन हरिजनों को दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 साल पहले पिछड़े वर्ग के पास दो तीन बीघा जमीन भी नहीं होती थी वहां आज उनके पास, एक एक के पास पच्चीस पच्चीस बीघा जमीन है। किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया जाय, खड़ी फसलों को मेत लें, सम्बन्धित अधिकारी के पास जाते हैं कि यह गरीब हरिजन के नाम पर अलॉट हो गयी है लेकिन उच्चाधिकारियों के पास उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यह तो हम मानते हैं कि पिछड़े वर्ग को काफी रियायतें मिली हैं लेकिन समस्या बड़ी है उसके समाधान के लिये हमें पूरा सहयोग मिलना चाहिये।

शिक्षा की बात आपके सामने रखूंगा। गांवों में जाकर हम देखते हैं। पिछली बार भी सदन में निवेदन किया था कि प्राईमरी स्कूल बनाये जाते हैं, लेकिन कई गावों में आज भी प्राईमरी स्कूल नहीं हैं, न तो पंचायत समिति उनको पैसा देती है और न ही सरकार। गांव के लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके स्कूल बना लें तो ठीक है वरना मन्दिरों में स्कूल चलते हैं। उच्च वर्ग के मन्दिर होते हैं, राजपूत, ब्राह्मण, बनियों के होते हैं, उन मन्दिरों में पिछड़ी जाति के लोगों को, उनके बच्चों को नहीं जाने दिया जाता है। इसलिये उस इलाके के पिछड़ी जाति के लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस बात की जांच करायी जाय कि किन किन पंचायत समितियों में मन्दिरों में स्कूल चलते हैं।

इसी प्रकार एक पीने के पानी की भी समस्या है। हम यह मान कर चलते हैं कि अस्पृश्यता कानून के अन्तर्गत पीने के पानी की सब को समानता दी है। जिन गांवों में सार्वजनिक कुए नहीं हैं, निजी कुए हैं वहां हरिजन समाज के व्यक्ति पानी के लिये जाते हैं तो उसको पीने के पानी से वंचित किया जाता है। कई जगह पंचायत समिति, जल बोर्ड के द्वारा कुए तैयार किये गये हैं। सैंकडों गांव ऐसे हैं जहां पर

(श्री नन्दलाल बेरवा)

हरिजनों को आज भी उन कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है। उनको दो तीन मील दूर से पानी लाना पड़ता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस मामले में हजारों लाखों रुपयों का बजट उनको दिया जाता है, जितने कुए तैयार हुये हैं, मैं अपनी पंचायत समिति की बात रखना चाहूंगा कि चार सौ कुए पड़े हुये हैं। लाखों रुपया खर्च हो चुका है, आज भी अधूरे पड़े हैं। इसलिये विभाग को चाहिए कि जितने कुए अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करा दिया जाय और नए नहीं बनाए जायं जिससे उनका उपयोग हो सके।

राजस्थान में हरिजनों की समस्या है। कई माने में हरिजन आगे आगे बढ़े हैं और बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक और सामाजिक रुकावटें उनके सामने आयी हैं। चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों सब ही हरिजनों का उद्धार चाहते हैं। समाजवाद लाना चाहते हैं गरीबी को खत्म करना चाहते हैं लेकिन केवल कह देने से हम पिछड़े वर्ग को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अभी मैं जिस जगह रहता हूं उसके लिए उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। चाहे रामदेवजी का मन्दिर हो या भगवान कृष्ण का मन्दिर हो, चाहे चारभुजा का मन्दिर हो सब हिन्दू धर्म का है। डोर यात्रा निकाली जाती है। यह सुन कर आप असमंजस में पड़ेंगे। इसी डोर यात्रा के लिए लाखेरी में रैगरों ने इस बात का प्रयत्न किया कि रामदेवजी की डोर यात्रा, उनका विमान निकालेंगे। इस प्रश्न को लेकर वाद-विवाद चला और उसमें राजनैतिक पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का द्वन्द सामने आया। हमने जाकर रैगरों से बात की। गत वर्ष से डोर यात्रा निकलती आ रही है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भगवान रामदेवजी का मन्दिर अपने खून पसीने की कमाई से लकड़ी बेंच कर निर्मित किया, मूर्ति की स्थापना की, हिन्दू मत है, जिस धर्म को आप मानते हैं उसी धर्म को हम, इसलिए हम क्यों नहीं डोर यात्रा निकाल सकते हैं। उनका यह कहना था। झगड़ा हो गया, मारपीट हुई और बड़ा भारी जुल्म हुआ और ठीक नहीं हुआ। सदन को जानकर यह खेद होगा कि उन लोगों ने यह कह दिया कि अब हम इस स्थिति में हिन्दू धर्म को मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम अपना धर्म परिवर्तन करने के लिये तैयार हैं यह बड़े खेद की बात है। खास तौर से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों को समानता का अधिकार न प्राप्त हो वहां पर हरिजन अपने अधिकारों के लिये लड़ने के लिये तैयार हों तो, किसी प्रकार की समस्या देश के सामने आये, संकट को समय आज हरिजन किसी से पीछे नहीं हैं। उनके निवारण के लिये, हिन्दू मानते हुए भी उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है तो सरकार उनको संरक्षण प्रदान करे। चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के यहां बड़े बड़े भाषण देकर हम गरीबी को नहीं हटा सकते हैं, छूआछूत को नहीं हटा सकते हैं। जब तक आत्मा में विश्वास नहीं कर लें कि भगवान की बनाई हुई सब ही मूर्तियां हैं, चाहे विधान सभा सदस्य हों, चाहे जिला प्रमुख हों, चाहे प्रधान हों, सब की आत्मा में हरिजन बसा हुआ है क्योंकि सुना है सभी पार्टियों के लोग, चाहे इधर के हों चाहे उधर के, स्वयं तो

(श्री नन्दलाल बैरवा)

छूआछूत नहीं मानते, हालांकि मैं तो यह नहीं मानता, पर हमारे परिवारों में से छूआछूत निकल गई हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि चाहे प्रधान हो, सरपंच हो, मन्त्री हो, एम. एल. ए. हो कोई हो, अपने परिवारों में किसी की नहीं चलती है। तो मेरा निवेदन है कि सही माने में समाजवाद लाना है तो हमारे दिल और दिमाग साफ रखने होंगे, सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे और इस तरह का वातावरण परिवारों में भी पैदा करना होगा। हरिजनों को, पूरे दिल और दिमाग को साफ करके, गले लगाना होगा। परिवारों को भी इसके लिये तैयार करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट में बोल कर समाप्त करता हूं।

इसी तरह हरिजनों की जमीनों पर हर कोई कब्जा करने को तैयार रहता है। इस प्रकार की घटनाएं भी बहुत होती हैं। इनको रोकने के लिये राजस्थान सरकार ने और समाज कल्याण विभाग ने क्या किया है अब तक इसकी जानकारी हमें नहीं है। पर अब समय आ गया है जब सबको कठोरता से इसे रोकना होगा। वरना आज का हरिजन वह पुराना नहीं रह गया है। वह अच्छी तरह समझ चुका है कि वह भी इस देश का वैसा ही नागरिक है जैसे दूसरे लोग। उससे आज बेगारी की तरह काम नहीं लिया जा सकता। आज वह वोट की कीमत भी जानता है। वह समझता है कि देश में 30 प्रतिशत आबादी उनकी है और उनके वोटों पर जीतकर आज कांग्रेस शासन में स्थिर रह पाई है। इसलिये आज हरिजनों को वे सभी अधिकार मिल जाने चाहिये जो संविधान ने उनको दिये हैं, इनमें जो भी रुकावट आती हो उसे सरकार को तत्परता से दूर करना चाहिये। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री सुलानिया।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : सभापति महोदय, 68-69 की रिपोर्ट आज करीब 362 दिनों के बाद जाकर सदन में बहस के लिये पेश हुई है। यह स्थिति विचारणीय है। आज अगर हम इस रिपोर्ट पर सुझाव दें तो उनकी क्या कीमत होगी। इन सुझावों का असर 72 के कार्य कलापों पर भी पड़ेगा यह भी कौन कह सकता है।

सभापति महोदय, जहां तक हरिजन एवं जनजातियों के उत्थान का प्रश्न है इस बारे में सभी एक मत हैं। इस बारे में भी एकमत हैं कि उन पर काफी अत्याचार किये गये हैं, उनके प्रति काफी अन्याय हुआ है, और इसके बावजूद जो रियायतें और सहायता सरकार की तरफ से संविधान के तहत उनको मिलनी चाहिये थीं उनको देने में भी सरकार नाकामयाब रही है।

तो जो सरकार अपने शासन काल के बीस वर्षों में भी इस मसले को हल नहीं कर पाई वह 100 सालों में भी अब इस मसले को हल नहीं कर सकती। इसलिये सारा दोष किसी मन्त्री पर या अधिकारी पर थोपें यह मेरे विचार से

(श्री लादूराम सुलानिया)

अच्छा नहीं है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा सरकार है और उसकी जो रीति नीति है वह पूरी की पूरी ही हमारे देश के प्रति, हमारे आदिवासियों और हरिजन भाइयों के प्रति, अच्छी नहीं है। इनके शासन काल में बीस साल पहले जो इनकी हालत थी, वही आज है। लोग कहते हैं कि कुछ अन्तर आया है पर मैं कहता हूं कि कुछ अन्तर नहीं आया है और जो अन्तर आया हुआ लगता है वह तो समय की अपनी ही गति है। इतना तो औरों के साथ होना ही था। तो सभापति महोदय, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि विगत बीस वर्षों में हमारी दशा में कोई अन्तर नहीं आया।

सुविधाएं देने के बारे में भी अगर कहा जाय तो भी अन्तर नहीं आया। जहां तक राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा खर्चा करने की बात है वह विचारणीय है। खर्चा क्या किया और उसका उपयोग क्या हुआ? यह मैं बताता हूं। राजस्थान में जहां पिछड़ी जातियों को उठाने में इसका उपयोग किया जाना चाहिये था, वह नहीं हुआ। वह पैसा केवल उन लोगों को, उन थोड़े से मुट्ठी भर लोगों को मिला है जो उनका साथ देने के लिये तैयार हुए—उनकी हां में हां मिलाने वालों को मिला। उनकी पार्टियों को मजबूत बनाने वालों को मिला। भिक्षा या दान अनुदान जो भी कुछ कह लीजिये वह उन्हीं को मिला।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल): आप हां में हां नहीं मिलाते हैं अपनी पार्टी की?

श्री लादूराम सुलानिया : यह तो हमारी सरकार बने तब कहना। सरकार करोड़ों रुपया हमारी उन्नति के लिये खर्च करती है यह कहना सरासर गलत है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : इसी सरकार की बदौलत आज आप यहां विधान सभा में बैठे हैं संसद में बैठे हैं। संविधान के तहत सहूलियतें मिली हैं। इस सबको क्या आप कम मानते हैं?

श्री भगवानदास शास्त्री : यह तो सब आपको अपने हाथ में बनाये रखने के लिये जाल है।

श्री लादूराम सुलानिया : फिर भी आपको तो मन्त्रिमण्डल में नहीं लिया गया?

श्री गोकुलचन्द जाटव : दस्तखत करके दो अगर आप मुझे मन्त्रिमण्डल में चाहते हों तो?

श्री सभापति : नो कन्वेसिंग।

श्री लादूराम सुलानिया : हरिजनों के नाम पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसका अधिकांश का सदुपयोग नहीं होता। 80 प्रतिशत दफ्तरों में, अफसरों के सैर सपाटों में, टेबल कुर्सियां और कागज खरीदने में, अखबार बाजी में, बरबाद कर दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग के लिये कहा जाता है कि यह हरिजन आदिवासियों के उत्थान के लिये है। पर यह गलत है। इसमें सभी समाज आ जाते हैं केवल हरिजन ही इसमें रहें तो मान सकता हूं। पर समाज कल्याण विभाग का नाम लेकर

(श्री लादूराम सुलानिया)

हरिजनों के उद्धार की बात कहें असत्य है यह। यह समाज कल्याण तो सभी मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी के समाज के उत्थान के लिये है। कइयों की मान्यता है कि यह केवल हरिजन आदिवासियों के ही लिये है। यह गलत है। अगर ऐसा किसी ने माना है तो गलत मना है। सभी समाजों के हित के लिये है यह। सभी का कल्याण होना चाहिये इसके लिये है यह मेरी ऐसी मान्यता है।

अब इसमें भी उद्धार किसका होता है यह भी इसके द्वारा संचालित प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिलाते हुए बताना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे आपका इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना है कि एक महिला सदन इसके द्वारा चलाया जाता है। महिला सदन जयपुर में भी है अन्य जगह भी होंगे लेकिन मैं महिला सदन, जयपुर का उदाहरण दूं और उसके लिये कौन कौन दोषी हैं। कितने आफिसर्स उस विभाग के, सम्बन्धित मंत्री, उप मंत्री और जो भी उस विभाग से सम्बन्ध रखते हैं वे सारे के सारे इन्वोल्ड हैं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस महिला सदन की, अगर मंत्री जी यह चाहें तो, मैं निवेदन करूं इसकी जांच करवा लें। वहां जितनी लड़किया हैं उनके साथ वेश्यावृत्ति की जाती है। आज उस महिला सदन में 4-4, 5-5 लड़कियों के गर्भ हैं। दो दो साल से वहां रहती हैं.......

श्री गोकुलचन्द : कहां की बात करते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : आपके महिला सदन, जयपुर की।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपका नहीं, धोली टोपी का।

श्री लादूराम सुलानिया : समाज कल्याण द्वारा चलाये जाने वाले महिला सदन की बात कह रहा हूं। तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जिस सरकार की जहां राजधानी हो, जिस शहर में सारा मंत्रिमण्डल रहता हो, सारे राजस्थान की व्यवस्था करने वाला हो, सेक्रेटेरियेट जहां हो, पुलिस प्रशासन जहां हो, सारे अधिकारी जहां बैठते हों उसके नाक के नीचे महिला सदन, जहां नारियों को उत्तम रखने के लिये, उनका चरित्र सुधारने के लिये, उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिये व्यवस्था करता हो उसमें व्यभिचार का अड्डा हो वहां इस सरकार के लिये इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है। और अगर मंत्री यह चाहें कि यह बात गलत है तो मेरे साथ चलें और सारी लड़कियों की डॉक्टरी जांच करवायें। आपको 4-5 लड़कियों के गर्भ मिलेगा।

श्री विजयसिंह : यह जांच तुरन्त करवानी चाहिये नहीं तो ये कइयों के तो गर्भ गिरवा देंगे।

श्री गोकुलचन्द : Not concerned with the Report.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : महिला सदन को लेकर माननीय सदस्य ने गंभीर आरोप लगाये हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अपराध हो नहीं सकता और मैं समझता हूं राज्य सरकार को स्वयं इस सुझाव के लिये तैयार होना चाहिये कि सदन की एक कमेटी बनाकर निश्चित रूप से तैयार होना चाहिये। यह गंभीर विषय

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
है इसको छोटा मानकर नहीं चलना चाहिये सदन की समिति बनाकर इसकी जांच अवश्य की जानी चाहिये।

श्री गोकुलचन्द : इसमें कोई शक नहीं है। गंभीर मामला है लेकिन माननीय सदस्य किस आधार पर कह रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जांच जरूर करवाना चाहिये।

श्री विजयसिंह : वे सदन के माननीय सदस्य हैं। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूँ एक बार महिला सदन की औरतें भाग गई थी, इनके व्यभिचारों के खिलाफ और फिर पुलिस वाले उनको पकड़ पकड़ कर लाये.........

श्री गोकुलचन्द : यह बात तो सही हो सकती है लेकिन वे कहते हैं 4-5 लड़कियों के गर्भ हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : समाचार पत्रों में भी समाचार छप रहे हैं। आप पढ़ते नहीं हैं क्या ?

श्री गोकुलचन्द : समाचार पत्रों की बात तो आप छोड़ दीजिये न जाने क्या क्या छप जाता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह गवर्नमेंट के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये।

श्री गोकुलचन्द : चिन्ता का विषय तो सबके लिये ही है। 4-5 लड़कियों के गर्भ है। क्या आपने उनको देखा है ?

(व्यवधान, अश्रव्य)

सभापति महोदय मैं यह कहना चाहूंगा यदि यह बात नान-सीरियस है तब तो ठीक है नहीं तो किसी को गर्भ नहीं हुआ तो फिर आप क्या कहेंगे। पहले आप सोच समझ लीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आम तौर से चार्ज नहीं लगाया जाता है लेकिन माननीय सदस्य ने लगा दिया है तो समझना चाहिये मामला अत्यन्त गंभीर है और कल ही इसकी जांच कराना चाहिये। जांच के समय डॉक्टर को साथ ले जाना चाहिये। मैं समझता हूं किसी भी सदस्य के लिये इससे बढ़कर भयंकर बात नहीं हो सकती है और यह सही निकलती है तो समाज कल्याण के लिये इससे भयंकर बात नहीं हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कल ही कमेटी बैठाकर जांच की जानी चाहिये।

समाजकल्याण मन्त्री (श्री भीखा भाई): सभापति महोदय अभी जो चर्चा हो रही है वह 18 वें प्रतिवेदन.......

श्री प्रेमसिंह : 18 वां प्रतिवेदन क्या करेगा। सदन की कमेटी बैठाओ और जांच करावो।

श्री भीखाभाई : ....जिसके अन्तर्गत यह बात कही गई है। माननीय सदस्य ने अभी मेरी अनुपस्थिति में जबकि मैं 7 घंटे से यहीं बैठा था और सिर्फ दो मिनिट के लिये सदन से बाहर भगवान का नाम लेने ही गया था कि माननीय सदस्य ने यह कहा तो वे मुझे लिखित में दे दें मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री विजय सिंह : लिखित क्या दें, यह तो लिखित ही बात है।

Page No 145

श्री भीखा भाई : मेरी सुन तो लीजिये

श्री विजयसिंह : क्या सुन लें ।

श्री भीखा भाई : एक लड़की के जीवन का प्रश्न जुड़ा हुआ है ।

श्री प्रेमसिंह : उसका नाम थोड़े ही लिया है ।

श्री भीखा भाई : उसकी जांच करा ली जायगी । जहां तक सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का सवाल है उसको चार्जशीट कर दिया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार आज इस स्थिति में है कि उस चार्ज का खण्डन करे और नहीं तो जो कुछ इन्होंने आरोप लगाये हैं वे सही हैं और ये एक भंयकर आरोप है ।

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय, मैं ऑफ हैंड तो कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं इसकी जांच करवा सकता हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जहां पर नारियों का जीवन बनाने के लिये, चरित्र बनाने के लिये संस्थायें हैं, वहां आज अत्याचार का अड्डा बना हुआ है और ऐसी संस्था में आज 4-5 महिलाओं के गर्भ हैं । इतना भंयकर आरोप है, आप क्या जांच करवा लेंगे ?

श्री भीखा भाई : मुझे क्या मालूम, आप जो कहते हैं वह सत्य है । जब तक फैक्टस नहीं आयें तब तक क्या जांच करवा सकते हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आप सदन की कमेटी बनाकर जांच कराइये डिपार्टमेंट की जांच का कोई भरोसा नहीं है । आप तो अपने चहेते डॉक्टर से कुछ भी रिपोर्ट लिखवा लेंगे ।

श्री भीखा भाई : डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर साथ रहेगा ।

श्री विजयसिंह : We have no faith in your Committee.

श्री लादूराम सुलानियां : गवर्नमेंट की कमेटी की आवश्यकता नहीं है । इस हाउस की कमेटी बनाइये ।

श्री विजयसिंह : House is very keen to know because it is a serious matter. It is not a minor matter, Sir.

श्री सभापति : It is less than minor. इस सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये हैं—महिला सदन के सम्बन्ध में । आप इसकी जांच कर लीजिये और कल सदन को सूचित कर दीजिये ।

श्री भीखा भाई : मेडीकल परसन से जो जांच करवानी है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेडीकल की जांच करायेंगे तो आप तीन डॉक्टरों का एक शिष्ट मण्डल भेजिये । आपके चहेते डॉक्टर से जांच नहीं होगी ।

श्री सभापति : वह डॉक्टर जायगा, तो किसी क्वालिफिकेशन का ही होगा । मैंने इसमें विवाद में काफी समय दे दिया है और आसन की ओर से निर्देश भी दे दिया गया है इस आरोप के सम्बन्ध में सदन को कल सूचित कर देंगे । अब इस सम्बन्ध में कौन डॉक्टर होगा, किस क्वालिफिकेशन का

(श्री सभापति)
होगा, क्या करेगा यह सब तो इनके देखने की बात है और यह अभी सम्भव भी नहीं है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल) : सभापति महोदय आपने निर्देश दे दिये लेकिन इसके लिये सरकार पालन करने के लिये तैयार नहीं है कि वे जांच करके सदन को जानकारी देंगे। माननीय मंत्री महोदय कहते है जांच नहीं कर सकते हैं।

मुख्य सचेतक श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कल के लिये कह रहे हैं, कल नहीं हो पायेगी।

श्री विजयसिंह : इस आसन की गरिमा बढ़ानी होगी तो कल जांच करवानी होगी।

श्री भैरोंसिह : 1-2 डॉक्टर को साथ लेकर अभी चले जायें और अभी नहीं जा सकते हैं कल सुबह चले जायं। सदन की कार्यवाही 11-00 बजे शुरू होती है। उसके पहले पहले जानकारी करके बता दें।

एक माननीय सदस्य : कल 3-4 बजें तक।

श्री भैरोंसिह : इसमें अभी कौन से बयान लेने हैं। आप किसी अधिकारी को भेज दीजिये और उसके साथ में डॉक्टर को भेज दीजिये। डॉक्टर की रिपोर्ट आ जायगी और आप सदन को उससे अवगत करा दें।

श्री भीखा भाई : ठीक है कल हो सके तो कल नहीं तो परसों। कल और परसों में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री लादूराम सुलानिया : बीमार बनाया जा सकता है, गायब की जा सकती हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : गर्भ भी तो गिराया जा सकता है।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : वह महिला रुदन कौन सा है यह भी तो बताया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : आप यहां थे ही नहीं।

श्री सभापति : इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सभापति महोदय आरोप मैंने लगाया है और निर्णय देने से पहले मुझे सुन लिया जाये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, यह भी जांच कर ली जाये कि एक छबड़ा की औरत आई थी और वह 7 महीने का उसके रहा है....

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, निर्णय देने से पहले मुझे सुन लिया जाये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप मैंने लगाया है और रात भर में या कल दिन में आप जांच करायें तो गर्भ गिराया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जांच कराई जाये—चाहे 8 दिन बाद जांच कराई जाये मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं उनको किसी अच्छी कस्टडी में ले लिया जाये ताकि उनका गर्भपात नहीं कराया जा सके। चाहे 8 दिन बाद करायें

(श्री लादूराम सुलानिया)

इसके लिये मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जिनके सुपुर्द वह लड़कियां हों वह अच्छे हों। या तो सी.बी.आई. की जूरिस्डिक्शन में या चार पांच आदमियों की जूरिस्डिक्शन में रख दें। अगर आप ऐसा नहीं करके उनकी जांच करेंगे तो रात में गर्भ गिराया जा सकता है लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उनको अच्छी कस्टडी में ले लिया जाये और फिर जांच कराई जाये। उनको तुरन्त कस्टडी में ले लिया जाये।

श्री गोकुलचन्द जाटव : सभापति महोदय, मेरा अनुभव इतना जरूर रहा है कि जिस सदन का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसमें ऐसी लड़कियां भी आती हैं जो कि किसी के साथ भाग जाती हैं और आवारा होती हैं। अगर वह ऐसी शरीर लड़की आती है या पहले से ही गर्भवती आती है तो वे वहां शरण ले सकती हैं। अगर आपने ऐसी लड़कियां देखी हैं तो बिल्कुल गलत बात होगी। महिला सदन में रहते हुए अगर ऐसी लड़कियों के पास बदमाश आदमी जाते हैं जिससे गर्भ रहा है तो मेरा ख्याल है कि ऐसी औरतें उन्होंने देखी हैं तो वह बात सही हो सकती है। उसका निर्णय करा लिया जायेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : आप क्या बात कर रहे हैं, आप सुनते तो हैं नहीं। जो दो दो साल से सदन में एडमिट हैं उनके गर्भ हैं। क्या आप सेवा करते हैं समाज की ? जांच करायें आप।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं भी तो वही बात कर रहा हूं।

श्री विजयसिंह : आप उन्हें डिफेण्ड क्यों कर रहे हैं।

श्री सभापति : (श्री लादूराम सुलानिया के खड़े होने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में जो आरोप माननीय श्री लादूराम जी सुलानिया ने लगाये हैं उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व तक जांच करके इस सदन को सूचित करेंगे। श्री सुलानिया जी इस सम्बन्ध में या अन्य कोई सदस्य जांच में सहयोग देना चाहे या रुचि रखता हो या जाये तो वह उनसे सम्पर्क स्थापित करले उसको एसोसियेट कर लिया जायेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सभापति महोदय, यह जो रिपोर्ट है उसमें इन बातों का हवाला दिया गया है राज्य सरकार जिन लोगों की सुविधाओं के लिए आदेश दिया है विभाग द्वारा उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने आज नहीं आज के 20 वर्ष पहले जिन बातों का आदेश राज्य सरकार ने प्रसारित किया है उनकी पालना 20 वर्षों में राज्य सरकार नहीं कर पाई है। तो उन आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से एक राज्य सरकार का आदेश पढ़कर सुनाना चाहूंगा। "राज्य सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग सरकुलर नं. एफ. 22 / 28 / जी. ए. डी. / 51, दिनांक 4-5-52।

(श्री लादूराम मुलानिया)

सभापति महोदय 52 में राज्य सरकार ने ऑफिसर्स को आदेश दिये कि सम्बन्धित अधिकारी का ध्यान संविधान की धारा 19 (ई.) की ओर आकर्षित किया जाता है और इसके अन्तर्गत सभी नागरिकों को कोई भी धन्धा करने व कोई भी रोजगार या कारोबार चलाने की स्वतन्त्रता है। सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ स्थानों पर चमार आदि के द्वारा मुर्दा पशुओं को उठाने से इन्कार करने पर उनके साथ बहुत ही परेशानी करने वाला व्यवहार किया है और यहां तक कि कभी कभी उनको पानी भरने को भी रोक दिया गया है। इसी प्रकार किसी विशेष काम को जबरदस्ती कराने का तरीका मान्य नहीं है। जहां कहीं मुर्दा पशुओं को हटाने सम्बन्धी ठेका है वहां स्थानीय पंचायतों, म्युनिसिपैलिटियों आदि इस तरह के मामलों में कार्यवाही करें और ठेके का तरीका लागू करके मुर्दा पशुओं को उठवाये जाने की जबरदस्ती को रोकें।" यह है मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ।

1952 में जब राज्य सरकार ने संविधान के अनुसार एक सरकूलर जारी करके तय कर दिया तो आज 20 वर्षों के बाद भी हमारे यहां जयपुर जिले की बस्सी तहसील में अभी एक ज्वलंत उदाहरण है, सभापति महोदय, एक गांव के अन्दर जबरदस्ती रैगरों को मारा, उनके मकान जलाये, उनका सामान लूट लिया, जेवर, नकदी और कपड़े आदि छीन लिये और करीब 18 आदमियों के चोटें आई और सख्त घायल हुए और वहां से थाना नजदीक, वहां का थानेदार सभापति महोदय आराम से 5 दिन तक सो गया और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वे बातें सिर से ऊपर निकल गयीं और कुछ लोगों ने भाग दौड़कर जयपुर तक इत्तला पहुंचाई तो यहाँ से मैं आपको जानकारी के लिए विशेष अर्ज कर दूं कि हमारी सरकार के अन्दर बैठने वाले भूतपूर्व उपमंत्री श्री जसराज जी मौके पर गये और हमारे जैसे कार्यकर्त्ता मौके पर गये और हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो मारपीट कर टाल दिया और हमने सबको ट्रकों में भरकर मुख्य मन्त्री जी के बंगले पर डाल दिया। उसके बाद में मुख्य मन्त्री जी ने विशेष रूप से यह आदेश दिया कि तुरन्त व्यवस्था की जाये। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि जो लोग उस झगड़े में थे कुछ लोग नहीं थे, जो लोग कमजोर थे उनको दस पन्द्रह आदमियों को पकड़ कर अदालत में पेश करके जमानत कराके ले गये यह है हमारी सरकार का नमूना। क्या वह जामिन काबिल था केस, क्या बलवा नहीं है, क्या आग लगाने वालों की जमानत हो सकती है? लूट कर ले जाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है। यह सबसे ताजा उदाहरण है। उन लोगों के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ भी हमारी सरकार आंख मूंद कर बैठी है। किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना तो दूर रहा उनकी कान में जूं तक नहीं रेंगी। खैर, इस प्रकार की बहुत सी बातें मेरे से पूर्व बोलने वाले इस सदन के माननीय सदस्यों ने कही है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी रखी हैं। क्या सरकार का ध्यान उस ओर जाएगा। मैं पूछता हूं माननीय

(श्री लादूराम सुलानिया)

सभापति महोदय, क्या यह कसूर सवर्ण जाति के लोगों का है, यह नहीं हो सकता है। क्या हरिजनों की गलती है, यह भी नहीं हो सकता है। गलती किसकी है ? इसका मूल कारण, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारा देश आजाद कहलाता है, हमारे यहां पर जनतान्त्रिक प्रणाली लागू है। यहां पर जन प्रतिनिधि लोग चुनकर आते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको जनता की रक्षा, जनता की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में जागरूक रहने का अधिकार है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी बात हमारे साथ यह है कि हमारे समाज के साथ अन्याय होता है, इसका मूल कारण उधर बैठने वाले हरिजन बन्धु विधायक हैं। शायद यह सुनकर आप एकदम से नाराज हो जायं और बोल उठें लेकिन मैं उनको बहुत अदब से, बहुत तरीके से अर्ज करूंगा कि आज जिस तरह से वे सरकार के साथ में बैठे हैं वहां उठ कर इधर विरोध में आकर बैठें। विरोध में बैठकर वे भी मेरी तरह से कह सकते हैं और हरिजनों के लिए इन्तजाम करा सकते हैं। अगर आप में, आपकी पार्टी में इतनी क्षमता नहीं है तो फिर वहां रहते क्यों हैं। आप इधर आ जाइए। आप और हम मिलकर सरकार बनायेंगे और तबला उलटा कर देंगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम से, क्रोध में आने की आवश्यकता नहीं है। हरिजनों के साथ अन्याय होते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ छूआछूत होती है। हमारे भूतपूर्व मन्त्री अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बोल रहे थे लेकिन बीस साल तक क्यों नहीं बोले ? अभी कह रहे थे कि नाथद्वारा के मन्दिर में नहीं जाने देते, पहले भी ऐसा बोले ? फिर कह दिया कि गोविन्ददेवजी के मन्दिर में नहीं जाने देते हैं। मेरी धर्मपत्नी को तो जाने दिया लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। यह बड़े शर्म की बात है कि उधर बैठने वाले इस तरह की बातें करें। आप तुरन्त कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। लाखों हरिजनों की हत्याएं हों वे बर्बाद हों और आप उधर बैठे रहें तो इसका सारा उत्तरदायित्व आपका है। आप उनके हत्यारे हैं, आप उनका शोषण कराते हैं, उनको खाने वाले हैं। मैं नहीं कहता कि आप आज ही इधर आकर बैठ जावो, अपने घर में बैठ कर सलाह कर लो और कल आकर यहां कह दो कि यह तुम्हारा टंडीरा सम्भालो। कल यहां आकर बैठो, कल ही इधर की सरकार बनती है दूसरी और फिर देखो कि कैसे हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। क्यों उस सरकार का मुंह ताकते हो ? लेकिन नहीं, वहां तो कोई मंत्री बनने के लिए बैठे हैं, कोई चेयरमैन बनने के लिए बैठे हैं तो किसी को कुछ चाहिए। कोई जमीन लेने को बैठा है। ठीक है, आप तो ले लो लेकिन लाखों लोग जिन्होंने आपको प्रतिनिधि चुन कर भेजा है उनकी क्या हालत है, उनकी क्या दशा है इस पर भी क्या आपने कभी विचार किया है ?

श्री गोकुलचन्द : सन् 67 में तो कपड़े नहीं बनवा लिए थे मंत्री बनने के लिए।

श्री विजयसिंह : आप में (श्री गोकुलचन्द की ओर मुखापेक्ष) इतनी ताकत होती तो मंत्री नहीं बन जाते।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सभापति महोदय, जरा संयम से सुनें और उस पर विचार करें। अभी विचार करने का समय नहीं है, हंसने का समय है तो जब घर पर जावें और शैय्या पर जावें तो अपनी शैय्या पर बैठ कर उस समय अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि लादूराम सुलानिया ठीक कहता है या नहीं। आज जो हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं उन हत्याओं का उत्तरदायित्व कांग्रेस में बैठने वाले विधायकों का है या नहीं। अगर वे चाहें तो हरिजनों के साथ अन्याय मिट सकता है, लेकिन वे नहीं चाहते हैं। इसका कारण है। इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभी नया मंत्रिमन्डल बना उसमें हमारे हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बहुत अच्छे सज्जन, समझदार, एल. एल. बी. एडवोकेट, योग्य व्यक्ति को गैर सदस्य होते हुए भी मंत्री लिया गया। उसके लिए तो मैं उनको खुद को को बधाई देता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपने किसी समय बड़ा भगवान का भजन किया है जिसके पुण्य में में आपको कुर्सी मिली है, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो और बीस पच्चीस बैठे हैं और जो कुर्सी बैठे हैं और जो कुर्सी के लिए दल बदल कर उधर जाकर बैठ गए हैं उन्हें तो डूब मरना चाहिए। उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनमें कोई भी योग्य नहीं है कि जिसको मंत्री बनाया जा सके। अगर कोई योग्य होता तो ऐसी नौबत नहीं आ सकती थी। आखिर इसमें क्या कारण है? मेरी कई लोगों से बात हुई कि अरे भाई ऐसी क्या बात है, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तो कहने लगे कि क्या करें, टिकिट नहीं मिलेगा। टिकिट नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, जनता तो वोट दे देगी। आगे भी जिताया है, अब भी कहीं न कहीं से जिता ही देगें। इधर की तरफ बैठने वालों को तो जनता जिता कर भेजती है। इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट को रिपोर्ट को सामने रख कर जितने भी दस बीस साल के अन्दर हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, हरिजनों की जो हालत हुई है और जो उनकी दुर्गति हुई तो उसको सुधारने के लिए यदि कोई ठोस कदम उठाते हैं तो आप स्वागत योग्य हैं। अगर अभी भी आप नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेगीं। आप पर कलंक लगायेगीं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रतिनिधियों ने हमारा कोई इन्तजाम नहीं करवाया। हमारे साथ आगजनी, हत्यायें, लूटमार और हमारा शोषण होता चला आ रहा है और एक प्रकार का षड़यंत्र चल रहा है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया गया।

मैं विशेष अर्ज नहीं करूंगा माननीय सभापति महोदय। मैं उदाहरण के रूप में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। अभी अभी का बहुत ताजा उदाहरण है••

श्री सभापति : समय सात बजे तक का ही है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं तो दो तीन मिनिट में ही अर्ज कर दूंगा।

हमारे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर खण्डार में एक थानेदार महोदय हैं। उनका नियम है कि जब तक दस नोट सौ सौ के नहीं कमा लेते, खाना नहीं खाते। इसका सबूत तो मेरे पास नहीं है लेकिन सारी जनता में यह आवाज है। अगर आप सुनना चाहें तो किसी भी होटल पर चले जाइए। किसी भी धोबी की दुकान पर चले जाइए, किसी भी नाई की दुकान पर बैठ कर सुन लें कि यह बात है या नहीं। लक्ष्मीनारायण उसका नाम है। अभी 7 हरिजनों को पकड़ कर ले गए और उनसे कहा कि 250-250 रुपये दो नहीं तो चमड़ी उधेड़ देंगे। वाने कहीं कि महाराज म्हांके पास कठे छं रुपया। तो ठीक है बैठ जाओ यहां पर। शाम तक उनको थाने में बैठाए रखा। रात को उनको लेटा कर इतना बुरी तरह से मारा कि दो दो मुक्का, यानि छः छः इंच उनके चूतड़ मोटे हो गये और उसके बाद सुबह उन सात में से पांच को तो छोड़ दिया कि तुम जाकर रुपये लाओ और दो आदमी मेरे पास कस्टडी में रहेंगे। जब तुम पांच रुपये लेकर आ जाओगे तब ये दो रुपये लेने जायेंगे। तो इस प्रकार वे पांच आदमी वहां से गए और सरपंच महोदय के पास पहुंचे और उनसे जाकर कहा कि हमारी तो यह हालत हो गई है। सरपंच महोदय उनको लेकर सवाई माधोपुर आए और डी. वाई. एस. पी. को शिकायत की तो वे जांच के लिये गए और मामला सही पाया गया। लेकिन किया क्या आपने उसका। आप मन्त्रिमण्डल में नए नए आए हैं। आपको तो हरिजनों के प्रति हमदर्दी होनी चाहिये। और अगर आप भी यह मानते हैं कि कुछ नहीं किया जाना चाहिए तो आपका पट्टा नहीं है। इस तरह से माननीय सभापति जी, हरिजनों के साथ अत्याचार होते हैं, हत्यायें होती हैं, जुल्म होते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये मैं इस रिपोर्ट में जो राजस्थान का पार्ट दिया है इसे सारे के सारे को बनावटी मानता हूं। हरिजनों को धोखे में रखा गया है और इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक घण्टा और बढ़ा दीजिए।

श्री सभापति : यह तो आप सोच लीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बोलने वालों के लिए टाइम लिमिट कर दीजिए।

श्री सभापति : आप तो उदारता से एक एक घण्टा बढ़ाते जाय और आसन टाइम लिमिट करके माननीय सदस्यों की नाराजगी ले।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सदन को कण्ट्रोल तो आप करते हैं, यह तो आप ही देखेंगे।

श्री सभापति : आपने अपने सदस्यों की इतनी लम्बी लिस्ट दे दी है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : लोग एक एक घण्टा बोलते जाते हैं तो दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिलता है।

श्री सभापति : आप बताइए कितनी देर के लिए समय बढ़ाना चाहते हैं।

श्री गोकुलचन्द जाटव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन माननीय सदस्यों को बोलना अनिवार्य और आवश्यक है ऐसे कौन सदस्य हैं, 6-7 सदस्य हैं। इसका मतलब है एक घण्टा मीनीमम।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उधर से सब बोल चुके हैं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वे किस रिपोर्ट पर बोलेंगे।

श्री सभापति : दो घण्टे से पहले डिबेट खतम नहीं होगी। आप जितना चाहेंगे उतनी चलेगी। सदन की अनुमति है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : लिमिट तय कर दीजिये।

श्री सभापति : कोई भी सदस्य दस मिनिट से अधिक नहीं बोलेगा। सदन की अनुमति से एक घण्टे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : सभापति महोदय, एक जानकारी चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि कल जांच उसकी हो जायेगी। इस बीच में यह बात जानना चाहता हूं....

श्री भगवानदास शास्त्री : पुरानी बात को दोहरा कर समय खराब न करें वह पुरानी बात हो चुकी है। वह भाषण हो गया है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : उसकी इन्क्वायरी हो रही है तो उस महिला सदन के क्या कायदे हैं, क्या नियम हैं ? क्या जो लड़की वहां पर आई हुई हैं उसको शहर में जाने की इजाजत है, सिनेमा देखने की इजाजत है और क्या वे बाहर जाती रही हैं। और श्री लादूराम जी सुलानिया कितनी बार वहां पर गये हैं, उनके नजर में ऐसी कितनी लड़कियां आई ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। यह निवेदन की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जाकर देखने का प्रश्न नहीं है। आपकी ज्यादा रुचि है तो आप मन्त्री महोदय से बात कर लें। ऑर्डर प्लीज।

श्री किशनलाल वर्मा। श्री जेपाराम आपका नाम सूची में नहीं है। सोरी श्री बिरदाराम। माफ कीजिये।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : सभापति जी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 18वीं रिपोर्ट वर्ष 1968-69 पर यहां बहस चल रही है, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा। वह यह है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक सामाजिक, और राजनैतिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कुछ कार्यवाही राजस्थान सरकार ने की है, जो घोषणा की है जो कार्य किये हैं मैं समझता हूं कि उससे उनकी सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में और राजनैतिक स्थिति के अन्दर कुछ सुधार अवश्य हुआ है लेकिन साथ ही मैं यह कहूंगा

(श्री किशनलाल वर्मा)

कि जिस प्रकार से सामाजिक स्थिति उनकी सुधरनी चाहिये थी, उन्नति होनी चाहिये थी, वह बात नहीं रही। अभी भी यह देखने में आता है कि अनुसूचित जातियों से छूआछूत बहुत ज्यादा है। इसके लिये यद्यपि काफी कार्य किया गया है लेकिन जो काम होना चाहिए था वह नहीं किया गया है। अब भी हम देखते हैं कि हरिजन लोगों को मन्दिर में नहीं जाने दिया जाता है, धार्मिक आयोजन, उत्सव आदि में जो स्थान उनको मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। वैसे वे भी समानता के अधिकारी हैं, परन्तु वह अधिकार उनको नहीं है। यह बात वास्तविक रूप से सामने आती है। उनकी बस्तियों को देखते हैं तो यह देखने को मिलता है कि उनकी बस्तियां कितनी गन्दी हैं। वहां पर किसी प्रकार से उजाले का इन्तजाम नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यह बात शहरों में भी है और गावों में भी है कई प्रकार से इसके लिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि इस प्रकार की कार्यवाही की जाये, इसके लिये भी कोशिश भी की है। जो बड़े बड़े गांव हैं, स्वीकृत हैं, बिजली के लिये उनमें बिजली लगती है परन्तु उनकी हरिजन बस्तियों को उससे वंचित कर दिया जाता है। ऐसे चार कस्बे हैं, सिकराय, मानपुर, सिकन्दरा और गोजगढ़। यहां की हरिजन, आदिवासी बस्तियों में बिजली का एक भी पोल नहीं है। इसके लिये पिछले दो वर्षों से प्रयत्न किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग को सरपंच ने लिखा है। स्कीम भी बनी है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार क्या काम करती है। यहां पर बोलने का कोई नतीजा नहीं होता है तब यहां पर बोलना बेकार है। यहां पर जो सुझाव दिये जाते हैं उसके माफिक काम होना चाहिये।

सभापतिजी, मैं यह भी बताऊंगा कि प्लॉट्स के आवंटन में 15 प्रतिशत का रिजर्वेशन है परन्तु रिजर्वेशन है उसका पालन नहीं होता है। जितने प्लॉट्स अलॉट हुए हैं उसमें भी उनका कतई पालन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एक प्रतिशत भी अलॉट नहीं हुए हैं। जो अधिकारी हैं वे इसमें रुकावट डालते हैं। जहां पर उनका इन्टरेस्ट होता है वहां पर तो वे प्लॉट अलॉट करते हैं। हमने देखा है कि जो भी सेक्रेटरी रहे हैं उन्होंने अपने परिवार, भाई भतीजों और दोस्तों को चार चार, पांच पांच प्लॉट्स एक एक व्यक्ति को अलॉट कर दिये हैं। पहले दूसरी जगह अलॉट किये और फिर उनके एक्सचेन्ज में बड़े बड़े प्लॉट्स दिये हैं। जो सस्ते प्लॉट थे उनका एवज में मंहगे प्लॉट दे दिये। दो चार उदाहरण हैं। नाहरी के नाके में भी यद्यपि पहले दूसरी जगह दिये गये थे, उनकी रेट कम थी उसकी एवज में उनके जो रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, उन एक एक को बिना राज्य की स्वीकृति के इस रेट पर दे दिये हैं। इसका यह मतलब होता हैं जहां पर प्लॉट की कीमत चार रुपया गज थी दूसरी जगह पर उनको 20 रुपया गज का प्लॉट दे दिया गया। इस प्रकार से इसके अन्दर भी अवैधानिकता चलती है तो यह समझ में नहीं आता है।

(श्री किशनलाल वर्मा)

जयपुर में एक मीणा छात्रावास की जमीन के लिये कई बार लिख कर दिया गया। मुख्य मन्त्री महोदय ने एक सम्मेलन में आश्वासन भी दिया। यू. आई. टी. के चेयरमैन ने भी आश्वासन दिया और मुख्य मन्त्री महोदय ने मन्त्री महोदय को लिख दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बरकत साहब ने लिख कर दिया रामकिशोर व्यास को वहां पर मालूम करने पर पता लगा कि वह उन्होंने टोकरी में डाल दिया है। जब कोई मुख्य मंत्री का कहना नहीं मानते हैं तो किस तरह से कार्यवाही हो सकती है फिर क्या यह सरकार है यह समझ में नहीं आता है। जो अनुसूचित जन जाति और आदिम जाति के लोग हैं उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं देता हैं और न कोई कार्यवाही होती है। यह समझ में नहीं आता है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये वहां पर कोई छात्रावास नहीं है। इसके लिये बार बार सरकार को बताया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी तरह से जो चेयरमैन वगैरह हैं वे भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये यू. आई. टी. का चेयरमन ट्राइब्स का होना चाहिए वरना यह सब खाली समाजवाद की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि केवल इस कुर्सी को बनाये रखने के लिए ही यह नारा लगाया जाता है। झूठी घोषणाएं होती हैं और उनका पालन नहीं किया जाता है। मकान बनाने के लिए बताते हैं उनको पैसा दिया जाता है लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाय तो उनको पैसा नहीं दिया जाता है। मेरे यहां के 5-6 हरिजन परिवारों की दरख्वास्तें हैं, इसके अन्दर लवाण और गीज गढ़ के लोग हैं, उनमें से एक को भी लोन नहीं मिला है और दूसरी तरफ पैसा अनाप शनाप खर्च होता है। किसी भी विकास के काम को देख लो ज्यादा पैसा मंत्रियों के यहां पर खर्च होता है। पिछड़े वर्गों के क्षेत्रों में नहीं होता है। होना तो चाहिये था विकास का काम पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। गरीबों के हक को नहीं देखेंगे तब तक समाजवाद नहीं आयेगा। समाजवाद को लाने के लिये पहले गरीबी को मिटाना पड़ेगा और जो घोषणाएं की गई हैं उनका पूरा पूरा पालन करना पड़ेगा जब ही सच्चा समाजवाद लाया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जन जातियों की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिये ठोस योजनाएं नहीं बनाई जाती, ईमानदारी से काम नहीं किया जायेगा तब तक गरीबी नहीं मिट सकेगी। हम देखते हैं कि गांधी जन्म शताब्दी के अन्दर लोगों को भूमि का अलॉटमेन्ट किया गया है। ऐसे लोगों को जो खेती पर निर्भर करते हैं उनकी जनसंख्या इस प्रकार की है कि मजदूरी में शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स के लोग 33 प्रतिशत हैं और उसमें भी ज्यादातर खेतीहर मजदूर हैं, उस स्थिति में जमीन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था। और जमीन दी जानी चाहिये थी ताकि उनका जीवन निर्वाह ठीक तरह से हो सके। गांधी शताब्दी के वर्ष में कुछ जमीन जरूर एलॉट की गई है परन्तु जो जमीन उनको दी गई है वह अच्छी नहीं दी गई है। फिर जमीन भी कम दी गई है उससे उनकी जोत लाभप्रद नहीं हो सकती

(श्री किशनलाल वर्मा)
है और उनका पूरे तौर से गुजारा नहीं चल सकता है। जब तक उनको जमीन अच्छी नहीं दी जायेगी, उनका निर्वाह नहीं हो सकेगा।

अब सीलिंग कानून की घोषणा के लिये कहा गया। मेरा कहना है कि जो घोषणा की गई है उसका पालन किया जाना चाहिये.......

श्री सभापति : गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर टोटल एलॉटमेन्ट में से कितना परसेन्ट एलॉटमेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को किया गया है, क्या इसके आंकड़े आपके पास में हैं ?

श्री किशनलाल वर्मा : इसके पूरे आंकड़े मेरे को मालूम नहीं हैं।

श्री सभापति : आप एडवोकेट मेम्बर हैं। ये फैक्टस् स्टडी करते तो ठीक रहता। फिर गोलमाल कहने से क्या फायदा होगा।

श्री किशनलाल वर्मा : परन्तु यह मैं कह सकता हूं कि जितनी उनकी पॉपूलेशन है उसके हिसाब से जमीन एलॉट नहीं हुई हैं।

श्री सभापति : यह तो जनरल बात हुई।

श्री किशनलाल वर्मा : जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है इसलिए मैं कहता हूं कि जो सीलिंग का कानून है उसका पालन किया जाय। बहुत सी जमीन राजा महाराजाओं के पास पड़ी हुई है उसको जल्दी से जल्दी ली जाय और उनको दी जाय।

श्री सभापति : राजा-महाराजाओं से कोई जमीन नहीं ली ?

श्री किशनलाल वर्मा : अभी बहुत से राजा-महाराजा जागीरदार और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में ज्यादा जमीन हैं उनके केसेज को जल्दी से तय किया जाय और उनको जमीन दी जाय। इससे समस्या का हल हो सकता है।

एक तरफ तो जमीन देने की बात होती है और दूसरी तरफ जमीन छीनने की बात है। मैं कहता हूं मानपुर देवरी गांव है जयपुर तहसील में उसमें जमीन है खसरा नं. 24, 25, 26 व 27 जो कि 15 बीघा 7 बिस्वा शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की है और जो जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास होती है उसका ट्रान्सफर नहीं होता है, फिर भी उसका ट्रान्सफर 1965 में हुआ और उसका नामान्तरकरण राजश्री देवी धर्मपत्नि पी. सी. पोद्दार के नाम से हुआ है। इसी प्रकार का एक केस 61 में जिसकी रजिस्ट्री की गई है और रजिस्ट्री कराने में यह कह सकता हूं कि कुछ पैसा देते हैं और यहां हल्दियों के रास्ते में उसको बुलाकर पैसा दिया गया है और सिर्फ 900 रुपये दिये हैं और जमीन 15 बीघा है। इस तरह से एक चक्कर में लेकर उससे जमीन ले ली रजिस्ट्री में 4999 रुपया लिखवा दिया और केवल 900 रुपये दिये। इस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ किया जाता है। कई जगहों पर वह पोद्दार जमीनें बेचने का धन्धा किया करता है उसे पाबन्द करने की कार्यवाही की जाय। फर्जी वकील खड़े किये जाते हैं और जवाबदावा लिखवा दिया पाबन्द करने के

(श्री किशनलाल वर्मा)

लिए इस प्रकार से कार्यवाही होती है। इस प्रकार से तहसीलदार लोग पैसा लेकर रजिस्ट्री करते हैं, नामान्तरकरण तस्दीक करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीनों का।

इसके अलावा इसी जमीन में जो 3 भाइयों की जमीन थी उसमें से कुछ जमीन 7 बीघा 7 बिस्वा और थी उसमें से एक भाई इसाई बनकर इस जमीन का एक सिन्धी के नाम बेचान कर देता है। यह जाकर 68 में कार्यवाही हुई है। इस प्रकार की कार्यवाही होती है इसको आॅफिसर्स लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझ कर और रिश्वत लेकर कार्यवाही की है और उन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है।

इसके अलावा, जो जमीन मिली भूमि आवंटन में उस पर कब्जा नहीं मिलता है या लाठी के जोर से वापिस ले लेते हैं और फसलों को नहीं काटने देते हैं। मुकद्दमेबाजी चलती है और मुकद्दमे बाजी में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग सताये जाते हैं और पुलिस रिश्वत खाती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। जब तक इस तरह के मामले में कार्यवाही सख्ती से नहीं की जाय तब तक कोई बात नहीं हो सकती है।

इसके अलावा, जो उच्चाधिकारी लोग हैं वे जमीनों को हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी उनको रिश्वतें मिलती हैं तो उस पैसे से वे कृषि फार्म बना रहे हैं। मैं यह भी कहता हूं कि जो मन्त्री लोग यहां रहते हैं वे जयपुर में फार्म बनाते हैं उनको भी रोका जाय। पिछले टाइम में हम देखते थे कि जब कभी भी जाते हैं तो कहा जाता था कि मन्त्री जी फार्म पर गये हुए हैं। उनका फार्म देखने का काम है या हुकूमत चलाने का काम है। इस प्रकार के जो कृषि फार्म हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीनों पर कब्जा करके एग्रीकल्चर फार्म बना रखे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए चाहे वे मन्त्री हों या उच्चाधिकारी हों। सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बैंकों से ऋण दिलाया जाना चाहिए ताकि वे अपने उद्योग धन्धे चला सकें। उनको जमीनें दी जायं, उनको लाइसैन्स दिया जाय तब जाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

सर्विसेज में 28 पर्सेन्ट की जो घोषणा की गई है उस पर आपने बान लगा दिया है नई नियुक्तियों पर। इस लिए बान लगने से उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं और उसका पालन पूरी तरह से नहीं होता है और जनरल कोटा से उसकी पूर्ति हो जाती है। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कई बार उसका पालन नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कास्ट और ट्राइब्स का प्रतिनिधि होना चाहिए तथा जितने भी सिलेक्शन बोर्ड हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए ताकि इमानदारी और सच्चाई से सिलेक्शन हो सके।

दूसरा, मैं यह कहता हूं कि जो अधिकारी इसकी पालना नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय तब

(श्री किशनलाल वर्मा)

जाकर इसकी पालना होगी। अभी मैंने देखा है कि इन्सपेक्टर जनरल, सैन्ट्रल जेल, श्री राणावत ने 100 एपॉइन्टमेन्ट किये हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को मौका नहीं दिया गया है। एन.ए.सी. जो है वह भी निकलवाली जब कि जी.ए.डी. से उसका निकलना मुश्किल है। जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जाते हैं तो नहीं निकालते हैं। काफी रिश्वत लेकर एपॉइन्टमेन्ट्स किये गये हैं। एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नाथूराम मीणा मेरे पास आया जो चूंकि वह बहुत सीनियर था और प्रोमोशन देने की बात थी। वह मेरे पास आया था तो मैंने जाकर राणावत साहब से कहा कि यह बहुत सीनियर है और इसके पीछे जो जूनियर आदमी हैं उनको प्रोमोशन दे दिया। तो उसको डांटा गया और अनुशासन की कार्यवाही करके उसको नोटिस दे दिया है कि क्यों न उसको नौकरी से अलग कर दिया जाय। वह एम.एल.ए. साहब के पास क्यों गया। इन लोगों पर अन्याय किया जाता है, लोगों को दबाया जाता है और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इस प्रकार की बातें होती हैं।

इधर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के के लोगों का कई प्रकार से शोषण होता है उसको बन्द किया जाय, और ज्यादातर लोग जो हम देखते हैं चाहे नेता हों, चाहे और लोग हों वह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का इस प्रकार से उपयोग करते हैं और केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उपयोग करते हैं। अपना मतलब पूरा करने के लिए या सरकार बनाने के लिए या अपने आपका कुछ बनाने के लिए उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्त्यार करते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मैं इस प्रकार की चीजों को वही समझता हूँ जो कि सामन्तों के जमाने में बेगार की प्रथा थी। उसी प्रकार की यह प्रथा है कि हम लोगों को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम में लेते हैं, घोषणाएं करते हैं, फर्जी कार्यवाही बताते हैं, किसी आदेश की पालन नहीं होती है और वास्तविक रूप में कोई काम नहीं होता है जिससे कि उनका पिछड़ापन दूर हो सके। मैं अपनी पार्टी जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के लिए कहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी को कांग्रेस की हिस्ट्री में उन्होंने कभी प्रेसीडेन्ट बनाया हो। (शेम, शेम)। जयपुर जिला इतना बड़ा जिला है। वहां पर लोगों ने मोनोपोली बना रखी है। इस तरह के स्वार्थी लोग उसमें घुसे पड़े हैं और जनता को गुमराह करने का इस प्रकार का रवैया चला रखा है। वह अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है और इस तरह से हम लोगों को ज्यादा दिन तक गुमराह करके नहीं चल सकते हैं। मध्यावधि चुनावों के समय में बड़े बड़े वायदे किये गये थे गरीबी मिटाने के लिए और समाजवाद लाने के लिए, लेकिन जब तक आप लोग सच्चाई से काम नहीं करेंगे तब तक वास्तविक रूप से समाजवाद नहीं आ सकता है। लेकिन यह सरकार समाजवाद लाने में सफल नहीं होगी तो वह जनता होगी जो समाजवाद लायेगी। समाजवाद रुक नहीं सकता। वह इस तरह से रुक नहीं सकता। इस तरह की चक्करबाजी अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती

(श्री किशनलाल वर्मा)

है। जिस प्रकार से हमारे देश की प्रधान मन्त्री इन्दिराजी और राष्ट्रपति गिरि साहब सच्चे दिल से काम करना चाहते हैं और इन लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इन लोगों की सेवा करना चाहते हैं उस तरह से जब तक ये लोग नहीं करेंगे वास्तविक रूप से न पिछड़ापन दूर होगा और जो रिजर्वेशन का उद्देश्य है वह भी पूरा नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सच्चाई और ईमानदारी से काम किया जाय। बहुत वक्त निकल चुका है। अब ज्यादा दिनों तक इन लोगों का शोषण नहीं किया जा सकता है। अब उनका ज्यादा दिनों तक खून नहीं पिया जा सकता है। अब तक उनको आगे नहीं बढ़ने दिया लेकिन अब ज्यादा दिनों तक कुचला नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। वक्त को देखकर तमाम काम किये जांय तब जाकर सरकार की नीति और उद्देश्य सफल हो सकते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(7.00 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : नाथूराम जी बोलेंगे।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कई विचार आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत सैशन में जब सदन की मेज पर यह रिपोर्ट आई तब यह विचार किया गया था कि अगले सत्र में पूरा समय चर्चा के लिए दिया जायगा। इस सैशन में भी वही बात आई है। पूरे सदस्य विचार नहीं रख सकते हैं। मैंने कमीशन की रिपोर्ट के बारे में 15 साल से यही देखा है। नाम मात्र को रखी जाती है। उदाहरण के लिए यह है कि ट्रेजरी बेंचेज पर न कोइ मन्त्री हैं, न ऑफीसर्स गैलेरी में कोई अधिकारीगण हैं। जैसे कि राजस्व, वन आदि आदिवासी, हरिजनों के संबन्धित विभाग हैं। उनके उच्चाधिकारी होते तो उनको सही स्थिति मालूम होती। सिर्फ समाज कल्याण मन्त्री है। समाज कल्याण विभाग है उसके अधिकारियों से इन्क्वायरी करा लेते हैं। लेकिन किसी बात का पालन नहीं होता है। जिला एवं प्रांत लेविल पर कमेटियां बनी हुई हैं। इसमें हमने पिछले अर्से में कई सुझाव दिये हैं। लेकिन कोई पालन नहीं हुआ है। बल्कि मैं कहूंगा कि भारत सरकार के कमीशन ने जो सुझाव दिये हैं, उनका पालन नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है। लेकिन हालत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जो शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है हरिजन और आदिवासी छात्रों को, वह जो सम्पन्न परिवार हैं, उनके ही लड़कों को देते हैं। जो छात्रवृत्ति मिलती है, वह भी गरीबों के लड़कों को नहीं मिल पाती है। गरीबों के लड़के नहीं पढ़ते हैं। बांसवाड़ा आदिवासी एरिया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। वहां महिला शिक्षा की दृष्टि से शून्य है। महिला शिक्षा के लिए

(श्री नाथूराम)

सरकार की जो नीति है वह जयपुर, बीकानेर, जोधपुर शहरों के लिए ही है। यह पिछड़े हुये इलाके के बारे में लागू नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आजादी को 25 साल हुये हैं। कन्या छात्रावास बांसवाड़ा में एक ही खोला गया है। हमारे पास में गुजरात का इलाका है वहां आदिवासियों के आश्रम स्कूल में शिक्षा दी जाती है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार के आश्रम स्कूल हैं। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर में एक भी आश्रम स्कूल नहीं है। आज करोड़पतियों के बच्चे मेरिट छात्रवृत्ति पाते हैं। मेरे क्षेत्र के आदिवासी छात्र को मेरिट के आधार पर नेशनल छात्रवृत्ति मिलती है। संविधान में प्रावधान है कि केन्द्र व प्रांत के कानून से यदि अहित होता है तो ऐसे कानून में ऐसे क्षेत्रों की समस्या को हल करने के लिए कानून में संशोधन हो सकता है। जो गरीब झोंपड़ों में रहने वाले हैं, जो अपने लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं तो वह लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। साधन सम्पन्न लड़कों को ही फायदा मिला है। आदिवासी गांवों में क्या हो रहा है? आदिवासी जंगलों और पहाड़ों में बसे हुए हैं। स्कूल खोलना है तो वहां कच्चे स्कूल बनाये जाते हैं। सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आजादी के 25 साल हो गये हैं। समाज कल्याण विभाग की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पिछड़े हुए जंगलों में बैठे हैं उसको फायदा नहीं मिलता है। साधन सम्पन्न व्यक्तियों को ही ज्यादा सहयोग मिलता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, पिछड़े हुये लोगों को, जंगलों में रहने वालों को, खेती के साधनों की व्यवस्था करना है। समाज कल्याण विभाग को बड़े से बड़ा कदम उठाकर राज्य सरकार को यह करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि पिछले जो मन्त्री समाज कल्याण विभाग में रहे हैं, वह निकम्मे रहे हैं और हमारे जो वर्तमान मन्त्री हैं वह निकम्मे साबित हुये हैं। अगर वह अच्छी तरह से खर्चा करना चाहते तो वह कर सकते थे। जिन गांवों में बिजली पहुंचो है, उस ओर हरिजन है वहां हरिजन बस्तियों में तो थोड़ी बहुत बिजली है। लेकिन आदिवासी मुहल्लों में नहीं पहुंचाई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से उन मुहल्लों में कोई व्यवस्था नहीं है। आज फायदा कौन उठा रहा रहा है, जो साधन सम्पन्न हैं। मैं भूमि समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा अभी जो विकास सम्बन्धी बांसवाड़े में सम्मेलन हुआ मैंने उसमें सुझाव दिया था कि जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनके 5-6 लड़के हो गये। अगर वह भूमि पर नाजायज कब्जा करता है तो वह कैंसिल हो। जिस पटवारी को पैसा मिला वह उसके नाम दर्ज कर लेता है। शिड्यूल्ड कास्ट नहीं है, उसका नाम पटवारी दर्ज करले तो उसके नाम से हो जाएगा। गान्धी शताब्दी में एस. डी. ओ. को अधिकार दिये हैं। लेकिन एस. डी. ओ. को काम ज्यादा होने से दो दो साल से मीटिंग नहीं हो सकी है। सरकार की तरफ से दो दो साल से एलॉटमेण्ट की मीटिंग नहीं हुई। फिर कहते हैं कि नाजायज कब्जा कर लिया है। यह लागू

(श्री नाथूराम)

किसके लिए करते हैं। पैसा देने वालों के लिए करते हैं। जो साधन सम्पन्न हैं, उनके लिए ही हजारों बीघा जमीन एलॉट हुई है और ट्राइब्स में उनको, जो ताकतवर थे, जमीन मिली है। समाज कल्याण मंत्री, वन मंत्री भी हैं वह खुद कमजोर हैं, वह वैसा नहीं कर सकते। कमजोर हैं इसलिए केबिनेट में रह कर उनका भला नहीं कर सकते हैं। भीखा भाई बहुत कमजोर हैं। मैं कहूंगा कि आप इस पद पर बैठे हैं, इसलिए आप कमजोरी को दूर करें। जो वाजिब बातें हैं उनका पालन सरकार द्वारा करना चाहिए।

आदिवासी क्षेत्र के लिए कई कानून हैं। सागड़ी प्रथा के लिए कानून बना था। लेकिन आज हजारों की तादाद में सागड़ी हैं जो सौ दो सौ रुपये पर काम करते हैं, ब्याज पर काम करते हैं, पन्द्रह पन्द्रह साल के उदाहरण इस सम्बन्ध में दिये हैं। आप हाउस में बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने कोई सर्वे कराया है? क्या कारण है कि आप सर्वे नहीं करा सकते कि कितने सागड़ी हैं।

शिड्यूल्ड एरिया के लिए हमारी मांग से कानून बना और ड्राई एरिया घोषित किया गया। मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचारी आपका आबकारी विभाग है। आदिवासी क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार फैलाया है मैं बचपन से शराब नहीं पीता हूं। मैंने समाज में काम किया है और हजारों आदिवासियों ने शराब छोड़ी है। कई अधिकारी पैसा खा खा कर लोगों को बिगाड़ते हैं। यदि गरीबी के कारण किसी ने गलती की है तो उससे पैसा लेता है लेकिन ड्राई एरिया की घोषणा के बाद में सवर्ण लोग अधिक शराब पीने लग गये हैं। आदिवासी कम पीते हैं। सरकार की तरफ से आबकारी विभाग के अधिकारियों को पैसा दिया जाता है लेकिन फिर भी आबकारी विभाग ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। वह एक रुपये की जगह चार चार सौ रुपये तनखाह करके लेते हैं और लोगों को हैरान करते हैं। मैं कहूंगा कि समाज कल्याण विभाग की इसमें सबसे ज्यादा कमजोरी है। पिछड़े इलाकों में गरीब लोगों को आपकी तरफ से सहयोग नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा सरकार से निवेदन है, आप जो कानून बनायें उस कानून का पालन आपको कराना चाहिए, वह कानून केवल कागज में ही नहीं रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रिजर्वेशन है। साढ़े बारह परसेन्ट से अट्ठाइस परसेन्ट कर दिया। लेकिन उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और सेक्रेटेरियट में क्या इस कानून का पालन हुआ है? यह मंत्रीजी बतायें। पहले आपका विभाग पालन करे तो दूसरे विभाग से पालन करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। यह आपकी कमजोरी है कि आपने अट्ठाइस परसेन्ट के सिद्धान्त का पालन नहीं किया। आपने एक तरफ बैन लगा रखा है, थोड़ा बहुत पालन किया गया है चतुर्थ श्रेणी में, जहां हरिजन वगैरह हैं।

ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट बेकार हैं उनके लिए आपने घोषणा कर दी है कि

(श्री नाथूराम)
डेढ़ सौ और ढाई सौ रुपये आप देंगे। आप लिस्ट बताइये कि पिछड़े क्षेत्र में कितने लोगों को आर्थिक सहायता दी है ? आपके पास कोई आंकड़े हैं नहीं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी ही देर हुई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बोलने दीजिये। दिल की बात कह रहे हैं।

श्री जसराज : बोलने दिया जाय।

श्री नाथूराम : सब विभाग वाले सुस्त रहे हैं, गरीब वर्गों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका कर्तव्य है, वह कर्तव्य आपने पूरा नहीं किया तो ईश्वर के सामने दोषी होंगे और आपको उसका दण्ड भुगतना पड़ेगा और आपके शरीर में से पाप फूटेगा। मैं कहूंगा, जो पैसा खर्च होता है उसका दुरुपयोग होता है। आप पंचायत समितियों को पैसा दे देते हैं, अन्य विभागों में जो पैसा पहुंचता है, आपके पास क्या सबूत है कि उसका उपयोग हुआ है या नहीं ? मैं कहूंगा कि समाज कल्याण विभाग शुरू से काफी कमजोर रहा है। आज हमारे प्रधान मंत्री का नारा है कि समाजवादी नीति लागू होनी चाहिए, भारत में पिछड़े वर्ग का उत्थान होना चाहिए। लेकिन उत्थान किसका हुआ है, उनका, जो साधन सम्पन्न हैं।

श्री जसराज : ऑफिसर्स का।

श्री नाथूराम : ऑफिसर्स का हो रहा है। हमें जो आजादी मिली है उसका फायदा बड़े बड़े आदमियों को मिला है। क्या ये समाजवाद लायेंगे। मैं कहता हूं कि गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं। जो साधन सम्पन्न हैं, वह और साधन सम्पन्न बन रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की तनख्वाह बढ़ रही हैं। जो गरीब लोग हैं उनको पेट भर खाना नहीं मिलता है। गरीबों के लिए यह आजादी नहीं आई है। महात्मा गांधी की आत्मा गरीबी की हालत को देखकर रो रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री नाथूराम : मैं कहता हूं कि खेती में ज्यादा उत्पादन के लिए हमारी प्रधान मंत्री ने घोषणा कर दी कि बैंकों से पैसा दिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री बतायें कि कितने गरीब पिछड़े वर्गों के लोगों को बैंकों से ऋण दिलाया बिजली के लिए, कुओं के लिए, खेती के लिए साधन जुटाने के लिए ? इसका आपके पास जवाब नहीं है। जो जवाब वह देंगे उसमें वह पिछली बातों को ही दोहरायेंगे क्योंकि समाज कल्याण विभाग बिल्कुल सोया हुआ है, मैंने देखा है। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं जिस तरह से हमारे प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि बैंकों से खेती के उत्पादन के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आप ऋण दिलावें लेकिन आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आपके द्वारा लाखों रुपये बांटे जाते हैं लेकिन गरीब इलाकों में गरीब लोगों के लिए नहीं हैं। जो निर्धन हैं वह निर्धन होते जाते हैं और साधन सम्पन्न आगे आते जाते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि विकास की भी वही हालत है। बी.ए., एम.ए. सैंकड़ों उदयपुर डिवीजन में मारे मारे फिरते हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सर्विस नहीं

(श्री नाथूराम)

मिलती है। उसका कारण क्या है। इसमें सबसे ज्यादा समाज कल्याण विभाग का दोष है क्योंकि विभाग ने कोई सर्वे नहीं कराई है। पन्द्रह साल से हमारी मांग है कि आप सर्वे करायें। आपने स्पेशल ऑफिसर कायम किये हैं वह केवल तनख्वाह खाते हैं और उनके पास में बेकारों के आंकड़े नहीं है, उनकी लिस्ट नहीं है। मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि यह समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन है कि पूरी तरह से सर्वे कराई जानी चाहिए और गरीब इलाकों में रहने वाले बी. ए., एम. ए., लड़कों को घन्धा दिलाना चाहिए नहीं तो आपको इस पद से हट जाना चाहिए। यह मैं सुझाव दूंगा।

इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन। आज पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य नहीं है। क्या समाज कल्याण विभाग की तरफ से मंत्री को यह ड्यूटी नहीं थी कि वह मांग करते? उनको मांग करनी चाहिए थी, सरकार को वैसा करना चाहिए था। वहां पर बड़े-बड़े लोगों को बैठाते हैं। जो झोंपड़ी में पैदा हुआ है, गरीबी में पैदा हुआ है, उसके हित को देखने वाला वहां होता तो उसका नम्बर आ सकता है। मैं कहूंगा ट्राइब, कास्ट के जो साधन सम्पन्न हैं, उनकी भी सीमा निर्धारित करके जो वास्तव में पिछड़े वर्ग के सर्विस में आने वाले हैं उनको मौका देना चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर एक पिछड़े वर्ग के सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी कई बातें हैं पिछड़े हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में ही मैंने पिछले सत्र में कडाना बांध के लिए निवेदन किया था। मैं उस विषय को लाया था और इस सदन के माननीय सदस्यों ने सहयोग दिया था। वहां जो सर्वे नहीं हुई थी, वहां सर्वे हुई। कडाना बांध के लिए कहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री का यह कर्तव्य था, यह विषय उनको उठाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया हजारों लोगों की सम्पत्ति उसमें डूब रही थी लेकिन समाज कल्याण विभाग की ओर से पैरवी नहीं की गई, कोई सुझाव नहीं दिया गया। मैं यह कहूंगा, समाज कल्याण विभाग सोया हुआ है। जहां आदिवासियों और हरिजनों का विषय आता है वहां समाज कल्याण विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन विभाग ने नहीं की। माननीय सदस्यों ने जो सहयोग दिया उससे यह हुआ कि गुजरात सरकार जो कडाना बांध बना रही थी वह रुका हुआ है और दस पन्द्रह लाख सर्वे में खर्च हुआ है। कार्यवाही के बाद में सरकार की नींद खुली है। मैं तो उस विषय की याद दिलाना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग को पैरवी करनी चाहिए थी। भविष्य में एग्रीमेंट में जो संशोधन नहीं हुआ है उसके लिए गुजरात सरकार से पैरवी करके संशोधन कराना चाहिए और जो पिछड़े क्षेत्र में प्रभावित लोग हैं उनको अधिक सहयोग दिलाना चाहिए।

आज फारेस्ट की कई समस्यायें हैं, श्रम वन सहकारी समिति बनी हुई है। उस में ठेकेदारों को ठेका मिलता है, गरीब लोगों को ठेका नहीं मिलता है। गरीब लोगों की तरफ सरकार को ध्यान देकर गरीब लोगों को ठेका देना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। पहाड़ी इलाकों के लिए मैं

(श्री नाथूराम)

यह कहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के मन्त्री और वन मन्त्री एक ही हैं, इसलिए आदिवासी जहां हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सवाई माधोपुर—जहां पिछड़े हुए क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र हैं. वहां वनों की रक्षा करनी चाहिए और पहाड़ों के नीचे जो काबिले काश्त भूमि है वह समाज कल्याण विभाग को निकाल कर पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलानी चाहिए और सिंचाई के साधन जुटाने चाहियें तो उत्पादन में वृद्धि होगी। आज वनों की कई समस्यायें हैं, वन सम्पदा में कई वनस्पतियां हैं जो आदिवासी और हरिजन लोगों, पिछड़े लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिये सहायक हो सकती हैं इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज कल्याण विभाग सोया हुआ है इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि उनका विभाग जो आज पिछले सालों से सोया हुआ है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का जो शोषण हो रहा है उसकी ओर ध्यान दें। आज भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह के इलाके में लोग उसी तरह पिछड़े हुए हैं जिस तरह पहले थे। आज भी उपाध्यक्ष महोदय, उनकी वो ही समस्यायें हैं उन्हें मिटायी जाय। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन यह है कि समाज कल्याण मन्त्री को चाहिए कि इस ओर अधिक सक्रियता से कार्य करें, आपने घन्टी बजादी है और भी सदस्य बोलेंगे इसलिए मैं और अधिक नहीं कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की 18 वीं रिपोर्ट पर बहस हो रही है उस पर मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट हरिजनों के लिये उसमें कुछ सुधार एवं राहत के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार आज राजस्थान सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हमारे गंगानगर जिले के गांव कोलासर के 20 परिवारों ने जागीरदार किशनाराम से काश्त पर भूमि सन् 1947 में ली थी उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि उनसे जबरन कब्जा छुड़ा लिया गया R. C. P. में भूमिहीनों को बीकानेर में भूमि एलॉट हुई थी। आधे से ज्यादा उनमें हरिजन थे पर किसी को भी इस सरकार ने जमीन नहीं दी। यह क्यों हुआ इसका कारण मैं आपकी मारफत निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय, कि उनके पास देने के लिए रुपये नहीं थे। जिन-जिन लोगों ने 200-200 रुपय रिश्वत दी उन्हें वह जमीन मिल गयी और बेचारे गरीब एक भी हरिजन को जमीन नहीं दी गयी। आखिर वो रो पीटकर आगये। उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। मुझे पता है उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकारी अफसरों के दलाल वहां पर घूमते फिरते हैं वे गंगानगर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। वे सरे आम लोगों को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं और काम कराते हैं चूंकि गरीब हरिजनों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

के पास रुपये देने को नहीं थे इसलिए सरकार की घोषणा के बावजूद भी उन्हें गंगानगर जिले में एक बीघा भी जमीन नहीं मिली। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल एरिया में जमीनों का अलॉटमेंट किया गया था पर उसमें सही मायने में भूमिहीन लोगों को जमीनें नहीं दी गयी। राजस्थान कैनाल एरिया में उन गरीब हरिजनों को जमीनें नहीं दी गयी जो सदियों से वहां आबाद हैं और जमीन किसको दी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि सीकर के हैं या अन्य जिलों के हैं और राजस्थान से बाहर के हैं बेचारे हरिजन लोग गंगानगर इलाके में हैं उन्हें जमीन नहीं दी गयी। सरकारी अधिकारियों ने अपने अपने रिश्तेदारों को जमीनें अलॉट की हैं! आज यह हालत है कि जो लोग राजस्थान के नहीं हैं जो कि पंजाब और हरियाणा के हैं उन्हें जमीनें अलॉट की गई हैं और जो गंगानगर जिले के हरिजन लोग हैं उन्हें नहीं मिली है। कहने को तो यह राजस्थान सरकार कहती है कि हमने हरिजनों को इतनी इतनी सहूलियतें दी हैं पर मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय, साफ तौर से निवेदन कर दूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार गरीब हरिजनों के लिए कुछ नहीं करने वाली है। ये वोट लेने के लिये झूठी घोषणायें करती रहती है। आज स्थिति यह है कि उस इलाके के लोग राजस्थान से अलग होने की बात अपने मन में सोच रहे हैं। जब जमीनें राजस्थान सरकार उस नहरी इलाके के हरिजन लोगों को नहीं देना चाहती, भूमिहीनों को नहीं दे तो फिर लोग कहां जायेंगे। देखने से पता चलेगा उपाध्यक्ष महोदय, की जमीनें नहरी एरिया में जो भी अलॉट की गयी हैं वह साधन सम्पन्न लोगों को की गयी हैं या उनको दी हैं जो कि उनके रिश्तेदार हैं। आज गंगानगर जिले में और उनके आस पास वही हालत है उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की जो जागीरदारों के जमाने में थी। आज वहां के लोग यह सोच रहे हैं कि हम पंजाब या हरियाणा में मिल जायं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि रावतसर ग्राम के पास जो नहरी जमीन पायतन जोहड़ की पड़ी है वह तो उनको देनी चाहिये। यह जमीन दूसरों को दी जाती है उस जमीन को वहां के हरिजनों को अलॉट होनी चाहिये पर उनको नहीं हो रही है। जो लोग गरीब हरिजन आज 100 साल से वहां इन्तजार कर रहे थे उनको वह जमीन अलॉट नहीं की गयी वे बेचारे मुँह ताकते ही रह गये। सभापति महोदय, रावतसर के भूतपूर्व जागीरदार तेजसिंह जो अब नहीं रहे हैं उनकी धर्मपत्नि श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत हैं वो समाजवाद की बड़ी हांमी बनती हैं और आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं उसके पास उपाध्यक्ष महोदय, 630 बीघा जमीन नहरी है और पौने दो बीघा जमीन आबादी में थी वह बदले में दूसरे स्थान पर मिला दी। पहले वहां गांव था और अब वो मन्डी हो जाने से उस जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। उन्होंने 4॥ बीघा भूमि इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है मैंने इस बात की रिपोर्ट की कमिश्नर को भी की पर कमिश्नर ने कोई सुनवाई ही नहीं की। मैंने

(श्री रामचन्द्र आर्य)
मुख्य मन्त्री महोदय को रिपोर्ट की उन्होंने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी पर मैंने कहा कि उनकी जमीनों की जांच करायी जाय लेकिन जो रिपोर्ट मिली है उसमें कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस की अध्यक्षा खंडन करदे पर मैं आपको आज भी कह दूं कि उनके पास आज भी 630 बीघा जमीन नहरी है और पौने दो बीघा के बजाय 4।। बीघा आबादी भूमि पर नाजायज कब्जा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो जांच करालें। ये आज भी जागीरदार उसी तरह से हरिजनों का शोषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, हरिजनों को रहने को मकान नहीं उनके पास जो जमीन है उन्हें इन लोगों ने जबरन हटा दिया है जो गरीब हैं उनका आज भी ये शोषण कर रहे हैं। मैं इसका एक सबूत देता हूं कि साढ़े चार बीघा खाली है। राज्य सरकार की जो नीति है उसे सही तरह से नहीं अपनाई जा रही है। यह सरकार हर प्रकार से बेईमानी करती है। यह हरिजनों को न्याय नहीं देती है उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह का अन्याय कोलासर गांव के हरिजनों के साथ हुआ है। हरिजनों के मुकद्दमें उपाध्यक्ष महोदय, अदालतों में चल रहे हैं। मैं आपकी मार्फत निवेदन करदूं कि हर अदालत में उनकी हार होती है, उनकी हालत खराब है। चाहे वह एस. डी. ओ. कोर्ट में हो, चाहे वो कोई तहसीलदार के यहां चलते हों, उसमें 95 प्रतिशत में जो फैसले हुए हैं वे हरिजनों के खिलाफ हुए हैं। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, कोलासर गांव में हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले पूरे में हो इस प्रकार का अन्याय काश्तकारों के साथ हो रहा है खास कर नोहर-भादरा तहसील के गांवों में गरीब काश्तकारों को बेदखल किया गया और आज जो 20 साल से वहां काश्त कर रहे हैं उन्हें उन जमीनों से बेदखल किया है। एक उदाहरण में आपको और दूं कि अभी नोहर-भादरा तहसीलों में 15 हरिजनों के मुकदमें चल रहे थे वे सभी मुकदमें उनके खिलाफ निर्णीत हुए। इसका मुख्य कारण यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, वहां सरे आम रिश्वतें ली जाती हैं और चूंकि गरीब हरिजनों के पास रिश्वत देने को नहीं है इसलिए उनके खिलाफ फैसले होते हैं। उन्हें जमीन नहीं दी जाती है और जमीनें उनको दी जाती हैं जो उस इलाके के नहीं हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं है नहरें पास होते हुए भी। आज वहां के हरिजनों की हालत खराब है पर आज उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं रिश्वत मांगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिन गरीबों के पास पैसा नहीं है वो इन्हें रिश्वत कहां से दें अगर सरकार के पास शिकायत करें तो उनके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं। यहां कांग्रेस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है और राजस्थान सरकार इस तरह हरिजनों को बरबाद कर रही है। राजस्थान सरकार हरिजनों के लिए घोषणायें तो कर देती है पर जमीन उन लोगों को नहीं मिलती जो उपाध्यक्ष महोदय, आज 20-25 साल से सन् 47 से

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जिन जमीनों पर खेती करते थे उन्हें बेदखल किया गया है और हजारों बीघा जमीन वहां के सरकारी अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से अलाट कर दी है जो वहां के नहीं हैं। इस तरह अन्याय हो रहा है गरीब किसानों के साथ पर गंगानगर जिले के अधिकारियों को शिकायतें करें तो वो सुनें नहीं। उनके खिलाफ शिकायतें करें तो राजस्थान सरकार के मन्त्री लोग अपने कानों में तेल डाले हुए हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि गंगानगर जिले के लोगों के मन में यह भावना पैदा हो रही है कि राजस्थान से अलग हो जाएं। मैं तो आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के मन्त्रियों को और खास तौर से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने उन गरीब हरिजनों के साथ इस तरह का अन्याय करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं करवाई तो उसके विरुद्ध आन्दोलन होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन में भी कहा था कि गंगानगर जिले के लोगों में बहुत असन्तोष है। वहां पर सरकारी अधिकारी खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर आपने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो इसके परिणाम बहुत ही खराब होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण और दूं कि गंगानगर जिले के तहसील नौहर भादरा के छानीद और कोलासर के गांवों के हरिजनों को बेदखल किया है। वो सन् 47 से खेती कर रहे थे और वो जमीन ब्राह्मण जागीरदार से ली गई थी। वहां के एस. डी. एम., तहसीलदार जो भी हैं इन गरीब हरिजनों के खिलाफ हैं और उनकी वजह से आज सरकार की घोषणायें की हुई है कि जमीन राजस्थान कैनाल के हरिजनों को एलॉट होगी वह नहीं होती है, भूमि अलॉट होती है वो गलत आदमियों को। अगर हो जाती है तो उन्हें कब्जा नहीं दिया जाता। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार और पुरजोर शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि जिन जिन सरकारी अधिकारियों ने भूमि एलॉटमेंट में गड़बड़ी की है और अपने रिश्तेदारों को जमीनें एलॉट करवायी हैं उनके खिलाफ जांच की जाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और वहां के हरिजनों को जमीन एलॉटमेन्ट कर कब्जा उन्हें दिया जाय। इसको आप खुली जांच करवाइये। वे गरीब वहां शेखावाटी से जाकर आबाद हुए थे और उस गांव को आबाद किया था, कुए बनाये, मकान बनाये, खेतों को ठीक किया, खेती लायक बनाया, नोतोड़ किया और आज जब उस जमीन की कीमत बाजार में बढ़ गई तो उन गरीबों को निकाल बाहर किया जा रहा है। तो यह तो मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। अनेकों हरिजनों के साथ इसी प्रकार की ज्यादती और बदइन्तजामी हो रही है।

इसी तरह गांव फैफाना का एक हरिजन परिवार है। उससे सरकार किश्त ले रही है। उसको भाखरा क्षेत्र में जमीन अलॉट की थी, पर वह मिल नहीं रही है। किश्त बराबर सरकार ले रही है। कब्जा दिलाने का सरकार का आदेश भी आ गया पर गरीब को कब्जा कौन देता है।

इसी तरह गमीती गांव में श्री गुरदीपसिंह, भूतपूर्व उप-मंत्री व भूतपूर्व एम.एल.ए. श्री जसवन्तसिंह और दो चार अपने

(श्री रामचन्द्र आर्य)
साथियों के साथ मिल कर एक हरिजन परिवार को बरबाद कर दिया। कई वर्षों से उसके पास वह जमीन थी। पुराना उसका कब्जा था। सस्ते भाव पर खरीदी गलत तरीके से खरीदी। इस बारे में अनेकों मुकदमें उन पर चल रहे हैं। हनुमानगढ में भी करणपुर, भादरा, नोहर में कर रखी है अपनी। वहां भी हरिजन काश्तकारों को बरबाद कर दिया है। उनकी कोई सुनवाई कहीं होने वाली नहीं है।

तो मेरा कहना है सरकार की करणी और कथनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। या तो कहते हो तो गरीबों की मदद करो। पर इस मदद की आड़ में अपना उल्लू सीधा मत करो, उसे बरबाद करना छोड़ दो, नहीं तो याद रखो, गरीब एक दिन उठेगा और तुम सबको जलाकर खाक कर देगा। ज्यादा दिन तक जुल्म लोग सहन नहीं करेंगे। इस जुल्म की चक्की में खुद पिस जाओगे। बाहर से आने वाला जमीन ले ले। दो सौ बीघा जमीन पास में रहते हुए भी भूमिहीन बन कर अपने बाल बच्चों के नाम से जमीन अलॉट करा लें रुपये पैसे के जोर पर। फर्जी कार्यवाही करते हैं, फर्जी लोगों को जमीन दी जाती है, तो ये फर्जी कार्यवाहियां ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं।

आप कहते हैं गरीब हरिजन भूमिहीनों को सीलिंग में आने वाली जमीन में से दे देंगे। मैं पूछता हूं उन गरीबों को सीलिंग में जमीन कैसे मिलेगी ? ये लेने देंगे तब तो।

रामचन्द्र बटोरिया ने एक सौ दस बीघा जमीन ली है। घर में तीन आदमी थे किन्तु हलफनामें में दस आदमी लिखा कर जमीन फर्जी अलॉट करा ली। इसी तरह ईसरसिंह राजपूत ने भी 10 आदमी फर्जी दर्ज कराये हैं। दस हजार रिश्वत देकर 110 बीघा जमीन अलॉट करा ली।

तो फिर भूमिहीनों को जमीन कहां से मिलेगी ? इस प्रकार की आम धोखा-धड़ी राजस्थान केनाल एरिया में चल रही है। मंत्री महोदय को भी इस बारे में लिखा गया था। विधान सभा में भी आये दिन ये मसले उठाये जाते रहे हैं। आन्दोलन भी किये गये, कमेटियां भी बनीं. पर कोई अन्तर नहीं पड़ा। ज्यों का त्यों सारा भ्रष्टाचार चल रहा है।

यह समाज कल्याण विभाग है। इसमें क्या है ? भ्रष्टाचार। सरे आम भ्रष्टाचारी। ये बैठे मौज करते हैं। इन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जाता। मैं पूछता हूं कितने गरीब भूमिहीन हरिजनों के लिये भूमि दिलाने के मुकदमों में मदद की गई ? कितनों की लिस्ट इस विभाग ने मांगी ? कितने हरिजनों के मामलों में पैरवी की ? ये भीखाभाई जी, पुराने मन्त्री हैं। इन को मैं पूछता हूं कि आप वादा न करें। वादा करते हैं तो उसे पूरा करना चाहिये।

एक तरफ गरीब साधनहीन, भूमिहीन लोग हैं सीधे और सरल महनत करके अपना पेट भरने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ बदमाश और पैसे वाले लोग हैं जो सरकारी अधिकारियों से, भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरियों से मिलकर उस गरीब

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तबके को सारे आम बेदर्दी से लूट रहे हैं। गरीब इनकी लूट पाट से पिस रहा है। सरकार वास्तव में जैसा कहती है कि वह गरीबों की गरीबी हटाना चाहती है और गरीबों की मदद करना चाहती है और सही समाजवाद लाना चाहती है तो इसकी निष्पक्ष जांच कराए। इसके लिये कमीशन नियुक्त किया जावे। विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी अगर हो सके तो बनाई जावे और इन सारे मामलों की जाँच कराई जावे। राजस्थान केनाल जैसी उपजाऊ भूमि की फर्जी कार्यवाही करके, बेइमानी करके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बल पर भूमिहीनों को नहीं देकर खुद हड़पना चाहते हैं ये बदमाश लोग, गुण्डे और डाकू लोग। अगर ये लोग इस तरह से जमीनों को हड़प लेंगे तो हरिजनों को कहां से जमीन मिलेगी।

मुख्य मन्त्री महोदय, आप से विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सारे मामलों की निष्पक्ष जांच करावें और भूमिहीनों को जमीन दें। प्रभावशाली लोगों ने जिस तरह से इन जमीनों को हड़पा है उनसे वापिस ली जावे। उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी जी कह देती हैं मेरे नाम से जमीन नहीं है रावतसर में लड़कों के नाम से है। कहती हैं मेरे नाम नहीं है। लक्ष्मीकुमारी जी के लड़के हैं। खाविन्द तो नहीं हैं पर रावतसर में आप रहती हैं कांग्रेस के सबसे ऊंचे पद पर रहकर झूठ बोलती हैं। कहती हैं मेरे नाम से कोइ जमीन नहीं है। सदन में खड़े होकर अगर हिम्मत है उनमें तो कह दें कि मेरी जमीन नहीं हैं और जो है उसमें मेरे लड़कों का और पति का कोई हिस्सा नहीं है। कहती हैं मेरे लिये जमीन में से एक पैसा लेना हराम है। क्या यह सत्य है?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इससे क्या सम्बन्ध है? आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इससे यह बताना चाहता हूं कि इस तरह से फिर प्रभावशाली लोग झूठ बोलकर बदमाशी करके जमीन हड़पते जावेंगे तो फिर गरीब भूमिहीन हरिजनों को कहां से मिलेगी? बाड़ ही खेत खाने लग जावेगी तो उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? जो इन गरीबों की हिमायत करने की बात करते हैं वे ही जब ये कारनामे करने लग जावेंगे तो फिर उनका कौन सहायक होगा। अपना घर बनाने के लिये लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने जबर्दस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस तरह प्रभावशाली आदमी गैरकानूनी ढंग से जमीनों पर जबर्दस्ती कब्जा करते जावेंगे तो गरीबों को जमीन कहां से मिलेगी जमीन मुफ्त नहीं मिलती फिर तो यही मानकर चलना चाहिये। गरीबों के पास पैसा नहीं होता। फिर कैसे उनको जमीन मिलेगी, यह समस्या है। इसलिये मेरा यह कहना है। मेरी कोई लक्ष्मीकुमारी चूंडावत से व्यक्तिगत दुश्मनी या रंजिश नहीं है। पर फर्जी काम करने वाले आदमी को मैं बख्शता नहीं। आपको बताना चहता हूं चाहे वह कांग्रेसी हो चाहे कोई भी हो। बेईमानी करने वाला आदमी आज गरीबों का खून पीता है।

आज वे अपनी जमीन गरीबों में बांट देने का ऐलान कर दें और कह दें कि वे गरीबों की वास्तव में ही सेवा करेंगी। एक तरफ वे गरीबी हटाओ का

(श्री रामचन्द्र आर्य)
और समाजवाद का नारा लगाती हैं और दूसरी तरफ इस तरह से ठगी की जाती है इस ठगी को इस धोखाधड़ी को लोग अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने देंगे।

समाज कल्याण विभाग को भी चाहिये कि वह ऐसे मामलों की जांच करे। राज्य सरकार को भी इस ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। गरीबों में आज असन्तोष तेजी से बढ़ता जा रहा है। मरता क्या न करता? जिस दिन उन्होंने मरने की ठान ली उस दिन दुनियां की कोई ताकत उनके सामने टिकने वाली नहीं है।

एक तरफ बंगले खड़े हैं, मोटरें चल रही हैं ऐश आराम और शराब के दौर चल रहे हैं, आसमान में उड़ते हैं, दूसरी तरफ उसी समाज का एक अंग गरीब भूमिहीन हरिजन आदिवासी और समाज का असहाय गरीब तबका अभावों की भट्टी में झुलस रहा है। जमीन पर पड़ा है नंगा और भूखा। याद रक्खो इसमें से एक दिन वह आग उठेगी, ऐसी क्रान्ती होगी कि ये महल और बंगले, ये कारें और शराब और ऐश अशरत के साधन लुढ़कते फिरेंगे, इस क्रान्ति की आग में जल कर भस्म हो जावेंगे। कहीं पता भी नहीं लगेगा इनका और इनके अन्दर बैठने वालों का।

यह आन्धी आने वाली है। बुद्धिमानी इसी में है कि इस आंधी के आने से पहले ही इन्तजाम कर लें। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं।

गंगानगर में भूमिहीन किसान कितने है? राजस्थान कैनाल पर कितने हैं? 95 हजार प्रार्थना-पत्र राजस्थान कैनाल महकमे में लगे हैं। इनमें कम से कम 70 हजार आदमी गरीब और भूमिहीन हैं। उन 95 हजार लोगों में से इनको आपने स्थान नहीं दिया है। जो भूमिहीन हरिजन आदिवासी गरीब तबका है उनको आपने पांच पर्सेन्ट भी जमीन इसमें से नहीं दी है और जो परदेशी हैं, फर्जी काम करने वाले गुण्डे बदमाश लोग हैं बेईमान और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके पैसे के बल पर भूमि हड़प कर बैठ गये हैं ये लुटेरे मौज करते हैं वहां लाखों बीघा की काश्त सालाना करते हैं। फिर इन गरीबों को जमीन कहां से मिलेगी? इसलिये मैं कहता हूं आप वास्तविकता को देखें, उससे आंख नहीं मूंदें। आने वाले जमाने को और आंधी को देखें। गरीबों की हालत को पहचानें। केवल इन थोथे समाजवाद के नारों के लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये थोथे नारे हैं। इन नारों में कोई गुंजाइश नहीं है।

आज तो सरकार की नाक के नीचे पांच मिनिट में एस. डी. एम. गैर भूमिहीनों को भूमिहीनों में पलट सकता है। उनके अधिकार से वंचित कर सकता है। करोड़ों की सम्पत्ति बेईमानी करके रख सकता है। आज कोलासर में जमीन के ऐसे कई मामले हैं। हलफनामे पर कह देता है कि मेरी यह जमीन है। झूठा हलफनामा दे दिया जाता है। अगर यह हलफनामा झूठा न हो तो यह साबित कर सकता हूं यदि नहीं तो मैं सदन से त्यागपत्र दे दूंगा। सरकार इसकी पूरी तरह से जांच कराए। सरपंचों को तस्दीक झूठी कराई है इसके कोई लड़का लड़की नहीं है पर इसके बाद भी कानून कायदों में सही मान लिया गया। यह कानून कायदों को, भाड़ में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

फर्जी तौर से ज्यादा नहीं चलने वाली है। न जाने इस प्रकार के आदमियों ने कितने गरीब आदमियों के गले पर छुरी चलाई होगी। ये तो मेरे सामने आये हैं। इनकी जांच की जावे। हर गांव में दस पन्द्रह आदमी ऐसे मिल सकते हैं। जब न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला भी इस तरह कर सकता है तो फिर मैं पूछता हूं यह सरकार जो कहती है कि भूमिहीनों को जमीन दी जावेगी, तो कहां से दी जावेगी। भूमि बचेगी ही कहां इस तरह से।

आप सीलिंग लगाते जाइये। उसकी जमीन ये इस तरह से तिकड़मबाजी, बेईमानी और लुटेरेपन से हड़पते जावेंगे। वह जमीन इन गरीबों के पल्ले पड़ेगी नहीं।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गिरोह से लड़ने के लिये इस गिरोह के चंगुल से इन गरीब भूमिहीनों का हक दिलाने के लिये सरकार को सख्ती से काम लेना पड़ेगा। यह मामला वास्तव में बड़ा गम्भीर है। सरकार इसकी गम्भीरता को समझे। इस तरह गम्भीरता से और अपनी पूरी ताकत और सख्ती से निपटे। इन लुटेरों से निपटना आसान नहीं है। इन मामलों की स्पेसिफिक जांच कराई जावे। हरिजनों के मामलों में विशेषतौर से ध्यान दिया जावे। खाली यहां पर भाषण देकर चले जायं इससे काम चलने वाला नहीं है। सही मायने में मौके पर जाकर देखें तो काम होगा हिम्मत हो तो मेरे साथ चलिये कि किस प्रकार से लोगो को लूटा गया है यह आपको मालूम होगा।

एक माननीय सदस्य : दस मिनिट के बजाय 20 मिनिट हो गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : किस प्रकार से हरिजनों को लूटा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जांच की जावे।

श्री बिरदाराम (जालौर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन करता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में यह रिपोर्ट आयी है इसमें हरिजनों····

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी जरूरत समझें तो यह असली दे दूं। नकल चाहें तो नकल दे दूं। ज्यादा जमीन हो तो आप कह दें। सदन की मेज पर रखता हूं। यह जमीन भी चली गई।

(सदन की मेज पर रखी गई)

श्री बिरदाराम (जालौर) **:** हरिजनों को बढ़ाने के लिये सरकार की नीति है कि किस प्रकार उनको बढ़ा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरों को लोन आदि का कोटा मिलता है उसी प्रकार हरिजनों को कर्जा मिलना चाहिए जो कि नहीं मिलता है। पांच हजार का लोन लेना है, पांच सौ रुपया दें तो मिलेगा वरना तीन साल तक नहीं मिलेगा। सरकार भी इसको जानती है और मैं भी जानता हूं। हाउस में भी कहता हूं। कोई कार्यवाही नहीं होती है। 28 पर्सेन्ट के कोटे की सरकार ने घोषणा की है मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की। 28 पर्सेन्ट का कोटा पूरा हुआ या नहीं खुद समाज कल्याण वाले

(श्री बिरदाराम)

जांच करें कि है या नहीं। समाज कल्याण के दफ्तर में भी यह नहीं होगा। पूरा दफ्तर ही आदिवासियों और हरिजनों का होना चाहिये। 28 प्रतिशत कोटा सब जगह होना चाहिये। कम से कम समाज कल्याण विभाग में तो यह होना ही चाहिए। अधिकारी आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग होने चाहियें। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों का उद्धार तब ही होगा जब उच्चाधिकारी इस निति से चलेंगे। हरिजनों को लाभ ही तब मिलेगा और 28 पर्सेन्ट का कोटा जो सरकार ने रखा है वह भी पूरा तब ही होगा जब अधिकारी इस प्रकार के रखेंगे।

जमीन हरिजनों के नाम की है। दूसरे काश्त करते हैं। त्रिगोड़ी हरिजन भरते हैं। यह कई जगह हुआ है। सरकार ने कमेटी बनायी। सही तरीके से हरिजनों को कमेटी में जमीन नहीं मिलती है। जालौर तहसील के थलवार की बात है। उस कमेटी में मैं भी था। पटवारी ने रात को रिपोर्ट बनाई जिसने बेची उसका नाम दर्ज किया और जिसको बेची गयी उसका नाम दर्ज नहीं किया। उसमें 200-250 का नाम है या नहीं? जमीन दर्ज कर दी। मैं बैठा था मैंने कहा कि यह गलत है। सही तरीके से गरीबों को जमीन नहीं मिली है। उसने कहा ठीक है। हमारा कहना नहीं माना। एस. डी. ओ. अपने घमण्ड में रहा। मर्जी से एलॉट कर रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह जमीन इनको एलॉट होनी चाहिये लेकिन नहीं माना। कह दिया कि कब्जा दे दो। कब्जा दिला दिया। मैंने मन्त्री महोदय को रिपोर्ट की रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने आदेश दिया कि जांच होनी चाहिये। जांच हुई लेकिन कलेक्टर साहब ने अब तक फैसला नहीं दिया है। सब कैंसल कर दें। मैंने कहा कि सब कैंसल कर दो। आप जाकर रिपोर्ट कर दो। आप मौके पर जाओ। उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता। आपकी मर्जी। यह जमीन गलत अलॉट हुई है उसको खारिज करनी चाहिये। मन्त्री महोदय इस प्रकार की जाच करेंगे तो राजस्थान में जरूर सुधार होगा। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिये कि गलत जमीन अलॉट हुई है उसको कैंसिल करना चाहिये। पटवारी वगैरह का इतना जुल्म है कि किसी की जमीन को किसी दूसरे के नाम में लगा दी। पैसा खाने के लिये इस जमीन का सही माप नहीं है। काश्तकारों को पट्टे के हिसाब से जमीन माप कर देनी चाहिये और बीघा दो बीघा जमीन ज्यादा है तो उस पट्टे में दर्ज करना चाहिए।

इसलिये सरकार को हुक्म निकाल देना चाहिये। हर साल पटवारी तकलीफ देता है। मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आप यह करवा दें तो काश्तकार आपको दुहाई देगा।

बिजली की बात अर्ज करूं। शिड्यूल कास्ट के मौहल्लों में जितने खम्भे बिजली के दिये गये हैं उनमें से 28 प्रतिशत तो उनको मिलना ही चाहिये। मैं कहता हूं कि झोंपड़ियों में कनेक्शन वशों नहीं ले सकते, सौ दौ सौ घरों की बस्तियां है उनके मौहल्लों में बिजली लगवाना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार इसके लिए आदेश दे।

पानी के कनेक्सन्स है। इसके लिये शिड्यूल कास्ट के लोगों के मौहल्लों में

(श्री बिरदाराम)
जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में पानी के सार्वजनिक नल देने चाहिये इसकी सरकार ने असेम्बली में घोषणा भी की है। पर उसका पूरी तौर से पालन नहीं हुआ है। इसलिए हरिजन बस्तियों में बिजली और नल दोनों होने चाहिये।

चमड़े पर पर्चेज टैक्स लगाया है। सरकार को अर्ज किया इस बारे में। इसको वित्त मन्त्रीजो ने 66 में हटा भी दिया था और कहा था कि कच्चे चमड़े पर कोई लगान या टैक्स नहीं रहेगा और कहा कि हाथ से उद्योग करके जो बेचते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। पर वह टैक्स अभी तक भी हटाया नहीं गया है। लागू है। इसे हटाया जाना चाहिये क्योंकि वे गरीब आदमी हैं, लिखे पढ़े भी नहीं हैं। हर आदमी हिसाब किताब नहीं रख सकता है।

कौल साहब थे, उन्होंने टैक्स माफ किया। एक रुपया सैंकड़ा दर पर है यह। एक चमड़ा खरीदता है तो उस पर भी टैक्स। तो वह पर्चेज टैक्स माफ होना चाहिये। उद्योग वाले खरीदते हैं। आप कहते हैं कि हाथ उद्योग पर टैक्स नहीं लगेगा। इसलिये यह टैक्स जो लगाया हुआ है, माफ होना चाहिये। अब उनसे कहा जाता है कि दस साल से टैक्स जो बकाया है वह लाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण मन्त्री जी भी इसके लिये सिफारिश करें कि यह पर्चेज टैक्स नहीं लगना चाहिये।

शिक्षा के बारे में बात करें। शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे अगर फर्स्ट डिविजन में पास होते हैं तो कहते है कि इनाम ले लो या छात्रवृत्ति ले लो अब जब छात्रवृत्ति मिलती ही है तो इनाम क्यों? मैं कहता हूं कि यह इनाम भी मिलना चाहिये। क्यों नहीं मिलना चाहिये? वह मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदाराम : शिड्यूल्ड कास्ट के छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये बाल मन्दिर खोले जाने चाहिये। ढाई साल से पांच साल के बच्चे वहां पढ़ें। तो उनकी भाषा और बोल चाल शुरू से ही ठीकसर हो सकती है और सफाई और शिष्टाचार का भी ज्ञान प्रारम्भ से ही हो सकता है। ऐसे बाल मन्दिर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के मौहल्लों में होने से सहूलियत रहेगी इसलिये वहीं खोले जाने चाहिये। दूर होने से कठिनाई होगी, उनके पास आने जाने के साधनों पर खर्च करने के लिये पैसा नहीं है। मौहल्लों में ही होंगे तो वे पूरा लाभ ले सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें।

श्री बिरदाराम : मैं थोड़ी सी देर और लूंगा।

हड्डियों के ठेके के बारे में कहूंगा। मेहतर और गरीब आदमी यह काम करते है। हड्डियों का ठेका नहीं देना चाहिए। हड्डियों का ठेका समितिवाइज होता है वह बन्द होना चाहिये और पंचायत समिति देती हैं तो वह कहते हैं कि ठेका क्यों लेते हैं तो क्या मेहतरों के पास हड्डियां भी नहीं छोड़ना चाहते हो। तो यह हड्डियों का ठेका नहीं होना चाहिए।

(श्री बिरदाराम)

आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट के लिए 28 पर्सेन्ट का जो कोटा है इसको पूरा करावाया जाये। जहां समाज कल्याण का पैसा वितरण नहीं होता है वह पूरी तरह से वितरण होना चाहिए और समाज कल्याण की तरफ से हरिजनों और आदिवासियों के लिए उनके कल्याण के काम करने चाहिए। गरीबों के साथ अन्याय है। तो मैं यही समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें आप पूरी तरह से जानकारी करके इसके लिए व्यवस्था करें और स्कूलों और कॉलेजों में आदिवासी छात्र हैं इनको पूरी सुविधायें मिलनी चाहिए। उनको सार्वजनिक होस्टलों में भर्ती करना चाहिए ताकि वह लड़के आगे पढ़ सकें। कई लड़कों को गांवों में उनके मां बाप पढ़ाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन पढ़े लिखे लड़कों को गांव के दूसरे लड़के देखते हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिलती तो वह भी पढ़ना बन्द कर देते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लड़के ये दूसरे काम तो कर नहीं सकते हैं तो एक तो उनका धन्धा छूटेगा और सरकार नौकरी भी नहीं दे सकती तो बड़ी मुश्किल से तो गरीब आदमी पढ़ाता है और फिर उसको नौकरी नहीं मिलती तो मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त होने वाला है।

श्री जयनारायण : समय और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री जयनारायण ! सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही का समय आधा घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री जयनारायण

श्री जयनारायण (लसाड़िया-सु.) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर आज हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे प्रारम्भ में यह कहना है कि सन् 1968-69 की रिपोर्ट जो आज हमें सन् 71 में बहस के लिए हाउस में रखने का अवसर मिला है तो मैं राज्य सरकार से खास तौर से कहूंगा कि राज्य सरकार की गलती इसमें है क्योंकि सन् 1968-69 की रिपोर्ट जो कि उसी साल प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी और उस पर बहस हो जानी चाहिए थी ताकि इस रिपोर्ट में जो जो बातें सजेस्ट की गयी हैं उन बातों पर राज्य सरकार अपनी तरफ से कार्यवाही प्रारम्भ कर देती। लेकिन आज दो वर्ष बाद जब हम इस रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं तो आज कितनी ही परिस्थितियां बदल गयीं, हमारे सामने कितनी ही नयी समस्यायें पैदा हो गयीं तथा उन बदली हुई परिस्थितियों में आज अगर राज्य सरकार चाहे तो इसमें जो बातें सजेस्ट की गयी हैं उनको कार्यान्वित नहीं कर सकती। राज्य सरकार के सामने कुछ ऐसी मजबूरियां पैदा हो गयी हैं जिन्हें आप और हम सब जानते हैं।

सभापति महोदय, मैं इसमें विस्तार से नहीं जाकर कुछ ऐसे आंकड़े जो कि आयुक्त

(श्री जयनारायण)

ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं ने रखे हैं मैं उन्हीं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आदिम जाति और जनजाति ये दो मुख्य समाज के पिछड़े हुए और गिरे हुए अंग हैं। इन दोनों अंगों की भिन्न भिन्न समस्यायें हैं। हरिजनों की समस्या मुख्यतः अस्पृश्यता की है जबकि आदिवासी लोगों की समस्या आर्थिक है और आर्थिक समस्या के साथ साथ शैक्षणिक समस्या भी है। आर्थिक समस्या हरिजनों की भी उतनी ही है। मैं इसको नजर अन्दाज करके नहीं चलता लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अनुसूचित जातियों को अधिकतर शहरों के पास, अच्छे बड़े गांवों के आस पास, अच्छे कस्बों के आस पास रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनको एक काम करने का अवसर मिला है सवर्ण लोगों के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी सर्किल के कारण और उसी वातावरण के कारण, उसी एटमॉस्फीयर के कारण आज अनुसूचित जातियों के लोग आगे आये हैं, उनकी माली हालत सुधरी है और आज सर्विसेज को देखें तो आई. ए. एस., आर. ए. एस. में देख लो आदिवासी लोगों के मुकाबले में हरिजन लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है, उनकी संख्या अधिक है, तो मैं जो स्ट्रेस के साथ जो बात कहना चाहता हूं वह बात यह है कि आदिवासी लोग जो दूर जंगल में रहते हैं जिनको किसी तरह का वातावरण नहीं मिलता, जिनको जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, मोटरों का अभाव है, यातायात के लिए सड़कें नहीं हैं, इन सारे अभावों के बीच जंगलों में वे लोग रहते हैं जहां आज दिन तक मैं यह कह दूं कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि इस हिन्दुस्तान की धरती पर कौन शासन कर रहा है। सभापति महोदय, तो ऐसी विषम परिस्थितियों के अन्दर अलग अलग समस्याओं को सामने रख कर उसी प्रकार की योजनायें दोनों जातियों के लिए बनानी पड़ेंगी और उन योजनाओं को हमें उसी रूप में कार्यान्वित करना होगा। आज मैं यह कह दूं तो गलत नहीं होगा कि हमारी योजनाओं में बहुत बड़े डिफेक्ट्स है। हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिये। ऊपर से योजना थोपना योजना की मूलभूत गलती है। दरअसल योजना तो नीचे से आनी चाहिए और वह ऊपर तक आ कर अच्छे विवाद के बाद उसको इम्पलीमैन्ट करना चाहिए।

मैं आदिवासी लोगों की जो विषम आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आदिवासी लोगों का मुख्य धंधा खेती है और दूसरा जो पार्ट टाइम धंधा है वह वनों पर आधारित है। आज जो वनों में उपज उनको मिलती है उससे कुछ पैसा प्राप्त करके वह अपने कपड़े वगैरा और दूसरी आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं। लेकिन उनकी रोटी तो मुख्यतः खेती से ही प्राप्त होती है। आज हम 23 साल बाद भी यह कहते रहे हैं कि आदिवासी और हरिजन लोगों को जमीन प्राप्त नहीं हो रही है। खेती करने के लिए साधन प्राप्त नहीं हुये, उनको खेती को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके उस पर लागू करने के लिए यदि प्राप्त नहीं हुये तो मुझे यह कहते हुये शर्म आती है। आज हम शासन में बैठे हैं, हमारे लोग हुकूमत कर रहे हैं, इन्हीं पिछड़े हुए लोगों को बागडोर दे रखी है लेकिन हम यह कहते चलें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यह सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हमें शर्म

(श्री जयनारायण)
जरूर आती है। मैं समझता हूं कि यह सिलसिला आने वाले बीस सालों तक भी चलता रहेगा।

राजस्व मन्त्री पहले यहां विराजे हुये थे, मैं उनको अर्ज करना चाहता था जमीन की समस्या के बारे में, आदिवासी लोगों की जमीन की समस्या आज 23 साल बाद हल हो जानी चाहिए थी लेकिन वह नहीं हुई है....

एक **माननीय सदस्य** : यह राज्य मंत्री कौन ?

श्री जयनारायण : राजस्व मंत्रीजी। तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी समस्या मल्टी फेरियस है। इस मल्टी फेरियस समस्या के लिए यह ज्यादा अच्छा होता कि सारे ही डिपार्टमैंट के अधिकारी और सारे मन्त्री महोदय विराजे हुए होते तो जो मल्टी फेरियस समस्यायें हैं उनको सुनते और अपने अपने विभागों में उन सारी बातों के लिए अधिकारियों को आदेश देते। आज समाज कल्याण विभाग अकेला यहां बैठा हुआ है और मैं यह कह दूं कि मल्टी फेरियस समस्यायें जो हैं इनको समाज कल्याण विभाग किसी सम्बन्धित विभाग को भेज नहीं सकता, उनमें क्षमता नहीं है। आज समाज कल्याण विभाग राजस्व विभाग को कुछ नहीं कहेगा राजस्व विभाग समाज कल्याण विभाग को कुछ नहीं कह सकता। इनमें तालमेल जैसी कोई बात नहीं है। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जयनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जिस तेजी से जन संख्या बढ़ रही है, उस बढती हुई जन संख्या की बात तो मैं नहीं करता लेकिन जो जन संख्या सन् 61 में थी उस 61 की जन संख्या के आधार पर मैं अपने क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में आज रेवेन्यू विभाग में ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे लोगों की सूची है जो भूमिहीन हैं लेकिन आज दिन तक उन्हें जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि उस क्षेत्र में जमीन तो बहुत है लेकिन वह सारी की सारी जमीन वन विभाग के कन्ट्रोल में है। वन विभाग उन जमीनों को रिलीज नहीं करना चाहता है। राज्य सरकार ने तीन आदमियों की कमेटी बना दी। उन तीन आदमियों में जिला प्रमुख, जिलाधीश और डी. एफ. ओ. ये तीन तीन आदमियों की कमेटी है। वह कमेटी, मैं ऐसा मानता हूं कि पांच साल की अवधि में मेरे जिले में तो कम से कम नहीं मिली है। अगर मिली भी हो तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी तहसील में तो इन लोगों को आज तक भी भूमि रिलीज करके नहीं दी है।

सभापति महोदय....

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जयनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं जमीन की बात इसलिए कर रहा था कि जो लोग उस जमीन को प्राप्त करके इन आदिवासियों को मुहैया नहीं करा सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। राजस्व मन्त्री जी विराजे हुये नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी अवधि निश्चित कर दें....

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों को तो उपाध्यक्ष का पद था वह भी नहीं दिया गया।

श्री जयनारायण : उस अवधि के भीतर, जो भूमिहीन लोग हैं उस क्षेत्र में, जो जमीन है वह चाहे जंगलात विभाग में हो, चाहे राजस्व विभाग के पास हो, कहीं हो उसे निकाल करके इन लोगों को मुहैया की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं, चूंकि आदिवासी लोगों का जीवन वनों पर आधारित है इसलिए समाज कल्याण मन्त्री जी जो कि वन मन्त्री भी हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भाई नाथूरामजी ने भी इस ओर इशारा किया था कि राजस्थान के अन्दर वन समितियां हैं आज वे वन समितियां किन लोगों की हैं, वे सारी समितियां वन पर जिनका जीवन आधारित है उनकी हैं, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ यह बात कह रहा हूं कि जिनका जीवन वनों पर आधारित है, जिनकी रोजी उस पर चलती है, उन लोगों को आज हम जंगल नहीं देते। वह जंगल पहले तो ठेकेदारों को मिलते थे फिर हमारे कुछ नेताओं के दिमाग में आया कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जानी चाहिए तो वन समितियों का निर्माण किया गया। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि राज्य सरकार समितियों को जंगल नहीं आवन्टित करके राज्य सरकार स्वयं व्यापार धन्धा चलाती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि अलवर जिले के अन्दर हमारी पांच सात वन समितियां हैं। उदयपुर में हैं, कोटा में हैं, भरतपुर में हैं धौलपुर में हैं, सारे राजस्थान के अन्दर वन समितियां हैं, लेकिन आज उन वन समितियो को जंगल नहीं देकर, व्यापार मण्डल जो राजस्थान में कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है, उसको जंगलों का आवंटन करते हैं। हमें पॉलिसी के तौर पर, नीति के तौर पर, यह बात तय कर देना चाहिए कि जो वन समिति जहां पर हैं, उसके आस पास में जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उस समिति को प्राथमिकता देकर जंगल आवंटित कर देना चाहिए। अगर जंगल उस क्षेत्र में नहीं हो तो नजदीक में जहां भी जंगल उपलब्ध हो सके, उन्हें देना चाहिए। अलवर में जो समितियां हैं उनको कहा जाता है कि आप भरतपुर में जाकर काम करो, उनको कहा जाता है कि उदयपुर में जाकर काम करो, कोटा में जाकर काम करो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का व्यापार मण्डल तो कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है लेकिन वन समितियां और उसके सदस्य नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से अभी अभी भारत सरकार ने भी एक कानून लागू किया है और राज्य सरकार भी उसी कानून को.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा बोलने का समय दिया जाय। उस कानून को राज्य सरकार भी लागू करने जा रही है। उस कानून के तहत प्रत्येक वन समिति को लेबर डिपार्टमेन्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो भी वन श्रमिक हैं, जो उसमें काम करते हैं, प्रति वन श्रमिक को तीस रुपये उस रजिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेन्ट में जमा कराना पड़ेगा। आज राजस्थान में जो वन समितियां हैं उनमें एक समिति में

(श्री जयनारायण)

डेढ़ सौ, दो सौ श्रमिक हैं। अगर डेढ़ सौ वन श्रमिक हों तो आप हिसाब लगा कर देखिए, पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करानी पड़ेगी। अगर पन्द्रह हजार रुपये वन श्रमिक वहां जमा कराते हैं तो कहां से पैसा लायेंगे। किसी भी वन श्रमिक को बीस दिन तक जंगल में रहना पड़ता है, खाने को भी चाहिए। तो समिति को आज पैसा जुटाने में ही काफी कठिनाई पैदा होती है। तो इन सारी बातों को सही तरीके से देखकर गरीबों को ऊपर उठाना चाहिए। यह व्यापार मण्डल समाप्त कर दिए जावें और वन समितियों को मौका दिया जावे ताकि धीरे धीरे वन श्रमिक अपनी गरीबी को मिटाने में कामयाब हो सकें। हम स्वयं अवसर नहीं देते और कहते हैं कि गरीबी मिटाना चाहते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं, तो यह सारी थोथी बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी बातों का जिक्र हुआ लेकिन मैं एक बात वहां पर याद दिलाना चाहता हूं। हरिजन और आदिवासी लोगों में जो काम हुए उन कामों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग में एक समिति का निर्माण किया था और वह समिति राज्य सरकार ने क्या काम इनके उत्थान के लिए किया, इसका मूल्यांकन करेगी। मैं भी उसका एक सदस्य था। भाई बैरवा साहब भी उसके सदस्य थे और भोगीलाल जी पाण्ड्या उसके अध्यक्ष थे। वह कमेटी मेरे ख्याल से 5-10 दिन राजस्थान में घूमी, समाज कल्याण ने पैसा खर्च किया। उसने कुछ राजस्थान के विभिन्न कोनों से जानकारी प्राप्त की। उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को एक महीने के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी लेकिन मुझे दुख होता है आज वह कमेटी राज्य सरकार के कागजों से गायब है और रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं राज्य सरकार को कमेटी के अध्यक्ष ने निवेदन किया था कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाय। कार्यकाल बढ़ाया या नहीं मुझे पता नहीं। उसमें राजस्थान के मूल्यांकन की एक अलग रिपोर्ट तैयार होने वाली थी। उसको मेरी समझ में दफना दिया गया है। मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं वे अपने उत्तर में इस बात का जरूर प्रयास करें कि उस मूल्यांकन कमेटी का क्या हुआ। अगर उस मूल्यांकन कमेटी ने कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है तो इस सदन को सूचित किया जाय और इसके साथ स्व. वर्मा साहब ने एक आदिवासी लोगों को एक अच्छी कॉलोनी बनाने की योजना बनाई थी और धरियावद के अन्दर सन् 56 के अन्दर उसका निर्माण हुआ था, यू. एन. ढेबर ने इसका उद्घाटन किया था। सन् 56 से लेकर आज तक इस समाज कल्याण की कॉलोनी का क्या हुआ, उस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें-धरियावद कॉलोनी का जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि अगर समाज कल्याण मंत्री जी एक अधिकारी को नियुक्त करें जो निष्पक्ष जांच करें तो यह गलत न होगा। 56 से लेकर आज तक उस कॉलोनी का क्या हुआ, उसमें रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है। मैं समझता हूं आपने कानून तो यह बनाया है कि आदिवासी लोगों की जमीनों को कोई

(श्री जयनारायण)
नहीं ले सकता है परन्तु सब इसके विपरित हो रहा है। आपके इन्सपेक्टर की जानकारी में है उसने स्वयं ने मिलकर 200 बीघा जमीन सवर्ण लोगों को आवंटित कर दी। जिस कॉलोनी का सारा कारोबार आपके द्वारा चलता है उसका आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर शिड्यूल्ड एरिया घोषित हुआ है। उस एरिया में काफी विकास का काम हो रहा है। उसकी मुझे बहुत खुशी है लेकिन मैं साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड एरिया नहीं है उसकी क्या स्थिति है? मैं आपको निवेदन कर दूं जो एरिया शिड्यूल्ड एरिया में नहीं है उसकी हालत शिड्यूल्ड एरिया के मुकाबले ज्यादा खराब है। उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में जिसमें सारे आदिवासी रहते हैं, करीब 95 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। उन 95 प्रतिशत के लिये समाज कल्याण और राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इन बातों के लिये मैं शिड्यूल्ड एरिया को एक मंत्रणा परिषद् है उसमें भी निवेदन कर चुका हूं लेकिन उस मंत्रणा परिषद् ने, उसके जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि आपके ये सुझाव थे और हमने यह कार्यवाही की है मैं यह मानकर चलता हूं कि समाज कल्याण विभाग उदासीन है। गरीबों की सेवा के लिये वह विभाग बिलकुल उदासीन है। अगर इस तरह की उदासीनता इस विभाग की है तो गरीबों का कभी भला नहीं होगा। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस क्रम के हिसाब से कार्यक्रम चलता रहा तो 12 बज सकते हैं। आप लोगों की सहमति से 10 मिनिट का समय माननीय सदस्यों के लिये रखा है और बार बार उसका उलंघन हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय बढ़ाया है और ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है। श्री कल्याण मल।

श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर) : अनुसूचित जाति एवं जन जाति की रिपोर्ट आज सदन में पेश हुई है और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। उपाध्यक्षजी, समाज कल्याण विभाग को एक तरह से समाज का सुधार करने के लिये स्थापना की है। मेरे विचार से आज तक तो कोई सुधार होता नजर नहीं आया। उपाध्यक्ष जी, यह देखा जाय तो हर समय इस कमीशन की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होती है और इसमें सभी माननीय सदस्य अपने अपने विचार देते हैं परन्तु उनकी तरफ आज तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो यह कह नहीं सकते कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत की जाय और जो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इनके विचार रखने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाय तो

(श्री कल्याणमल मीणा)

यह बहुत बड़े शर्म की बात है। आज पिछड़े हुये वर्गों के लोगों को भी इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अनुसार उतने ही राइट्स हैं, उतने ही अधिकार हैं जितने आम वर्ग के लोगों को है। आज हर तरह से उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है, हर तरह से उनके विचारों को दबाया जाता है। तो यह एक तरह से इन वर्गों के लिये जो विभाग बनाया गया है इसका कर्त्तव्य है कि वह उनको ऊंचा उठावें और हर तरह से मदद करे पर आज तक इस तरफ कोई विचार नहीं किया गया है।

आज मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि जमीनें नियमन करने की राज्य सरकार ने घोषणा की। किन्तु ज्यादा आदमियों को जमीन नियमन नहीं की गई है। वैसे काफी दिनों से कब्जा होते हुये भी वह जमीन आज तक दर्ज नहीं हो पाई है। दूसरे एलॉटमेंट के जरिये ये कागजों में तो आंकड़े लम्बी चौड़ी तादाद में बताते हैं पर हम लोग काफी नजदीक रहकर देखते हैं आज तक उनको जमीनें नहीं मिल पाई हैं। मैं आज समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि वे इस तरफ ध्यान दें। मुझे यह कहना पड़ेगा कि हमारे भीखाभाई ने तरक्की की है आज कई मौहल्ले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं जिनमें विद्युतिकरण हुआ है और यह रिपोर्ट भी जो आज सदन में प्रस्तुत होकर विचारार्थ ली गई है उसके लिये भी ये काफी प्रयत्नशील थे। यही नहीं काफी इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, यह तो कहना पड़ेगा लेकिन जो कमियां हैं उनको दूर नहीं की गई तो यह समाज कल्याण विभाग बेकार सा रहेगा। एक प्रावधान कानून में यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीनें कुछ वर्गों के लोग नहीं ले सकते हैं। किन्तु यह केवल कानून की किताब में ही हो गया है। आज रजिस्ट्रेशन होता है। कोई भी जाकर कोई भी वर्ग का उनकी जमीन को बिकवा लेता है एक नहीं सैकड़ों केस हैं। कई जमीनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। इस पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

दूसरा, जहाजपुर में आदिम जाति सेवक संघ की तरफ से जो छात्रावास है उसको देखें। भूतपूर्व राज्य मन्त्री श्री जोशी साहब वहां गये थे और वहां के बच्चों से जानकारी की थी। परन्तु 6 महिने के बाद भी उनको पढ़ने को किताबें नहीं मिली हैं। कई बार आदिम जाति सेवक संघ के मन्त्री जी को पत्र लिखा किन्तु आज भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और न वहां की व्यवस्था ठीक ढंग से हुई है, एक दिन चित्तौड़ भी गया वहां गाड़ोलिया लुहारों का छात्रावास है। उसको देखा, कई जगह बिजली के तार निकले हुए हैं। वहा के व्यवस्थापक को कहा कि इन तारों पर लकड़ी लगा कर ठीक करने का इंतजाम करो नहीं तो कोई बच्चा चिपट जायेगा। इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं जिसकी तरफ समाज कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिये।

जिला समाज कल्याण अधिकारी जो होता है वह अकेला ही ऑफिस में बैठा रहता है और न तो उसके पास में कोई जीप गाड़ी है और न ही कोई और साधन है। इस तरह वे एक जिले को संभाल नहीं सकते और

(श्री कल्याणमल मीणा)

ऑफिस में बैठे बैठे जानकारी नहीं कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उनको हर तरह को सुविधा दी जाय और एक एक गांव में जाकर उनको मुसीबतों की ओर ध्यान दिया जाय। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि आसन की ओर से घंटी बज गई है इसलिए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नथमल चोहला

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल रोत

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल

(अनुपस्थित)

श्री मुल्कराज थिंद।

श्री मुल्कराज थिंद (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो 18वीं रिपोर्ट पर माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उस सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। अधिकतर रिपोर्ट को पढ़ने से यह पाया गया कि जो सुबह से माननीय सदस्यों ने इस बात पर रोष प्रकट किया है कि सरकारी नीति की घोषणा, इनकी माली हालत को सुधारने की थी वह इम्पलीमेन्ट नहीं हुई है। अधिकतर रिपोर्ट में ऐसा ही लिखा गया है। देखने में आता है रिपोर्ट के 14 वें पेज पर जहां दूसरे प्रान्तों के आंकड़े दिये गये हैं, मुख्तलिफ बताया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हर स्टेट ने कितनी कितनी जमीन एलॉट की है। मुझे खेद है कि इसमें हमारे राजस्थान का नम्बर देखने में नहीं आया है। उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे राजस्थान के समाज कल्याण विभाग ने इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखाई है कि हरिजनों, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या प्रोफेन्स देनी चाहिए। सरकार ने ज्यादातर ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके ताकि वे समाज के दूसरे लोगों के बराबर हैसियत में आ सकें जिसके लिये हमारे देश के नेताओं ने एक बड़ा नारा दिया है कि हम समाजवाद को इम्पलीमेन्ट करके गरीबी को दूर करेंगे। मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है मेरे से आगे माननीय सदस्यों ने, और माननीय जस राज जी ने यह निवेदन किया था कि भारत सरकार ने जो घोषणाएं की तथा रियायतें दी हैं उसका पूरा फायदा हरिजनों को नहीं हुआ है। इसका कारण है, कुछ पर्सेन्टेज रकम जब लोन में मिलती है उसमें उनको 25 प्रतिशत उन्होंने बताया था वह लोन देने वाले को देना पड़ता है। मैं निवेदन करूं कि भारत सरकार ने कुछ अर्सा पहले सब स्टेट को लिखा था कि हरेक स्टेट शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिये एक फाइनेन्शिल कारपोरेशन बनाये और वह रुपया उनको इस रूप में दे कि उनको सहायता हो सके फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन यह रुपया उनकी माली हालत सुधारने के लिये लोन के रूप में दे। जैसे वे कोई जमीन खरीदते हैं तो वे उस जमीन की किश्त नहीं दे पाते हैं और उसके अलावा उस पर हल चलाने

(श्री मुलकराज थिंद)

के लिये, जो बंजर जमीन है उसको सुधारने के लिये और इसके लिये जो साधन उनको चाहिये उनके लिये यह फाइनेन्शियल कारपोरेशन रुपया दे। इस तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारा जो पड़ोसी प्रान्त है, पंजाब उसने ऐसा फाइनेन्शियल कारपोरेशन बनाया है। दूसरे सूबों में भी कहीं बनाया गया हो इसका मुझे पता नहीं है। एक करोड़ से ऊपर रुपया इस काम के लिये उन्होंने रखा है। इसमें से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को लोन दिया जायगा। मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न हमारी सरकार के सामने है! सरकार के सामने यह प्रश्न आये तो वह कह सकती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। परन्तु पंजाब सरकार ने एक हरिजन कल्याण टैक्स लगाया है। तो आप भी लक्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाकर वह रकम इस फाइनेन्शियल कारपोरेशन को कायम करने के लिये इकट्ठी कर सकते हैं। इस प्रकार के कारपोरेशन को कायम करने के लिये आप टैक्स लगायें। माननीय सदस्यों ने कहा कि शराब हटानी चाहिये। तो आप शराब पर टैक्स लगा दें ताकि लोगों की आदत भी कम हो और जो पैसा इस टैक्स से आये वह कारपोरेशन को दें ताकि हम इनकी माली हालत को सुधारें।

सरकार ने यह कानून बना दिया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। गंगानगर के हजारों ऐसे केसेज मैं सरकार के सामने रखता हूं जिसमें हरिजनों की जमीन को अन्य व्यक्तियों ने खरीदा है। इसका कारण यह है कि वे सरकार की किश्त नहीं दे पाते हैं, बैल नहीं ले पाते हैं और उनको जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। एक लाख जिस जमीन का वेल्यूएशन है वह आज गिरवी पड़ी है। इसलिये इस सरकार को उनकी माली हालत को सुधारने के लिये फाइनेन्शियल कारपोरेशन राजस्थान स्टेट में जितनी जल्दी हो सके चाहे वह पेपर्स के द्वारा हो कायम करे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन का जहां तक सम्बन्ध है, राजस्थान की सरकार को मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जहां तक हरिजनों की माली हालत सुधारे इसके लिये उनको जमीन देने का पूरा प्रयत्न किया है। परन्तु आज से चार साल पहले राजस्थान सरकार ने राजस्थान कैनाल में एक लाख एकड़ जमीन हरिजनों को एलॉट करने की घोषणा की थी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक लाख एकड़ जमीन देने की जो घोषणा की गई थी उसमें से आज नाम मात्र की जमीन ही हरिजनों को दी गई है और वह भी उनको दी गई हैं जो कि साधन सम्पन्न हैं या फिर वे लोग हैं जिन्होंने नाजायज तरीके से या ऑफिसरों पर दबाव डाल कर या रिश्वत के जरिये जैसी कि इस सदन में चर्चा होती है, और मैं भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल में कुछ हरिजनों को दी है। जो जमीन दी है वह कैसी है? वह अन कमान्ड है, पेपर्स में कमान्ड जरूर हैं लेकिन वहां देखने में आता है कि दस-पन्द्रह साल के बाद भी उस जमीन पर काश्त नहीं हो पायेगी, उसको पानी नहीं मिलने वाला है। सरकार

(श्री मुलकराज थिंद)

इसी तरीके से क्या अपनी घोषणा का इम्पलीमेन्टेशन कर रही है। अगर इस तरीके से कर रही है तो उसके अन्दर रुकावट हो रही है। समाजवाद को इम्पलीमेन्ट करना है तो वह उसके नाम से नाम मात्र को दी गई है। जो भी जमीन दी गई है वह बंजर है। तो मुझे यह निवेदन करना है कि ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ सरकार जो है कार्यवाही करे, और समाज कल्याण विभाग का भी यह फर्ज है कि जो जो घोषणाएं सरकार करती हैं उन घोषणाओं का सरकार कहां तक इम्प्लीमेन्टेशन करती है वह भी देखना है। जहां तक माली हालत का सवाल था वह मैंने कहा दूसरा मैं एक और सुझाव देता हूं कि हरिजनों की माली हालत उस वक्त तक सुधर नहीं सकती है और ठीक नहीं हो सकती है जब तक उन्हें बिजिनेस में किसी प्रकार के धन्धे में नहीं लगायेंगे, नहीं सुधर सकती है। मैं एक दो स्टेट का आपको हवाला दे सकता हूं। उनके ट्रान्सपोर्ट है और गवर्नमेंट के बिजिनेस....

श्री उपाध्यक्ष : समाजवाद में बिजिनेस की गुन्जायश नहीं है....

श्री मुलकराज थिंद : मैं लाखों और करोड़ों के बिजिनेस की बात नहीं कह रहा हूं छोटे धन्धे उनको दे दिये जाय। किसी ने बी.एस.सी. किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात का प्रबन्ध किया था कि जो बी.एस.सी. बेकार फिरता है तो उसको पेट्रोल पम्प दिया जाता है। तो जो हजारों सालों से बेकार घूम रहे हैं। उनके लिए सरकार को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए कि कोऑपरेटिव बेसिस पर उनको बिजिनेस दिया जाय। उनकी माली हालत सुधारने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिये।

दूसरा मैं निवेदन करूं कि जहां तक सर्विसेज का सवाल है मुझे इस बात को खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट में सब स्टेटों को लिखा है कि सैकिण्ड क्लास ऑफिसर्स तक के प्रोमोशन में रिजर्वेशन किया जाय, लेकिन आज तक दो स्टेट्स कर पाई है। पंजाब ने किया है। पंजाब स्टेट के निर्णय के खिलाफ दूसरे लोग हाई कोर्ट में गये तो हाई कोर्ट ने फैसला सरकार के खिलाफ कर दिया लेकिन पंजाब सरकार ने अपने फैसले का इम्प्लीमेन्टेशन करवाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में एप्रोच किया तो उन्होंने फैसला दिया है कि जो राज्य सरकार ने प्रोमोशन रिजर्वेशन का रखा है उसको बहाल रखते हैं। आज जो सैंकड़ों वर्षों से लोग दबे हुए हैं और जब दूसरे लोगों के लिये रिजर्वेशन पालियामेंट में किया है, असेम्बली में किया है उसी उदारता के साथ यह सैकण्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाना चाहिए ताकि भारत सरकार के आदेश का इम्प्लीमेन्टेशन हो सके, मैं, इस बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मुश्किल से कुछ ऑफिसर्स सैकण्ड क्लास में आते हैं। क्या होता है कि प्रोमोशन के लिये रिजर्वेशन तो रहता है पर, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनकी सी.आर. खराब कर दी जाती है। जहां यह मालूम होता है कि यह शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है, ऑफिसर है तो उसकी सी.आर. खराब कर दी जाय ताकि वह प्रोमोशन नहीं ले सके। पालियामेंट के माननीय सदस्यों ने

(श्री मुल्कराज थिंद)

बहुत आपत्ति उठाई थी उसके बारे में और भारत सरकार फैसला लेने वाली थी। क्या फैसला लिया उसका मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं इस सदन में आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह तो नहीं कह सकता कि सब शिड्यूल्ड कास्ट्स के 110 या 90 पर्सेन्ट लोग सर्विस में हैं वे काबिल नहीं हैं कि उनकी सी. आर. खराब कर दी जाय। उनको सिर्फ पीछे रखने के लिए उनकी सी. आर. खराब कर दी जाती है। इसके लिए सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए कि अगर सी. आर. 3 या 4 खराब होती है तो भी उनको किसी तरह से बार नहीं किया जाय।

28 पर्सेन्ट का जो रिजर्वेशन सर्विसेज में सरकार ने रखा है मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि होता क्या है कि अगर 50 वेकेन्सीज या 20 वेकेन्सीज होती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो उसके टुकड़े कर दिये जाते हैं, उन वेकेन्सीज के पार्ट्स कर दिये जाते हैं ताकि 28 पर्सेन्ट के रिजर्वेशन का प्रश्न न उठे और 2-2 3-3 करके वेकेन्सीज को फिल-अप किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेकेन्सीज जब होती हैं तो पेपर्स में आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन चार साल से हमने देखा है कि हमारे यहां के जो लोकल पेपर्स हैं उनमें आज तक राजस्थान के किसी डिपार्टमेंट का कोई इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है। इसलिए मैं सोशियल वेलफेयर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि·······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपका डिपार्टमेंट जो है वह हरेक डिपार्टमेंट की जो वेकेन्सीज निकलती हैं उनको देखें कि वे पूरी उस तरह से फिल-अप नहीं करें।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं जानता हूं कि समय का सवाल है लेकिन आज ही आप उपाध्यक्ष हुए हैं तो इस खुशी में मैं सोचता हूं कि मुझे इजाजत दी जाय बोलने की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि दूसरी स्टेटों में सर्विसेज में वेकेन्सीज को फिल-अप करने के लिए और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का लिया जाय, और यह चीज बहुत सी स्टेटों में हैं। तो हम इस विषय में कई दफा सरकार से निवेदन कर चुके हैं, और फिर खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का लेना चाहिए ताकि हम लोगों को सेटिस्फेक्शन हो।

इसके अलावा एक-दो निवेदन और करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया था कि इन्जीनियर्स और डॉक्टर्स जो बेकार हैं उसके लिए सरकार ने स्टिपेण्ड रखा है 250 और 300 रुपयों का और जब तक उनको नौकरी नहीं मिले तब तक वह दिया जायगा। इस विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग डॉक्टरी

(श्री मुल्कराज सिंह)

और इन्जीनियरी पास करके आते हैं तो जो मदद राज्य सरकार दूसरों को देती है उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूं, इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इस के साथ-साथ ही मेरा यह निवेदन है कि वे लोग जो डॉक्टरी या इन्जीनियरी करके आते हैं वे उन लोगों के लड़के होते हैं जो साधन सम्पन्न होते हैं। उनके बच्चे इन लाइनों में जाते हैं. लेकिन हमारे बच्चों की जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बच्चे हैं उनकी हालत माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है। उनके बच्चे बी.ए. या मैट्रिक पास करके 2-2, 3-3 साल तक बेकार घूमते रहते हैं तो क्या सरकार उसके लिए विचार कर सकती है। जब शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के बच्चे इम्तिहान पास कर लेते हैं और उनको सर्विसेज नहीं मिलती हैं तो क्या सरकार उनके लिए कुछ कर सकती है ? मैं समाज-कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषय का केबिनेट के विचार के लिए रखें। जो बच्चे पढ़ लिख-कर दो-दो, तीन-तीन साल तक घूमते रहते हैं उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है, कहीं से कर्जा लेकर पढ़ाई की है और वह बेकार रहते हैं तो वे डिमोरेलाइज होते हैं और उनके मां-बाप डिमोरेलाइज होते हैं और आगे उनके बच्चों को शिक्षा लेने में एन्करेजमेंट नहीं मिलता है। वे देखते हैं कि फलां का बच्चा बेकार घूम रहा है तो पढ़ा-लिखाकर क्या करें। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

समय काफी हो गया है । इसके साथ-साथ मैं अन्त में एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा एक सुझाव है कि मैने दूसरी स्टेटों में देखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो घोषणाएं सरकार करती है उनकी बहतरी के लिए या समाज-कल्याण विभाग द्वारा होती है उनके बारे में जो सक्यूलर्स निकलते हैं उनको कम्पाइल करके उनको एक किताब की शक्ल दी जाय और वह सब मेम्बरों में तकसीम की जाय ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर या और कोई व्यक्ति हैं उससे फायदा उठा सकें। इसमें मेरे रुयाल से कोई खास खर्चे की बात भी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक आपके डिपार्टमेंट द्वारा जो सक्यूलर्स जारी किये हैं उनकी एक किताब की शक्ल बनाकर तकसीम की जाय ताकि हम लोग देख सकें कि कहां तक इम्प्लीमेन्टे-शन होता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया था कि इम्प्लीमेन्टेशन देखने के लिए एक कमेटी बनाई थी तो मैं इसके लिए खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि कमेटी को कन्टीन्यू नहीं रखा गया है। अगर कमेटी को हटा दिया गया है तो राज्य सरकार आज इस बात की घोषणा करे कि एक कमेटी इस तरह की बना दी जायगी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जो सरकार द्वारा घोषणाएं की जाती हैं उनको वाच करेगी कि कहां तक उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है और कहां तक नहीं होता है। बस इतने ही लफ्ज कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझे जानकारी मिली है कि मेरे विरोध में माननीय रामचन्द्र आर्य ने आरोप लगाये हैं। मेरा यह निवेदन है कि वे आरोप निराधार हैं। बेहतर हो कि राज्य सरकार उनकी जांच करा ले।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही नहीं है कि रावतसर के जागीरदार तेजसिंह को ज्वाइण्ट फैमिली की मुखिया आप हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे क्यों, बैठे बैठे। खड़े होकर कहो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : नहीं हूं, नहीं हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि आप के परिवार में 630 बीघा नहरी जमीन है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मुझे पता नहीं है। जांच करा लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि रावतसर में आप के नाम जमीन है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पता नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही नहीं है कि आपकी 24 दुकानें हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जी नहीं, गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही नहीं है कि आपने 5 दुकानें बनाई हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे नहीं हैं ? आपने दुकानें बनवाई हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप जांच करवा लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे गलत है ? सही है। चोरी और सीनाजोरी। यह नहीं चल सकता है। एक तरफ चोरी करते हैं.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत नहीं, सही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत। बिलकुल गलत। निराधार।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत नहीं है। मैं खड़े होकर कहता हूं, अगर गलत हो तो मैं स्तीफा दे दूंगा।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्या इन्क्वायरी फेस करने के लिए तैयार हैं। सदन के प्रांगण पर उन्होंने यह कहा है कि इन्क्वायरी करा लें। उसके बाद माननीय सदस्य को क्या कहना है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सूचना गलत दे रही हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करती हूं कि इसकी जांच कराई जाये और विरोधी दल के नेता महोदय को भी उस इन्क्वायरी कमीशन में रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीखा भाई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, भीखा भाई जी जवाब दें, उससे पहले मैं एक निवेदन करता हूं कि जो जवाब तैयार किया है, वह सदन की मेज पर रख दें।

श्री हरिदेव जोशी : यह सम्भव नहीं है। क्योंकि जो बातें कही गई हैं, उनको लोगों को जवाब देना जरूरी होता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अच्छा तो ठीक है।

श्री भीखा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा आई हुई है, जिसको एक साल पूर्व इस सदन में रखा गया था, जिस पर चर्चा का अवसर आज मिला है, इस पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, वह कई सुझाव अत्यन्त उपयोगी एवं रचनात्मक हैं। हमें जो रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको किसी प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा। इस बारे में प्रयत्न करेंगे।

(8.45 रात्रि)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

सभानेत्री महोदया, यहां पर जो चर्चा की गई है, अलग अलग पहलुओं पर, जो न केवल राजस्थान बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिए उपयोगी है। परन्तु मैं निवेदन करूं कि जो रिपोर्ट की गई है, उसका एक संक्षिप्त विवरण जो समरी है, वह तैयार की गई है। तैयार करके हमारे विभाग में रखी गई है। उसमें ज्यादातर एजूकेशन के सम्बन्ध की बात, शिक्षा योजना से सम्बन्धित है। मैं यह निवेदन करूं कि यहां पर कई माननीय सदस्यों ने सरकार की कटु आलोचना भी की है और उन्होंने कहा है कि भूमि आवंटन के बारे में या छात्रवृत्ति के बारे में, हाउस लोन के बारे में, बिजली के बारे में, कहा गया है। इस प्रकार कट मोशन के जरिये भी कई प्रकार के प्रश्न यहां पर आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चर्चाओं का इण्डिवीजुअल आधार पर अगर जवाब दें तो समय नहीं रहेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : इतना कष्ट उठाने की जरूरत क्या है?

श्री भीखाभाई : मैं 8 घण्टे से बैठा हुआ हूं। एक बार जरूर पूजा करने के लिये बाहर निकला था। उसके बाद अभी तक न चाय पी है, न पानी पिया है। मैं बराबर.......

श्री रामचन्द्र आर्य : 6 महीने मौज करते हैं। एक दिन में ही घबरा गये हैं।

श्री भीखाभाई : मैं रोज ही ऐसा करता हूँ।

तो उसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि जो हो रहा है, वह गलत हो रहा है। इस प्रकार मुझे लगता है कि राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार गतिविधियां रही हैं, राजस्थान के अन्दर जो आर्थिक प्रगति हुई है, इससे ज्यादा अच्छा अवसर हरिजनों को नहीं मिल सकता है। यहां इस बारे में हमें यह सोचना पड़ेगा कि राजस्थान क्या है? तब क्या था और अब क्या है? अगर राजस्थान की ज्योग्राफिकल कण्डीशन के बारे में, ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में, अगर हम नहीं जानते हैं तो सभानेत्री महोदया, हम सही रूप में मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में जबसे हमने उत्थान आरम्भ किया है याने उस जमाने की बात करता हूँ। नाथूराम जी बोल रहे थे कि बांसवाड़े में कुछ नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम : आप अपने विभाग की बात बताइये।

श्री भीखा भाई : मैं निवेदन करूंगा सही माने में, सही दृष्टि से ए, बी, सी, डी से मूल्यांकन करना चाहिये। राजस्थान के अन्दर हम लोग यहां के रहने वाले हैं। आज जो विधायक हैं राजस्थान के अन्दर, वह जानते हैं कि हरिजन गाड़ियों पर नहीं बैठते थे। उनको गाड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता था। हरिजनों को बोलने का हक नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि हमारी विधान सभा के अन्दर, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अन्दर, राजस्थान के कई विभागों के अन्दर हम सब लोगों ने देखा होगा, वहां हमारे प्रतिनिधि, सरपंच और विधायक के रूप में आये हैं। मैं निवेदन करूं कि अपनी जो सबसे बड़ी लोक सभा है, उसमें 75 से लगाकर 150 आदमी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बैठे हुये हैं। उनमें 75 तो केवल चमार हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : चमार हैं!

श्री भीखाभाई: सभानेत्री महोदया, आगे स्थिति देखिये। हम मिनिस्टर हैं तो हमारी स्थिति दूसरी है। जो विधायक हैं, सरपंच हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। जो आज हमने प्रगति की है उससे हम इन्कार नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करूं बांसवाड़ा जिले के दौरे में एक छोटी सी जगह हम गये। हरिदेव जोशीजी और मुख्य मन्त्रीजी साथ में थे। वहां यह पता चला कि कुल पढ़ने वालों की संख्या 43 हजार है। उनमें 21 हजार हरिजन और आदिवासी हैं। (हियर, हियर) जो रिपोर्ट यहां पर लाई गई है, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि वहां प्राथमिकशालाओं में संख्या 1955-56 में थी 60 हजार 47, जो 1968-69 में 3 लाख 33 हजार हो गई। उसकी वृद्धि है 54 पर्सेन्ट। दूसरी तरफ निवेदन करूं, उच्च माध्यमिक शालाओं में विद्यार्थी थे 22,612 वह जाकर 70,000 हो गये। इसमें 31 पर्सेन्ट वृद्धि है....

श्री नाथूराम : आप विभाग की बात बतायें। हम विभाग का जवाब चाहते हैं।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा हूं, शैक्षणिक स्थिति में फर्क हुआ है।

(श्री भीखाभाई)
माननीय सदस्य बागीडोरा से आने वालों ने कहा कि विभाग की बात बताऊं। मैं पूछना चाहता हूं, कि आपके माध्यम से, अब तक मैं नहीं बोल रहा था लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा, मजबूर होकर बोलना पड़ेगा....

श्री नाथूराम : आप विभाग से सम्बन्धित बातें बताइये। विकास हुआ है इसे मैं मानता हूँ। आप विभाग की बात बताइये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : यह बताइये....

श्री नाथूराम : कितने विद्यार्थियों का....

श्री श्रवणलाल : आपके विभाग ने क्या काम किया है? यह नहीं होता तब भी विद्यार्थी पढ़ते।

श्री नाथूराम : छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है। आप विभाग से सम्बन्धित बातें बताइये।

श्री जयनारायण सालोदिया : आबादी कितनी बढ़ी है?

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं कि पांच पांच मेम्बर बोलते हैं एक साथ....

श्री श्रवणलाल : यह बताइये....

श्री जयनारायण सालोदिया : आप तो सुनते ही नहीं हैं। आप एक्सप्रेस हो रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : जो यह आबादी बढ़ी है, इसको भी आप ध्यान में रखिये।

श्री सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं एक एक का जवाब देना चाहता हूं। यदि कोई जवाब देने से रह जाय....

श्री जयनारायण सालोदिया : आप जवाब दीजिये। यह तो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स की रिपोर्ट है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, मंत्री महोदय को भाषण देने दें, बीच में इन्टरप्शन न करें।

श्री नाथूराम : मैं कह रहा हूं कि विकास तो हुआ है....

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : सभानेत्री महोदया, यह माननीय सदस्यों का अन्याय है। जब वह बोल रहे थे तो माननीय मन्त्री उनकी पूरी बात सुन रहे थे और उन्होंने नोट्स लिये हैं। अब जवाब दे रहे हैं तो माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। उनको सुनना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल की रिपोर्ट के लिए हमने पूछा नहीं था। यह हमारी बात का जवाब नहीं है।

श्री नाथूराम : नीती पर बताइये।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अब आ रहे हैं उस पर।

श्री भीखाभाई : जो माननीय सदस्यों ने कहा उनका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं-मैं इस स्थिति में हूं। अब व्याकुल, आकुल

(श्री भीखाभाई)
उद्विग्न होकर कहें कि जल्दी खत्म करना है तो मैं पहले ही बैठ जाऊं। आप सुनना चाहे तो बोलूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप चलने दीजिये रात के बारह बजे तक।

श्री भीखाभाई : एक घण्टे में बोलूंगा। एक घण्टे के बाद और कोई बात रह जायेगी तो उसका भी जवाब दूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): आपकी पार्टी के सदस्यों के सम्बन्ध में आप पार्टी में कह दें जिससे यहां वह विवाद नहीं आये। नहीं तो विवाद हो जायेगा। अब इधर से जो बातें आई हैं वह बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : दोनों की बतायेंगे।

श्री मनोहरसिंह महता : दोनों की बतानी पड़ेगी, ऑफिशियल जवाब है।

श्री भीखाभाई : मैं पूरा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अगर डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा तो मैं बराबर जवाब दूंगा।

मैं सामाजिक स्थिति के बारे में बात कह रहा हूं। हिन्दुस्तान और विशेष तौर से राजस्थान प्रदेश, जो रजवाड़ों का प्रदेश था, उसकी सामाजिक स्थिति में उथल-पुथल हुई है और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है-इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ साथ शैक्षणिक स्थिति के अन्दर भी काफी परिवर्तन हुआ है। इसलिए कह रहा था, माननीय सदस्य ने जब कहा था····

श्री जसराज : एक्सपेंशन के लिए····

श्रीमती सभानेत्री : आपको बोलने दीजिए।

श्री भीखाभाई : बांसवाड़ा में सामाजिक प्रवृत्ति में क्या हुआ, शिक्षा प्रवृत्ति में क्या हुआ। बांसवाड़ा में जब रजवाड़ा था, उस समय इने-गिने छात्र पढ़ते थे, यह दूसरी बात है, लेकिन उस समय एक छात्रावास नहीं था, अब वहां पर 22 छात्रावास हैं, अनुसूचित जाति के आठ हैं, अनुसूचित जन जाति के 13 हैं और इनके अलावा एक और है····

श्री जयनारायण सालोदिया : राजस्थान का जवाब दे रहे हैं या बांसवाड़ा का जवाब दे रहे हैं?

श्री नाथूराम : मैंने आंकड़े नहीं मांगे हैं, मैंने यह कहा है कि····

श्री जयनारायण सालोदिया : अलग अलग सदस्यों का जवाब दे रहे हैं या नाथूराम जी का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री भीखाभाई : मैं सबका जवाब दे रहा हूं।

श्री नाथूराम : आप गलत जवाब दे रहे हैं। मैंने नीति के बारे में प्रश्न पूछा था। शिड्यूल्ड एरिया का जो कानून बना है, सागड़ी प्रथा लागू है उसका कानून बना है, उसके सम्बन्ध में सर्वे कराई है या नहीं? दूसरी बात है वहां पर महिला शिक्षा कम है। मैंने इसके लिए मांग की थी।

श्री हरिदेव जोशी : सागड़ी प्रथा एक चीज है जो समाज कल्याण विभाग के

(श्री हरिदेव जोशी)
तहत नहीं आती है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप माननीय समाज कल्याण मंत्री से कह रहे हैं लेकिन जो मुद्दे उनसे सम्बन्धित नहीं हैं उनका वह जवाब नहीं देंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : यह वह खुद कह सकते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि उनके विभाग के अन्दर क्या क्या है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत ज्ञान है।

श्री नाथूराम : लड़कियों की शिक्षा के लिये सुझाव दिया है। दूसरे छात्रवृत्ति में दो चीजें रखी हैं। वैसे विकास हर तरह से हुआ है, मैं मानता हूं। लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से रुपये का अधिक दुरुपयोग हुआ है और नीति के ऊपर अमल नहीं हुआ है। हरिजन मौहल्लों में तो बिजली जाती है, लेकिन आदिवासी मौहल्लों में नहीं जाती है। मैंने कहा, आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमैन्ट एज ए होल का सवाल है, विभाग का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूराम : जवाब देना चाहिए, आप तो जनरल बात कह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कहने दीजिये।

श्री भीखाभाई : तो शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सर्वत्र जहां हरिजन आदिवासी रहते हैं वहां विकास हुआ है–इसमें दो राय नहीं है। आंकड़े बोलते हैं। आज राजस्थान के अन्दर 206 होस्टल हैं, उनके अन्दर लगभग पन्द्रह लाख आदिवासी पढ़ते हैं, मैं निवेदन करूं, खाना पीना सब मिलता है उनको। इसके बाद राजस्थान और राज्यों से इस क्षेत्र में आगे है कि मैट्रिक के लड़कों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें जो कुछ मिलता था उस रेट के अलावा 40 रुपया स्कॉलरशिप का गवर्नमेन्ट ने, राजस्थान गवर्नमेन्ट ने एडीशनल दिया है। यह और किसी प्रदेश में, किसी प्रान्त में नहीं है। दूसरे मैं निवेदन करूं, इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसे काम किये हैं जो कि किसी प्रदेश में नहीं है। वह यह है कि ग्रान्ट-इन-एड के बारे में जो रेट है, वह रेट न एम. पी. में है, न महाराष्ट्र में है, न और प्रदेशों मे है। पच्चीस तीस रुपया एक होस्टल में मिलता है, जहां पचास से साठ अनुदानित लोग हैं उसमें 60-70 तक मिलता है। यह स्पेशल फीचर है। तीसरा स्पेशल फीचर निवेदन करूं, जो स्टाइपेण्ड दिया जाता है, जो विद्यार्थी अनएम्प्लायड हैं, उनको काम में लगाने के लिए स्टाइपेण्ड मिलता है डेढ़ सौ, ढाई सौ—यह भी स्पेशल फीचर है.......

श्री नाथूराम : आंकड़े बता दिये। आप यह बताइये, विभाग से कितने आदमियों को दिया, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने आदमियों को दिया ?

श्री भीखा भाई : मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर कई प्रकार के ग्रामीण उद्योग के ट्रेनिंग केन्द्र जल्दी से जल्दी प्रारम्भ होने वाले हैं.......

श्री नाथूराम : आप संख्या बता दें।

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार ने ट्राइबल डवलपमेंट कार्पोरेशन की दस करोड़ की योजना भेजी है। यह ट्राइबल डवलपमेंट कार्पोरेशन का निर्माण होता है तो आदिवासियों को ऋण मुक्त किया जा सकता है और उन्हें एग्रीकल्चर लोन मिल सकता है, कुआ खोदने के लिए। इसके अलावा शिड्यूल्ड एरिया में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी के ऊपर यदि पाँच हजार का ऋण है तो राजस्थान सरकार उसका सारा इन्ट्रेस्ट चुकायेगी। इस प्रकार की व्यवस्था है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): वह ऋण कहां से देगा, जब राज्य सरकार ब्याज चुकायेगी।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं जो.........

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : यह डिक्लेरेशन है या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है।

श्री भीखाभाई : इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कितनों को ऋण मिला, कितने अनुसूचित जाति के लोगों ने लिया है। आप घोषणा तो करते हैं लेकिन कार्यरूप में परिणित होती है या नहीं।

श्री अमीलाल यादव : पिछली बार जो स्कॉलरशिप दी गई.........

श्री जयनारायण सालोदिया : डेढ़ सौ, ढाई सौ—लेकिन कितने आदमियों को देते हैं? कुए के लिए ऋण कितनों को देते हैं—यह बताइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बता रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्कूल के वास्ते तो लिस्ट ले आये इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स से, यह आंकड़े नहीं लाये।

श्री भीखाभाई : 1-8-71 को जो स्वीकृति दी गई है, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के ग्रेजुएट हैं 40, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 11, पोस्ट ग्रेजुएट के 49, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 15 और शिड्यूल्ड कास्ट्स के 89, कुल 118 हैं, उनमें से 54 को दी गई है। बाकी के लिए और देने की कार्यवाही चालू है।

श्री नाथूराम : शिड्यूल्ड एरिया के लिए?

श्री भीखाभाई : उसके लिए अलग नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जिलों का नहीं बता सकते?

श्री भीखाभाई : तो सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान सरकार द्वारा काफी खर्च शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर किया जा रहा है। आज हरिजन जाति के लोगों के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं उनके लिये होस्टल खुले हुए हैं, उन्हें स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है। मैं आपको निवेदन करूंगा सभापति महोदया, कि आज राजस्थान सरकार जितने ऊंचे ऊंचे स्टाईपेन्ड देती है उतने हमारी भारत सरकार के किसी भी स्टेट में नहीं दिये जाते हैं। सभापति महोदया, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह सुझाव

Page No 192

(श्री भीखाभाई)
दिया कि शिड्यूल्ड कास्ट के पढ़े लिखे नवयुवकों और शिड्यूल्ड ट्राइब के पढ़े लिखे युवकों को आगे पढ़ाई करने के लिये फौरन स्कॉलरशिप्स भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिये और इसके लिये जैसा कि उन्होंने कहा इन्स्टीट्यूशन्स कायम की जाय जो कि यह तय करें कि किन्हें किन्हें आगे फॉरन ट्रेनिंग लेने के लिये भेजें ताकि जो आज हमारे हरिजन जाति के लोग हैं उन्हें तरक्की करने का मौका मिले। इस बात के लिये मैं सहमत हूं कि ऐसा होना चाहिये। यह एक अच्छा सुझाव है इसमें दो राय नहीं। इसी तरह एक माननीय सदस्य ने यह राय दी कि लैण्ड अलॉटमेन्ट के लिये जो सिफारिश शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में रिपोर्ट में दी हुई है पेज 41 पर उसे लागू किया जाय। मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। अभी राजस्थान सरकार के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें भी इसे डिस्कस किया है। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करदूं कि लैण्ड एलॉटमेन्ट के बारे में यह कि हजारों लोगों को जमीन एलॉट की जा चुकी है, जो घोषणायें की हैं, उसके अन्तर्गत मेरे ख्याल से 90 प्रतिशत भूमि का आवंटन हो चुका है और लोगों को कब्जा भी दिया जा चुका है। ये रिपोर्ट अभी मुझे मिली है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आपको जो रिपोर्ट मिली है वह गलत है। यह बिलकुल बेबुनियाद बात है लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है। लोगों को लैण्ड जो अलॉट हो जाती है पर उन्हें कब्जा नहीं मिलता है। इसलिये यह गलत बात है......

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह खबर सही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदया, मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपकी यह रिपोर्ट किस आधार पर है।

श्री भीखाभाई : मुझे सभापति महोदया, यह रिपोर्ट राजस्व विभाग से मिली है। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत ही सजग है और इस मामले को बहुत ही महत्वपूर्ण मामला मानती है। अभी जब सीनियर ऑफिसर्स कान्फ्रेन्स हुई थी उस वक्त हमने कलेक्टर्स को जो कि भूमि आवंटन के लिए अपने अपने जिलों में चेअरमैन होता है, आदेश दे दिये हैं कि जब कभी भी जमीन सरकार के हाथ सीलिंग से या और किसी प्रकार से आवे तो उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को प्राथमिकता दी जावे और उन्हें वह जमीन एलॉट की जाये। और माननीय सदस्यों को शायद इस बात का पता चल गया होगा कि राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदया, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो अलॉटमैंट कमेटी बनी हुई है उसका मुझे भी पता है कि हर एम. एल. ए. उस कमेटी का मेम्बर भी होता है। मैं भी उसका मेम्बर हूं। किन्तु होता यह है कि लैण्ड तो अलॉट कर दी जाती है पर उन्हें कब्जा नहीं मिलता है और लैण्ड अलॉट तो होती

Page No 193

(श्री जयनारायण सालोदिया)
है किसी दूसरे के नाम पर और बाद में उसका नाम कट जाता है। दूसरे आदमी को उसका कब्जा दिया जाता है और फिर बाद में वो लोग बेचारे रोते पीटते हमारे पास आते हैं तो सभापति महोदया, यह स्थिति है असली....

श्री वृद्धिचन्द जैन : ये तो एम. एल. एज. की कमजोरी है। उन्हें जोर लगाना चाहिये।

श्री श्रवणलाल : जो अलॉटमैंट होता है उसको 99 प्रतिशत काट दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : आप माननीय सदस्य बीच में इन्टरप्शन नहीं करें। मन्त्री महोदय को अपना भाषण देने दें। वो रिप्लाइ दे रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं। आप इतना भी नहीं जानते ?

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सदस्य को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं।

श्री भोलाभाई : तो सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि 90 प्रतिशत लोगों को कब्जा दिया जा चुका है। मेरे पास जो इन्फोर्मेशन आयी है उसी के अनुसार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहां है वो इनफोर्मेशन ?

श्री भोलाभाई : मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं।

During the years agricultural land was allotted to 79 thousand persons of Scheduled Caste and Scheduled Tribes after Gandhi Centenary orders. तो यह साहब इस प्रकार की व्यवस्था हुई है।

Another about 79 thousand acres of land have been allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribe to ten thousand persons. Regarding actual possession it is understood from Rev. Secretary that out of 64972 persons of Scheduled Caste or Scheduled Tribes to whom land was allotted during Gandhi Centenary possession has not been given to 59386. This is over 90%. Further report is awaited.

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदया, ये बिलकुल गलत है, ये सब बेकार है।

श्री भोलाभाई : इसके बाद में सभापति महोदया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कान्फ्रेन्स में इस विभाग के इस बहुत महत्वपूर्ण मामले पर हमने कलेक्टर्स से बातचीत की। उसमें हमने कलेक्टर्स को लैण्ड अलॉटमैंट की बात खास तौर से कही गयी। तीसरी बात जो है वह सर्विसेज के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है वैसे तो आपको पता ही है कि राजस्थान सरकार ने 28 प्रतिशत कोटा निर्धारित कर दिया है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा पहले सन् 58 में 5 पर्सेन्ट कोटा था फिर वह 12 पर्सेन्ट कोटा

(श्री भीखाभाई)

निर्धारित हुआ और बाद में हमने अप्रेल से यह फैसला किया कि यह कोटा 28 पर्सेन्ट कर दिया गया । सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि हलांकि कोटा तो निर्धारित कर दिया तो ऑफिसर्स पीस मील अपॉइन्टमैन्ट कर लेते हैं इसके लिये भी हमने इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये हैं। उसमें कहा गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को जो कोटा निर्धारित है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाय। दूसरे राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की तरह इसके लिए रोस्टर सिस्टम को अपना लिया है जिससे पूरा पता लग जायेगा कि जो राज्य सरकार की नीतियां हैं उनका सही रूप से पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने प्रोमोशन्स के लिए कहा है कि इसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये सर्विसेज में रिजर्वेशन होना चाहिये । इसके लिए भी माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि यह बात भी सरकार के विचाराधीन है । यह भी सजेशन उत्तम है। मैं इसको भी अच्छा सजेशन मानता हूं। एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मैं गुजरात में गया था वहां पर एक तरीका है। वहां ऐसे एरियाज हैं जिनमें कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की आबादी है वो वहां पर ही रहते हैं उन एरियाज में इनके लिए व्यवस्था की गयी है जिसमें उन्हीं लोगों के लिये रिजर्वेशन किये हैं और हम भी ऐसी योजना उनकी तरह बनाने की सोच रहे हैं। दूसरी एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि विधान सभा सदस्यों की एक समिति बनाने की सिफारिश राज्य सरकार ने अध्यक्ष महोदय के सामने की है वह उनके विचाराधीन है पर सवाल उसमें आता है कि स्टाफ कौन देगा स्टाफ के मामले की वजह से यह समिति अभी तक नियुक्त नहीं हो सकी। यह कमेटी जिस प्रकार भारत सरकार के यहां बनी है उसी तरह से होगी।

श्री मदनलाल : क्या वो सदन के इस सैशन में काम करना शुरू कर देगी ?

श्री भीखाभाई : यह तो आसन की मर्जी पर है राज्य सरकार ने तो अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : आपने तो कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी कि 11 सदस्यों की कमेटी शिडयूल्ड कास्ट व शियूड्ल्ड ट्राइब्स के बारे में होगी परन्तु अध्यक्ष महोदय के पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ की स्वीकृति तो राज्य सरकार ही देगी। उसके मेम्बर्स कौन कौन होंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप उसके मेम्बर बन जावगे।

श्री दिग्विजसिंह : ये तो काफी अरसे से सुन रहे हैं। ये बनेगी कब ?

श्री भीखाभाई : मैं आश्वासन तो दे नहीं सकता क्योंकि यह तो अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के लिए है। पर इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि यह सन् 70 से राज्य सरकार ने सोचा कि ऐसी समिति बन जानी चाहिये।

श्री श्रवणलाल : इस कमेटी के सम्बन्ध में जहां तक मेरा अनुमान है सभापति महोदया, कि करीब दो साल हो गए हैं सुनते सुनते कि ऐसी समिति बन रही है। विधानसभा जब मीट हुई थी तो यह घोषणा की गयी थी। माननीय मंत्री जी जोशीजी थे। इस प्रकार की बड़े जोर शोर से घोषणा की कि कमेटी नियुक्त की जा रही है। कोई गड़बड़ है उसको चेक करने के लिये हाउस की कमेटी बनायी जा रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में इस प्रकार की घोषणा की। हाउस में घोषणा हो गयी। आज तक पता नहीं कमेटी को कहां अटका रखा है। कभी कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है, कभी कहते हैं कि सरकार के विचाराधीन है। कभी वित्त विभाग के पास है, फाइनेन्स की कमी के कारण अटकी हुई है। यह तय न हो तो निर्माण नहीं हो सकता है। समाज कल्याण के ऊपर खर्चा हो उसको चेक करने के लिये हाउस के मेम्बरों की एक कमेटी बनायी जाय उसको कम से कम बनाने में एक साल का समय लग जाय और अब तक भी जो न बने तो इससे अधिक चिन्ता की क्या बात हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आपकी बात समझ ली गयी है। आप बिराजो।

श्री श्रवणलाल : आपके द्वारा मैं यह मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि नियमों में कोई भी संशोधन करके इसी चालू सत्र में कमेटी का निर्माण कर मान्यता दें जिससे कि वह कार्य का संचालन करे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री जी अपने उत्तर को संक्षेप में कर सकते हैं।

श्री भीखा भाई : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके हुक्म की तामील कर सकता हूं। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं और बातें उठायी हैं वे रह जावेंगी। मुझे पूरी बात कहना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बीच में इन्टरप्ट न करें।

एक माननीय सदस्य : होगा तो करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : बाद में कह दिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : बाद में कब कह देंगे।

श्री भीखाभाई : राज्य सरकार यह चाहती है कि जो ड्यू पर्सेन्टेज हैं वह दिया जाय।

श्री श्रवणलाल : कमेटी के बारे में क्या कहा?

श्री भीखाभाई : यह अध्यक्ष महोदय के परव्यू की बात है।

श्री जसराज : आपका विभाग दे सकेगा।

श्री भीखाभाई : यह ऐसा प्रश्न है कि अध्यक्ष महोदय की राय ही अन्तिम राय होगी। अन्तिम रूप से यह सुझाव दिया

(श्री भीखाभाई)

था कि माननीय अध्यक्ष महोदय उससे सहमत हो जायं तो 11 सदस्यों की कमेटी बनायी जाय। अध्यक्ष महोदय के ऊपर है चिन्तन करके करना चाहते हैं। बजट में दिक्कत हो तो विभाग की ओर से बजट दे सकते हैं। ये बातें इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूं।

सर्विसेज के बारे में मैं कह रहा था। सुझाव आये और माननीय सदस्यों ने कहा ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में रिजर्वेशन लागू करने के बारे में। सरकार ने लागू कर दिया। सारे डिपार्टमेंट्स को कह दिया। डिपार्टमेन्ट्स से जवाब तलब किया। डिफाल्टिंग डिपार्टमेन्ट्स ने जवाब नहीं दिया तो मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखी और सी.आर. पर विचार किया जा रहा है इसलिये सरकार बराबर जागरूक है। सर्विसेज में जो कोटा दिया गया है वह भर दिया जाय। रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है।

पानी की बात आई। जहां तक नल के पहुंचाने का सवाल है राज्य सरकार इस प्रकार का प्रबन्ध कर रही है। प्रतिवर्ष धन राशि अपने बजट में रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट में 50 लाख का प्रावधान है। 10 लाख के एस्टीमेट की बचत है। जल्दी से जल्दी एस्टीमेट भेजने की कोशिश करेंगे आप।

श्री दिग्विजयसिंह : हम भिजवा दें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? उनको काम करना चाहिये।

श्री भीखाभाई : बिजली, नल के एस्टीमेट की बात है....

श्री दिग्विजयसिंह : हम भिजवा दें यह कहना गलत है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वे क्या कर रहे हैं? उनकी ग्रान्ट है। वे क्यों नहीं सर्वे करवा कर एस्टीमेट बना कर भेजें।

श्री भीखाभाई : They are not engineers.

श्री दिग्विजयसिंह : They are not engineers but they can consult the engineers and they can pursuade them.

श्री भीखाभाई : लोकल विधायक का सवाल है।

श्री दिग्विजयसिंह : विधायक का क्या सवाल है?

श्री जयनारायण सालोदिया : लोकल लोगों को बतायें क्या?

श्री भीखाभाई : बजट को हर माननीय सदस्य जानता है और फिर ऐसी बात करता है तो क्या किया जाय। बजट हाउस की प्रोपर्टी है और उसको नियन्त्रित करने और चलाने की माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है।

अर्बन प्लॉट्स की बात हुई। मेरी लड़की का नाम लिया मेरा नाम भी लिया अच्छा है। शिड्यूल्ड कास्ट के अफसर और मेरी लड़की को मिला। गांधी शताब्दी वर्ष में प्लॉट्स लोगों को मिलने चाहिये वह योजना बनायी। यू. आई. टी. ने एलटॉमेंट पिक एण्ड चूज के नाम पर 16 आदमियों को किये।

श्री रामचन्द्र : क्या उन लोगों ने ले लिये?

श्री भीखाभाई : लिस्ट हमारे पास आई है। विरोधी सदस्यों ने यह कहा कि ये प्लॉट्स निरस्त किए जाने चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य का प्लॉट खत्म हुआ। पैसा दे दिया। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। उस वक्त कहते। शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात करते हैं। अभी कर सकते हैं। लोगों को दिलाना चाहते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : लेकिन गवर्नमेंट में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड टाईब्स का प्रतिनिधित्व आप कर रहे थे। डिपार्टमेन्ट आपका था। आप माननीय सदस्य से क्या कहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल : माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं।

श्री भीखाभाई : 15 पर्सेन्ट के रिजर्वेशन की बात थी। गांधी शताब्दी में भी यह कहा। प्रचार हो तो मैं बरदाश्त करूं और फायदा हो तो आप उठायें।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने 15 पर्सेन्ट के लिए कहा। किस जगह 15 पर्सेन्ट एलॉट हुए हैं प्लॉट किस किस स्कीम में एलॉट हुए हैं ? आप बता दीजिए।

श्री भीखाभाई : 68 में गवर्नमेन्ट ने रिजर्वेशन किया। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स को न मिले और अल्प आय वालों को न मिले एक प्रावधान आगया जब कि राष्ट्रपति शासन था। गवर्नर शासन में यह हो गया तो सितम्बर में जाकर हमने इसको वापिस रेस्टोर किया। हर स्कीम में देना चाहिये। कितने प्लॉट मिले लीजिये यह डिटेल्स हैं।

The Improvement Trust allotted 7338 plots out of which 1710 plots were given to Scheduled Caste persons. This works out to 23%

मैं यह निवेदन कर रहा था। यह भी कहा गया कि कार्यवाही नहीं होती है। 2500 ओल्ड पजेशन्स को रेगुलर किया गया है। हम सब सतर्क प्रहरी हों तब ही काम होता है। समाज कल्याण मंत्री सब विभागों का ठेका लेकर नहीं चलता है। सबसे कोऑर्डिनेशन से काम करे यही हो सकता है। अनटचेबिलिटी के सम्बन्ध में पुलिस से काम चलता है। विद्युत् का विद्युत् विभाग से काम चलता है। टाउन प्लानिंग का टाउन प्लानिंग से। प्रयत्न तो हम सब को मिल कर करना पड़ेगा। तब ही तो समाज कल्याण है।

सभापति महोदय, समाज कल्याण का मतलब यह है कि सभी मिलकर समाज बन कर काम करें। तभी यह काम आशा के अनुरूप हो सकता है। वरना अकेले सरकार के बल पर और कानून के बल पर होना सम्भव नहीं है। यह बिलकुल स्पष्ट बात है।

रेवेन्यू विभाग और राजस्थान के अन्य विभागों का जिक्र किया गया। इनका शिड्यूल्ड कास्ट्स से क्या ताल्लुक है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे नहीं है। इन लोगों के कारण गरीब लोगों के लिये

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जमीन ही नहीं बचती। इन लुटेरों की लूट को रोकना होगा। भाषण करते हैं समाजवाद पर, इतनी सी बात समझ में नहीं आती इनके।

9.25 रात्रि

(श्री रामनारायण चौधरी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माफ करियेगा कि मुझे कुछ कहना पड़ा। मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूं।

मैं कह रहा था हमारे विभाग की बात सुनने के लिये अलग अलग विभाग के मन्त्री महोदय भी सदन में उपस्थित हैं। सारी डिबेट को उन्होंने सुना तो उन पर भी अच्छा असर पड़ेगा।

राजस्व विभाग के जमीन के मामलों को लेकर भी यहां चर्चा हुई। अब उन बातों का निराकरण कैसे होगा क्या कदम उठाये जावेंगे यह सरकार देखेगी। कमजोर आदमियों को जमीन का आवंटन भी बराबर होगा यह भी सरकार बराबर देखेगी।

छूआछूत के बारे में निवेदन करूं कि राज्य सरकार की ओर से बराबर इस बात का प्रयत्न है कि इस एक्ट को कम्पाउण्डेबल रखा जावे। यह सही है, मैं इन्कार नहीं कर सकता कि छूआछूत अभी समाज में है।

भंगी कष्ट मुक्ति के बारे में भी प्रावधान किया है। एक करोड़ रुपया नगरपालिकाओं के मार्फत दिया है। इसका उपयोग सही तरह से हो इसको देख भाल हम कर रहे हैं। छूआछूत के मामले में और भी सतर्कता हम बरतेंगे। यह तो सरकारी स्तर पर हमारे प्रयत्न हैं। पर फिर भी यह सही है कि सख्त से सख्त सजा भी रख दी जावे तब भी इसका असर नहीं होने वाला है। जब तक जन-जागरण नहीं होगा, यह मिटने वाली नहीं है। आज हम 184 सदस्य इस बात की प्रतिज्ञा ले लें कि एक एक आदमी पूरा जोर लगाकर इसके लिये काम करेंगे तो इसके जल्दी ही मिटने में दिक्कत नहीं होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लोग ईमानदार नहीं हैं, आप बेईमान बैठे हैं सब के सब। आप ईमानदार हो जावेंगे तो सारा मसला हल हो जावेगा। पहले तो आप इस मन्त्रिमण्डल को ईमानदार बनाइये।

श्री भीखाभाई : तो आज यह जो हमारे समाज के माथे पर कलंक का टीका है उसे सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी मिटेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : समाज और देश के लिये आप लोग कलंक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही का समय जब तक मन्त्रीजी का भाषण समाप्त न हो जाय, तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनके भाषण की सीमा बांध दें तो अच्छा होगा।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में कहा गया। 27,70,442) हरिजन बस्तियों में विभिन्न नगरों में सार्वजनिक बिजली आदि की व्यवस्था करने के लिये दिया है 68 से लेकर इस चालू साल तक।

साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में पीने के पानी के नल फ्री कर दें। इसका काफी जगह प्रयत्न किया गया है। बीकानेर में योजना चालू है। इसके लिए 25 लाख रुपया का प्रावधान किया है।

हरिजन डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन के लिये भारत सरकार से राज्य सरकार ने लिखापढ़ी की है। इससे भी लाभ मिले इसके लिये सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है।

वन भूमि की बात बताई गई। इसके लिये एक कमेटी बना रखी है। वन कूप उनको दिये भी हैं। यह कहा गया कि सरकारी व्यापार मण्डल को देना बन्द कर दिया जाय यह तो उचित नहीं होगा पर अगर हरिजन आदिवासियों की कोई सहकारी समिति अगर इस काम में आगे आती है तो उनको काम दिया जावेगा।

जवाहर नगर कॉलोनी के बारे में कहा गया कि कुछ भूमि इन्सपेक्टरों ने दूसरे लोगों को दे दी। इसकी जांच कराई गई उससे प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें जो आवंटन हुआ है उसकी जांच कराई जाय और जो गलतियां हुई हों उनको दुरुस्त कराया जाय।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : आपके विभाग में कितने पर्सेन्टेज शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का है सर्विस में?

श्री भीखाभाई : मैं तो एडमिट करता हूं कि अभी जितना होना चाहिये सभी कैटेगरीज में उतना नहीं है। और भी कई विभागों में 28 प्रतिशत नहीं है। प्रयत्न हमारे इस दिशा में हैं कि इस सीमा तक बढ़ाये जावें। रोस्टर सिस्टम के अलावा रिप्रजेन्टेशन बन्द करके लिये जावें। इस बारे में हम सोच रहे हैं। प्रयत्न हमारे लगातार हैं।

श्री जसराज : आप कह दें कि सोशियल वेलफेयर बोर्ड में 28 प्रतिशत का कोटा पूरा है?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब इनके घर में ही नहीं है तो आप दूसरी जगह क्या करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : वहां पर उस 28 प्रतिशत का कोटा पूरा करने में क्या मजबूरी है?

श्री जसराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाईरेक्टर सोशियल वेलफेयर बोर्ड पर चार्ज लगाता हूं कि उन्होंने सोशियल वेलफेयर विभाग का भी 28 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं किया है और जब ऐसा है तो वे इस पद के काबिल नहीं हैं और मैं चार्ज लगाता हूं और आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं क्या?

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, कई डाईरेक्टर आये और कई चले गये····

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : जिन लोगों ने पालन नहीं किया उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे क्या ?

श्री भीखाभाई : इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक चतुर्थ श्रेणी का ताल्लुक है और तृतीय श्रेणी का ताल्लुक है उसमें पर्सेन्टेज ऊपर ही है और जो फर्स्ट और सेकिण्ड क्लास है उसमें भी पर्सेन्टेज पूरा करने की कोशिश करेंगे यह मैं आश्वासन दे सकता हूं ।

श्री जसराज : क्या आप इसके बारे में सूचित करेंगे चीफ सेक्रेट्री को या चीफ मिनिस्टर को....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जसराज जी ने बड़े जोरों से डाईरेक्टर को हटाने की बात कही । मैं जानकारी चाहता हूं आपके द्वारा सरकार से और माननीय भीखाभाई जी से कि क्या हमारे मंत्रिमंडल का भी कोटा 28 पर्सेन्ट का पूरा हो चुका है ? 10 में से 3 चाहिए तो मंत्रिमण्डल का ही जब कोटा पूरा नहीं है तो राजस्थान के पिछड़े वर्ग को 28 पर्सेन्ट का कोटा मिलना बहुत मुश्किल है । इसलिए जसराज जी आप कितना ही जोर मारे यह बातें आपसे होने वाली नहीं है । आप अपने आप को पहचानों कि आप किस शक्ल में बैठे हो । अगर मन्त्रिमंडल का कोटा पूरा नहीं है तो 28 पर्सेसेन्ट का दूसरों का भी कोटा पूरा होने वाला नहीं है ।

श्री दिग्विजयसिंह : सी. आर. सब की बिगड़ी हुई है ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक समाज कल्याण विभाग का सवाल है मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में यह कोटा पूरा है लेकिन फर्स्ट और सैकिण्ड क्लास में भी "विदिन सिक्स मन्थ्स" 28 पर्सेन्ट पूरा कोटा हो जाये यह बात मैं कह सकता हूँ । बस यही कहकर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

श्री श्रवणलाल : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

माननीय मंत्री महोदय आपका भाषण समाप्त हो गया ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या आपका डिपार्टमेन्ट भी यह फील करता है कि आजकल छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के द्वारा बंटती है तो वह ठीक तरह से नहीं बंटती है तो क्या आप यह विचार करने के लिए तैयार है कि ये छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा न बंटकर समाज कल्याण विभाग द्वारा बंटे ?

श्री भीखाभाई : यह माननीय सदस्य ने पहले भी सुझाव रखा था और यह पहले हमारे विभाग में ही था । दिक्कत यह आई कि उस समय यह शिकायतें थीं कि ठीक तरह से समय पर छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के पास नहीं पहुंचती इसलिए हैड-मास्टर और इन्सपेक्टर को यह पैसा देने

(श्री भीखा भाई)

के लिए तय कर दिया था। अब उसको पूरा एग्जामिन किये बिना मैं यह कमिट-मेन्ट करने की स्थिति में नहीं हूं। यही बात मैं कह सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने जवाब दिया उसके लिए तो बधाई देता हूं लेकिन इस बात को नहीं भूलें कि एक तो नाथद्वारा का मन्दिर नहीं खुला है, मेहतरानियों के सर पर से अभी भी मैला चूता है और यह नहीं हटा है और हरिजनों की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है।

श्री उपाध्यक्ष : बहस समाप्त हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे हुई। मैं यह जानना चाहता था कि भूमिहीनों को भूमि एलॉट सम्बन्धी चार्ज लगाया है उसका उत्तर उपनिवेशन मन्त्री जी से दिलाया जाये। क्या इस सम्बन्ध में वे जांच कराना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : कैसे समाप्त हुई।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.36 पर शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

टोड़ारायसिंह सैक्शन

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष	मजदूरों की संख्या	रकम जो बकाया है
1.	भासू से पवालियां सड़क	1967	354	1427.00
2.	कृपाल भैरू से हमीरपुरा सड़क	1967	469	1308.56
3.	भैरू दतोब सड़क	1967	201	606.05
4.	टोड़ारायसिंह से भटंडा सड़क	1967	85	153.64
5.	हमीरपुर से मोडाला सड़क	1967	120	257.03
6.	टोड़ारायसिंह से मोडाला सड़क	1967	105	386.82
7.	लाम्बा से बर वास सड़क	1967	11	29.18
			1345	4168.28
	तहसीलदार टोड़ारायसिंह से बकाया वापस हुई राशि	1969	302	3713.22
1.	मालपुरा टोड़ारायसिंह से मलूका नगर	1970	42	385.75
2.	रतबई से हमीरपुर सड़क	1970	30	273.13
			72	658.88

निर्वाचन क्षेत्र टोड़ारायसिंह के अनपेड की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	मजदूरों की संख्या जिनका अनपेड बाकी है	कुल रकम जो इन मजदूरों की बाकी है
1.	टोड़ारायसिंह	86	942.20
2.	छाबरदूमा	56	281.10
3.	बरवास	90	436.50
4.	सवारिया	41	331.10
5.	लाम्बा	56	227.75
6.	कूकड़	36	275.35
7.	थडेली	35	222.40
8.	बासेड़ा	20	228.35
1969			
1.	रिछलारामपुरा	23	55.50
2.	बावड़ी	10	44.50
3.	गणोती	4	34.00
4.	बासेड़ा	10	52.00
5.	लाम्बा	7	33.50
6.	करेड़ा	2	9.00
7.	बस्सी	11	36.75
8.	इन्दोकिया	2	5.50
9.	थड़ोली	4	40.50
1970			
1.	बस्सी	3	11.00
2.	बासेड़ा	21	160.00
3.	रिछलारामपुरा	33	778.37
4.	हमीरपुर	19	82.00
5.	गणोती	19	114.00
6.	लाम्बा	2	7.50
7.	इन्दोकिया	10	11.75
8.	करेड़ा	60	195.75
9.	नासीरदा	11	86.00

Page No 204

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

TABLE I

YEAR-WISE ALLOCATIONS AND EXPENDITURE DURING IV PLAN PERIOD

Year	Allocation (in crores Rs.) Within Plan	Outside Plan	Total	Actual	Expenditure
1969-70	4.80	3.20	8.00	8.00	Crores.
1970-71	7.00	—	7.00	7.39	„
1971-72	6.23	3.00	9.23	9.23	„ (Anticipated)
1972-73	7.50 (likely)				
1973-74	14.47 (likely)				
Total:	40.00	6.20			

TABLE II

Particuears	Project Provision (Crores Rs.)	Amount spent up to March, 1971	Balance after March, 1971.
1	2	3	4
A—Preliminary	1.768	1.568	0.20
Rajasthan Feeder 0-110.8	21.880	21.88	
Rajasthan Feeder 110·8 to 134	4.413	4.41	
Main Canal Mile 0 to 14	2.568	2.56	
-do- Mile 14 to 70.2	14.567	14.56	
-do- Mile 70.2to 121.8	15.718	9.31	6.40

Page No 205

1	2	3	4
Miscellaneous Works Phase 1	5 961	4.54	1.42
—Suratgarh Branch and its system	3.216	3.12	0.10
Anoopgarh Shakha and its system	4.752	4.55	
Naurangdesar Dist. and its system	0.529	0.53	
Rawatsar Disty. and its system	0.84	0.80	
Naushera Branch and its system	5.317	—	5.32
Lining of distribution system	25.564	0.20	25.36
Loonkaransar Bikaner Lift Canal	11.503	3.50	8.00
Total....	118.559	71.55	47.00
	Say Rs. 119 crores.		

Page No 206

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में भूमिहीन व्यक्तियों (कृषकों) की सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या
1.	अजमेर	4,457
2.	अलवर	40,381
3.	उदयपुर	9,328
4.	कोटा	34,046
5.	गंगानगर	25,235
6.	चित्तौड़गढ़	5,367
7.	चूरू	3,433
8.	जयपुर	4,339
9.	जालौर	3,790
10.	जैसलमेर	919
11.	जोधपुर	2,283
12.	झालावाड़	4,161
13.	झुंझुनू	7,576
14.	टोंक	2,317
15.	डूंगरपुर	213
16.	नागौर	6,828
17.	पाली	4,759
18.	बाड़मेर	4,509
19.	बांसवाड़ा	260
20.	बीकानेर	772
21.	बून्दी	2,033
22.	भरतपुर	8,716
23.	भीलवाड़ा	6,627
24.	सवाई माधोपुर	11,435
25.	सिरोही	2,639
26.	सीकर	13,209
	योग....	2,09,732

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न दिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

गंगानगर शुगर मिल

28. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कौन कौन से ऐसे उद्योग कार्य हैं जिन्हें सरकार स्वयं चलाती है ?

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर की शुगर मिल में बड़ी अनियमितता चल रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गंगानगर शुगर मिल में जो शराब बनाई जाती है उस शराब में से काफी शराब चोरी से चली जाती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस शुगर मिल के लिए जो कोयला मंगाया जाता है वह गंगानगर रेलवे स्टेशन से ही सीधा ब्लैक में बेच दिया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस मिल की अव्यवस्था के सम्बन्ध में वहां के मजदूरों ने सरकार के सामने शिकायत की थी और उन शिकायतों के कारण मिल के व्यवस्थापक को वहां से बदलना पड़ा ?

(6) क्या भविष्य में सरकार अपने माध्यम से कोई नई फैक्ट्री लगाने जा रही है ?

(7) क्या यह सही है कि ब्यावर में बन्द पड़ी हुई फैक्ट्रियों को भविष्य में अपने हाथ में लेकर संचालन करने जा रही है ? यदि हाँ, तो इन ब्यावर की फैक्ट्रियों का संचालन सरकार कब तक हाथ में ले लेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्न उद्योग राजकीय उपक्रम विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं:—

1. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।
2. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना।
3. राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा।
4. राजकीय लवण स्रोत डीडवाना।
5. पलाना कोयला खान, पलाना।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। राज्य सरकार अपने माध्यम से टोंक में चर्म उद्योग स्थापित करने जा रही है।

(7) जी हां। एडवर्ड मिल के संचालन के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से अपने नियन्त्रण में लेकर चालू करने हेतु सिफारिश कर दी है।

बारां मार्केटिंग सोसायटी को ऋण व अनुदान

29. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां सहकारी चांवल मिल के अधीन कृषि से सम्बन्धित औजार आदि के निर्माण व वर्कशॉप खोलने हेतु बारां मार्केटिंग सोसायटी को ऋण व अनुदान के रूप में धनराशि मिली है ?

(2) यदि हां, तो किस तारीख को कितना रुपया ?

उत्तर

(1) बारां क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. को कृषि औजार निर्माण हेतु वर्कशॉप स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान दिया गया था।

(2) दिनांक 31·3·70 को निम्न सहायता दी गई :—

1.	हिस्सा पूंजी अंशदान रु.	12,500.00
2.	वर्कशाप निर्माण हेतु	6,200.00
	(अ) ऋण 4,700.00	
	(ब) अनुदान 1,500.00	
3.	व्यवस्थापकीय अनुदान	4,750.00
	कुल....	23,450.00

जयपुर शहर में यातायात असुविधा

30. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर के यातायात को ध्यान में रखकर कुछ सड़कों को चौड़ा किया गया था, पर अभी तक भी सड़कों पर बिजली व टेलीफोन के खम्बे तथा पेड़ आदि खड़े हैं जिससे यातायात में बड़ी परेशानी होती है व दुर्घटनाओं का खतरा है ? यदि हां, तो फिर इन खम्बों को क्यों नहीं हटाया जाता है ?

(स्थगित किया गया)

पास बुकों का वितरण

31. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर की कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र के किसानों को अलवर जिले में सर्व प्रथम पास बुकें वितरण करने का कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया गया तथा अब तक कितने किसानों को पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं ?

उत्तर

यह सही नहीं है। सब तहसील कठूमर को पास बुकों का वितरण माह जनवरी, 70 से प्रारम्भ किया गया था और अब तक कुल 103 पास बुकें वितरण की जा चुकी हैं।

नया तालाब की मरम्मत का ठेका

32. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नया तालाब जिला झालावाड़ की मरम्मत का ठेका किस को किस किस रेट पर किन किन कार्यों का दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य में ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट के बजाय मिट्टी लगाई जिसकी शिकायत हुई है और कार्य बंद कर दिया गया है और इस कार्य के बिल का पेमेन्ट कर दिया गया?

(3) क्या इस प्रकार की शिकायत की जांच की गई है? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी नहीं, सीमेन्ट ही लगाया गया है, कार्य ठीक हुआ है एवं कार्य पूर्ण हो जाने की वजह से बन्द कराया गया है। सही कार्य होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया गया है।

(3) जी हां, एक अनजान नागरिक की शिकायत प्राप्त हुई थी। सहायक अभियन्ता द्वारा जांच उपरान्त विदित हुआ कि कार्य एस्टीमेट के लिये गये प्रोवीजन के अनुसार ही हुआ है। अतः कोई दोषी नहीं पाया जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती।

सूची "अ"

सूची ठेकेदारान जिन्होंने नया तालाब झालावाड का विभिन्न कार्य किया

नाम ठकेदार	कार्य का विवरण	रेट
1. श्री अब्दुल हलीम	1. तालाब की फेसवाल चेन 8-85 से चेन 15 तक	बी. एस. आर. के अनुसार
2. श्री रवीन्द्र नाथ	1. नया तालाब चेन 15 से 22 तक	,,
	2. नया तालाब डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वेस्टवीयर चेन 6 से 8-85 तक	,,
3. श्री रवीमसिंह राठौड़	1. नया तालाब डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वेस्टवीयर चेन 0 से 3 तक	,,
4. श्री मुन्ना खां	1. नया तालाब डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क वेस्टवीयर चेन 3 से 6 तक	,,
	2. नया तालाब की मिट्टी चुनाई चेन 8-85 से 13 तक	,,
5. श्री अब्दुल रजाक	1. नया तालाब के वेस्टवीयर व फेसवाल पर प्लास्टर चेन 8-85 से 15 तक	,,

केशोराय पाटन शूगर मिल

33. **श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली):** क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री केशोराय पाटन शक्कर मिल के सदस्य केवल काश्तकार ही हैं ? यानि गन्ना उत्पादक ही हैं ?

(2) इसके कुल कितने सदस्य हैं और किस का कितना कितना हिस्सा है ?

(3) कार्यकारणी के सदस्य। कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। कितने काश्तकार हैं और कितने नहीं ?

(4) इस सहकारी समिति का चुनाव कराया गया अथवा नहीं ? चुनाव नहीं कराने के क्या कारण हैं। अब कब तक चुनाव करा दिये जायेंगे।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची)

इस समिति के कार्य इस प्रकार होंगे—

1. धीरे धीरे पूर्ण मद्य निषेध का उद्देश्य पूरा करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर सरकार को इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्यक्रम बनाकर परामर्श देना।

2. मद्य निषेध कार्यक्रम को किस प्रकार विभिन्न चरणों में स्थिति विशेष में क्रियान्वित किया जाय और उसकी समयावधि क्या हो, इनके सम्बन्ध में सुझाव देना।

3. इस कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों को ग्रहण करने तथा जनमत को शिक्षित करने का आधार बनाने के लिये सभायें बुलाना एवं जलसे आदि की व्यवस्था करना।

4. जन सम्पर्क निदेशालय के सहयोग से मद्य निषेध कार्यक्रम के प्रचार की व्यवस्था करना।

5. मद्य निषेध कार्यक्रम से सम्बन्धित साहित्य तैयार करना और उसे जारी करना।

सूची (क)

1.	मन्त्री, आबकारी एवं कर विभाग	अध्यक्ष
2.	वित्त आयुक्त (राजस्व) एवं सचिव, आबकारी विभाग	सदस्य
3.	विकास आयुक्त	,,
4.	शिक्षा सचिव	,,
5.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग	,,
6.	निदेशक, जन सम्पर्क विभाग	,,
7.	श्री मनोहर सिंह मेहता, सदस्य, राजस्थान विधान सभा	,,
8.	श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा	,,
9.	श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा	,,
10.	श्री गोकुल भाई भट्ट	,,
11.	श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा	,,

12.	श्री भोगीलाल पंड्या	सदस्य
13.	श्री छगनलाल	,,
14.	आबकारी एवं मद्य निषेध आयुक्त	सदस्य सचिव
15.	श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर	सदस्य
16.	श्री छगनलाल चौपासनीवाला, जोधपुर	,,
17.	श्री मोहन राज जैन एडवोकेट, जिला पाली	,,

Page No 213

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची)

सूची

क्र. सं. 1	नाम व्यक्ति 2	क्र. सं. 1	नाम व्यक्ति 2
1.	श्री सदीक छीपा	29.	श्री नन्दलाल
2.	श्री पूलगराम	30.	श्री बनवारीलाल
3.	श्री हीरालाल मुरलीधर	31.	श्री सांवरमल
4.	श्री जोडी मोलपुरिया	32.	श्री गजानन्द
5.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	33.	श्री नथमल
6.	श्री गोपाल स्वामी	34.	श्री देवचन्द जैन
7.	श्री सत्यनारायण	35.	श्री रतनाराम
8.	श्री सदीक छीपा	36.	श्री नारायण रैगर
9.	श्री शिवराज जोशी	37.	श्री श्रीचन्द दूगड़
10.	श्री सीताराम इरोत	38.	श्री मंगतराम खटीक
11.	श्री नारायणजी	39.	श्री रामसरण खाती
12.	श्री धर्मचन्द,हीरावत	40.	श्री हरिप्रसाद
13.	श्री मुन्ना पुत्र असरफ	41.	श्री दीनदयाल
14.	श्री सत्यनारायण सूरज नारायण	42.	श्री मानमल चौधरी
15.	श्री शीशपाल खटीक	43.	श्री ठाकरचन्द
16.	श्री महमदा तेली	44.	श्री ठाकरचन्द
17.	श्री सेवकराम सिंधी	45.	श्री मुमताज छीपा
18.	श्री जोधाराम खटीक	46.	श्री धनराज खटीक
19.	श्री हंसराज शर्मा	47.	श्री सदीक छीपा
20.	श्री नारायणदास	48.	श्री सत्यनारायण
21.	श्री सीताराम	49.	श्री भंवर खां
22.	श्री देवाराम खटीक	50.	श्री कमलनयन
23.	श्री बनवारीलाल	51.	श्री बजाज एण्ड कम्पनी
24.	श्री दुर्गादत्त सुनार	52.	श्री इन्द्रसिंह
25.	श्री शंकरलाल चौधरी	53.	श्री सांवरमल
26.	श्री डमरु धूप फैक्टरी	54.	श्री मांगीलाल
27.	श्री शिवशंकर	55.	श्री इब्राहीम
28.	श्री सोहनलाल	56.	श्री भूरा छीपा

1	2	1	2
57.	श्री जोधराज	83.	श्री परसराम केडिया
58.	श्री सांवरमल महाजन	84.	श्री राधेश्याम अग्रवाल
59.	श्री बाबूलाल कन्हैयालाल	85.	श्री हरिश्चन्द्र
60.	श्री तेजकरण वैद	86.	श्री सीताराम
61.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	87.	श्री शमसाद मुताणा
62.	श्री मदनलाल मोदी	88.	श्री शिवप्रसाद
63.	श्री गोविन्दराम	89.	श्री ओंकारमल खटीक
64.	श्री शंकरलाल	90.	श्री इन्दर चन्द पंजाबी
65.	श्री जाफरखां	91.	श्री रामेश्वर
66.	श्री कमलकुमार गोरिसरीया	92.	श्री नथमल सर्राफ
67,	श्री तोलाराम खटीक	93.	श्री दीनदयाल
68.	श्री चौथमल चौधरी	94.	श्री हरीप्रसाद महाजन
69.	श्री सांवरमल अग्रवाल	95.	श्री मांगीलाल
70.	श्री हरीराम कसेरा	96.	श्री घीसाराम
71.	श्री शंकरलाल अग्रवाल	97.	श्री हेमचन्द
72.	श्री रामचन्द्र खटीक	98.	श्री छगनलाल
73.	श्री बृजकिशोर	99.	श्री मौलाखां कांछी
74.	श्री मुन्नालाल खटीक	100.	श्री मंगतू मनिहार
75.	श्री नारायण प्रसाद	101.	श्री रामगोपाल
76.	श्री लालूराम रैगर	102.	श्री शीशपाल खटीक
77.	श्री जोधाराम खटीक	103.	श्री चौथमल चौधरी
78.	श्री मुरारीलाल	104.	श्री राम अवतार
79.	श्री जगदीशप्रसाद	105.	श्री रामप्रताप महाजन
80.	श्री चुन्नीलाल खटीक	106.	श्री गंगाराम
81.	श्री दीनदयाल	107.	श्री हरीराम अग्रवाल
72.	श्री प्रेमचन्द		

———

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार दिनांक 11 नवम्बर, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
3	19	फसला	फैसला
9	अन्तिम से 4	अ	अ॰
15	2	रास्बे	रास्ते
28	अन्तिम से 2	ओंरों	औरों
54	,, 8	जरनल	जनरल
70	1	रतनढ़ग	रतनगढ़
92	अन्तिम से 4	चार	प्रलाप
146	,, 10	हा	हो
151	8	वद	बाद
151	10	दी क	दी । एक
192	अन्तिम से 16	टलाली	दलाली
211	,, 8	लालबहाढुर शास्त्री	लालबहादुर शास्त्री
227	8	फस्ट	फर्स्ट
232	अन्तिम से 6	श्री मनोहर्रसिंह	श्री मनोहर्रसिंह मेहता
260	,, 1	सकत	सकता
262	,, 3	त ह	तरह
264	12	सदत्य	सदस्य
264	13	कोपरेट	कोर्पेरेट
270	7	ी	की
392	10	pursuade	persuade